# राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

महीयसी महादेवी वर्मा

वर्ष 1987 हिन्दी साहित्य जगत् में एक दुखद वर्ष के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। इसी वर्ष के अप्रैल मास में श्री अज्ञेय का महाप्रयाण और अब 11 सितम्बर को छायावाद-रहस्यवाद काव्य-प्रवृत्ति की अन्तिम देदीप्यमान कवयित्री एवं मनीषी महादेवी वर्मा का पार्थिव शरीर 'तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है' की खोज में रसूलाबाद (प्रयाग) श्मशान घाट पर हजारों अश्रुपूरित हिन्दी प्रेमियों की उपस्थिति में पंचतत्त्व में विलीन हो गया।

महादेवी जी ने न केवल आधुनिक हिन्दी काव्यधारा में युगान्तरकारी परिवर्तन किया, अपितु उन्होंने साहित्य शास्त्र की प्रणेता, संस्कृत काव्य की अनुवादक, हिन्दी गद्य- साहित्य में रेखाचित्रों की सर्जक के रूप में अपने कृतिव से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इनकी कृतियों में 'सांध्यगीत', 'दीपशिखा' 'नीहार' 'रश्मि' 'नीरजा', 'यामा' आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी साहित्यिक प्रतिभा से अभिभूत होकर भारत सरकार ने इन्हें 'पद्म भूषण' उपाधि से विभूषित किया। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के 'भारत भारती' एवं 'मंगला प्रसाद पुरस्कार' से भी इन्हें सम्मानित किया गया।

28 नवम्बर, 1983 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समर्पण समारोह में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर ने श्रीमती महादेवी वर्मा 'को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार' समर्पित किया।

## श्री देवराज दिनेश

कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय काव्य चेतना के प्रणेता व गायक श्री देवराज दिनेश का देहावसान हो गया। वे जीवन के अन्तिम क्षण तक अपने गीतों में राष्ट्र की एकता और अखण्डता को प्रखरता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करते रहे।

राजभाषा भारती परिवार की ओर से महीयसी महादेवी वर्मा तथा श्री देवराज दिनेश की स्मृति को कोटि-कोटि नमन।

# राजभाषा भारती

## राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 10
अंक : 38

आषाढ़—आश्विन 1909 शक
जुलाई—सितम्बर 1987

संपादक
**डॉ. महेशचन्द्र गुप्त**
निदेशक (अनुसंधान)

**उप संपादक**
**डॉ. गुरुदयाल बजाज**

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

**(निःशुल्क वितरण के लिए)**

**पत्र व्यवहार का पता**

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन, (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन : 617807/690613

**विषय सूची**

**सम्पादकीय**
**पाठकों के पत्र**

| | | |
|---|---|---|
| ० **चिन्तन** | | **पृष्ठ** |
| 1. राजभाषा हिन्दी ही क्यों ? | डॉ. रामकुमार मिश्र | 4 |
| 2. राजभाषा और लिपि का प्रश्न | शमशेर सिंह | 6 |
| 3. इंग्लैंड में अंग्रेजी कैसे लागू हुई | डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त | 8 |
| 4. प्रशिक्षण पाठयक्रमों में हिन्दी | जगन्नाथ | 13 |
| 5. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हिन्दी की भूमिका | डॉ. विलास गप्ते | 15 |
| 6. देवनागरी लिपि में बेतार संकेत | माताशरण शुक्ल | 18 |
| ० **साहित्यिकी** | | |
| 7. तेलुगु की राष्ट्रीय कविता | डॉ. एस. सूरप्पडु | 22 |
| ० **पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में** | | |
| 8. सुभाषचन्द्र बोस और हिन्दी | | 27 |
| ० **विश्व हिन्दी दर्शन** | | |
| 9. थाईलैंड में हिन्दी | लल्लनप्रसाद व्यास | 29 |
| ० **राजभाषा कार्यान्वयन** | | |
| 10. समिति समाचार | | |
| (क) **केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक** | | 32 |
| (ख) **मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक—** | | 34 |

(1) विधि और न्याय मंत्रालय (2) इस्पात और खान मंत्रालय
(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (4) गृह मंत्रालय
(5) विदेश मंत्रालय (6) शहरी विकास मंत्रालय
(7) रेल मंत्रालय (8) श्रम मंत्रालय (9) वस्त्र मंत्रालय
(10) योजना मंत्रालय (11) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
(12) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (13) उद्योग मंत्रालय

(ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 46

(1) तिरुअनन्तपुरम (2) बेंगलूर (3) सिकन्दराबाद (4) गोवा (5) दुर्गापुर (6) गांधीधाम (7) नागपुर (8) भोपाल (9) रतलाम (10) कोटा (11) जयपुर (12) नई दिल्ली

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक 51

राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण, स्टील अथारिटी आफ इंडिया कं. लि. इंजीनियर्स इंडिया लि. तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, मद्रास

11. राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियों का आयोजन 57

12. हिन्दी के बढ़ते चरण 62

13. हिन्दी दिवस / सप्ताह का आयोजन 68

14. हिन्दी कार्यशालाएं 70

15. विविधा 79

1. समाचार दर्शन

2. पुस्तक समीक्षा

16. आदेश–अनुदेश 89

# सम्पादकीय

"राजभाषा भारती" का जुलाई-सितम्बर, 1987 अंक प्रस्तुत है। राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में सितम्बर मास का ऐतिहासिक महत्त्व है क्योंकि 1949 में स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में 12 से 14 सितम्बर तक राजभाषा के संबंध में चर्चा हुई थी। संविधान सभा में श्री गोपाल स्वामी अय्यंगर द्वारा प्रस्तुत राजभाषा संबंधी प्रस्ताव भारी बहुमत में पारित हुआ। संविधान सभा के कुल 324 सदस्यों में से 312 ने संघ की राजभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। इस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने कार्य और संकल्प से भारत की गौरवगरिमा के अनुरूप अपने कर्त्तव्य का बखूबी निर्वाह किया। अतः हम सभी का पावन कर्त्तव्य है कि हम संवैधानिक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसी वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वस्तुतः किसी भी देश की राष्ट्रीय अस्मिता उनकी अपनी भाषा के माध्यम से ही सही अभिव्यक्ति पा सकती है। सितम्बर मास हमें इसी अस्मिता और पहचान का स्मरण कराता है।

भाषा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र की संस्कृति अभिव्यति पाती है और इस तरह भाषा और संस्कृति का बड़ा अटूट संबंध है। महाकवि कालीदास ने संस्कृति को शिव और भाषा को शक्ति कहकर अभिहित किया है। शिव और शक्ति का समन्वय लोकमंगल का स्रोत है। शिव और शक्ति के इस सामंजस्य से प्रेरित होकर ही महाभारत के रचनाकार ने आदि पर्व में भारत के वैभव का उल्लेख करते हुए कहा है, "यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्तिन तद्क्वचित्" अर्थात् जो यहां है वह अन्यत्र भी हो सकता है, परन्तु जो यहां नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं हो सकता। आइए! हम सभी राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए इस समृद्ध परम्परा को आगे बढ़ाएं।

राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र गूंगा होता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राजभाषा का महत्व प्रतिपादित करते हुए डा० रामकुमार मिश्र ने "भारत की राजभाषा हिन्दी ही क्यों?" का साहित्येतिहास से तथ्य जुटाकर खुलासा किया है। कुछ लोग कभी-कभार हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को राजभाषा बनाए जाने और हिन्दी के लिए देवनागरी लिपि के अतिरिक्त रोमन लिपि अपनाए जाने की वकालत करते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों को तर्क संगत उत्तर देने वाला श्री शमशेर सिंह का लेख "राजभाषा और लिपि का प्रश्न" प्रस्तुत अंक में सम्मिलित किया गया है।

डा, गणपति चन्द्र गुप्त ने 'इंग्लैण्ड में अंग्रेजी कैसे लागू की गई' विषयक लेख में इंग्लैण्ड और भारत में राजभाषा लागू करने की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। निश्चय ही विद्वान् लेखक ने अपने विचारोत्तेजक एवं विवेचनापरक लेख के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के लिए पथ प्रशस्त किया है।

राजभाषा भारती के अंक 36 में श्री जगन्नाथ ने अपने लेख "भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की सुविधा" का महत्व प्रतिपादित किया था। उन्हीं की कलम से एक अन्य महत्वपूर्ण लेख "प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी" इस अंक में शामिल किया जा रहा है। इस लेख में हिन्दी के समुचित विकास तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी अपनाए जाने पर बल दिया गया है।

कुछ समय पूर्व लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर में आयोजित संगोष्ठी में श्री विलास गुप्ते ने अपने शोध पत्र "ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हिन्दी की भूमिका" पर प्रकाश डाला था। राजभाषा भारती के सुधी पाठकों के लाभार्थ उक्त सामग्री लेख रूप में प्रस्तुत है।

संचार माध्यमों में 'वायरलेस' का महत्व सर्वविदित है। प्रशासनिक एवं गुप्तचर सेवा तंत्र में, वर्तमान में, संदेशों के अंग्रेजी भाषा में प्रेषण की सुविधा है और हिन्दी में संदेश भेजने के लिए सुचारु व्यवस्था नहीं है। श्री माताशरण शुक्ल ने अपने शोधपरक लेख "देवनागरी लिपि में बेतार संकेत" में समस्या का समाधान सुझाया है। संचार माध्यम से जुड़े अधिकारी विद्वानों की राय जानने को हम उत्सुक हैं।

भारत सरकार अपनी भाषा नीति के अन्तर्गत हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में परस्पर सौहार्द बढाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में हिन्दी भाषी पाठकों को प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य की देवनागरी लिपि में जानकारी देने के उद्देश्य से नये स्तम्भ 'साहित्यकी' में डॉ. एस. सुरप्पड़ का आलेख "तेलुगु की राष्ट्रीय कविता" दे रहे हैं। भविष्य में इस स्तंभ के अंतर्गत ऐसी ही रोचक सामग्री देने का प्रयास रहेगा।

"पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में" गत दो अंकों (36, 37) में महान बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द जी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण का रसास्वादन आप कर चुके हैं। इस शृंखला में महान स्वतंत्रता सेनानी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का हिन्दी के प्रति उनका अनन्य स्नेह उजागर करने वाला "बंगाल और राष्ट्रभाषा" शीर्षक से प्रकाशित एक दस्तावेजी आलेख प्रस्तुत है।

'विश्व हिन्दी दर्शन' के अन्तर्गत इस बार श्री लल्लन प्रसाद व्यास का "थाइलैंड में हिन्दी" नामक लेख प्रस्तुत है। इस लेख में भारत और थाई देश की सांस्कृतिक एवं भाषायी निकटता का विशद विवेचन प्रस्तुत करते हुए थाई निवासियों के हिन्दी प्रेम की झलक प्रस्तुत है।

समिति समाचार स्तम्भ के अन्तर्गत केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक, हिन्दी सलाहकार समितियों एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के संक्षिप्त आलेख प्रस्तुत हैं। इसी प्रकार राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आयोजित 'हैदराबाद राजभाषा सम्मेलन' की कार्रवाई का विवेचन "राजभाषा सम्मेलन संगोष्ठी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत है। अन्य स्तम्भ—हिन्दी के बढ़ते चरण, हिन्दी दिवस सप्ताह, हिन्दी कार्यशालाएं विविधा, आदेश-अनुदेश आदि पूर्ववत् हैं।

राजभाषा भारती के प्रत्येक अंक को अद्यतन रूप देने हेतु लेखकों से निवेदन है कि वे अपनी संस्थाओं में आयोजित हिन्दी संबंधी कार्यक्रमों की रपट (दो टंकित प्रतियों में) आयोजन को तत्काल बाद भेजने की व्यवस्था करें ताकि प्रस्तुत आलेखों को पत्रिका में उचित स्थान मिल सके।

पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी बे-बाक, बेलाग व बे-लौस राय अवश्य भेजें, जिससे पत्रिका को अधिक उपयोगी और सुन्दर बनाने में हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। □

# पाठकों के पत्र

आप के सम्पादन में छपने वाली त्रैमासिकी 'राजभाषा भारती' की एक झलक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस तरह विविध विषयों का चयन अंक 35 (वर्ष 9) में हुआ है, उसने मुझे प्रभावित किया है ।

रघु घिमरी, प्रवक्ता
रत्ना राज्यलक्ष्मी कैम्पस,
काठमाण्डु (नेपाल)

□

"राजभाषा भारती" अंक 35 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का लेख "भाषा और संस्कृति" बहुत महत्वपूर्ण है । श्री भैरवनाथ सिंह ने अनुवाद संबंधी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला है। अनुवाद में "वाक्य संरचनात्मक पक्ष" बहुत महत्वपूर्ण है । पश्चिमी जर्मनी में हिन्दी अध्ययन-अध्यापन की स्थिति पर डा० मोनिका के विचार पढ़ने को मिले। अच्छा रहेगा कि डा० मोनिका से जर्मनी में अपनाई जा रही शिक्षण पद्धति पर विस्तार से लिखवाएं। राजभाषा के सरलीकरण पर परिचर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए।

इतने उपयोगी और ज्ञानवर्द्धक अंक के लिए हार्दिक बधाइयां स्वीकार करें ।

कैलाशचन्द्र भाटिया

प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएं,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी (उ.प्र.)

□

निश्चय ही "राजभाषा भारती" पत्रिका राजभाषा हिन्दी की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी देने का सशक्त माध्यम है। इसमें प्रकाशित लेख तथा सूचनाएं काफी सूचनाप्रद तथा मार्गदर्शक होती हैं ।

अंगनूराम यादव

स्टाफ अधिकारी (हिन्दी);
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
जनार्दन टावर, 2 रेजिडेंसी रोड,
बेंगलूर–560025

"राजभाषा भारती" का अंक 35 प्राप्त हुआ । पत्रिका लाभप्रद है । भविष्य में इसकी उपादेयता और भी लोकप्रिय होगी, ऐसी हमारी शुभकामना है ।

देवेन्द्र नाथ, ठाकुर

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान,
बरवा रोड, धनबाद–826001

□

"राजभाषा भारती" में प्रकाशित सामग्री ज्ञानवर्द्धक है। वह कार्यालय में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों के लिए मार्गदर्शक है । हिन्दी में विस्तृत जानकारी का एकमात्र स्रोत है । हिन्दी के बढ़ते चरण, हिन्दी दिवस/सप्ताह स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना से हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए प्रेरणा मिलती है ।

एस. देवगांवकर

कम्पनी सचिव और प्रशासन प्रबंधक,
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.,
पुणे–411018

□

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वैसे तो अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, मगर राजभाषा संबंधी नवीनतम जानकारी, विषय से सम्बद्ध महान विचारकों के विचार, हिन्दी कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान और विभिन्न नगरों में हिन्दी के बढ़ते चरणों की पर्याप्त जानकारी आपके यहां से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" में ही मिल पाती है। यह पत्रिका न केवल हिन्दी का प्रयोग करने वाले स्टाफ—सदस्यों/लोगों को ही प्रोत्साहित करती है बल्कि इसके नियामकों को भी हिन्दी के प्रयोग में नयी दिशा—बोध प्रदान करती है ।

वरिष्ठ प्रबंधक (कार्यालय प्रशासन),
बैंक आफ बड़ौदा, बड़ौदा हाउस,
बड़ोदरा, (गुजरात)

विविध ज्ञानवर्धक सामग्री से भरपूर राजभाषा भारती के 35वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा का लेख "देवनागरी वर्ण व्यवस्था में वैज्ञानिकता" जहां एक ओर हिन्दी वर्णमाला की वैज्ञानिकता को सिद्ध करती है, वहीं दूसरी ओर डा. उषा गोपाल का लेख 'राजभाषा हिन्दी को अपनाने में कठिनाई क्यों' द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि कठिनाई केवल मनोवृत्ति के कारण है। डा. मोनिका थियल होस्टमन के लेख "हिन्दी चली समुंदर पार" ने इस तथ्य की और भी पुष्टि की है कि मनोवृत्ति ही एकमात्र कठिनाई है जो अपने ही देशवासियों में अपनी भाषा के प्रति उदासीनता पैदा किए है अन्यथा, हिन्दी भाषा तो समुन्दर पार भी अपना अस्तित्व कायम रखे हुए है।

□

यह कहना भी असंगत न होगा कि यदि इसमें कुछ कार्टून, चुटकले आदि भी दे दिए जांए तो और अधिक कर्मचारी इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पत्रिका की सफलता के लिए मेरी शुभकामनांएं।

ब्रिगेडियर एस. के. पुरी
सीमा सड़क महानिदेशालय
नई दिल्ली

□

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च, 1987 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में श्री जगन्नाथ जी का लेख "भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की सुविधा" से न केवल हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को ही मार्गदर्शन मिला है बल्कि उक्त लेख भविष्य में हिन्दी माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा। "अपनी बात" में सम्पादक जी ने पत्रिका के भीतरी पृष्ठों में क्रमवार उतारने का प्रयास किया है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। पत्रिका के अन्त में राजस्थान सरकार के भाषा विभाग के आदेश/अनुदेश काफी उपयोगी हैं।

आशा है भविष्य में भी इस कालम में इसी प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती रहेगी।

पत्रिका की सफलता के लिए शुभकामनाएं।

नरेन्द्र सिंह
हिन्दी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंगरोड, नई दिल्ली

□

"राजभाषा भारती" के प्रकाशन एवं सम्पादन के लिए बधाई। यह पत्रिका हिन्दी के कार्यान्वयन का दस्तावेज है।

के.डी. झा
हल्दिया आयल रिफाइनरी,
हल्दिया (पश्चिमी बंगाल)

"राजभाषा भारती" तो निश्चय ही बहुत उपयोगी पत्रिका है। इसके सुरुचिपूर्ण एवं कुशल सम्पादन तथा भव्य प्रकाशन के लिए कृपया मेरी बधाई स्वीकारें। पत्रिका के अंक 36 की सामग्री बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है।

मैं विश्वास करता हूं कि पत्रिका के सभी अंकों में आप इसी प्रकार की सामग्री देते रहेंगे।

डा. प्रेमकान्त अण्डन
रीडर, हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

□

"राजभाषा भारती" पत्रिका का निरन्तर सजता-संवरता कलेवर न केवल देश के विभिन्न भागों में विद्यमान विभिन्न संस्थाओं में राजाषा हिन्दी की प्रगति की सही झांकी प्रस्तुत करता है वरन् उस प्रगति को बढ़ाने के लिए सतत प्रेरणा एवं मार्ग-दर्शन का कार्य भी करता है। यह पत्रिका वास्तव में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक सशक्त सेतु का कार्य भी कर रही है। इस पत्रिका की उपयोगिता और भी बढ़ सकती है यदि इसमें दक्षिण भारतीय हिन्दी सेवियों तथा अन्य हिन्दीतर भाषा-भाषियों के प्रेरणादायक वस्तुपरक एवं व्यावहारिक लेख और अधिक छापे जाएं तथा समय-समय पर बैंकिंग, प्रशासनिक, अनुवाद संबंधी विशेषांक निकाले जाए।

डा. रा.प्र. सिंहल
भारतीय रिजर्व बैंक, पो.बा-901,
बम्बई सं.-400001

□

"राजभाषा भारती" हिन्दी के प्रचार-प्रसार में किए जा रहे कार्यों में सहायक तथा मार्गदर्शक है।

अशोक दत्त
उप चिकित्सा अधीक्षक,
कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली

□

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित "राजभाषा भारती" राजभाषा कार्यान्वयन से सम्बद्ध लोगों हेतु सिर्फ एक पत्रिका ही नहीं, अपितु एक मार्गदर्शक का भी कार्य करती है। इससे जहां एक ओर हम दूसरे विभागों/उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति को देखकर प्रोत्साहित होते हैं, वहीं दूसरी ओर राजभाषा विभाग की अपेक्षाओं एवं अद्यतन मार्गदर्शी नियमों की जानकारी भी प्राप्त होती है।"

उपेन्द्रनारायण सेवक पाण्डेय,
केनरा बैंक-मण्डल कार्यालय,
पोस्ट बाक्स-164, लखनऊ

"राजभाषा भारती" एवं "राजभाषा संदेश" दोनों ही पत्रिकाएं राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में काफी मार्गदर्शक सिद्ध हुई हैं ।

महावीर प्रसाद पुरोहित
सहायक निदेशक (राजभाषा)
आयकर आयुक्त का कार्यालय, जयपुर

□

"राजभाषा" के विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों के विचार तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के सन्दर्भ में देश भर में हुई गतिविधियों की रिपोर्ट निश्चय ही हमारे कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत सिद्ध होगी ।

ओ.पी बिल्लू
स्टेट बैंक आफ पटियाला
3053 ए, पावर हाउस रोड,
भटिंडा-151001

"राजभाषा भारती" का अंक 36 प्राप्त हुआ, धन्यवाद। संपूर्ण भारत में कहां कितनी हिंदी प्रयोग की जा रही है इसे देखने के लिए राजभाषा भारती पढ़ना पर्याप्त है ।, ज्ञानवर्धक और नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण इस पत्रिक के लेखकों और संपादक मंडल को मेरी हार्दिक बधाई ।

हरशरन गोयल,
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स हाउस,
1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

□

राजभाषा पत्रिका से कार्यावयन के संबंध में विभिन्न आयामों तथा नित नयी दिशाओं की जानकारी मिलती है ।

ओमप्रकाश
राजभाषा अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया,
पो.बा.नं. जयपुर–302001

---

**'किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जनसाधारण के हृदय में स्थान पाती है। हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । इस लिए हमें देखना है कि सरकारी काम काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो ।**

**––प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी**

---

# चिन्तन

## भारत की राजभाषा हिन्दी ही क्यों ?

□डा. राम कुमार मिश्र

भारत एक महान देश है । इसमें अनेक भाषाएं और बोलियां हैं जिनकी एक समृद्ध परम्परा है। हिन्दी भी इस देश की एक भाषा है जो निरन्तर विकासशील है । इसका इतिहास एक हजार वर्ष से अधिक पुराना है । इसका विकास प्राकृत भाषा से माना जाता है । हिन्दी के संबंध में यह एक भ्रांत धारणा है कि यह किसी एक प्रदेश विशेष की भाषा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को हिन्दी भाषी क्षेत्र माना जाता है । वस्तुतः इन प्रदेशों में हिन्दी की अनेक बोलियां प्रचलित हैं जैसे देश के अन्य प्रदेशों में । उत्तर प्रदेश में पर्वतीय; अवधी और ब्रज; मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी, बिहार में मगही, भोजपुरी; राजस्थान में जयपुरी, मेवाड़ी या डिंगल; हरियाणा और दिल्ली में खड़ी बोली तथा हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बोलियां बोली जाती हैं । इन प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में हिन्दी का विकास हुआ है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसको विकसित करने का दायित्व संघ सरकार का है। उसका विकास ऐसे रूप में किया जाना है जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसके विकास के लिए उसकी प्रकृति की रक्षा करते हुए हिन्दुस्तानी और संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई अन्य भाषाओं के रूप में शैली को आत्मसात करते हुए आवश्यकतानुसार मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने का निर्देश है । संविधान में दिए गए इस मार्ग-निर्देशन के अनुसार हिन्दी भाषा को समृद्ध करने और अंग्रेजी में उपलब्ध सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों के लिए समुचित शब्दावली का विकास करने का दायित्व मुख्यतः दो आयोगों को सौंपा गया—विधि साहित्य के लिए राजभाषा विधायी आयोग तथा अन्य सभी विषयों के लिए शब्दावली निर्माण का कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया । लगभग तीन दशकों के भागीरथ प्रयत्न के बाद इन आयोगों ने शब्दावली निर्माण कार्य करने के साथ-साथ अनुवाद कार्य का भी मार्ग प्रशस्त किया । सरकारी स्तर पर किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्दी के दो रूप स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं : विधि साहित्य की हिन्दी और विध्येतर साहित्य की हिन्दी। विश्वविद्यालयों में साहित्यिक हिन्दी भाषा का स्वतंत्र विकास बहुत पहले प्रारम्भ हो चुका था ।

विविध आयोगों वाली इस हिन्दी को देश के किसी प्रदेश विशेष से जोड़ना उचित नहीं । हिन्दी का सार्वदेशिक स्वरूप सब भारतीयों की देन है । इसको समझने के लिए पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करना आवश्यक है । इससे पहले हिन्दी के साथ प्रयुक्त "सम्पर्क भाषा" 'राजभाषा' और "राष्ट्रभाषा" शब्दों पर प्रकाश डालना भी अनिवार्य है । कुछ विद्वानों ने "राष्ट्र-भाषा" के पर्याय के रूप में सम्पर्क भाषा का प्रयोग किया है। आज "सम्पर्क भाषा" शब्द का प्रयोग "राजभाषा" के अर्थ में नहीं होता । ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो देश की सभी प्रमुख भाषाओं को "राष्ट्रभाषा" और "राजभाषा" कह कर भ्रांति पैदा करते हैं । वस्तुतः राष्ट्रभाषा के रूप में "सम्पर्क भाषा" के तीन प्रमुख रूप हैं (1) पूरे राष्ट्र की जनता के बीच अर्थात् सभी प्रदेशों के बीच सम्पर्क और उच्च शिक्षा एवं ज्ञान-विज्ञान की भाषा; (2) शासकीय तथा विधि (न्यायिक) कार्यों और केन्द्र तथा राज्यों के बीच व्यवहार की भाषा; और (3) समस्त राष्ट्र के नेताओं और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर व्यवहार की भाषा । हिन्दी वह भाषा है जिसे उक्त तीनों अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है । वही हिन्दी हमारी चर्चा का विषय है । हिन्दी को इतने बड़े दायित्व को निभाने के लिए क्यों चुना गया ?

भारत में अनेक धर्म और भाषाएं होते हुए भी संस्कृति के माध्यम से वह एकता के सूत्र में बंधा है । इस एकता के सूत्र को परिपुष्ट किया हमारे संतों, सुधारकों और प्रचारकों ने । इसके लिए उन्होंने ऐसी भाषा को अपनाया जो किसी न किसी रूप में देश के लगभग सभी भागों में समझी और बोली जाती थी । हमारे स्वतंत्रता संग्राम को पूरे देश में एक साथ चलाने के लिए भी ऐसी ही भाषा की आवश्यकता थी । इस कार्य को कर पाने में सक्षम केवल एक ही भाषा पाई गई और वह थी हिन्दी ।

हिन्दी देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा समझी जाती थी । इस समर्थ तथ्य को ईसाई मिशनरियों ने भी पहचाना । उन्होंने कलकत्ता के पास सिरामपुर में एक हिन्दी-प्रेस की स्थापना करके ईसाई धर्म का साहित्य बड़ी मात्रा में प्रकाशित किया । ईसाई अपने धर्म प्रचार के लिए हिन्दी का प्रयोग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानन्द

समाज सुधार के लिए हिन्दी में प्रचार कर रहे थे। अठारहवीं शताब्दी में कच्छ के राजा ने ब्रज में ब्रज भाषा की एक पाठशाला खोली। उससे हिन्दी की शिक्षा को बढ़ावा मिला और नरसी मेहता जैसे अनेक कवियों ने हिन्दी में कविता लिखी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक बनाने के लिए हिन्दी को ही माध्यम बनाया। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने "बंगदूत" नामक पत्र प्रकाशित किया उसमें हिन्दी के महत्व पर बल दिया। जस्टिस शारदा चरण मित्र ने "एक लिपि विस्तार परिषद" की स्थापना की। सभी भाषा की उत्तम कृतियों को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने की पहल की। नगेन्द्रनाथ वसु का एक विश्वकोश हिन्दी में 25 भागों में प्रकाशित किया। "सरस्वती" और "विशाल भारत" जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। एक अन्य हिन्दीतर क्षेत्र पंजाब में श्री नवीन चंद्र राय ने पंजाब विश्वविद्यालय में रत्न, भूषण और प्रभाकर की परीक्षाओं का प्रचलन किया। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के दरबार में हिन्दी कवि भूषण की मौजूदगी, उस प्रदेश में हिन्दी के प्रचलन की साक्षी है। भारतेन्तु युग में आन्ध्रप्रदेश के नादेल्ल पुरूषोत्तम दक्खिनी हिन्दी में मौलिक लेखन कर रहे थे। केरल के राजा स्वाति तिरूनाल ने ब्रजभाषा में भक्ति पदों की रचना की। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रहमण्यम भारती ने 1908 में मद्रास में हिन्दी की कक्षाएं प्रारंभ की। आज जिन प्रदेशों का हिन्दी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, वहां हिन्दी के विकास और प्रसार की प्रक्रिया निरन्तर चलती रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी अतीतकाल में ही पूरे भारतवर्ष में अपना स्थान बना चुकी थी और विद्वान निर्विकार भाव से हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार में लगे हुए थे।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1925 ई. में कांग्रेस ने कानपुर अधिवेशन में यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी और प्रांत स्तर पर प्रांतीय भाषा का प्रयोग किया जाए। 1929 ई. में राजाजी ने कहा था — "हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, वही जनतंत्रात्मक भारत की राजभाषा भी होगी।" हिन्दी के इस महत्व को देखते हुए विभिन्न प्रान्तों में हिन्दी प्रसार सभाओं की स्थापना की गई और हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई। संविधान सभा ने हिन्दी के व्यापक प्रचार को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 343 में व्यवस्था रखी कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि संघ के सरकारी कामकाज में नागरी अंकों के स्थान पर अरेबिक अंकों के प्रयोग की अनुमति होगी।

आजादी से पहले उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व—सभी दिशाओं से हिन्दी को राजभाषा बनाने की आवाज उठती थी किन्तु 'हिन्दी ही क्यों?' का प्रश्न उस समय नहीं उठा। यह तथ्य स्वतः इसे सिद्ध करता है कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसे भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता था।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है, वे हैं—असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगू, पंजाबी, बंगाला मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी और हिन्दी। इनमें से सभी भाषाएं पुरानी और समृद्ध हैं। इनमें से अधिकांश किसी-न-किसी राज्य में बोली जाती हैं। इनमें से 10 भारतीय आर्य-कुल की हैं और उन पर संस्कृत का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव है। चार भाषाएं द्रविड़ कुल की हैं। इन पर भी संस्कृत का काफी प्रभाव है। तमिल पर भी संस्कृत का प्रभाव है। मलयालम पर संस्कृत का बहुत प्रभाव है। जहाँ भाषाएं एक दूसरे के बहुत निकट हैं वहीं इण्डो-आर्यन और द्रविड़ कुल की भाषाओं में व्याकरण और वाक्य-विन्यास की अनेक समानताएं हैं। दर्शन, धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के क्षेत्र में सभी भाषाओं में संस्कृत शब्दावली बहुत है। मुगल शासन के दौरान सभी भाषाओं ने कुछ-न-कुछ मात्रा में अरबी-फारसी के शब्दों को राजस्व और प्रशासन के लिए अपना लिया। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी के शब्द सभी भाषाओं में घुल-मिल गए।

भारत की अनेक भाषाओं की लिपियां भी देवनागरी के काफी निकट हैं। तमिल की लिपि देवनागरी के काफी नजदीक है। हां, उसमें महाप्राण ध्वनियां हैं इसलिए वर्णमाला सबसे छोटी है। उर्दू को छोड़कर लगभग सभी भाषाओं की वर्णमाला मिलती-जुलती हैं। अनेक भाषाओं की वर्णमाला मिलती-जुलती है। अनेक भाषाओं में एकता के सूत्र होने के बावजूद भारत को एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता थी, जो देश के भीतर संपर्क, शिक्षा और राजकाज की भाषा हो सके और अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर देश का गौरव बन सके।

कोई भी राष्ट्र "राष्ट्रभाषा" के बिना गूंगा होता है। विदेशी भाषा को राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में बनाए रखना या अपना लेना देश के आत्म-सम्मान के विपरीत था। ऐसे अनेक देश हैं जहां अनेक भाषाएं होते हुए भी राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में एक ही भाषा को अपनाया गया है। रूस में 66 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं किन्तु राजभाषा एक ही अर्थात् रूसी है। ऐसा भी उदाहरण हैं कि अनेक राष्ट्र भाषाओं के बीच संपर्क भाषा के रूप में एक नई भाषा का विकास किया गया हैं। इण्डोनेशिया की "भाषा इण्डोनेशिया" ऐसी ही भाषा है।

संक्षेप में, हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। उसमें विकास की अद्भुत क्षमता और संभावनाएं हैं। हिन्दी के इसी गुण के कारण उसने देश भर में अपने लिए स्थान बनाया और देश के कोने-कोने में उसको समझने-समझाने वाले मौजूद हैं देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसको सम्पर्क भाषा के रूप में अपना चुका है। स्वतंत्रता के बाद देश को एक भाषा को चुनना था जो देश के भीतर सम्पर्क भाषा का

शेष पृष्ठ 7 पर

# राजभाषा और लिपि का प्रश्न

□शमशेर सिंह

कुछ समय पहले दिल्ली से निकलने वाले एक अंग्रेजी दैनिक में भारत की राजभाषा और उसकी लिपि के बारे में एक भूतपूर्व मंत्री महोदय का दो किस्तों में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया था, कि इस समय हमारे संविधान में जो केवल एक राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है, उसके स्थान पर दो राजभाषाएं—अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी स्वीकृत की जानी चाहिएं और उनकी लिपियां भी एक (देवनागरी) के स्थान पर दो—देवनागरी और रोमन—होनी चाहिएं। उनका यह कहना था, कि दो राजभाषाओं की व्यवस्था होने पर इस समय हिन्दी सीखने और राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में कुछ हल्कों द्वारा जो प्रतिरोध प्रस्तुत किया जा रहा है वह ढील पकड़ने लगेगा और हिन्दी बिना, आरोपित किए, स्वतः अपना स्थान बनाती चली जाएगी। एकाधिक राजभाषाओं की व्यवस्था के पक्ष-पोषण में उन्होंने कनाडा और स्विटजरलैंड के उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके अनुसार यदि कनाडा में फ्रेंच और अंग्रेजी (दो) और स्विटजरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटेलियन (तीन) स्वीकृत राजभाषाएं हो सकती हैं तो भारत में अंग्रेजी और हिन्दी दो राजभाषाएं क्यों नहीं हो सकतीं?

रोमन लिपि के पक्ष में उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह अनेक अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं की लिपि है और साथ ही अब भारतीय धार्मिक तथा पौराणिक वाङ्मय—वेद, पुराण स्रोत आदि भी इस लिपि में छपने लगे हैं।

जिन नेताओं और मनीषियों ने गम्भीर चिंतन, मनन और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् संविधान में एक राजभाषा—हिन्दी और उसकी एक लिपि देवनागरी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया था, वे निश्चित रूप से कनाडा और स्विटजरलैंड के उदाहरणों से अपरिचित कदापि नहीं रहे होंगे। एक ओर कनाडा और स्विटजरलैंड और दूसरी ओर भारत की ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो जमीन आसमान का अन्तर है, उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों में अपनाई गई एकाधिक राजभाषाओं के फार्मूले को भारत में लागू करना कितनी असंगत और विवेकहीन कदम होता यह हमारे संविधान निर्माता अच्छी तरह से जानते थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कनाडा और स्विटजरलैंड की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में विचार करना उचित होगा।

कनाडा की स्थापना फ्रेंच उपनिवेशवादियों ने 1608 में की थी। किन्तु आगे चलकर फ्रांस और इंगलैंड में जब सातवर्षीय युद्ध छिड़ा तो उसका प्रभाव कनाडा पर भी पड़ा। 1763 में हुई एक संधि के अन्तर्गत कनाडा इंगलैंड के हवाले कर दिया गया। किन्तु कुछ राजनीतिक कारणों से इंगलैंड की संसद ने 1891 में एक अधिनियम पास किया जिसके अन्तर्गत कनाडा दो भागों में बांट दिया गया—ऊपरी कनाडा जहां ब्रिटिश लोग बहुसंख्या में थे और निचला कनाडा—जहां फ्रेंच लोगों की बहुसंख्या थी। इन खण्डों में निरन्तर राजनीतिक सांस्कृतिक और भाषायी संघर्ष चलता रहा। आगे चलकर दोनों खण्डों में एकता लाने के लिए राजनीतिक समाधान ढूंढे गए और अंततः कनाडा एक स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ साथ फ्रेंच और अंग्रेजी दो राजभाषाएं रखने के बारे में सहमति हुई।

जहां तक स्विटजरलैंड का संबंध है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह यूरोप के तीन प्रमुख देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप इन देशों की भाषाओं का भी स्विटजरलैंड के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण यह देश भाषायी दृष्टि से तीन प्रमुख भागों में बंट गया है और इसलिए तीन राजभाषाएं—फ्रेंच, जर्मन और इतालवी—मान्यता प्राप्त हैं। इसी प्रकार धर्म, संस्कृति और यहां तक कि सभ्यता की दृष्टि से भी ये तीनों भाग अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन देशों की तुलना में भारत की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। कनाडा की अपनी कोई मूल संस्कृति या भाषा नहीं थी। दो संस्कृतियों के परस्पर टकराव के कारण ही दो भाषाएं राजभाषाएं बनीं और स्विटजरलैंड पर अपने तीन पड़ौसी देशों का शुरू से ही प्रभाव इतना प्रबल था कि आरम्भ से ही तीन राजभाषाएं रखना अनिवार्य हो गया। हमारे यहां परम्परागत दृष्टि से दक्षिण में द्रविड़ और उत्तर में संस्कृत परिवार की भाषाएं विकसित हुईं, जिनका इतिहास बहुत ही पुराना है। किन्तु इनके होते हुए भी समय-समय पर विदेशी शासकों ने अपनी-अपनी भाषाएं राजभाषाओं के रूप में आरोपित कीं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का यह तकाजा है कि जब वे शासक नहीं रहे तो उपर्युक्त दो परिवारों की भाषाओं में से किसी एक प्रमुख भाषा को राजभाषा का स्थान दिया जाना चाहिए था और यही हमारे संविधान निर्माताओं ने किया भी।

हिन्दी उत्तर से दक्षिण तक की सदियों से संपर्क भाषा रही है। इसलिए संविधान में भारतीय सांस्कृतिक एकता की प्रतीक इस एकमात्र भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया। यह बात नहीं कि हमारे संविधान निर्माता पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान तथा टेक्नोलोजी की संवाहिनी भाषा के रूप में अंग्रेजी के महत्व को नहीं पहचानते थे। उस रूप में अंग्रेजी के महत्व को कभी अस्वीकारा नहीं जा सकता है। किन्तु, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता का तर्क प्रस्तुत करना अंग्रेजी प्रेमियों का दराग्रह ही कहलायेगा।

दूसरा मुद्दा देवनागरी लिपि के साथ-साथ रोमन लिपि को भी राजभाषा की वैकल्पिक लिपि के रूप में अपनाने से संबंधित है। देवनागरी लिपि विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ऐसा मानने वालों में भारतीय ही नहीं अनेक विदेशी विद्वान भी शामिल हैं। व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जितनी आसानी से हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं उतनी आसानी से रोमन लिपि में नहीं। यहां तक कि रोमन लिपि में हिन्दी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा को लिखने से कभी कभी अत्यन्त हास्यस्पद स्थिति पैदा हो जाती है। विदेशियों को भारतीय वाङ्मय रोमन लिपि के माध्यम से पढ़ने की मजबूरी हो सकती है किन्तु भारतीयों के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं। और फिर जहां तक यंत्रों आदि का भी सवाल है आजकल तो द्विभाषिक स्थिति से निपटने के लिए यंत्र भी द्विभाषिक हों सकते हैं, और ऐसे यंत्रों का निर्माण शुरू भी हो गया है।

इस प्रकार एक बार राजभाषा और उसकी लिपि के संबंध में संविधान में सुविचारित व्यवस्था कर देने के पश्चात् वैकल्पिक राजभाषा और लिपि का प्रश्न उठाना और वह भी हिन्दी और देवनागरी के हित का वास्ता देकर, अपने आप में हिन्दी को पृष्ठभूमि में धकेल कर अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने की एक चाल है।

अलबत्ता, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि जब तक सभी राज्य हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार नहीं लेते, अंग्रेजी का उस के साथ-साथ प्रयोग जारी रखना वांछनीय होगा। इस बारे में तो पहले से ही राजभाषा अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है।

"तेल भारती" अंक-4 से साभार

——: ० :——

पृष्ठ 5 का शेष

काम कर सके और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। अंग्रेजी से यह कार्य लेना हमारे गौरव के अनुकूल नहीं था। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा थी जो भारत को एक समग्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सकती थी। यही कारण था कि हिन्दी को राजभाषा का पद मिला। हम सब का यह पुनीत कर्तव्य है कि अपनी राष्ट्रभाषा को राष्ट्रध्वज के समान सम्मान दें और जल्दी-से-जल्दी अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी को आसीन करें।

उप निदेशक (राजभाषा)
के० लो० नि० वि०, निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

**"देश को किसी सम्पर्क भाषा की आवश्यकता होती है और वह (भारत में) केवल हिन्दी ही हो सकती है।"**

**—श्रीमती इंदिरा गांधी**

# इग्लैण्ड में अंग्रेजी कैसे लागू की गई

डा. गणपति चन्द्र गुप्त

संभवतः भारत में बहुत थोड़े लोग यह जानते हैं कि जिस प्रकार आज हम विदेशी भाषा-अंग्रेजी के प्रभाव से आक्रांत होकर स्वदेशी भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार किसी समय इंग्लैण्ड भी विदेशी भाषा फ्रेंच के प्रभाव से इतना अभिभूत था कि न केवल सारा सरकारी काम फ्रेंच में होता था, बल्कि उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी में बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। किन्तु जब आगे चलकर फ्रेंच के स्थान पर अंग्रेजी लागू की गई तो उसका भारी विरोध हुआ और उसके विषय में सारे तर्क दिए गए जो आज हमारे यहां हिन्दी के विरोध में दिए जा रहे हैं। फिर भी कुछ राष्ट्रभाषा प्रेमी अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के उपायों से किस प्रकार अंग्रेजी का मार्ग प्रशस्त किया इसकी कहानी न केवल अपने आप में रोचक है बल्कि हमारी आज की हिन्दी विरोधी स्थिति के निराकरण के लिए भी उपयुक्त मार्ग सुझा सकती है।

**इंग्लैण्ड में अंग्रेजी का पराभव क्यों ?**

वैसे अंग्रेजी इंग्लैण्ड की अत्यन्त प्राचीन भाषा रही है। यहां तक कि जब इस देश का नाम 'इंग्लैण्ड' के रूप में विख्यात नहीं हुआ था, तब भी इंग्लैण्ड भाषा का अस्तित्व था। वस्तुतः इंग्लिश नाम 'इंग्लैण्ड' के आधार पर नहीं पड़ा, इंग्लिश भाषा के प्रचलन के कारण ही इस भूभाग को इंग्लैण्ड की संज्ञा प्राप्त हुई तथा 10वीं शताब्दी तक यह समूचे राष्ट्र को बहुमान्य भाषा के रूप में प्रचलित थी किन्तु 11वीं शती के उत्तरार्द्ध में एकाएक ऐसी घटना घटित हुई, जिसके कारण इंग्लैण्ड में ही अंग्रेजी का सूर्य अस्त होने लगा। बात यह हुई——लोगों का इंग्लैण्ड पर आधिपत्य हो गया। उनका नायक डयूक आफ विलियम, इंग्लैण्ड के तत्कालीन शासक हेराल्ड को युद्ध में पराजित करके स्वयं सिंहासनारूढ़ हो गया और तभी से इंग्लैण्ड पर फ्रेंच भाषा एवं फ्रांसीसी संस्कृति के प्रभाव को अभिवृद्धि होने लगी, क्योंकि स्वयं नार्मन्स की भाषा और संस्कृति पूर्णतः फ्रेंच थी।

जब शासक वर्ग की भाषा फ्रेंच हो गयी, तो स्वभावतः न केवल सारा राज-काज फ्रेंच में होने लगा, वरन, शिक्षा, धर्म एवं समाज में भी अंग्रेजी के स्थान पर फ्रेंच प्रतिष्ठित होने लगी। उच्च वर्ग के जो लोग सरकारी पदों के अभिलाषी थे या जो शासक वर्ग से मेल-जोल बढ़ाकर अपने प्रभाव में अभिवृद्धि करना चाहते थे, वे बड़ी तेज गति से फ्रेंच सीखने लगे तथा कुछ ही वर्षों में यह स्थिति आयी कि धनिकों, सामंतों, शिक्षकों, पादरियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों आदि सबने फ्रेंच को ही अपना लिया और अंग्रेजी केवल निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों, किसानों और मजदूरों की भाषा रह गयी। अपने आपको शिक्षित कहने या कहलवाने वाले लोग केवल फ्रेंच का ही प्रयोग करने लगे और अंग्रेजी जानते हुए भी अंग्रेजी बोलना अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। यह दूसरी बात है कि कभी कभी उन्हें अपने अनपढ़ नौकरों या मजदूरों से बात करते समय अंग्रेजी जैसी हेय भाषा में भी बोलने को विवश होन पड़ता था। आगे चलकर इंग्लैण्ड नार्मन्स के आधिपत्य से तो मुक्त हो गया, किन्तु उनकी भाषा के प्रभाव से फिर भी मुक्त नहीं हो पाया। इसका कारण यह था कि जिन अंग्रेज राजाओं का अब इंग्लैण्ड में शासन था, वे स्वयं फ्रेंच के प्रभाव से अभिमुख थे। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ का ननिहाल फ्रांस में था, तो किसी की ससुराल पेरिस में थी। अनेक राजकुमारों और, सामंतों ने बड़े यत्न से पेरिस में रहकर फ्रेंच भाषा सीखी थी। जिसे बोलकर वे अपने आपको उन लोगों की तुलना में अत्यन्त सुपीरियर समझते थे जो बेचारे केवल अंग्रेजी ही बोल सकते थे। दूसरे, उस समय फ्रेंच भाषा और संस्कृति सारे यूरोप में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। फिर अंग्रेजी की तुलना में फ्रेंच का साहित्य इतना समृद्ध था कि उसे विश्व ज्ञान की खिड़की ही नहीं, दरवाजा (गेट) कहा जाता था। ऐसी स्थिति में भले ही इंग्लैण्ड स्वतंत्र हो गया हो, पर वहां अंग्रेजी की प्रतिष्ठा कैसे संभव थी ?

इंग्लैण्ड में फ्रेंच भाषा के आधिपत्य को बनाए रखने में कुछ राजाओं ने व्यक्तिगत कारणों से भी बड़ा योग दिया। उदाहरण के लिए हेनरी तृतीय (1216—1272 ई.) का विवाह फ्रांस की राजकुमारी से हुआ था, जो अपने साथ भारी दानदहेज लाने के अलावा अपने आठ मामाओं, सैकड़ों रिश्तेदारों और उनके सेवकों की पल्टन भी लेकर आयी थी, जिन्हें उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करना हेनरी के लिए आवश्यक था। भला ऐसा न करके वह अपनी नव-विवाहिता दुल्हन का मन कैसे दुखा-सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बार पुनः सभी सरकारी महकमों एवं कार्यालयों पर फ्रेंच का पूरी तरह अधिकार हो गया। जो लोग फ्रेंच में बोल सकते थे, लिख सकते थे या उस भाषा में लिखवा सकते थे, उन्हीं की सरकार में सुनवाई हो सकती थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी पढ़ना-पढ़ाना बेकार था। अस्तु, सामान्य पाठशालाओं में भी अंग्रेजी की अपेक्षा फ्रेंच की ही अधिक पढ़ाई होती थी।

किन्तु 14वीं शती में इन स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ हुई तथा धीरे-धीरे अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके कई कारण थे, एक तो यह कि 1337 से 1453 तक इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच युद्ध चला जिसे इतिहासकारों ने 'शतवर्षीय युद्ध' की संज्ञा दी है। इस युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों में फ्रेंच जाति, फ्रेंच भाषा और फ्रेंच संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनपने लगी।

**अंग्रेजी का पुनः अभ्युदय**

अब फ्रेंच को शत्रु जाति की भाषा के रूप में देखा जाने लगा। दूसरे, इसी शताब्दी में निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग में नवजागरण की लहर आयी। ये लोग अपने स्वत्व एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। 1381 में मजदूरों ने अधिक वेतन के लिए आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार हुआ। देश के विभिन्न संगठनों ने भी अपनी अन्य मांगों के साथ-साथ, स्वभाषा अंग्रेजी को भी मान्यता देने की मांग की। दूसरी ओर मध्यम वर्ग के वे लोग भी, जो अपने बच्चों को पेरिस नहीं भेज पाते थे तथा गांव के स्कूलों में ही पढ़ा कर संतुष्ट हो जाते थे, अंग्रेजी के समर्थक बन गए। उच्च वर्ग में भी अब शुद्ध फ्रेंच बोलने वाले बहुत कम रह गए। सही बात तो यह है कि जिस प्रकार हमारे यहां लंदन-रिटर्न लोग अंग्रेजी के बड़े-बड़े प्रोफेसरों पर भी अपने अंग्रेजी-ज्ञान एवं उसके उच्चारण की धाक जमाते रहे हैं, वैसे ही लन्दन में कुछ पेरिस-रिटर्न लोगों की धाक थी। पेरिसनुमा फ्रेंच बोलने वाले, अपने ही देश इंग्लैण्ड के उन लोगों की खिल्ली उड़ाते थे, जो स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़कर टूटी-फूटी या अशुद्ध फ्रेंच बोलते थे।

धीरे-धीरे अंग्रेजी के पक्ष में लोकमत जागृत हुआ और 1362 में पार्लियामेन्ट में एक अधिनियम "स्टेच्यूट आफ प्लीडिंग" (अधिवक्ताओं का अधिनियम) पारित हुआ, जिससे इंग्लैण्ड के न्यायालयों में भी अंग्रेजी का प्रवेश सम्भव हो गया। हालांकि इस अधिनियम का भी उस समय के बड़े-बड़े न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने भारी विरोध किया क्योंकि अंग्रेजी में न्याय और कानून सम्बन्धी पुस्तकों का सर्वथा अभाव था। फिर भी तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति में कैसे बहस की जा सकेगी और कैसे न्याय सुनाया जाएगा। एक देशी भाषा के लिए न्याय की हत्या की जा रही है। वैधानिक दृष्टि से भले ही अंग्रेजी को मान्यता मिल गयी, किन्तु कचहरियों का अधिकांश कार्य काफी समय तक फ्रेंच भाषा में ही चलता रहा।

14वीं शती में न्यायालयों के अतिरिक्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी अंग्रेजी का पठन-पाठन प्रचलित हुआ। आक्सफोर्ड के कुछ अध्यापकों ने भी लैटिन के अतिरिक्त अंग्रेजी की शिक्षा देने की व्यवस्था की।

**अंग्रेजी में लिखने के लिए क्षमा याचना**

यद्यपि इस प्रकार इंग्लैण्ड के जन-साधारण में अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा था, फिर भी उच्च वर्ग के विद्वानों एवं विद्वता की भाषा वह अभी तक नहीं बन पायी थी। फ्रेंच का प्रभुत्व थोड़ा कम हुआ, तो उसका स्थान लेटिन और ग्रीक ने ले लिया। 15वीं शती के पुनर्जागरण युग में ये शास्त्रीय भाषाएं समस्त यूरोप में ज्ञान-विज्ञान की भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में लिखने वाले लोग प्रायः हेय दृष्टि से देखे जाते थे। इसका प्रमाण इस युग की अनेक रचनाओं की भूमिका से मिलता है, जहां उसके रचयिता ने अंग्रेजी में लिखने के लिए अपनी सफाई दी है। उदाहरण के लिए 14वीं शती के आरम्भ में ही एक अंग्रेजी पुस्तक के रचियता ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है—"भले ही भाषा की दृष्टि से मैं हीन समझा जाऊं, फिर भी मेरे मन में जो कुछ है, उसे अवश्य बता देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो उसे सब लोग समझ सकते हैं। सही बात तो यह है कि उन क्लर्कों (सरकारी कर्मचारियों) की अपेक्षा जो फ्रेंच जानते हैं, उस बेचारे जन-साधारण को दिव्य ज्ञान की अधिक आवश्यकता है, जो केवल अंग्रेजी ही जानता है। अतः मैं सोचता हूं कि यदि अंग्रेजी में कोई अच्छी चीज लिखी जाए तो यह एक पुण्य का कार्य होगा।"

इसी प्रकार एश्कम नामक लेखक ने अपनी पुस्तक टांक्सो फिलस की भूमिका में स्पष्ट किया है कि उसके लिए ग्रीक या लैटिन में लिखना अधिक आसान था, फिर भी उसने सर्व-साधारण के हित को ध्यान में रखकर ही अंग्रेजी में लिखने का दुस्साहस किया है। पर इससे भी महत्वपूर्ण वक्तव्य 16वीं शती के एक अन्य लेखक इलियट का है। जिसने अपनी चिकित्सा-शास्त्र की पुस्तक कलस आफ हेल्थ अर्थात् स्वास्थ्य का कवच की भूमिका में अंग्रेजी में लिखने के लिए क्षमा-याचना करते हुए लिखा है—"यदि चिकित्सक लोग मुझ पर इस लिए कुपित हैं कि मैंने अंग्रेजी में क्यों लिखा तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर ग्रीक लोग ग्रीक में लिखते हैं, रोमन लोग स्वभाषा लैटिन में, तो फिर यदि हम लोग अपनी भाषा अंग्रेजी में लिखे, तो इसमें क्या बुराई है ?"

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार 15वीं-16वीं शती में अंग्रेजी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें लिखना विद्वानों की दृष्टि में हेय समझा जाता था, तथा जो ऐसा करने का प्रयास करते थे, वे अपनी सफाई में कोई-न-कोई तर्क देने को विवश होते थे। इसकी तुलना हमारे मध्य कालीन हिन्दी के आचार्य केशवदास की मनःस्थिति से की जा सकती है, जिन्होंने अपनी एक रचना में लिखा था—हाय जिस कुल के दास भी भाषा (हिन्दी) बोलना नहीं जानते (अर्थात् वे भी संस्कृत में बोलते हैं), उसी कुल में मेरे जैसा मतिमंद कवि हुआ, जो भाषा (हिन्दी) में काव्य-रचना करता है। वस्तुतः जब कोई राष्ट्र

विदेशी संस्कृति एवं भाषा से आक्रांत हो जाता है तो उस स्थिति में स्वदेशी भाषा एवं संस्कृति के उन नायकों में आत्म लघुता या हीनता की भावना का आ जाना स्वाभाविक है।

### प्रेयसियों के प्रेम-पत्रों की दुहाई

यद्यपि 16वीं शती में अनेक विद्वान अंग्रेजी को अपनाने लगे थे। फिर भी अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का विवाद शांत नहीं हुआ था। अब भी उच्च वर्ग में ऐसे अनेक लोग थे जो युक्तियों व तर्कों से इंग्लैण्ड में फ्रेंच का वर्चस्व बनाए रखने के हिमायती थे, जैसे जान बटन ने फ्रेंच को प्रचलित रखने के पक्ष में तीन तर्क दिए। उनके अनुसार, एक तो न केवल अपने देश में बल्कि आस-पास के पड़ौसी राज्यों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए फ्रेंच आवश्यक है। दूसरे, ज्ञान-विज्ञान और कानून की सारी पुस्तकें फ्रेंच में ही है। तीसरे, इंग्लैंड की सभी सुशिक्षित महिलाएं एवं भद्रजन अपने प्रेम-पत्रों का आदान-प्रदान फ्रेंच में ही करते हैं। यह तीसरा तर्क सचमुच रोचक है, जो कुछ लोगों को हास्यास्पद प्रतीत हो सकता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी भी स्थितियां होती है, जबकि वर्ग विशेष की रुचि या अनुकम्पा के कारण कोई भाषा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। उदाहरण के लिए पंजाब में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पुरुष वर्ग की भाषा प्रायः उर्दू थी जबकि महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा हिन्दी में होती थी। इस लिए कहा जाता है कि पुरुष वर्ग को हिन्दी केवल इसलिए पढ़नी पड़ती थी कि वे अपनी पत्नियों तथा माताओं-बहनों के साथ पत्राचार कर सकें। इसी लिए पंजाब में हिन्दी की परम्परा को जीवित रखने का श्रेय वहां की महिलाओं को दिया जाता है।

खैर, इन सारी स्थितियों के होते हुए भी राष्ट्रभाषा-प्रेमी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। वे स्वीकार करते थे कि फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक की तुलना में अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य नगण्य है, तुच्छ है। फिर भी अंततः वह उनकी अपनी भाषा है। यदि दूसरों की माताएं सुन्दर अधिक और संपन्न हों, तो क्या हम अपनी मां को केवल इसलिए ठुकरा देंगे कि वह उनकी तुलना में असुन्दर और अकिंचन है। कुछ ऐसी ही शब्दावली में अंग्रेजी भाषा के कट्टर समर्थक रिचर्ड मुल्कास्टर ने 1582 में लिखा:—

आई लव रोम, बट लण्डन बेटर
आई फैवर इटली, बट इंग्लैण्ड मोर
आई आनर लैटिन, बट आई वर्शिप द इंग्लिश

अर्थात् मैं रोम को प्यार करता हूं, पर लंदन को उससे भी अधिक। मैं इटली का समर्थक हूं, पर इंग्लैण्ड का उससे भी अधिक समर्थन करता हूं। और मैं लैटिन का सम्मान करता हूं, पर अंग्रेजी की पूजा करता हूं।

कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी के पक्षपातियों ने अपने आंदोलन को तर्क और विवाद के बल पर नहीं, न बल्कि भावना के बल पर सफल बनाया। उन्होंने अपने देशवासियों के मस्तिष्क को, नहीं हृदय को झकझोर कर उनके स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम को उद्वेलित किया। इसी का परिणाम था कि इस शदी के अन्त तक उच्च वर्ग का भी दृष्टिकोण अंग्रेजी के प्रति पर्याप्त अनुकूल हो गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि एक ओर तो रिचर्ड कैर्यजैस विद्वान ने 1595 में अंग्रेजी भाषा की उच्चता पर लेख लिखकर उसका जोरदार समर्थन किया, तो दूसरी ओर सर फिलिप सिडनी जैसे विद्वान ने घोषित किया, यदि भाषा का लक्ष्य अपने हृदय और मस्तिष्क की कोमल कल्पनाओं को सुन्दर एवं मधुर शब्दावली में व्यक्त करना है, तो निश्चय ही अंग्रेजी भाषा भी इस लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से उतनी ही सक्षम है, जितनी कि विश्व की अन्य भाषाएं हैं।

17वीं शती के आरम्भ तक इंग्लैंड में अंग्रेजी के विरोध का वातावरण तो शांत हो गया तथा आम धारणा बन गयी कि स्वदेशी भाषा को हर कीमत पर अपनाना है, किन्तु जब इसे व्यावहारिक रूप दिया जाने लगा, तो सबसे बड़ी कठिनाई शब्दावली की आयी। अंग्रेजी को समृद्ध करने के लिए ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथ कैसे लिखे जा सकते थे, जबकि तद्विषयक शब्दावली का उसमें सर्वथा अभाव था? ज्ञान-विज्ञान की बात तो दूर, उस समय अंग्रेजी, शब्द-सम्पदा की दृष्टि से इतनी दरिद्र थी कि प्रशासन, कला, समाज, धर्म और दैनिक जीवन से सम्बन्धित सामान्य शब्द भी उसके पास अपने नहीं थे, फ्रेंच व अन्य भाषाओं से उधार लिए हुए थे, उदाहरण के लिए, प्रशासनिक शब्दावली में अंग्रेजी के पास अपने केवल दो शब्द थे—किंग (राजा) और क्वीन (रानी), शेष सारे शब्द फ्रेंच से आयातित थे—गवर्नमेन्ट, क्राउन, स्टेट, एंपायर, रायल, कोर्ट, काउंसिल, पार्लियामेन्ट, असेम्बली, स्टैच्यूट, वार्डन, मेयर, प्रिंस, प्रिंसेस, डयूक, मिनिस्टर, मैडम आदि। इसी प्रकार न्यायालय और कानून-सम्बन्धी सारी शब्दावली भी प्रायः फ्रेंच से आयातित है, जैसे—जस्टिस, क्राइम, वार, एडवोकेट, जज, प्ली, सूट, पेटिशन, कम्पलेंट, सम्मन, एविडेंस, प्रूफ, प्लीडेड, वारन्ट, प्रापर्टी, इस्टेट—ये मोटे शब्द भी अंग्रेजी के अपने नहीं है। फिर कला और साहित्य सम्बन्धी अधिकांश शब्द भी अंग्रेजी के पास नहीं थे। अतः आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, ब्यूटी, कलर, फीगर इमेज, पीयर, एप्रोच, रोमांस स्टोरी, ट्रेजेडी, प्रिफेस, टाइटिल, चैप्टर, पेपर जैसे शब्द भी फ्रेंच से लेने पड़े। इतना ही नहीं, एक इतिहासकार ने तो यहां तक कहा है कि फ्रेंच शब्दावली के अभाव में कोई भी अंग्रेज अपने रहन-सहन से लेकर खान-पान तक की भी कोई क्रिया संपन्न नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ड्रेस, फसल, गारमेंट, कालर, पेटिकोट, बूट, बटन, ब्लू, ब्राउन, डिनर, सुपर, टेस्ट, फिश, बीफ, मटन, बोस्ट, स्किट, क्रीम, शुगर, ग्रेप, आरेंज, लैमन, चेरी जैसे शब्दों के लिए भी फ्रेंच पर निर्भर करना पड़ता है। 'ए हिस्ट्री आफ दी इंग्लिश लैंग्वेज' के लेखक अलबर्ट सी. बाफ़ के अनुसार, "अब तक लगभग दस हजार शब्द तो अकेले फ्रेंच से ही अंग्रेजी में अपना लिए गए थे, किन्तु आगे चल कर विश्व की अन्य भाषाओं से भी हजारों शब्द ग्रहण

किए गए । उनके मतानुसार यह कहना अत्युक्ति न होगी कि अंग्रेजी में इस समय लगभग पचास से भी अधिक भाषाओं से हजारों शब्द ग्रहण किए जा चुके थे, जिन में अधिकांश फ्रेंच-लैटिन-ग्रीक-इटैलियन और स्पेनिश से थे ।

### भाषा की क्लिष्टता का शोर

जब विभिन्न भाषाओं से बड़ी संख्या में ऐसे शब्दों को स्वीकार किया गया, जो पहले से अंग्रेजी में प्रचलित नहीं थे, तो यह स्वाभाविक था कि जनसामान्य के लिए वह अत्यन्त दुर्बोध एवं क्लिष्ट हो गयी । इसके अतिरिक्त विदेशी शब्दों के अधिक मिश्रण से स्वभाषा की शुद्धता का भी प्रश्न उपस्थित हुआ, अतः विद्वानों के एक वर्ग ने शुद्धता एवं क्लिष्टता के दृष्टिकोण से विदेशी शब्दों के बहिष्कार का आन्दोलन छेड़ा । किन्तु इस के प्रत्युत्तर में अनेक विद्वानों ने कठिन शब्दों के शब्दकोश तैयार करके क्लिष्टता की समस्या को हल करने की चेष्टा की । इस प्रकार के प्रयासों में एन. बैलो की यूनिवर्सल एटिमोलाजिकल इंग्लिश डिक्शनरी (1719), राबर्ट काडरो की "द टेबुल अल्फाबेटिकल आफ हाई बर्ड्स" तथा एडवर्ड फिलिप की न्यूवर्ड आफ्र वर्ड्स जैसी कृतियां उल्लेखनीय है ।

जहां तक भाषा की शुद्धता की बात है, अधिकांश लेखकों और साहित्यकारों ने भी इस सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विदेशी शब्दों को ग्रहण किए जाने का समर्थन किया ।

आगे चलकर स्वदेशी एवं विदेशी शब्दों का झगड़ा सदा के लिए तब समाप्त हो गया, जब 1755 में डा. जानसन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी के प्रथम प्रामाणिक शब्दकोष 'ए डिक्शनरी आफ इंग्लिश लैंग्वेज' में उन सारे शब्दों को समेट लिया गया, जो अंग्रेजी में प्रयुक्त हों सकते थे, भले ही वे मूल अंग्रेजी के हों या विदेशी भाषाओं से आयातित । इस प्रकार इन शब्दों पर अंग्रेजी का लेबल लगाकर उसे एक अत्यन्त संपन्न भाषा का रूप दे दिया गया । यह दूसरी बात है कि जानसन के विरोधी अब भी बराबर कहते रहे कि उनके शब्दकोश में पंद्रह प्रतिशत शब्दों को छोड़कर शेष सारे विदेशी हैं । पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । जब भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की समस्या हल हो गई, तो उसमें ज्ञान-विज्ञान के साहित्य की रचना के मार्ग में खड़े सारे अवरोध स्वतः दूर हो गए। अंग्रेज जाति ने अपने राष्ट्रभाषा प्रेम की प्रगाढ़ता का परिचय देते हुए, विदेशी भाषाओं की खिड़कियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान पर निर्भर न रहकर, स्वभाषा के द्वार सबके लिए खोल दिए । इससे सभी देशों के सभी वर्गों के लिए ज्ञान का आवागमन उपयुक्त रूप से होने लगा और साथ ही, इससे स्वभाषा के उन सहस्रों विद्वानों को भी रोजगार मिला, जो विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों को अनुमोदित करना और उनके मूल विचारों अथवा उनके सारांश को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने में सक्षम थे।

वस्तुतः अंग्रेजी भाषा के अभ्युदय का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई जाति सच्ची राष्ट्रीयता, सुदृढ़ संकल्प एवं पूरी शक्ति से जुट जाये, तो वह किस प्रकार सर्वथा गंवारू अपरिष्कृत, दरिद्र एवं अधम कहीं जाने वाली भाषा को भी एक दिन विश्व की श्रेष्ठ भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकती है ।

### हिन्दी की स्थिति से तुलना

यदि अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा के इस संघर्षपूर्ण इतिहास से हिन्दी की स्थिति की तुलना करें, तो दोनों में अनेक समानताएं दृष्टिगोचर होंगी-(1) यद्यपि दोनों ही अपने-अपने देशों की अत्यन्त बहु-प्रचलित भाषाएं थीं, फिर भी विदेशी भाषा-भाषी लोगों के प्रशासन काल में दोनों का ही पराभव होना आरम्भ हुआ और वे शीघ्र ही अपने गौरवपूर्ण पद से वंचित हो गयी तथा उनका स्थान शासक वर्ग की विदेशी भाषा ने ले लिया । (2) शासक वर्ग की विदेशी भाषा को अपनाने में उच्च वर्ग के धनिकों, सामंतों एवं शिक्षितों ने बड़ी तत्परता का परिचय दिया । (3) विदेशी भाषा के प्रभाव से दोनों ही देशों (इंग्लैण्ड और भारत) के लोग इतने अभिमुख हो गए कि वे स्वदेशी भाषा को अत्यन्त हेय एवं उपेक्षा योग्य मानते हुए उसमें बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझने लगे । (4) विदेशी शासकों के प्रति विद्रोह की भावना एसं स्वभाषा के प्रति अनुराग की प्रेरणा से ही अंग्रेजी और हिन्दी के पुनः अभ्युत्थान की प्रक्रिया आरम्भ हुई । (5) दोनों ही देशों में पार्लियामेन्ट द्वारा स्वदेशी भाषाओं को मान्यता मिल जाने के बाद भी उनका व्यावहारिक प्रयोग बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ा । (6) विदेशी भाषा के समर्थक एक ओर तों उसकी अभिव्यंजना-शक्ति और साहित्यिक-समृद्धि का गीत गाते रहे, तो दूसरी ओर स्वदेशी भाषा की हीनता और दरिद्रता का ढिंढोरा पीटते रहे तथा (7) जब स्वदेशी भाषाओं को समृद्ध करने के लिए नए शब्दों का प्रचलन किया जाने लगा, तो उसके विरोधी उस पर क्लिष्टता और दुर्बोधता का आरोप लगाने लग ।

इस प्रकार अंग्रेजी और हिन्दी के पराभव एवं पुर्नउत्थान की कहानी परस्पर काफी मिलती-जुलती है, किन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर भी है, जिसके कारण हिन्दी की प्रगति में आज तक बाधाएं उपस्थित हो रही है । एक तो अंग्रेज जाति में राष्ट्रीयता की भावना जितनी दृढ़ एवं गंभीर है, उतनी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तो हममें रही किन्तु उसके बाद वह बिखरती चली गयी । संभवतः इसका प्रमुख कारण यह है कि हमने अपने संविधान को अमरीका की नकल पर ढालने के लिए भारत के उप प्रदेशों और प्रान्तों को भी राष्ट्रों की संज्ञा देकर यह भ्रम उत्पन्न कर दिया मानो भारत एक सुगठित राज्य न होकर अनेक राज्यों का समूह या संघ है । इससे निश्चय ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला, जो राष्ट्रीयता के लिए घातक है । इसके कारण हिन्दी का विरोध केवल अंग्रेजी के हिमायतियों द्वारा ही नहीं, अन्य प्रान्तीय या

क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थकों द्वारा भी होने लगा, जबकि हिन्दी की प्रतिद्वन्द्विता अंग्रेजी से है, न कि भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से। ऐसी स्थिति में हम हिन्दीतर क्षेत्रों में न सही, केवल हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र में ही, जो राजस्थान से लेकर बिहार तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, पूरी तरह हिन्दी लागू कर दें, तो यह भी कम महत्व की बात नहीं होगी। किन्तु स्वयं हिन्दी भाषा-भाषी वर्ग में भी अभी अंग्रेजी के प्रति मोह बना हुआ है। इसका एक अन्य कारण यह है कि न केवल केन्द्र में, बल्कि हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में भी सरकारी अधिकारियों और उच्च प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं तथा ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक अंग्रेजी का ही प्रचलन है। अतः जो अंग्रेजी की उपेक्षा करते है, वे अपने भविष्य के निर्माण की दृष्टि से घाटे में रहते है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में जन साधारण में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने का फ़ैशन और भी जोरों से फैला है।

दूसरे, अंग्रेजी के समर्थकों ने अपनी भाषा की शब्द संपदा और अभिव्यंजना-शक्ति में अभिवृद्धि करने के लिए विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों को उन्मुक्त भाव से अपनाया, भले ही कट्टरवादियों की दृष्टि में इसमें एक ऐसी अशुद्ध भाषा बन गयी, जिसमें अधिकांश शब्द विदेशी हैं, पर इससे अंग्रेजी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों की रचना ओर अनुवाद के कार्य में तेजी से प्रगति हुई इसकी तुलना में हम पहले कृत्रिम ढंग से विदेशी शब्दावलियों तथा पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्द गढ़ने के बखेड़े में पड़ गए, जो कभी भी समाप्त न होने वाली स्थिति है, क्योंकि जब तक हम पचास वर्ष में आज की प्रचलित शब्दावली का अनुवाद करेंगे, तब तक उतने ही नए शब्द और सामने आ जायेंगे। विज्ञान की जिस गति से प्रगति हो रही है, उसे देखते हुए यह स्वाभाविक है। फिर इस प्रकार कृत्रिम ढंग से बढ़ी हुई शब्दावली को प्रचलित करना और प्रयोग में लाना भी अपने आप में टेढ़ी खीर है। पिछला अनुभव हमें बता रहा है कि ऐसे नवनिर्मित शब्दों के अधिकांश शब्दकोश केवल सरकारी आलमारियों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वास्तविक प्रयोग में बहुत कम आ रहे हैं: अतः इससे अच्छा यह है कि हम ज्ञान-विज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों-का-त्यों अपना लें और यदि उसके साथ-साथ सहज रूप में अपनी शब्दावली भी विकसित होती हो तो उसे भी अपनाते रहें। पर यदि हम अपनी नयी शब्दावली की ही प्रतीक्षा करते रहें, तो संभवतः यह कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। उस स्थिति में यही कहना पड़ेगा कि न कभी नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी।

### फर्क शब्दावलियों के अपनाने का

तीसरे, अंग्रेजों ने बिना नयी शब्दावली की प्रतीक्षा किए और बिना ज्ञान-विज्ञान के सारे साहित्य को अंग्रेजी में अनुमोदित किए, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को लागू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वतः ही विश्व का सारा ज्ञान-विज्ञान रूपांतरित होकर मौलिक रूप में अंग्रेजी में अवतरित हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब प्रकाशकों ने देखा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया है, तो उन्होंने रात-दिन भागदौड़ करके उन लेखकों को पकड़ा जो अपने ज्ञान-विज्ञान को स्वदेशी भाषा में व्यक्त कर सकते थे। व्यापारियों की पारिस्परिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण हर विषय की एक से एक अच्छी पुस्तक बाजार में आने लगी। सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा, किन्तु हिन्दी में हम इसके विपरीत चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि पहले सारा ज्ञान-विज्ञान हिन्दी में आ जाये फिर उसे शिक्षा का माध्यम बनाये। किन्तु ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान-विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में होती रहेगी तब तक क्यों कोई लेखक हिन्दी में पुस्तक लिखेगा और क्यों कोई प्रकाशक उसे छापेगा। और यदि उसने छाप भी लिया, तो कोई उसे क्यों खरीदे? केवल सरकार ही ऐसा कर सकती है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। अपनी अकादमियों के माध्यम से सरकार के इस प्रकार के प्रयास का परिणाम यह है कि आज प्रत्येक राज्य की हिन्दी अकादमियों के भंडार ऐसी पुस्तकों से भरे पड़े हैं, जो बिना विशेष रुचि या परिश्रम के मुख्यतः पारिश्रमिक प्राप्ति की आकांक्षा से हिन्दी में अनुदित एवं प्रकाशित है। मेरी अनेक निदेशकों से बात हुई है, उनका रोना है कि क्या करें, हिन्दी के अनुवादकों की बाजार में मांग नहीं। मेरा उत्तर है कि मांग तो तब हो, जब उसके अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाएं, अर्थात् पहले यदि हिन्दी को शिक्षा एवं प्रशासन के माध्यम के रूप में लागू किया जाये, तो फिर तद्विषयक हिन्दी पुस्तकों की मांग स्वतः ही उत्पन्न होगी। किन्तु हम इसके विपरीत प्रतीक्षा कर रहे है कि पहले तैरना सीख लें फिर, पानी में उतरें, जबकि वास्तविकता का क्रम इससे उलटा है।

इसी तरह एक वर्ग ऐसा है, जो अंग्रेजी की खिड़की पर मुग्ध होकर अपनी भाषा के द्वार को बन्द किए हुए है। वह नहीं समझता कि खिड़की अंततः खिड़की है, वह द्वार का स्थान कभी नहीं ले सकती। जब तक हम स्वभाषा-ज्ञान द्वार का उपयोग खुल कर नहीं करेंगे तब तक विश्व-ज्ञान के अबाध आदान-प्रदान के लिए हमें इस खिड़की पर ही निर्भर करना पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास है कि यदि अंग्रेजी के अभ्युत्थान की प्रक्रिया से हम कोई सबक ले सकें, तो हमारी राजभाषा की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है और हमारी तद्विषयक अनेक समस्याओं के समाधान का उपाय सुझा सकता है।

—निदेशक,
कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ, आगरा।
(रेल रश्मि—अप्रैल 87 से साभार)

# प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी

☐ जगन्नाथ

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके मातहत कार्यालयों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उद्यमों आदि में संघ लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा संबंधित निगमों आदि के भर्ती बोर्डों के द्वारा चुने गए अधिकारियों और कर्मचारियों की पदों पर वास्तविक नियुक्ति से पूर्व विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में पर्याप्त ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था है। यद्यपि कुछ ट्रेनिंग कोर्सों में प्रशिक्षण और पढ़ाई का माध्यम हिन्दी भी हो चुका है तथापि अभी भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनमें हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब चुने गए व्यक्ति अपने-अपने पदों पर कार्य करते हैं तो वे अपना सरकारी काम काज सामान्यतः अंग्रेजी में ही चलाने में आसानी समझते हैं। यदि उनकी ट्रेनिंग हिन्दी माध्यम से हो और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी भी करा दी जाए तो वे पदों को संभालते ही अपना काम आरम्भ से ही हिन्दी में करना आसान समझेंगे। एक बार अंग्रेजी में काम करने की आदत पड़ जाने पर फिर उनसे हिन्दी में काम करने को कहा जाए तो उन्हें मानसिक झिझक होती है। धीरे-धीरे अंग्रेजी में कार्य करने के अभ्यस्त हो जाने के कारण उनका यह संकोच किसी हद तक स्वाभाविक भी है।

जब प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिन्दी माध्यम से पढ़ाने की बात की जाती है तो कई प्रकार की दलीलें दी जाती हैं जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं:—

(1) हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्राध्यापकों की कमी।

(2) पाठ्यक्रम प्रायः अखिल भारतीय स्तर के होते हैं जिनमें हिन्दीतर भाषी व्यक्ति भी होते हैं। यदि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हिन्दी-तर भाषी व्यक्तियों को कठिनाई होगी।

(3) हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्य पुस्तकों का अभाव।

जहां तक आवश्यक संख्या में हिन्दी में प्रशिक्षण देने वाले प्राध्यापकों की कमी का प्रश्न है, यह स्थिति मुख्यतः इस कारण से भी उठती है कि प्राध्यापकों ने पाठ अंग्रेजी माध्यम से तैयार किए होते हैं और प्राध्यापक उनके आधार पर ही अंग्रेजी में पढ़ाना अधिक आसान समझते हैं। हिन्दी माध्यम से पढ़ाने के लिए उन्हें विशेष तैयारी करनी होगी और परिश्रम करके सामग्री बनानी होगी। इसी प्रकार की समस्या कुछ समय पूर्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भी थी। उन्होंने हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों की अपेक्षा अधिक मानदेय की लगभग दो वर्ष पूर्व व्यवस्था की थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई गैर सरकारी व्यक्ति अंग्रेजी में भाषण देता है तो उसे 100 रूपए मिलते हैं किन्तु यदि वह हिन्दी में भाषण देता है तो उसे 125 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार यदि सेवारत अवीक्षक इंजीनियर यदि अंग्रेजी में भाषण देता है तो उसे 75 रु. मिलते हैं और यदि वह हिन्दी में भाषण देता है तो 100 रुपये मिलते हैं। जहां तक नियमित प्राध्यापकों का प्रश्न है हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को विशेष भत्ता दिया जा सकता है। दूसरी सुविधा हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को यह दी जा सकती है कि वे मिली-जुली भाषा में प्रशिक्षण दें, तकनीकी शब्दों को वे अंग्रेजी में ही बोल सकते हैं और यथा आवश्यकता अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं।

जहां तक अखिल भारतीय स्तर के पाठ्यक्रमों और हिन्दी-तर अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों का संबंध है उनको बैचों में पढ़ाया जा सकता है। एक बैच हिन्दी माध्यम का हो सकता है तथा दूसरा अंग्रेजी माध्यम का। ऐसा भी हो सकता है कि आगे पीछे एक कोर्स अंग्रेजी माध्यम से चलाया जाए तथा दूसरा कोर्स हिन्दी माध्यम से चलाया जाए। यदि एक ही कोर्स में कई विषय हों तो जिन विषयों को आसानी से हिन्दी में पढ़ाया जा सकता है उन्हें हिन्दी में पढ़ाया जाए तथा शेष विषयों में धीरे-धीरे प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी कर दिया जाए।

रही तकनीकी पुस्तकों की हिन्दी में कमी की बात, स्थिति पिछले दस वर्षों में काफी अधिक सुधरी है। जब से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और उनके कार्यालयों में तकनीकी पुस्तकों पर हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन पर नकद पुरस्कार दिए जाने की योजनाएं आरम्भ की गई है तब से ऐसी सैंकड़ों तकनीकी पुस्तकें हिन्दी में भी उपलब्ध हो गई हैं जो कि मूल रूप से हिन्दी में ही लिखी गई थीं और इस प्रकार उनकी भाषा नैसर्गिक हो गई है और वह बोझिल प्रतीत नहीं होगी। फिर भी यदि कुछ पुस्तकों ऐसी हों जो कि हिन्दी में भी उपलब्ध नहीं है तो भी शुरूआत के रूप में उन्हीं की सहायता से हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। परिवर्तन काल में आरम्भ में कुछ तो कठिनाई होनी स्वाभाविक ही है। जैसे-जैसे हिन्दी पुस्तकों की मांग बढ़ेगी उनके अनेक लेखक और प्रकाशक आगे बढ़ेंगे।

उपर्युक्त प्रसंग में एक और बात विचारने योग्य है। चयनित अधिकारी प्रशिक्षण लेने के उपरान्त यह जरूरी नहीं कि केन्द्रीय सरकार में ही काम करें। उनकी नियुक्ति राज्यों की सरकारों में भी हो जाती है और प्रशिक्षण के बाद उनसे यह आशा की जाती है कि वे संबंधित राज्य की भाषा में ही काम करें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को नामित होने वाले अधिकारियों से, चाहे उनकी मातृभाषा जो भी हो, यह आशा की जाती है कि प्रशासनिक कार्य हिन्दी माध्यम से करें। इन छह हिन्दी भाषी राज्यों और संघ शासित क्षे दिल्ली के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंड़ीगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने केन्द्र के साथ तथा हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार की भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने का निर्णय किया हुआ है। अतः इन राज्यों में नामित अधिकारियों से भी यह अपेक्षा की जायेगी कि वे हिन्दी का अच्छा ज्ञान रखें। अतः प्रशिक्षण काल में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य हिन्दी, कार्यालयीन कामं काजी हिन्दी तथा तकनीकी विषयों की हिन्दी शब्दावली का ज्ञान देश की बदली हुई परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रसंग में यह भी आवश्यक और तर्कसंगत है कि जिन-जिन परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग तथा चयनित करने वाले संघों द्वारा हिन्दी के विकल्प की सुविधा नहीं दी गई है उनमें यह सुविधा बढ़ाई जाए और हिन्दी भाषा के ज्ञान को उचित स्थान दिया जाए तथा क्रमशः उसका स्तर भी बढ़ाया जाए। अब जबकि हिन्दीतर राज्यों में भी स्नातक स्तर तक कम या अधिक किसी सीमा तक हिन्दी पढ़ाई जा रही है तब प्रतियोगिता परीक्षा में हिन्दी ज्ञान की समुचित व्यवस्था करना व्यावहारिक होगा। कुछ प्रशिक्षण संस्थानों में विदेशी भी प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण से अलग रखा जा सकता है। किन्तु, यदि कोई विदेशी छात्र भी हिन्दी प्रशिक्षण लेना चाहे तो उसे वह दिया जाना चाहिए। नेपाल मारिशस, भूटान सरीखे कुछ देशों के विद्यार्थी निश्चित रूप से हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण लेना उचित समझेंगे। कुछ प्रशिक्षण कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें राज्य सरकारों के अधिकारी और कर्मचारी पढ़ाने के लिए आते हैं। हिन्दी भाषी राज्यों तथा गुजरात, जाब, महाराष्ट्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय भाषाओं में काम करने का अभ्यास होने के कारण प्रशिक्षण कोर्सों में अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण देने में बड़ी कठिनाई होती है। हिन्दी राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाओं का अखिल भारतीय माध्यम हिन्दी होता है। अधिकांश नहीं तो बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी हिन्दी माध्यम चाहते हैं। हिन्दी राज्यों में कम से कम स्नातक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मुख्यतः हिन्दी रहता है और इसलिए पढ़ाए हुए विषयों की प्रतियोगिता परीक्षा को हिन्दी माध्यम से देना भी सहज होता है। हिन्दी माध्यम से शिक्षित व हिन्दी माध्यम से चुने हुए विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों की तुलना में लगभग दो-तिहाई भाग होता है। सभी हिन्दी राज्य समूह रूप में एक बहुत बड़ी भौगोलिक इकाई बन जाते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब को भी मिलाकर इस विशाल भूखण्ड का अपना अलग वातावरण है। यही कारण है कि 1976 में राजपत्रित राजभाषा नियमों में भाषा की दृष्टि से देश के राज्यों को "क" (हिन्दी भाषी राज्य) "ख" गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंड़ीगढ़, निकोबार समूह और "ग" (अन्य राज्य) में वर्गीकरण किया गया है। कुछ इसी प्रकार का वर्गीकरण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी हो सकता है। प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र मांगते समय उम्मीदवारों से यह पूछा जा सकता है कि वे हिन्दी अथवा अंग्रेजी किस माध्यम से प्रशिक्षण लेना अधिक सुविधाजनक समझेंगे। आवेदन फार्म में ही हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था जिन स्थानों पर होगी उन की सूचना भी दी जा सकती है। हिन्दी के माध्यम की बात आते ही सरसरी नजर से इस विषय को टाल दिया जाता है। यह प्रश्न स्थाई नहीं है। अभी भी अनेक विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए भी पुस्तकें नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि कुछ विषयों के लिए अंग्रेजी में भी विशेष रूप से बनाए गए पाठ प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों को अनेक सन्दर्भित ग्रंथों तथा सहायक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है और प्राध्यापक को अपने नोट्स बनाकर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसी बीच भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग और राज्यों/सरकारों की साहित्य, अकादमियों की पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करने के लिए तेजी लाने के आदेश दिए जा सकते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान स्वयं भी अपने अपने विषयों के "वैज्ञानिक पाठ्यग्रंथ प्रशिक्षण विभाग" बना सकते हैं जिनका कार्य मौलिक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, उच्च स्तर के वैज्ञानिक ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद करना और उनकी छपाई तथा पुस्तकों की व्यवस्था करना हो।

इस प्रकार की सुविचारित और संयोजित योजना प्रत्येक पाठ्यक्रम के विषय में बनाई जाए तो कुछ ही समय बाद हिन्दी प्रशिक्षण की समस्या "समस्या" नहीं रहेगी और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान तथा भारत के संविधान की भी रक्षा हो सकेगी।

—संयोजक, राजभाषा कार्य,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्
एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-110023

# ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हिन्दी की भूमिका

□ डा० विलास गुप्ते

गुलामी का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं होता, मन से भी होता है। गुलामी मनुष्य को न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी खोखला कर देती है। अपना रास्ता खुद चुनने और अपनी समस्याओं पर खुद निर्णय लेने के अधिकार से वंचित किये जाने पर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। गुलामी जब लंबे अरसे तक बनी रहती है तो वह अपनी सतह को भेदकर मानसिक स्तर तक पहुंच जाती है। राजनीतिक या आर्थिक गुलामी से मुक्ति पाई जा सकती है; लेकिन मानसिक या दिमागी गुलामी की पकड़ से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। भारतवर्ष लगभग एक हजार वर्षों तक गुलाम रहा टुकड़ों-टुकड़ों में या संपूर्ण रूप में। इतनी लंबी गुलामी ने हममें हीनता का भाव पैदा कर दिया। सदियों तक कोई और हमारा मालिक रहा और हम उसके गुलाम। स्वामी के सामने दास की क्या विसात —मालिक की हर चीज हमें भव्य और लुभावनी लगती थी। वर्तमान का भाषायी और सांस्कृतिक संकट इसी दिमागी गुलामी की देन है। अपनी भाषा अर्थात् भारतीय भाषाएं हमें सब दृष्टि से नाकाबिल और दरिद्र नजर आती है। आत्मविश्वास के अभाव की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि हम बतचीत या कामकाज के लिए भी किसी दूसरी भाषा पर निर्भर रहे। यह मनोवृत्ति जाने-अनजाने हमें उस स्थिति की ओर ले जाएगी जहां समूचे राष्ट्र का चेहरा अपनी पहचान खो देगा। यह एक बहुआयामी मसला है और इसे ऊपर-ऊपर से छूने से कुछ नहीं होगा। इस बारे में गहन मंथन की आवश्यकता है, लिहाजा मैं इस मुद्दे को यहीं अधूरा छोड़कर दूसरे मुद्दे पर आता हूं।

कहते हैं कि हमारा सारा तकनीकी ढांचा आयातित है और स्वदेशी जरूरतों से उसका कोई वास्ता नहीं है। मैं फिलवक्त इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कहते हैं कि हमारा सारा ज्ञान-विज्ञान सीमित लोगों के हाथों में कैद हो गया है और देश की आम जनता को मूर्ख करार दिया जा रहा है —मैं इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा।

प्राचीन काल में जब संस्कृत ज्ञान-विज्ञान की भाषा थी, तब उस पर एक वर्ग विशेष का अधिकार हो गया। नतीजा यह हुआ कि 95 प्रतिशत आबादी ज्ञान से वंचित कर दी गई। ज्ञान और शिक्षा के प्रकाश पर चंद सुविधाजीवी लोगों के एकाधिकार के कारण सुदूर रूढ़ियों और अंधश्रद्धा का अंधकार फैला गया। आज भी वही गलती दुहराने जा रहे हैं। भारत का 80 प्रतिशत भाग ग्रामीण भाग है। समूचे भारतीय संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि यहां की ग्रामीण जनता अपनी मातृभाषा के साथ-साथ सिर्फ हिन्दी भाषा से परिचित है उससे यह आक्षा कैसे की जा सकती है कि वह ज्ञानार्जन के लिये किसी तीसरी भाषा का सहारा ले? जाहिर है कि ज्ञान का आलोक उन तक पहुंचाने के लिये हिन्दी या मातृभाषा का ही इस्तेमाल करना होगा। अन्य किसी भाषा के बारे में सोचना एकदम अव्यावहारिक है।

इस समस्या पर थोड़ी गहराई से विचार करना जरूरी है। ज्ञान और अनुभव एक दूसरे के पूरक हैं। अनुभव के बिना ज्ञान कोरा है और ज्ञान के बिना अनुभव अधूरा है। भारतीय ग्रामीण अनुभवी अवश्य है; लेकिन ज्ञान या शिक्षा की परंपरा से वह कटा हुआ रहा। आज उसे यह मौका मिल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जिस ज्ञान को हम उसे सौंपना चाहते हैं; उसका माध्यम आसान हो। यह माध्यम हिन्दी या मातृभाषा के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। अब यह देखिए कि यह पद्धति अपनाने पर कैसा परिवर्तन सामने आएगा।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से मुख्यतः दो व्यवसाय हैं। कृषि तथा कृषि पर आधारित छोटे-छोटे धंधे। व्यवसाय का यह क्षेत्र ऐसा है जहां डिग्रीधारी होने या परंपरागत शिक्षा-प्रणाली से शिक्षित प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। खेती के अलावा सुतारी, लोहारी, राजगीरी, कुंभसमी, कृषि के औजारों को सुधारना, बिजली का कामकाज आदि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुप्रचलित हैं। इसके अलावा कुछ कुटीरोद्योग या लघु उद्योग भी हैं। इस क्षेत्र में विज्ञान या तकनीकी ज्ञान के समुचित उपयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। हम यह देखते हैं कि हमारे यहां कृषि की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इसका कारण है कृषि संबंधी नवीनतम ज्ञान का अभाव। उसी तरह कृषि मौसम के अलावा बाकी के महीनों में अधिकांश ग्रामीणों की श्रम शक्ति निरूपयोगी पड़ी रहती है। इसके लिये उत्तरदायी है ग्रामीण संसाधनों के समुचित दोहन का अभाव।

अब सवाल यह आता है कि कृषि या कृषि पर आधारित या ग्रामीण लघु उद्योगों का अधिकतम लाभ कैसे मिले। उत्तर सीधा सा है। इस क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान व ताजा तकनीक से ग्रामीणों को परिचित कराया जाए। उत्तर जितना सरल है, उस पर अमल करना उतना सरल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा —संस्थाओं से लंबे समय तक वंचित

हा ग्रामीण किसानों या कारीगरों के पास परपरागत ज्ञान व अनुभव की कमी कभी नहीं रही आधुनिक साधनों और उपकरणों के उपयोग से वे अछूते। अब अगर उन्हें यह ज्ञान देना हो— और देना ही है तो इस प्रकार से देना पड़ेगा कि उन्हें एकसाथ दो काम न करने पड़ें। याने ज्ञान भी प्राप्त करें और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये किसी भाषा को भी सीखें–यह व्यावहारिक नहीं हैं। स्पष्ट है कि यह ज्ञान उन्हें उन्हीं की भाषा में देना होगा। ग्रामीणों की अपने क्षेत्र की समझ परिवक्व है। नई तकनीक का इशारा भर समझ जाए तो, पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं।

आज देश के यंत्रीकरण में डिग्रीधारी इंजीनियरों का जितना हाथ है, उतना ही हाथ अशिक्षित या अर्धशिक्षित कुशल मजदूर का है, जो मिस्त्री कारीगर, मास्टर या मेकेनिक के नाम से जाना जाता है। मशीनों के रख-रखाव, सामान्य सुधार उन्हें फिट करने आदि का काम यही लोग करते हैं। मशीनों से संबंधित जानकारियां ये अनुभव के आधार पर सीख लेते हैं। और उसके संचालन में प्रवीण हो जाते हैं। यह ज्ञान वे हिन्दी के जरिए प्राप्त करते है अगर उन्हें सिलसिलेवार शिक्षा या प्रशिक्षण मिल जाए तो वे अधिक लाभ उठा सकते हैं। यह शिक्षण प्रशिक्षण परंपरागत शिक्षा पद्धति से नहीं होगा। प्रगति – कार्यक्रम या विस्तार कार्यक्रम के आधार पर उन्हें वांछित जानकारी दी जा सकती है। अलग से कहने की जरूरत नहीं कि इसका माध्यम हिन्दी या मातृभाषा ही होनी चाहिए। जब इस तरह के प्रशिक्षित, कुशल कारीगर मिलना शुरू हो जाएंगे तब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। डिग्रीधारी व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्र की ओर झुकाव कम रहता है। ऐसे में वहां औद्योगिक गति-विधियों जोर नहीं पकड़ पातीं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशालाओं के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति मिलने पर वहां छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो सकते हैं। छोटे उद्योगों की मशीनें अधिक जटिल नहीं होती थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर गांवों के बेरोजगार वर्ग को इस क्षेत्र में लाया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि मशीनों से संबंधित सारे उपकरणों में कुछ बिगाड़ होने पर ग्रामीणों को शहरों की ओर दौड़ना पड़ता है। खर्च आदि की असुविधा के कारण मशीनों का उपयोग मजबूरन कम करना पड़ता है। विकासशील राष्ट्र के लिये यह स्थिति ठीक नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई उपकरणों, कृषि के औजारों, ट्रैक्टरों, बिजली के उपकरणों, रेडियो, दूरदर्शन, यंत्रों, निर्माण कार्यों या परिवहन संबंधी मामलों के रखरखाव और सामान्य सुधार कार्य को जानने वाले लोग उपलब्ध हो जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकता है। बात यही है कि तत्संबंधी नवीनतम ज्ञान उन्हीं की भाषा में दिया जाए।

जहां तक कृषि का संबंध है, आधुनिकतम तरीके पूरी तरह प्रयुक्त नहीं होते परंपरागत ढंग से खेती करने के कारण उत्पादन कम होता है कारण यही है कि वे उस भाषा को नहीं जानते जिसमें तत्संबंधी ज्ञान को लेकर बहुत सी पुस्तकें या पत्रिकाए उपलब्ध हैं। ज्ञान को किसी एक या कुछ भाषाओं में कैद करके नहीं रखा जा सकता। ज्ञान का स्वरूप सार्वजनिक और सर्वभाषिक है। अगर कृषि संबंधी यह ज्ञान हिन्दी के माध्यम से आएगा तो हमारे किसान उसे आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। बनिस्बत इसके कि उनकी समूची एक या दो पीढ़ियों को पहले अंग्रेजी का भाषा ज्ञान कराकर फिर अपने विषय का ज्ञान कराया जाए, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह ज्ञान उन्हें सीधे-सीधे उन्हीं की भाषा में दे दिया जाए। कृषि संबंधी उपकरण, खाद, दवाएं सिंचाई की पद्धति, बीज सुधार आदि को लेकर किसानों की छोटी-छोटी कर्मशालाएं आयोजित की जायें तो कृषि उत्पादन शीघ्र बढ़ सकता है। ध्यान यही रखा जाना चाहिए कि कार्यक्रम किसानों की अपनी भाषा में हों।

आज भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों या दूसरे श्रमिकों/कारीगरों ने अपने शब्द बना लिए हैं। अंग्रेजी शब्दों का यह पर्यायवाची स्वरूप चाहे हिन्दी के शुद्ध स्वरूप में न गिना जाए किन्तु व्यवहार में उनका खुलकर प्रयोग होता है। शास्त्रीय संगीत सिखाने में शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आसान तरीका यह निकाला गया है कि शिक्षार्थियों को ऐसे फिल्मी गानों से परिचित कराया जाए, जो शास्त्रीय राग-रागिनियों पर आधारित है। फिल्मी गाने अपनी लोकप्रियता के कारण याद रह जाते हैं, फिर उनके जरिए राग-रागिनियों के स्वर समझा दिए जाते हैं। मशीनों से संबंधित कारीगरों को अंग्रेजी नामावली का शुद्ध हिन्दी रूप आसानी से नहीं समझाया जा सकता। उन्हें हिंदी की शब्दावली में समझाया जाना चाहिए। फ्रेंचकस, रिबिट, मडगार्ड, रेगमार, पाना पिंचिस, लेंटल आदि अनेक संकर शब्द हैं, जो प्रारंभिक स्तर पर अपनाने होंगे यह छूट सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को दी जा सकती है जिन्हें गैर परम्परागत ढंग से यह शिक्षा दी जा रही है।

गांधीजी ने हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया था। उनका लक्ष्य यह था कि गांव प्रत्येक मामले में आत्मनिर्भर बनें। यह आत्मनिर्भरता तभी आ सकती है जबकि वहां कृषि के साथ-साथ लघु उद्योगों का भी विकास हो। ज्ञान या तकनीक से अपरिचय दूर करने का उपाय ग्रामीणों को एक नयी भाषा सिखाना कदापि नहीं हैं। संस्कृत के धर्मग्रंथों ने जो काम नहीं किया वह तुलसीदास की देशी भाषा की रामचरित मानस ने कर दिखाया। उसी तरह ग्रंथों में वर्णित ज्ञान को जो ग्रामीण अंग्रेजी में समझ नहीं सकता, वह हिन्दी या मातृभाषा में फौरन समझ सकता है।

साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े लोग यह जानते हैं कि इस देश के जनमानस को हिन्दी या प्रांतीय भाषा जितनी अच्छी तरह जानती है, उतनी कोई विदेशी भाषा नहीं। इस देश की इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनोभावनाएं, आशाएं मातृभाषा के जरिये ही ठीक से व्यक्त हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के तकनीकी विकास की जरूरत है, यह वहीं के निवासी भली भांति बता सकते हैं। इस प्रकार शासन और जनता या ज्ञान और जनता के बीच संवाद की भाषा हिन्दी ही हो सकती है। अभी तक संवाद के अभाव में ग्रामीण जनता अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रह हैं और शासन उसे समझ नहीं पा रहा है। इसी कारण हमारी अनेक योजनाएं पूरा-पूरा फायदा नहीं दे पा रहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र का कृषि उपज से संबंधित बहुत सा उत्पादन या तो शहरों को भेज दिया जाता है या अनुपयोगी पड़ा रहता है। यदि उसका गांवों में उपयोग करने के छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो जाएं तो ग्रामिणों की आय भी बढ़ेगी, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय अपव्यय से भी बचा जा सकेगा। कुटीरोद्योगों की जानकारी किसान के लिये वरदान स्वरूप सिद्ध होगी लेकिन यह वरदान तभी फलीभूत होगा जब उसको अपनी भाषा में दिया जाए। मसलन ग्रामीणों को यदि गोदाम में अनाज सुरक्षित रखने या अल्प समयावधि के शीतग्रहों के उपयोग की तकनीकी जानकारी दे दी जाए तो उनका शोषण भी रोका जा सकता है।

आज ग्रामीण क्षेत्र में नए-नए तकनीकी उपकरणों को सुलभ कराया जा रहा है। उपकरणों से संबंधित जानकारी भी दी जा रही हैं। दुख इसी बात का है कि यह जानकारी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। यानी ज्ञान और जिज्ञासु या जरूरतमंद के बीच संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है। अगर यह जानकारी हिन्दी या मातृभाषा के माध्यम से दी जाने लगे तो वांछित लक्ष्य का प्रतिशत एकदम बढ़ जाएगा और योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में एक और तथ्य आकर्षक है, प्रशासन में फिजूलखर्ची रोकने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जितने परिपत्र, प्रचार-पत्र या अन्य पुस्तिकाकार पत्रिकाकार प्रकाशन अंग्रेजी में किये जाते हैं। वह भी एक प्रकार की फिजूलखर्ची है। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिये। इसके स्थान पर हिन्दी के प्रकाशन का उपयोग उद्देश्य सिद्धि में सहायक हो सकता है। म. प्र. समाज कल्याण की ओर से एक मासिक भित्ति समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। बड़े आकार का और बड़े-बड़े टाईप का यह पत्र ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर चिपका दिया जाता है। ग्रामीणजन इसे बड़े चाव से पढ़ते हैं क्योंकि यह हिन्दी में हैं। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित समाचारों की इसमें प्रमुखता होती है। ऐसे प्रयोग उत्साहवर्धक रहे हैं। ग्रामीणजन अपने अधिकारों, अपने को दी जाने वाली सुविधाओं और फायदेमंद नये-नये साधनों से परिचित हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी या मातृभाषा के अधिकाधिक प्रयोग का साथी मैं इसलिये भी हूं कि भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमारी योजनाएं अधिकतर शहर केन्द्रित हैं। उसी तरह हमारी तकनीकी नीति भी शहरोन्मुखी है। यही वजह है कि कार, कंक्रीट सीमेंट के भव्याकार भवन, एअरकंडिशनिंग वस्त्रोद्योग आदि क्षेत्र में तो धड़ल्ले से विकास हो रहा है और बैलगाड़ी, सायकिल, छोटे मकानों या झोपड़ियों की निर्माण विधि, फसल के हर हिस्से के समुचित उपयोग आदि का ग्रामीण क्षेत्र ग्यारहवीं सदी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस क्षेत्र में यदि कोई संशोधन या अनुसंधान हो भी रहा है, तो उसके केन्द्र में भारत का आम किसान नहीं है। हो सकता है, कल ग्रामीण क्षेत्र में एसी कोई प्रतिभा पनपे जो, पूरी तरह अपनी जमीन से जुड़ी हुई हो। यह प्रतिभा तकनीकी ज्ञान को खींचकर ग्रामीण क्षेत्र तक लाएगी और तब भारत का सही मायने में विकास हो सकेगा। यह नयी तकनीकी क्रांति हिन्दी या मातृभाषा के जरिए ज्ञान समृद्ध हुआ कोई भूमि पुत्र ही ला सकता है।

—72-पत्रकार नगर,
इन्दौर-452001 (म०प्र०)

**'राष्ट्र भाषा की जगह एक हिन्दी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं।'**

**—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी**

# देवनागरी लिपि में बेतार-संकेत

☐ माता शरण शुक्ल

बेतार संकेत (वायरलैस) का विचार सबसे पहले "मोर्स" नाम के वैज्ञानिक ने प्रकट किया। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में बेतार-संकेत जो अंक, अक्षर तथा विरामचिन्हों के लिए प्रचलित हैं, उनको "मोर्स कोड" कहा जाता है। प्रारंभ में इस संकेत को समझने के लिए प्रकाश, ध्वनि, रेखाचित्र इत्यादि का सहारा लिया गया परन्तु यह पाया गया कि ध्वनि इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देवनागरी लिपि में बेतार-संकेत को अपनाने से दूरसंचार की गति में कोई विशेष अंतर नहीं आने को है परन्तु शुद्धता तथा सुविधा बढ़ जाती हैं। सांस्कृतिक तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अत्यधिक उपयुक्त है। लेकिन इन संकेतों के प्रशिक्षण का समय "मोर्स कोड" के प्रशिक्षण के समय से अधिक होगा।

बेतार-संकेत मुख्य रूप से विद्युत धारा के प्रवाह के समय पर आधारित है। इसके लिए प्रयुक्त यंत्र को "मोर्स- की" कहते हैं, क्योंकि उसी से विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है। जिस समय विद्युत धारा प्रवाहित होती है हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा जिस समय विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस समय ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। जिस समय ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, उस समय को "अंतराल" कहते हैं। ध्वनि के सुनने का आधार भी देवनागरी लिपि का "डि" तथा "डा" का उच्चारण है। जिस प्रकार "डि" के उच्चारण से "डा" के उच्चारण में तीन गुना समय लगता है, उसी प्रकार "मोर्स-की" को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि विद्युत धारा का प्रवाह "डा" के समय "डी" के समय से तीन गुना हो। "डि" तथा "डा" के ध्वनि के बीच के समय अर्थात् अंतराल को भी निश्चित किया गया है। इस प्रकार बेतार-संकेत तीन तत्वों (1) डि (2) डा (3) अंतराल के आधार पर बनाया गया है। इन्हीं को व्यवस्थित करके हम व्यंजन, स्वर, अंक तथा अन्य चिन्हों को प्रकट करते हैं। इनको प्रकट करने का नियम इस प्रकार है।

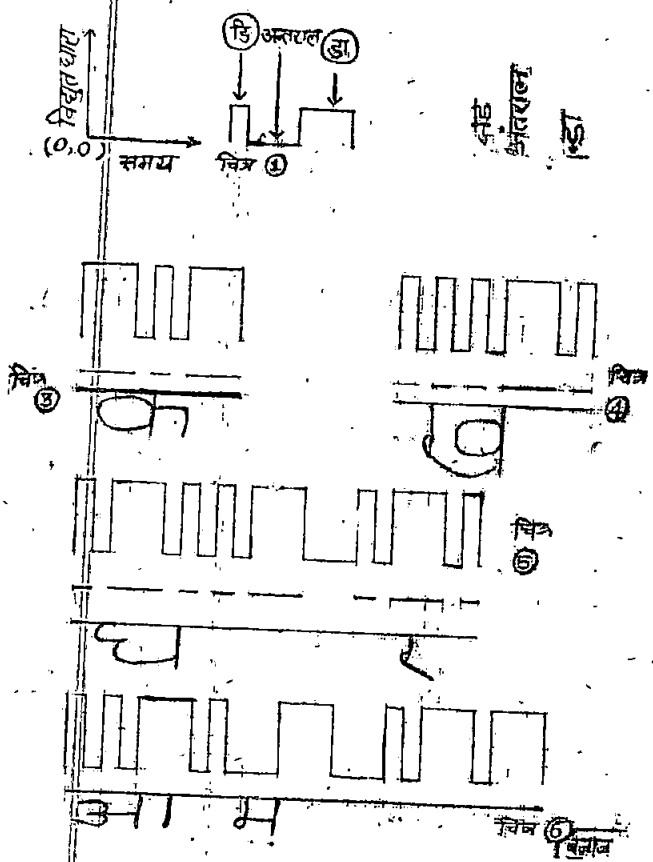


(क) "डि" को एक इकाई माना गया है। इसे बिन्दु भी कहते हैं। इसका चिह्न बिन्दु (.) है। देखो चित्र (1) तथा (2)।

(ख) 'डा' तीन इकाई के बराबर होता है। इसे सीधी रेखा भी कहते हैं। इसका चिह्न छोटी सीधी रेखा (—) है।

(ग) एक ही व्यंजन स्वर, अंक या चिह्न के तत्वों का अंतराल एक इकाई के बराबर होता है। अंतराल का चिह्न रिक्त स्थान है दे. चित्र (1) तथा (2), (3) तथा (4)।

(घ) एक शब्द या समूह के विभिन्न भागों का अंतराल तीन इकाई के बराबर होता है। देखों चित्र (5) तथा (6)

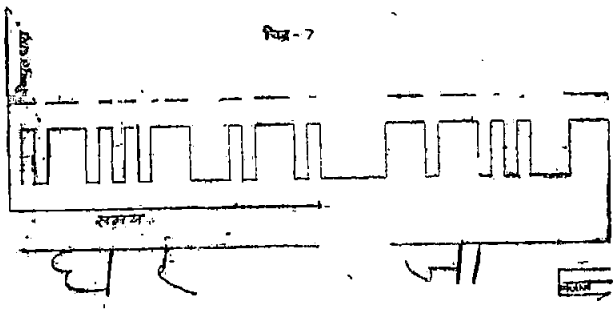


(ङ) दो लगातार शब्द या समूह का अंतराल पांच इकाई के बराबर होता है--देखो चित्र (7)

(च) ग्राफ द्वारा "डि" (बिन्दु), 'डा' (सीधी रेखा) तथा 'अंतराल' (रिक्त स्थान) को चित्र (2) में प्रदर्शित किया गया है। चित्र (1) में दर्शाया गया है कि "डा" के ध्वनि के समय 'विद्युत धारा' के प्रवाह का समय "डि" का ध्वनि के समय की 'विद्युत धारा' के प्रवाह के समय से तीन गुना है। यद्यपि 'विद्युत धारा" का 'मान' दोनों समय बराबर है। चित्र (2) में संकेत अतिश्योक्तिपूर्ण दिखाए गये हैं। चित्र (3) तथा (4) में 'क' तथा 'ख' के तत्वों को ग्राफ द्वारा दिखाया गया है। चित्र (5) में 'घर' तथा चित्र (6) में 'आम' के तत्वों को ग्राफ द्वारा दिखाया गया है।

चित्र (7) में ग्राफ द्वारा पूरा वाक्य "घर जा" दिखाया गया है।

अब संक्षेप में देवनागरी लिपि के व्यंजन, स्वर, अंक तथा अन्य चिन्हों को उनके 'बेतार-संकेत' के समय प्रदर्शित किया गया है।

| देवनागरी लिपि | बेतार संकेत |
|---|---|
| (1) क | (1)—.— |
| (2) ख | (2).:.—. |
| (3) ग | (3)— — — |
| (4) घ | (4).—..— |
| (5) च | (5).—... |
| (6) छ | (6)— —.— |
| (7) ज | (7)— —.. |
| (8) झ तथा दशमलव चिन्ह गिनतियों के बीच | (8)..—... |
| (9) ट | (9).....— |
| (10) ठ | (10) ....—. |
| (11) ड | (11) ——..— |
| (12) ढ | (12) .———. |
| (13) ण | (13) —..... |
| (14) त | (14) ...— |
| (15) थ | (15)...—.. |
| (16) द | (16) . .— |
| (17) ध | (17) .——.. |
| (18) न | (18) ——. |
| (19) ड़ | (19) ..——. |
| (20) ढ़ तथा गिनतियों के बीच बजने पर तिरछी रेखा ( / ) या बटा या सीधी रेखा | (20) —.—. |
| (21) प | (21) .——. |
| (22) फ तथा ? | (22) ..—.— |
| (23) ब | (23) ..—.. |
| (24) भ | (24) ..... |
| (25) म | (25) . —— |
| (26) य | (26) —..— |
| (27) र | (27) .—. |
| (28) ल | (28) —.—. |
| (29) व | (29) .—.— |
| (30) श तथा दो बार का अर्थ है मुख्य संदेश की शुरूआत | (30) —...— |
| (31) ष | (31) —.—.. |
| (32) स | (33) —... |
| (33) ह | (33) .—.. |
| (34) क्ष | (34) ..... |
| (35) त्र | (35) .—.... |
| (36) ज्ञ तथा दो बार का अर्थ समाप्ति | (36) .—.—. |
| (37) 1 | (37) .———— |
| (38) 2 | (38) ..——— |
| (39) 3 | (39) ...—— |
| (40) 4 | (40) ....— |
| (41) 5 | (41) ..... |
| (42) 6 | (42) —.... |
| (43) 7 | (43) ——... |
| (44) 8 | (44) ———.. |

| | | |
|---|---|---|
| (45) | 9 | (45) -----. |
| (46) | 0 | (46) ----- |
| (47) | अ | (47) ..-. |
| (48) | इ | (48) ---. |
| (49) | उ | (49) .--- |
| (50) | ए | (50) -.-- |
| (51) | ं | (51) . |
| (52) | ा | (52) - |
| (53) | े | (53) .. |
| (54) | ि | (54) .- |
| (55) | ी | (55) -. |
| (56) | ो | (56) ... |
| (57) | ै | (57) -- |
| (58) | ौ | (58) ..- |
| (59) | ु | (59) -.. |
| (60) | ू | (60) .... |
| (61) | ँ | (61) .-.-- |
| (62) | - तथा शुरू करने का संकेत दो बार बजने पर | (62) -.-.- |
| (63) | अर्द्ध व्यंजन का सूचक | (63) .--.- |
| (64) | ' (किसी व्यंजन के बाद) ऋ यदि शुरू में आये | (64) --.-. |
| (65) | (।) पूर्ण विराम | (65) .-.-.- |
| (66) | (,) अर्द्ध विराम या अल्प विराम | (66) --..-- |
| (67) | ( ) कोष्ठक | (67) -.--.- |
| (68) | ("या") उद्धरण चिह्न | (68) .-..-. |
| (69) | (–) शब्द विराम चिह्न या समस्त चिन्ह | (69) -....- |

## खंड 2

बेतार दूर संचार में कुछ कोड संचार सुविधा के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं । उनमें से प्रमुख कोड अर्थ के समय यहां पर दिये जा रहे हैं । ये "छ" अक्षर से शुरू होते हैं और "छ" कोड कहलाते हैं ।

(1) छोर : प्र.—मेरे (या उनके) प्रसारण की शक्ति कैसी है ?

उ.—आपका (या उनका—) प्रसारण 1–मुश्किल से सुनाई पड़ता है । 2–कमजोर है । 3–संतोष जनक है । 4–अच्छा है । 5–बहुत ही अच्छा है ।

(2) छरौ : प्र.—आपके पास कोई संदेश या वार्ता हैं ।

उ. मेरे पास कोई संदेश या वार्ता नहीं है ।

(3) छाल : प्र. आपके पास कितने संदेश हैं ?

उ. मेरे पास आपके लिए (या उनके —लिए)— संदेश हैं ।

(4) छरक : प्र. मेरे प्रसारण को आप कैसे पढ़ रहे हैं ?

उ. आपका प्रसारण 1–पढ़ा नहीं जा रहा है । 2–कहीं कहीं पढ़ा जा रहा है । 3–मुस्किल से पढ़ा जा रहा है । 4–पढ़ा जा रहा है । 5–पूर्ण रूप से पढ़ा जा रहा है ।

(5) छरत प्र. क्या आप संदेश स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?

उ. मैं संदेश लेने के लिए तैयार हूं । भेजिये ।

(6) छोह प्र. क्या आप संदेश नं.—पाने की स्वीकृति दे रहे हैं ?

उ. मैं आपका संदेश नं. ———पा चुका हूं ।

(7) छउम : तैयार रहिए ।

(8) छयल : आपका प्रसारण मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

(9) छरय : प्र. आप मुझे फिर कब बुलायेंगे ।

उ. मैं आपको (आप लोगों को) —बजे फिर बुलाऊंगा ।

(10) छोए : प्र. क्या मैं दूसरी आवृत्ति ——पर प्रसारण करूं ।

उ. आप दूसरी आण्त्ति ———पर प्रसारण करिये ।

(11) छरै : प्र. क्या किसी प्रसारण में आपको बाधा पहुंच रही है ?

उ. मुझे दूसरे प्रसारण से 1–मुश्किल से बाधा पड़ रही है । 2–कुछ-कुछ बाधा पड़ रही है । 3–बाधा पड़ रही है । 4–ज्यादा बाधा पड़ रही है । 5–बहुत ज्यादा बाधा पड़ रही है ।

(12) छरी : प्र. क्या आपको सुनने में वायुमंडलीय बाधा पड़ रही है ?

उ. मुझे सुनने में वायुमंडलीय बाधा पड़ रही है ।

(13) छोग : प्र. क्या आप सीधे (या उनके .... जरिये) संदेश भेज सकते हैं ?

उ. मैं सीधे (या उनके .... जरिये) संदेश भेज सकता हूं ।

(14) छरग : प्र. क्या मैं प्रसारण की शक्ति बढ़ाऊं ?

उ. : आप प्रसारण की शक्ति बढ़ाइये ।

प्राथमिकता के तीन कोड "ग" अक्षर से शुरू होते हैं और "ग" कोड कहलाते हैं । ये अर्थ के साथ नीचे दिये जा रहे हैं ।

(1) गं : इसका प्रयोग 'अतिशीघ्र' के लिए होता है। यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है तथा अत्यंत नाजुक परिस्थिति में यह प्राथमिकता दी जाती है। इस प्राथमिकता में संदेश बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। इस प्राथमिकता वाले संदेश को बेतार - केन्द्र के कर्मचारी तुरंत निर्दिष्ट बेतार-केन्द्र को प्रसारित करते हैं तथा दूसरे तरफ के बेतार -केन्द्र के कर्मचारी तुरन्त संदेश पढ़ने के बाद पाने वाले अधिकारी के पास भेज देते हैं। इसमें समय का ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे दिन हो चाहे रात। कार्यालय हो या निवास स्थान।

(2) गौ : इसका प्रयोग 'बहुत शीघ्र' के लिए होता है। यह "गं" के बाद दूसरी प्राथमिकता है तथा बहुत आवश्यक परिस्थितियों में यह प्राथमिकता दी जाती हैं। इसमें निर्दिष्ट बेतार -केन्द्र का कर्मचारी पाने वाले अधिकारी की, यदि वह निवास स्थान पर है और रात का समय है तो भेजने से पहले टेलिफोन पर अनुमति लेता हैं।

(3) गाय : इसका प्रयोग 'शीघ्र' के लिए होता है। इसमें पाने वाले अधिकारी से निर्दिष्ट बेतार-केन्द्र का कर्मचारी कार्यालय के समय के - बाद भेजने से पहले अनुमति लेता है। यह "गौ" के बाद की प्राथमिकता है तथा आवश्यक परिस्थितियों में यह प्राथमिकता दी जाती है।

खण्ड —3

बेतार दूर संचार में संदेश को ले ने, भेजने तथा बनाने का एक निश्चित तरीका है। नीचे उसका प्रारूप दिया जा रहा है।

संदेश का प्रारूप

बेतार–केन्द्र का नाम ..... रजिस्टर नं.....

| | बुलाने का संकेत | प्राथमिकता | प्रसारण निर्देश | क्रम संख्या (कस) | शब्द या समूह की संख्या (शस) |
|---|---|---|---|---|---|
| आने वाला | | | | | |
| जाने वाला | | | | | |

इस रेखा के ऊपर का भाग केवल बेतार-केन्द्र के कर्मचारियों के लिए

से :

को :

सूच :

| संदेश बनाने वाले का का नं. | दिनांक | संदर्भ, जिसका उत्तर दिया जा रहा है | दिनांक |
|---|---|---|---|
| | | | |

(मुख्य संदेश)

| प्राथमिकता | संदेश बनाने का समय | संदेश बनाने वाले का हस्ताक्षर में तथा पद | बेतार-केन्द्र संदेश देने का समय (संदेश) |
|---|---|---|---|
| | | | |

इस रेखा के नीचे का भाग केवल बेतार-केन्द्र के कर्मचारियों के लिए

| संदेश जब पढा | समय | दिनांक | संदेश जब प्रसारित किया | समय | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

संदेश पढ़ने वाले का नाम — संदेश प्रसारित करने वाले का नाम

555/III, बालकराम हस्पताल के पास
तिमारपुर, दिल्ली-110007

# तेलुगु की राष्ट्रीय कविता

□आ. एस. सूरप्पडु

राष्ट्र को एक इकाई मानकर जो कविता लिखी जाती है, वह राष्ट्रीय कविता है। राष्ट्रीय कविता का आधार राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना है। प्रचलित अर्थ में यह राष्ट्रीय भावना आधुनिक युग की देन तथा साहित्य की एक प्रमुख तथा विकासशील प्रवृत्ति है। कुछ विचारक इस प्रवृत्ति का विकासक्रम यद्यपि मुस्लिम आक्रमण और उसके प्रति भारतीय प्रतिक्रिया मानते है परंतु उस युग के हिन्दू राजाओं ने मुस्लमानों से जो युद्ध किए उनमें राष्ट्रीय उद्देश्य निहित था—ऐसा प्रायः सिद्ध नहीं होता।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय भावना का प्रश्न है—भारत के अन्य क्षेत्रों की भांति यहां भी राष्ट्रीय भावना का विकास अंग्रेजों की दासता में ही हुआ। मुख्यतः इस भावना का संबंध स्वतंत्रता की भावना से है। इसलिए राष्ट्रीयता का विकास स्वतंत्र आदोलन के साथ होता गया और स्वतंत्रता आन्दोलन के सभी पहलुओं पर लिखी गई कविता राष्ट्रीयता कविता के अंतर्गत मानी गई।

राष्ट्रीय भावना से प्रेरित आन्ध्र के जिन कवियों ने कविता की, उनमें प्रमुख ये हैं—चिलकमर्ति, वीरेशलिंगम्, चेन्नाप्रगड़, गरिमेल्ला, त्रिपुरनेनि मंगिमूडि, कविकोंडल, दूर्भाक, गड़ियारम्, तिरुपति वेंकट कवुलु, जाषुवा, विश्वनाथ, दुव्वूरि, गुरूजाड़, रायप्रोलु और तुम्मल आदि। निम्न शीषकों के अंतर्गत तेलुगु की राष्ट्रीय कविता के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है।

### राजभक्ति बनाम राष्ट्रीयता

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के मध्यकाल का अंत करके उसे आधुनिक युग में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अंग्रेज और अंग्रेजी सभ्यता को है। जब अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित हो गया तब भारतीय जनता एक सीमा तक अंग्रेजी शासन से प्रभावित हुई। इसका कारण यह हो सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् भारतीय शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी। एक प्रकार से सामान्य जनता अराजकता से संत्रस्त थी। इन्हीं परिस्थितियों में उसने अंग्रेजों की सुव्यवस्था का स्वागत किया। इसी संदर्भ में तेलुगु कवि ने राजभक्ति संबंधी काव्य लिखे। ये कवि अंग्रेज राज्य व्यवस्था को वरदान मानकर ही चलते थे। वीरेशलिंगम् के काव्य में अंग्रेजी सुव्यवस्था की कृतज्ञता स्वीकृतिपूर्वक मिलती है। एक ओर वे शामिल की सुव्यवस्था से प्रभावित मिलते हैं और दूसरी ओर वैज्ञानिक विकास और रेल तार आदि की सुविधाओं को पाकर भारत को कृत-कृत्य मानते हैं:—

"ईकुटुंबिनि राज्यमेलुचु नुन्नट्टि पंचाशुशुदत्तामाब्दमुल लोन

* * *

धूम शकट बलंबुन दूर देश यात्रा लत्यल्प काल साध्यंबु लप्यें।

रेल, तार, डाक तथा शिक्षा संस्थाएं आदि विकोटोरिया की सेवाओं की याद करते हुए तिरुपति वेंकट कवि द्वय ने भी उनकी मृत्यू पर शोक प्रकट किया—

तेललेगु भूमि रोजुन केगुगति धूम शकटंबु लेना संभाविंचे नटिट् यंप्रेसु विक्टोरियाम तल्लि मरण वार्तकु कडुपुलु चेरुवु गावे।

इस प्रकार जहां राज्य की सुव्यवस्था के प्रति प्रशंसा के गीत गाए गए वहां कवि की देश भक्ति शासन से कुछ अनुकूल मांगें भी करने लगी। जब भारतीय जनता की मांग सुनने वाले कान बहरे हो गए और उनकी मांगों के प्रति अंग्रेजी नीति उदार नहीं रही और उसे देश-द्रोह कहा जाने लगा तब कवि की आंखें भी खुलीं। उसने यह अनुभव किया कि जिस अंग्रेज ने आधुनिकता, नवीन शिक्षा विज्ञान के नवीन आविष्कार और नयी समाज-दृष्टि दी है, वह देश का शोषण और देश की स्वतंत्रता का अपहरण भी कर रहा था। उसे अंग्रेजी नीति में स्वेच्छाचारिता दिखाई पड़ने लगी। यहीं से राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय चेतना कवियों में जागृत होती हैं और विशुद्ध राष्ट्रीय कविताधारा प्रवाहित होती है।

### अंग्रेजी : आर्थिक शोषण

मध्यकालीन अर्थ व्यवस्था सामंतवादी था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात् भारत में पहली बार औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के पश्चात् भारत में पहली बार औद्योगिक

अर्थ व्यवस्था की स्थापना हुई। वाणिज्य-व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। भारतीय घरेलू उद्योग और धंधे लगभग हो चले। कृषकों पर जमींदार का नौकरशाही का शोषणचक्र चल रहा था। इस के साथ भारतीय जनता पर टैक्सों का भार लादा जा रहा था। कमर तोड़ देने वाली इस भयंकर कर-व्यवस्था के सम्बन्ध में चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिंहम का आक्रोश देखिए—

नेल दुन्नुद मन्न जाल तरमु पन्नु, नीरु कावेलनन्न नीटिपन्नु
* * * *

उन्न मट्टुक तिनकुंड तुप्पु पन्नु ननेडु पन्नल दिगदीचे जनुल नेल्लु ॥

कर की व्यवस्था इतनी अंधी थी कि कर लगाने से पहले यह नहीं देखा जाता कि फसल कम हुई या ज्यादा—

पंटुलु तक्कुव पन्नुलु एक्कुव कंटिकि द्रव्यं करवैपोयेनु।

कर के द्वारा ही नहीं अन्य सभी संभव तरीकों से अंग्रेज भारतीय जनता का शोषण कर रहा था। कवि चिलकमर्ति ने एक सुंदर रूपक के द्वारा आर्थिक शोषण को बिंबित किया है:—

भरत भूमि यह कामधेनु है, हिन्दू-बछड़ों को दुःख से भर।
श्वेत जाति के ग्वाल काल ये दुहते मुंह बांधे कस देकर॥

इस आर्थिक शोषण के फलस्वरूप देश निर्धन होता गया। अनेक वर्ग भुखमरी के शिकार हो गए। इस आर्थिक दुरवस्था, भुखमरी और उद्यमहीनता के यथार्थ चित्रण के द्वारा कवि अंग्रेज राज्य के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करना चाहता था।

आर्थिक शोषण ही नहीं तेलुगु कवि विचारों की अभिव्यक्ति संबंधी परतंत्रता के ऊपर भी खेद प्रकट करता है। राष्ट्रकवि गरिमल्ल सत्यानारायण ने ब्रिटिश सरकार के उस सिपाही के बारे में कहा है जो धारा 144 लगा कर लोगों को न बोलने देता है और न गाने देता है। सिर से टोपी निकाल कर उनकी पीठों पर प्रहार करने लगता है—

नूट नलुबदि नाल्गु नोटिकि तगिलिंचि
माटलाड वद्दंटाडु ममु पाट पाडं वद्दटाडु
टोपी तीसि वीपुन बादुताडु।

### अंग्रेज: भारतीयों के साथ भेद-दृष्टि

धीरे-धीरे भारत और ब्रिटेन के बीच मेल और समन्वय की भावना समाप्त हो गयी और अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए "फूट डालो और राज्य करो" की नीति को अपनाया। इस नीति को भारतीय जनता समझ भी गयी। मोक्कापाटि श्रीरामशास्त्री ने इस नीति का स्पष्टीकरण इन पंक्तियों में किया—

चीलिंचि पालिंचे तेल्लोल्लू, चिक्कु कलिगिंचारु मनलोना॥

इसी प्रकार प्रकार यनमंड्र कृष्णाराव ने भी अंग्रेजों की विभाजन नीति के प्रति अपना असंतोष किया है—

सीमतुंडि वच्चिनारु तेल्लवारू, वर्तकमंचु चेप्पिनारु-तेल्लवारू
तगादालु पेट्टिनारु, तेल्लवारू, कलियकुंड जेसिनारू—तेल्लवारू॥

### भारतीय: अंग्रेजों के बहिष्कार की ओर

जिस मानसिक अलगाव, भेद-दृष्टि, पक्षपात, भारतीयों, की उपेक्षा और भारतीयों के प्रति घृणा की भावना से ब्रिटिश मानस परिचालित था उसने नवसंस्कृत और प्रबुद्ध भारतीय मानस में प्रखर प्रतिक्रिया उत्पन्न की। "स्वागत" का स्थान "बहिष्कार" ने लिया। जब प्रिन्स आफ वेल्स ने भारत की यात्रा की तब राष्ट्रकवि मोक्कपाटि श्रीरामशास्त्री ने उनसे वापस जाने के लिए कहा है—

हे युवराज। जाओ जाओ वापस जाओ।
हम को गुलाम बनाकर—
अच्छा-अच्छा कहने आए।

जहां उपर्युक्त पंक्तियों में अंग्रेजी शासन के प्रतीक "युवराज" की भारत यात्रा का बहिष्कार किया गया है वहां गरिमल्ल सत्यान्नारायण समूची अंग्रेजी जाति के बहिष्कार की बात कहते हैं—

नहीं चाहिए शासन हमको श्वेत जाति का
प्राण तथा मान छुपकर हरण करनेवाली॥

### राष्ट्रीय एकता

भारत बहुत से धर्मों, जातियों और भाषाओं का देश है। इन सबको एकता के सूत्र में बांधकर ही राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति करनी थी। इसलिए राष्ट्र कवि जातीय विभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय कार्य-क्रम में भाग लेने तथा राष्ट्रीय एकता के यज्ञ में आहूतियां देने का संदेश देता है। चेन्ना-प्रगड़ भानुमूर्ति ने भारत में फूट डालने वाली अंग्रेजों की कूटनीति की चर्चा करते हुए कहा कि यदि हम सब एक हो जाएं तो भारतमाता रूपी कामधेनु का शोषण अंग्रेज नहीं कर सकते—

दुड्डु दनमुन तीरदी गुड्डुदनमु। कान तावुलु पोट्टुलु कार्यं मनक
लेग लन्निटि नेकमौं लागोनर्चि।
नेर्पुतो तल्लि एगजेप नेर्ववलयु।

आगे मंगिपूडि पुरुषोतम शर्मा ने स्वराज्य देवता के मंदिर की कल्पना करते हुए लिखा है कि समस्त भारतवासी अपने सभी भेदभावों को भूलकर इस मंदिर में आए हैं और अब तक की फूट के लिए क्षमाप्रार्थी है:—

हिन्दु-मुसलमानुलंदरमू वच्चामु।

बौद्ध-सिक्खुलेक भावुलै वच्चामु।

फारसी क्रैस्तवुलु परुगुना वच्चानमु॥ ब्रह्मण पंचमुलु कलिसोंच्चामु बलिसि माभेद भावालु मंट कलिपेशामु। मम्मु मन्निपं वम्मा, मातल्ली॥

इस प्रकार तेलुगु कवि राष्ट्रीय उद्देश्य और उसकी सफलता के लिए जातीय एकता के महत्व को मानते थे। गांधीजी के "एकता अभियान" से ये अत्यंत प्रभावित थे। इसलिए पूरी शक्ति के साथ इन्होंने एकता के लिए आवाज उठाई।

**आंदोलन और काव्य : जननि जन्मभूमि**

राष्ट्रीयता का निषेधात्मक पक्ष उन शक्तियों के विरोध और बहिष्कार से संबंधित होता है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता समृद्धि और शांति का अपहरण करती हैं, साथ ही राष्ट्रीयता का दूसरा पक्ष अपने देश के प्रति प्रेमोद्रेक से संबंधित होता है। राष्ट्र के प्रति हमारा उत्कट प्रेम आंदोलन को बल प्रदान करता है। इसलिए राष्ट्रीय कवि देशप्रेम की भावनाओं को जगाने का प्रत्यन्न करता है। इस प्रेम का आलंबन स्वदेश है। स्वदेश एक ओर ऐतिहासिक गौरव को लिए हुए था दूसरी ओर अपने प्राकृतिक सौंदर्य से मंडित। कवि आलबंन के इन दोनों पक्षों को लेकर चलता है। भारत की नदियों, वन, भूमि और पर्वत श्रृंखलाओं के सौंदर्य पर मुग्ध होकर राष्ट्र कवि अगिनम पूडि सुबाराव भारत स्तवन की रचना करता है—

नवरत्नामयि दरी नैज संयुक्त मिनकाचलादि भूमिधर मुलु
*  *  *  *

ललित भक्तिनि सविनायांजलि घटितु भव्य सदगुण निकुंबु भारतांबा।

कविवर जाषुवा ने भारत भूमि का मानवीकरण करके उसे प्रकृति सेवित कहा है। गंगा भारत माता को स्नान कराती है। हिम-हिमाच्छादित शैल-श्रेणियां भारत माता की वेणी की मल्लिका माला है। सिंहल देश भारत माता की स्वर्ण पेटिका है। हिन्द महासागर ही रुप शृंगार के लिए दर्पण है। सभी दिशाएं भारत माता के सामने याचना करती हुई प्रतीत होती है—

जलकंबुलाडिचु चेलिकत्ते कदनीकु गनकांबजाड्य गंगाभवानी
*  *  *

ऐक्य मत्यंब गलिगि निन्ननुभविंचु कोरत पुरिंपवे माकु भरत माता।

भारत का अतीत दिव्य विभूतियों से आलोकित भी है। कवि अतीतोन्मुख होकर, स्वदेश को दिव्य विभूतियों के संदर्भ में रखकर भी उत्कर्ष प्रदान करता है। रायप्रोलु सुब्बाराव ने "जन्मभूमि" नामक कविता में इन्हीं विभूतियों को ओर जातिवाचक संज्ञा की शैली में संकेत किया है:—

ऋषियों के पावन तपधन से। धरणीशों के शौर्यहार से
*  *  *

सौंदर्यमयी साहित्य विभव से हे पुत्र ?
तुम्हारा पुण्य देश नित शोभित।

राष्ट्र प्रेम से प्रेरित कवि "भारत भूमि को माता का प्रतीकत्व प्रदान करता है। कारण इसका यह है कि माता के प्रति हमारी भावनाएं अधिक नैसर्गिक और सशक्त होती हैं। "बन्दे मातरम्" में इस प्रतीक को चरम परिणति मिली है। कोडपल्लि जन्नानाथ दास के "स्वराज्य गीत" में वंदेमातरम् का ओजस्वी स्वर स्वदेशी संदर्भ के साथ ध्वनित है :—

हिन्दुवुलारा वंदेमातरमनंडि, मातृभूमिनि मारुवक अनयमु देशीय वृत्तुल नादरिंचुचु-मीरलंदरु, धनमुग स्वदेशी वस्तुवुलनु ग्रहिंचुचु वेंडुडुकं लोत-वंदे

**सर्वश्रेष्ठता**

प्राकृतिक सौंदर्य से मंडित विभिन्न विभूतियों के जन्म स्थान भारत को कवियों ने सर्वश्रेष्ठ भी घोषित किया है। इस प्रकार की उक्तियों का समर्थन भूगोल तथा इतिहास से तो होता ही है। कवियों की भावनाएं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। रायप्रोल सुब्बाराव का कहना है:—

बढ़ेगी जहां तक सूर्य की रश्मियां।
नाचेगी जहां तक नावों की झंडियां।
वहां तक जो पृथ्वी फैली हुई है
उसमें भारत सी प्यारी भूमि नहीं है।

कवि आगे कहता है कि जिस देश में वेदों का ज्ञान प्रवाहित हुआ हो और जहां आदि काव्य की रचना हुई हो उसे देश की समता कौन देश कर सकता है—

वेदशाखलु वेलसे निच्चट। आदि काव्यंबलरे निच्चट

देशवासियों को इस भूमि के प्रति भक्ति भावना रखनी चाहिए।

किसी भी देश में जा कहीं भी कदम रख
ऐसे धीर वीर अत्यत्र नहीं है रे भाई॥

कवि कोंडल ने भी निष्कंप वाणी में कहा कि सब देशों में हमारा देश ही श्रेष्ठ है—

चेप्पन्न देशाल नौप्पैन देशंबु नातल्ले देशंबेगा।

**अपनत्व की भावना**

जब देश परतंत्र हो जाता है और शासक वर्ग महिमान्वित दिखलाई पड़ता है तब एक राष्ट्रव्यापी हीनता ग्रन्थि जन्म लेती है। परतंत्र, पीडित दमित कुंठित, तिरस्कृत और शोषित जनता हीनता के कारण अपनी पहिचान को खो देती है। साथ ही उन्हें अपनी वस्तुएं हीन प्रतीत होने लगती हैं। उन्हें अपनेपन से प्रेम नहीं रह जाता। जब राष्ट्रीय जागरण के लिए कवि उद्घोष करता है तो वह अपनेपन के प्रेम को भी जागृत करता है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति विश्वास और प्रेम को जगाना राष्ट्रीय कवि का प्रमुख कार्य हो जाता है। यही भावना राजनीति के क्षेत्र में स्वदेशी आन्दोलन का रुप ग्रहण करती है। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी प्रेम राष्ट्रीय कवियों की वाणी में फूट पड़ता है। राय प्रोलु सुब्बाराव का राष्ट्रीय ममत्व निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं:—

मेरी जाति मेरा देश मेरी भाषा मेरा वेश।

स्वदेश प्रेम केवल भवात्मक आधार ही नहीं रखता, आर्थिक दृष्टि से भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम महत्वपूर्ण होता है। स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करना एक ओर तो अपने देशी उद्योगों को प्रोत्साहित करता है और दूसरी ओर विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाकर अपने देश की अर्थ व्यवस्था की रक्षा करता है। बसवराजु अप्पाराव ने उन वर्गों पर करुण व्यंगय किया है जो विदेशों में बनी हुई कीमती वस्तुओं का प्रयोग कर अपने को बड़ा मानते हैं और यह नहीं सोचते कि इससे देश निर्धन होता जा रहा है। ऐसे लोगो को लज्जा आनी चाहिए जो देश की भूली जनता को अनदेखी करते विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं—

सिग्गुलेदा नीकु शरमुंलेदा अन्नमैना लेक बीद लल्लाडु-तुंटेनु
सोताकोक चिलुकलाग सीम गुड्ड कट्टि तिरुग ।

प्रमुख राष्ट्र कवि गुरुजालु अप्पाराव ने केवल स्वदेशी को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की ही बात नहीं कही, इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को विदेशी बाजारों में जाकर व्यापार करने की भी कही है—

सब कलाएं जान लो रे। चीज देशी मान लो रे।
सभी देशों में चलो रे। वस्तु देशी बेच लो रे ।

स्वदेशी का यह स्वर देशव्यापी होता गया और गांधीजी के नेतृत्व में इस प्रवृत्ति के स्वदेशी आंदोलन का रूप ग्रहण किया। इसका प्रतीक "खादी" है। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखे के महत्व तथा खादी के प्रचलन पर गांधीजी ने अधिक बल दिया। इस प्रकार "खादी" ने आंदोलन का रूप ग्रहण करके ब्रिटेन की मिलों को हिला दिया। गुल्लापल्लि नारायण मूर्ति ने खादी के इसी राष्ट्रीय और आर्थिक प्रतीकत्व को स्पष्ट किया:—

खादि यनगनेमि ? कद्दरा ?
कादु, संकट प्रभुत्व विधान खादि गानि खादि यनग
नेमि ? कद्दराम ?
कादु, निष्कारण परदास्थ खादि गानि ॥

"चरखा" तो राष्ट्रीय प्रतीक बनकर राष्ट्र ध्वज पर सुशोभित हो गया। अनेक कवियों ने खादी गीत की भांति "चरखा" गीतों की रचना भी की है। इस चरखे ने लंकाशायर के मिलों को चुनौती दी।" "चरखे" का मानवीकरण करते हुए कवि कोंडल ने उसको इस प्रकार से संबोधित किया कि—हे चरखा। तुम देश तथा समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए निरंतर सूत कातते रहो—

ओ चिन्न राट्नमा ? ओय्यारि राट्नमा ।
ओप्पेनु राट्नमा वंडि वंडि वडकु ।

दुव्वूरि रामिरेड्डी ने चरखे के द्वारा देश के स्वरूप में परिवर्तन की बात कही है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की विजय चरखे में ही निहित है—

तिप्पवे राट्नम देश चरितंबु ।
विप्पवे राटनमा विजय केतनमु ।

तुम्मल सीताराममूर्ति का कहना है कि यदि तकली और मथनी चलती रहे तो अकाल का संकट समाप्त हो जाता है ।

कदुरु गलचोटु, कव्वंबु कदलु चोटु करुवुलकु धूम केतु ।

**उद्बोधन**

जहां कवियों ने अपना असंतोष और क्रांति भावना को प्रकट किया, वहां भारत की सोई हुई जनता को जगाने के लिए उद्बोधन का स्वर भी ऊंचा किया। एक उद्बोधन गीत "मेलुकोलुपु (जागृति) में गरिमल्ल सत्यनारायण ने जनता की प्रभात पर्यन्त निद्रा पर खेद प्रकट किया और कहा कि इस निद्रा में भारतीय जनता ने सब कुछ खो दिया। उसने अपनी गांठ की सारी संपत्ति को गंवा दिया—

तेल्लवारेदाक दीर्घ निद्रनुपोंदि इल्लु दोंगलुकिच्चनावु नी मुल्लें
मूटयु गोल्पडडावु ।

देश के द्वारा उद्बोधन का स्वर और अधिक प्रेरक और उत्तेजक बन जाता है—

मेलुकोनुमी भरतपुत्रुड मेलुकोनुमी सुजन पुत्रड़
कूडि वंदे मातरम्मुनु कुक्टुटमु लरचेन् ।

**बलिदान की भावना**

शक्तिशाली शासक राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिये तत्पर होता है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय कवि राष्ट्रीय पक्ष को बलिष्ठ और विजयी बनाने के लिये देशवासियों में त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करता है। चन्द्रमौलि चिदंबर राव बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि देश को स्वतन्त्र करने के लिये देशवासियों को अपनी सुख सुविधा, अपने धन और प्राणों का बलिदान देना ही होगा —

एंदरेंदरो प्राणमंदपेक्षणु वीडि शूरत्वमनयंबु जूपकुन्न।
एंदरेंदरों धनमंदाकांक्षनुवीडि धनमु देशमुनकै यनुपकुन्न
बानिसत्वं, नैच्यंबु, परिभवंबु, पारतंत्रयंबु पोवुने प्राझुलारा।

वेजंड्ल वेंकट सुब्बया ने किसान और मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा है जो अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष नहीं करता राष्ट्र में उसकी प्रशंसा नहीं होती। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष अपरिहार्य होता है और संघर्ष में बलिदान आवश्यक है—

स्वातन्त्रय युद्धमु चेयनिलारिनि जाति मेच्चदनि चेप्पंडि।

अय्यपु वेंकट कृष्णय्या ने एक स्वतन्त्र सेनानी के संकल्प को कविता में दुहराया है। सेनानी कहता है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए और साम्राज्यवादी शक्तियों के विनाश के लिए अपना प्राणोत्सर्ग भी कर दूंगा—

"नाजाति कोसमै, नाहक्कु कोसमै ।
प्राणान्नि तृणमुगा फणमुपेट्टेस्तानु ।

इसी प्रकार काशी विश्वनाथम् ने स्वतन्त्रता सेनानियों की बलिदान भावना को अपनी 'मार्चिंग सांग' नामक कविता में वाणी दी—

जाति झंडा नेत्तुदाम् जयमुगांचि तीरु दाम्
स्वेच्छकोरकु प्राणमैन बलियोसंगि तीरु दाम ।।"

इस प्रकार बलिदान की भावना को विभिन्न कवियों ने विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है ।

**राष्ट्रीय वीरों की गाथा**

राष्ट्रीय सेनानियों को प्रेरित करने के लिए जहां भारतीय अतीत को मूर्तमान किया गया वहां हमारी राष्ट्रीयता से संबन्धित वीरों की गाथाओं का भी प्रणयन हुआ। दूर्भाक राजशेखर शतावधानि का "राणाप्रताप चरित्रमु" गडियारमु वेंकटशास्त्री का "श्री शिव भारतमु" इस क्षेत्र के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इनके अतिरिक्त विश्वनाथ सत्यनारायण की "झांसी रानी", एट्टकूरिनरसय्या की "वीरभारतमु" तथा जाषुवा की "नेताजी" आदि रचनाएं भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं । आन्ध्र क्षेत्र के एक और वीर सेनानी की ओर संकेत कर देना आवश्यक है। यह वीर है—"आंध्रश्री अल्लूरि सीतारामराजु" । इस राष्ट्रीय वीर ने वन्य जातियों को संगठित करके अंग्रेजों से सशस्त्र युद्ध किया । इस प्रकार का वीर भारत के अन्य किसी क्षेत्र में नहीं हुआ । इनके संबंध में भी अनेक रचनाएं निकलीं ।

**शिल्पगत विशेषताएं**

जहां तक तेलुगू राष्ट्रीय कविता के अभिव्यंजना पक्ष का प्रश्न है—यहां अभिव्यंजना का माध्यम लोकगीत ही अधिक रहे, क्योंकि राष्ट्रीय कविता, क्रांति और आंदोलनों की कविता है और क्रांति की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लोकगीत ही उपयुक्त हैं। काव्य रूपों में मुक्तक ही युग चेतना के वाहक रहे । केवल दो ही प्रबंध काव्य इस दृष्टि से लिखे गये : "राणा—प्रतापसिंह चरित्रमु" और "श्री शिव भारतमु" ।

इतना निश्चित है कि कवि राष्ट्रीय भावों में निमग्न साहित्य शैली और शिल्प की बारीकियों की चिंता नहीं करता । अभिधाशक्ति की ही विभिन्न छवियों को उभार दिया जाता है । जहां तक शैली का प्रश्न है—राष्ट्रीय कविता में व्यंगात्मक शैली का प्रयोग मिलता है किन्तु यह व्यंग्य शैली भी निगूढ़ न होकर मुखर है। शब्द योजना इस प्रकार की है कि क्रांति की झङ्कार शब्दों की आत्मा से स्पष्ट होती है। राष्ट्रीय आदर्शों और मूल्यों को प्रकट करने वाले अतीतोन्मुख प्रबंधकाव्यों में तत्समता अधिक है। जबकि मुक्तकों में तद्भव और देशी शब्दों का ही प्रयोग मिलता है। तेलुगु की राष्ट्रीय कविता शिल्प-शैली की दृष्टि से शिथिल ही दीखती है क्योंकि कवि की दृष्टि राष्ट्रीय भावना के प्रचार पर अधिक रहती है, शिल्प की बारीकियों पर नहीं। किन्तु चाहे शैली और शिल्प कुछ दुर्बल हो, पर उसमें राष्ट्रीय भावना का सौंदर्य उसकी दुर्बलता को छिपा देता है ।

—प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेर—530 003

# पुरानी यादें---नए परिप्रेक्ष्य में

## सुभाष चन्द्र बोस और हिन्दी

**[20 दिसम्बर, 1928 को कलकत्ता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ था। सभापति थे महात्मा गांधी और स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे सुभाष बाबू। उनका स्वागत भाषण "विशाल भारत" के दिसम्बर 1929 के अंक में छापा था। उसका शीर्षक "बंगाल और राष्ट्रभाषा भी वही था जो सुभाष बाबू के छपे भाषण का शीर्षक था।]**

हिन्दी प्रेमियो,

बड़ी खुशी के साथ इस नगर में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। जो सज्जन कलकत्ते से वाकिफ हैं, उनको यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि कलकत्ते में पांच लाख हिन्दी भाषा-भाषी रहते हैं। शायद हिन्दुस्तान के किसी भी प्रांत में---जो प्रांत हिन्दी वालों के घर हैं, उनमें भी---कहीं इतने हिन्दुस्तानी ज़बान बोलने वाले नहीं पाए जाते। साहित्य की दृष्टि से भी कलकत्ते का स्थान हिन्दी के इतिहास में बहुत ऊंचा है। मैं हिन्दी भाषा का पंडित नहीं हूं--बड़े खेद के साथ यह बात भी मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं शुद्ध हिन्दी बोल भी नहीं सकता, इसलिए आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास के विषय में कुछ कहूं। अपने मित्रों से मैंने सुना है कि आजकल के हिन्दी गद्य का जन्म कलकत्ते में ही हुआ था। लल्लू लालजी ने अपना 'प्रेमसागर' इसी नगर में बैठकर बनाया और सदल मिश्र ने 'चन्द्रावली' की रचना यहीं पर की; और यही दोनों सज्जन हिन्दी गद्य के आचार्य माने जाते हैं। हिन्दी का सबसे पहला प्रेस कलकत्ते में ही बना और सबसे पहला अखबार 'बिहार बन्धु' यहीं से निकला। इसलिए हिन्दी सम्पादन कला के इतिहास में कलकत्ते का स्थान बहुत ऊंचा है। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय ने ही हिन्दी को एम०ए० में स्थान दिया। आजकल भी हिन्दी के लिए जो काम कलकत्ते में हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, कलकत्ता उनके लिए घर-जैसा ही है। कम-से-कम वे तो हमारी स्वागत की त्रुटियों या अभाव के लिए हमें क्षमा कर ही देंगे।

सबसे पहले मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। कितने ही सज्जनों का ख़याल है कि बंगाली लोग या तो हिन्दी के विरोधी होते हैं या उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। बेपढ़े लोगों में ही नहीं, बल्कि सुशिक्षित सज्जनों के मन में भी इस प्रकार की आशंका पाई जाती है। यह बात भ्रमपूर्ण है और इसका खण्डन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

मैं व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहता, पर इतना तो अवश्य कहूंगा कि हिन्दी साहित्य के लिए जितना कार्य बंगालियों ने किया है, उतना हिन्दी-भाषी प्रांतों को छोड़कर और किसी प्रांत के निवासियों ने शायद ही किया हो। यहां मैं हिन्दी प्रचार की बात नहीं कहता। उसके लिए स्वामी दयानन्द ने जो कुछ किया और महात्मा गांधी जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं, पर हिन्दी साहित्य की दृष्टि से कहता हूँ।

बिहार में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के लिए स्वर्गीय भूदेव मुकर्जी ने जो महान उद्योग किया था, क्या उसे हिन्दी भाषा-भाषी भूल सकते हैं? और पंजाब में स्वर्गीय नवीनचन्द्र राय ने हिन्दी के लिए जो प्रयत्न किया, क्या वह कभी भुलाया जा सकता है? मैंने सुना है कि यह काम इन दोनों बंगालियों ने सन् 1880 के लगभग ऐसे समय में किया था, जबकि बिहार और पंजाब के हिन्दी भाषा-भाषी या तो हिन्दी के महत्व को समझते ही न थे, अथवा उसके विरोधी थे। ये लोग उत्तरी भारत में हिन्दी-आन्दोलन के पथ-प्रदर्शक कहे जा सकते हैं।

संयुक्त प्रांत में इण्डियन प्रेस के स्वामी स्वर्गीय चिन्तामणि घोष ने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका 'सरस्वती' द्वारा और पचासों हिन्दी ग्रंथों को छपाकर हिन्दी साहित्य की जितनी सेवा की है, उतनी सेवा हिन्दी भाषा-भाषी किसी प्रकाशक ने शायद ही की होगी। जस्टिस शारदाचरण मित्र ने एक लिपि विस्तार परिषद् को जन्म देकर और 'देवनागर' पत्र निकालकर हिन्दी के लिए प्रशंसनीय कार्य किया था। 'हितवार्ता' के स्वामी एक बंगाली सज्जन ही थे और 'हिन्दी बंगवासी' अब भी इसी प्रांत के एक निवासी द्वारा निकाला जा रहा है। आजकल भी हम लोग थोड़ी-बहुत सेवा हिन्दी साहित्य की कर ही रहे हैं। कौन ऐसा कृतघ्न होगा, जो श्री अमृतलालजी चक्रवर्ती को, जो 45 वर्ष से हिन्दी पत्र सम्पादन का कार्य कर रहे हैं, हिन्दी सेवा को भूल जावे। श्री नगेन्द्रनाथ बसु लगभग 15 वर्ष से हिन्दी विश्वकोष द्वारा हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। श्री रामानन्द चटर्जी 'विशाल भारत' द्वारा हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। हमारी भाषा के जिन पचासों ग्रंथों का अनुवाद हिन्दी में हुआ है और इनसे हिन्दी भाषा-भाषियों के ज्ञान में वृद्धि हुई है, उसकी बात मैं यहां नहीं कहूंगा।

मैं शेखी नहीं भरता, व्यर्थ अभिमान नहीं करता, पर मैं नम्रतापूर्वक इतना पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब जानते हुए भी कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि हम लोग हिन्दी

के विरोधी हैं ? मैं इस बात को मानता हूं कि बंगाली लोग अपनी मातृभाषा से अत्यन्त प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध नहीं है। शायदहममें से कुछ ऐसे आदमी भी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दी वाले हमारी मातृभाषा बंगाली को छुड़ाकर उसके स्थान में हिन्दी रखवाना चाहते हैं। यह भी भ्रम निराधार है। हिन्दी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है, वह आगे चलकर हिन्दी से लिया जाए। अपनी माता से भी अधिक प्यारी मातृभाषा बंगला को तो हम कदापि नहीं छोड़ सकते। भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों के भाइयों से बातचीत करने के लिए हिन्दी या हिन्दुस्तानी तो हमको सीखनी ही चाहिए और स्वाधीन भारत के नवयुवकों को हिन्दी के अतिरिक्त जर्मन, फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाओं में से एक-दो सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दूसरी जातियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिपि का झगड़ा मैं नहीं उठाना चाहता। महात्माजी की इस बात से मैं सहमत हूं कि हिन्दी और उर्दू लिपि दोनों का जानना ज़रूरी है। आगे चलकर जो लिपि अधिक उपयुक्त सिद्ध होगी, वही उच्च स्थान पाएगी, उसके लिए अभी से झगड़ा करना व्यर्थ है। सरल हिन्दी और सरल उर्दू दोनों एक ही हैं। वैसे ही हम लोगों में लड़ाई-झगड़ों के लिए कारण मौजूद हैं, नए कारण बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।

महात्मा जी से और आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि हिन्दी प्रचार का जैसा प्रबन्ध आपने मद्रास में किया है, वैसा बंगाल और आसाम में भी करें। स्थायी कार्यालय खोलकर आप लोग बंगाली छात्रों तथा कार्यकर्ताओं को हिन्दी पढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। इस कलकत्ते में कितने ही बंगाली छात्र हिन्दी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, पढ़ाने वाले चाहिएं। बंगाल धनवान प्रांत नहीं है और न यहां के छात्रों के पास इतना पैसा है कि वे शिक्षक रखकर हिन्दी पढ़ सकें। यह कार्य तो अभी आप लोगों को ही करना होगा। अगर कलकत्ते के धनी-मानी हिन्दी भाषा-भाषी सज्जन इधर ध्यान दें तो कलकत्ते में ही नहीं बंगाल तथा आसाम में भी हिन्दी का प्रचार होना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आप बंगाली छात्रों को छात्र-वृत्ति देकर हिन्दी-प्रचारक बना सकते हैं। बोलचाल की भाषा चार-पांच महीने में पढ़ाकर और फिर परीक्षा लेकर आप लोग हिन्दी का कोई प्रमाण-पत्र दे सकते हैं। मेरे जैसे आदमी की भी जिसे समय बहुत कम मिलता है, आप हिन्दी पढ़ाइये और फिर परीक्षा लीजिए। हम लोग जो मजदूर आंदोलनों में काम करते हैं, हिन्दुस्तानी भाषा की जरूरत को हर रोज़ महसूस करते हैं। बिना हिन्दुस्तानी भाषा जाने हम उत्तरी भारत के मजदूरों के दिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप हम सबके लिए हिन्दी पढ़ाने का इंतजाम कर देंगे, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपके योग्य शिष्य होने का भरपूर प्रयत्न करेंगे।

अंत में बंगाल के निवासियों से और खास तौर से यहां के नव-युवकों से मेरा अनुरोध है कि आप हिन्दी पढ़ें, जो लोग अपने पास से शिक्षक रखकर पढ़ सकते हैं, वे वैसा करें। आगे चलकर बंगाल में हिन्दी प्रचार का भार इन्हीं पर पड़ेगा, यद्यपि अभी हिन्दी प्रान्तों से सहायता लेना अनिवार्य है। दस बीस हजार या लाख-दो लाख आदमियों के हिन्दी पढ़ लेने का महत्व केवल पढ़ने वालों की संख्या पर निर्भर नहीं है। यह कार्य बड़ा दूरदर्शितापूर्ण है और इसका परिणाम बहुत दूर आगे चलकर निकलेगा। प्रान्तीय ईर्ष्या-विद्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती।

अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रान्तों की भाषा का पद हिन्दी या हिन्दुस्तानी को ही मिला है। नेहरू-रिपोर्ट में भी इसी की सिफारिश की गई है। यदि हम लोगों ने तन-मन-धन से प्रयत्न किया, तो वह दिन दूर नहीं है, जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी "राष्ट्र-भाषा" होगी 'हिन्दी'।

—स्नेहधारा (हल्दिया) से साभार

**देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्र भाषा पद की अधिकारिणी है।**

**—नेताजी सुभाषचन्द्र बोस**

**हिन्दी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है। हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए।**

**—रवीन्द्रनाथ ठाकुर**

# चित्र–समाचार-I

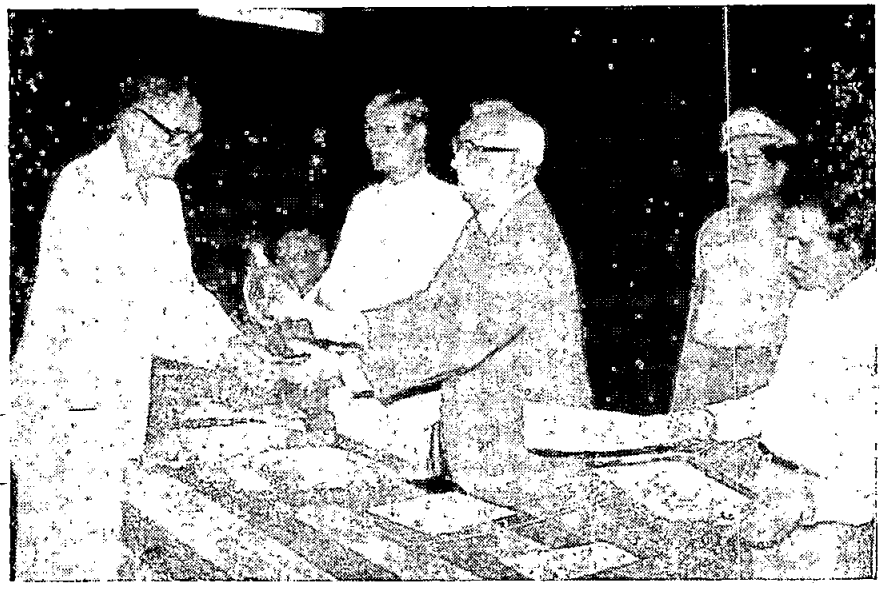



क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन अहमदाबाद में गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री आर. के. त्रिवेदी से श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु राजभाषा ट्राफी ग्रहण करते हुए यूनियन बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष श्री ज. स्व. भटनागर ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पश्चिमोत्तर सर्किल, चण्डीगढ़ में में आयोजित वार्षिक हिन्दी समारोह का दीप प्रज्जवलित कर उदघाटन करते हुए भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन →





पटोफिल्म को-आप्रेटिव लि. बड़ोदरा में आयोजित "द्वितीय राजभाषा सम्मेलन" को संबोधित करते हुए श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ।

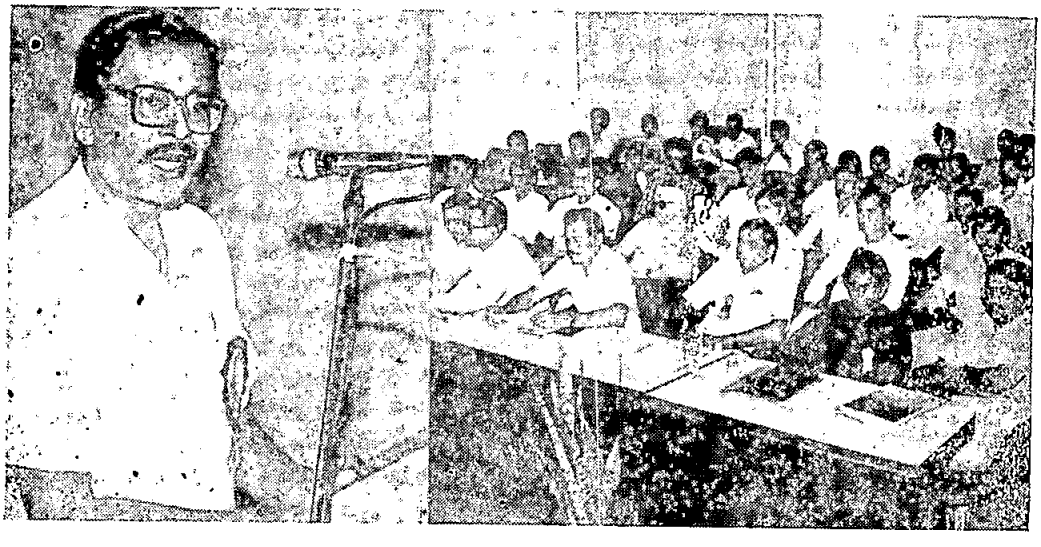

केनरा बैंक दिल्ली (उत्तर अंचल) के राजभाषा/सम्पर्क अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री वी. ए. कोहली, उप सचिव, राजभाषा विभाग (दायें से प्रथम ) तथा श्री के. श्रीनिवास राव, उप मंडल प्रबंधक दिल्ली उत्तर अंचल (दाएं से दूसरे)

भारतीय खाद्य निगम गुजरात क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक श्रीमती सी. जे. पटेल पुरस्कार विवतरण करते हुए।

भारत के महासर्वेक्षक, मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल, महासर्वेक्षक वार्षिक हिन्दी समारोह में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए।

# थाईलैण्ड में हिन्दी

लल्लन प्रसाद व्यास

विश्व की तीसरी बड़ी भाषा हिन्दी की भारत से बाहर दो मुख्य धाराएं प्रवाहित हुई हैं। एक तो भारतवंशियों के माध्यम से जो समय-समय पर भारत से बाहर गए और लाखों की संख्या में संसार भर में फैल गए और दूसरी धारा विभिन्न देशों के उन निवासियों के माध्यम से प्रवाहित हुई है जिन्होंने भारत प्रेम या भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग के कारण हिन्दी का पठन-पाठन किया है, यद्यपि उनकी मातृ-भाषा कोई अन्य है।

थाईलैण्ड में भी हिन्दी की यही दो धाराएं हैं। भारत के इस पड़ोसी देश की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है है कि यह भाषा, संस्कृति, सामाजिक रीति-रिवाज आदि की दृष्टि से भारत के बहुत अधिक निकट है। अधिकांश थाई विद्वान् तो अपने सम्पूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का श्रेय भारत को ही देते हैं और वह एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। किन्तु हम उस धरोहर को समान सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, भले ही सैकड़ों और हजारों वर्ष पहले प्राचीन स्याम यानी आधुनिक थाईलैण्ड ने धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारत से बहुत कुछ लिया है, किन्तु कालचक्र के परिवर्तन के साथ-साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। दुर्भाग्य से भारत परतन्त्र हुआ और स्याम ने किसी न किसी प्रकार अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, इसी-लिए इसका नाम थाईलैण्ड पड़ा यानी स्वतन्त्रता की भूमि। अब तो जब हम थाईलैण्ड में विद्यमान अनेक श्रेष्ठ धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत अपनी जिस धरोहर को परतन्त्रता काल में भली-भांति सुरक्षित नहीं रख सका उसे थाईलैण्ड ने बड़ी निष्ठापूर्वक संजो कर रखा है। आज थाइलैण्ड में विद्यमान बहुत सी सांस्कृतिक परम्पराएं और सामाजिक रीति-रिवाज भारत के लिए भी प्रेरक और अनुकरणीय हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है थाई भाषा के रूप में। इस भाषा का अधिकांश शब्द भण्डार संस्कृत का है। साथ ही पालि के भी अनेक शब्द हैं। इसके बाद भी भाषागत साम्य के दर्शन केवल इसलिए नहीं होते कि उन शब्दों के उच्चारण में अन्तर होता है। थाई भाषा बोली जाने के समय संस्कृत का ज्ञाता भी उसमें निहित संस्कृत प्रभाव को नहीं जान सकता जब तक कि उसे थाई लिपि का ज्ञान न हो।

अपने संस्कृत प्रभाव और आधार के कारण थाई भाषा हिन्दी के बहुत निकट आ गई है। उसकी वर्णमाला हिन्दी वर्णमाला से बहुत मिलती-जुलती है। इसमें भी हिन्दी के समान "स्वर" और "व्यंजन" होते हैं। जिन्हें "स्वर" और "फ्यन्छन" कहते हैं। थाई में हिन्दी की अपेक्षा "स्वर" अधिक तथा "व्यंजन" कम हैं। थाई में "क" और "ख" कई हैं। उनके उच्चारण भेद से अर्थभेद हो जाता है। इस भाषा में "ख", "ग" और "घ" के लिए "ख" ही चलता है, विभिन्न उच्चारण-भेद के साथ। इसी प्रकार छोटे-मोटे कुछ अन्य अन्तर भी है। सबसे बड़ा अन्तर यही मानना चाहिए कि थाई शब्दों के लेखन और उच्चारण में पर्याप्त भेद है। इसी कारण यह हिन्दी के समान वैज्ञानिक और निर्दोश भाषा नहीं है। हिन्दी की यह विशेषता सर्वविदित तथा सर्वमान्य है कि उसके जो शब्द लिखे जाते हैं वही बोले या पढ़े जाते हैं और जो बोले या पढ़े जाते हैं, उसी के अनुसार वे लिखे भी जाते हैं।

किन्तु इसके साथ-साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि थाई के अनेक शब्द इतने सरल, सुस्पष्ट तथा अपने अर्थ की पूर्णता व्यक्त करने वाले हैं कि उनकी टक्कर के शब्द शायद कई भारतीय भाषाओं में भी न होंगे। इस दृष्टि से ये शब्द हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए भी अनुकरणीय बन सकते हैं। ऐसे शब्दों को यदि भारतीय भाषाओं में अपना भी लिया जाए तो वे किसी प्रकार भी विदेशी नहीं लगेंगे। ऐसे कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं:—

| थाई शब्द | थाई उच्चारण |
|---|---|
| अनुगामिक (शिष्य) | अनुखामिक |
| अनुक्रम | अनुक्रोम |
| प्रासाद | फ्रासाथ |
| विहार | विहान |
| भोजनागार (होटल) | फोचनाखान् |
| वनचानुक्रम (शब्दकोष) | फचनानुक्रम |
| प्रतिदिन (कैलेण्डर) | प्रतिथिन |
| समागम (संघ) | समाखोन |
| सामाजिक | सामाछिक |

| | |
|---|---|
| वंशावली (जीवन परिचय') | फोडसाबली |
| शासना (धर्म) | सासना |
| नारीयाभरण (कपड़े की दुकान) | नारयःफन्न |
| रथ यंत्र (कार) | रोटयोन |
| सहकार | सहकोन |
| शाला (होस्टल) | साला |
| परिभोग (खाद्य पदार्थ) | बोरिफोक |
| क्रीड़ास्थान | क्रीथासथान |
| लेखगणित | लेखाखनित |
| प्रवृत्तिशास्त्र (इतिहास) | प्रवतिसात |
| भूमिशास्त्र | फूमिसात |
| प्रत्युत्पन्नकाल (वर्तमानकाल) | फच्चुबनकान |
| अनागतकाल (भविष्य) | अनारखुटकान |
| अतीतकाल (भूत) | अडीडकान |
| विद्यालय | विथ्यालय |
| बेला (समय) | बेला |
| प्रकाश (विज्ञापन) | प्रकाट |
| प्रजाजन | प्रछाछोन |
| आर्यजन (सभ्य लोग) | आर्यछुन |
| चक्रयान (साइकिल) | चकयान |

थाई भाषा के पारिभाषिक शब्द तो और भी अधिक सरल, सुस्पष्ट और सार्थक हैं। जिस समय भारत सरकार की व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी के पारिभाषिक शब्द गढ़े जा रहे थे, उस समय डा० रघुवीर ने थाई-भारत संस्कृति आश्रम, बैंकाक के द्वारा थाई पारिभाषिक शब्दों की सूची अवलोकनार्थ मंगाई थी। किन्तु ऐसा लगता है कि उक्त कार्य में उसका कोई विशेष उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त अग्र-लिखित शब्द और प्रस्तुत हैं।

| थाई शब्द | थाई उच्चारण |
|---|---|
| विधुतयान (लिफ्ट) | विथ्यूयान |
| राजदूत | राछथून |
| राष्ट्रमंत्री (मंत्री) | रथ्यमोंत्री |
| नायक राष्ट्रमंत्री (प्रधानमंत्री) | नायोक रथ्यमोंत्री |
| धनागार (बैंक) | थनाखोन |
| धनपत्र (नोट) | थनाबट |
| शतांश (रुपये का सवां भाग) | सतांस |
| प्रभागार (लाईट हाउस) | परफागोन |
| देशपाल (पालिका) | थेसबान |
| प्रेषणीय (डाक सेवा) | प्रेसनी |
| प्रेषणीय पत्र (पोस्टकार्ड) | प्रैसनीबत् |
| अधिमति (महानिदेशक) | अथिबड़ी |
| चराचर (ट्रैफिक) | चलाचोन |
| दूरशब्द (टेलीफोन) | थोरसप |

| थाई शब्द | थाई उच्चारण |
|---|---|
| दूरलेख (तार) | थोरालिख |
| नालिका (घंटा) | नालिका |
| नाड़ी (मिनट) | नाथी |
| बिनाड़ी (सेंकड) | बिनाथी |
| विविध बन्धस्थान (संग्रहालय) | फिफिथफंथस्बान |
| राजनावी (शाही नौसेना) | राछबाबी |
| गणराष्ट्रमंत्री (मंत्रिमण्डलीय मंत्री) | खनाथ्यमंत्री |
| प्रकाशनथिपत्र (सर्टिफिकेट) | प्रकासनिवित |
| स्थानीयनगरपाल (थाना) | नखोनबान |

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्कृत और पालि के माध्यम से थाई भाषा हिन्दी के कितनी निकट है। किन्तु इस निकटता या साम्य की ओर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। दोनों देशों के विद्वानों का ध्यान तो अवश्य इस दिशा में आकर्षित हुआ है, किन्तु कोई ठोस कार्य अभी तक इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है जिससे दोनों भाषाओं का व्यावहारिक आदान-प्रदान सम्भव हो सके। आशा है भविष्य में यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होगा। थाईलैण्ड के दूसरे महत्वपूर्ण नगर चेंगमाई के विश्वविद्यालय में हिन्दी का पठन-पाठन होता है। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय के विद्वान प्रतिनिधि ने भाग लिया था।

इस देश में संस्कृत और हिन्दी के प्रचार और पठन-पाठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य "थाई-भारत कल्चरल लांज" के प्रयास से सम्भव हुआ। इस संस्था ने भारत की स्वतंत्रता के पूर्व से ही संस्कृत और हिन्दी की निःशुल्क कक्षाएं चलाई थीं जिनमें पुरुषों के साथ-साथ कई महिलाओं ने भी हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनमें श्रीमती रुआंग राई कुशलासै और अचान बंचौप बन्धुमेधा प्रमुख थीं। इनके साथ ही एक फ्रैंच महिला बूरके भी थीं। इन तीनों ने हिन्दी का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था कि इनके लेख कभी हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका, "विशाल भारत" में प्रकाशित होते थे। उनके लेखों को पढ़कर उसके सम्पादक श्री श्रीराम शर्मा ने उन्हें प्रशंसा के पत्र लिखे। इनके साथ कुछ अन्य महिलाओं ने भी अच्छी हिन्दी सीखी। लांज की ओर से इसके संचालक पं० रघुनाथ शर्मा के अतिरिक्त शिक्षा देने वाले श्री करुणा कुसलासे थे। करुणा जो ने अब तक हिन्दी में सबसे अधिक विद्वत्ता और महत्व अर्जित किया। उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा भारत में प्राप्त की। यह पहले श्री भदन्त आनन्द कौशल्यायन के सम्पर्क में आए और उसके बाद काशी में उनका अच्छा सम्पर्क डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी से हुआ। करुणा जी को भेंट एक बार शान्ति-निकेतन में स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू से भी हुई थी और उनसे हिन्दी में बातचीत करके नेहरू जी बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने "मेरी कहानी" इन थाई विद्वान् की चर्चा की है।

उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का थाई में अनुवाद किया है। अभी भी भारत थाई कल्चरल लॉज किसी न किसी रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उसके पुस्तकालय में हिन्दी की सैकड़ों पुस्तकें हैं। साथ ही हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं और समाचार-पत्र आते हैं जिन्हें थाई और भारतीय पढ़ते हैं।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हिन्दू समाज नामक भारतीय संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसने अपने द्वारा संचालित भारत महाविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था अपने छात्रों के लिए की है। यहां भारत के अनेक हिन्दी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। यह कार्य अनेक वर्षों से चल रहा है। इसी संस्था ने एक विशाल मन्दिर का निर्माण किया है जो विदेश में अपना विशेष महत्व रखता है। इस मन्दिर में प्रतिदिन, विशेष रूप से रविवार को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जो हिन्दी में ही संचालित किए जाते हैं।

थाईलैण्ड में भारतवंशियों की सही संख्या का पता तो नहीं है, किन्तु अनुमानित संख्या 25 हजार मानी जाती है। उनमें सबसे अधिक पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जो आपसी बोलचाल में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। भारतीयों की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था हिन्दू धर्मसभा जिसका अपना मन्दिर और पुस्तकालय भी है। मन्दिर में प्रति रविवार को भजन-कीर्तन और भाषण होते हैं जिनका माध्यम हिन्दी ही है। उसमें भाग लेने वाले हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं और उसके प्रचार-प्रसार में अपना कुछ-न-कुछ योगदान करते रहते हैं। सन् 1974 में उसकी ओर से ही विशाल पैमाने पर मानस चतुश्शती का आयोजन किया गया था जिसमें कई भारतीय विद्वानों ने भी भाग लिया था। उसके द्वारा संचालित पुस्तकालय में अधिकांश हिन्दी की पुस्तकें हैं।

निकट ही आर्यसमाज का भी मन्दिर है जहां प्रति रविवार को लोग एकत्रित होकर यज्ञ स्वाध्याय और चिन्तन-मनन करते हैं। यह संस्था भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध है।

इस प्रकार हमारे पड़ौसी देश थाईलैण्ड में हिन्दी की दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं--थाई निवासियों के माध्यम से और भारतवंशियों के माध्यम से भी। भारतीय दूतावास भी यथा-शक्ति दोनों धाराओं को सहयोग प्रदान करता है, किन्तु दोनों देशों के घनिष्ठतम सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए आवश्यकता कहीं अधिक की है। भारत सरकार और भारतीय जनता दोनों ही इस ओर ध्यान दें और थाईलैण्ड जैसे पड़ोसी देशों में भी सभी प्रकार से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपनी भाषा पर गर्व होता है और वे उसे देश-विदेश में बढ़ने के लिए निस्संकोच तत्पर रहते हैं। भारत को भी अपना सभी संकोच छोड़कर हिन्दी को अपनी प्रतिनिधि भाषा के रूप में विदेशों में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यह भारत की गरिमा और स्वाभिमान दोनों का तकाजा है। जब तक हम अपनी भाषा को पूर्णतया महत्व नहीं देंगे और उसके लिए आवश्यक त्याग नहीं करेंगे, तबतक कोई दूसरा देश हमारी भाषा को महत्व नहीं देगा। थाईलैण्ड जैसे देशों में सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के लिए स्वाभाविक अनुकूलताएं हैं। आवश्यकता है-- उनका सदुपयोग करने की।

सी-13, प्रैस इन्क्लेव, साकेत,
नई दिल्ली

राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी; इसमें दो राय नहीं।

—पंडित जवाहरलाल नेहरू

# समिति समाचार

## (क) केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक दिनांक 22-4-87 को भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग श्री बी. बी. महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में भारत सरकार में के मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए । सचिव महोदय ने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि बैठक में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का जायजा लेने और राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपाय सुझाने के संबंध में अधिकारीगण बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं ।

कार्यसूची की मदों पर चर्चा के दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता के औचित्य पर राजभाषा विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श कर रहा है । हायर सेकेन्डरी अथवा अन्य परीक्षा पास समूह "घ" कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण के उपयोग को ध्यान में रखते हुए केवल "ग" श्रेणी के कर्मचारियों को ही हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देना उचित होगा । मंत्रालयों/विभागों द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्रों के राज्यों और केन्द्र सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में मूल पत्राचार को बढ़ाने की दृष्टि से अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी मंत्रालय/विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) का पूरा अनुपालन हो और मंत्रालय/विभाग में अथवा उनके अनुभागों में ऐसा रिकार्ड उपलब्ध होना चाहिए जो निरीक्षण के समय देखा जा सके और जिससे यह मालूम हो सके कि इस उपबन्ध का पूरा पालन हो रहा है । धारा 3 (3) के अनुपालन के लिए जांच बिन्दु साइक्लोस्टाईलिंग एकक को ही बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग को इस आशय के आदेश जारी करने चाहिए कि जब तक ये कागजात द्विभाषी रूप में न दिए जाएं तब तक उनकी कापियां न बनाई जाएं। यदि किसी विशेष स्थिति में कोई परिपत्र आदि केवल अंग्रेजी में साइक्लोस्टाइल करवाना जरूरी हो तो उसके लिए किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त की जाए । इसी तरह से मंत्रालय और विभागों को मूल पत्राचार के संबंध में अपने प्रेषण विभाग को जांच बिन्दु (चैक प्वाइंट) बना देना चाहिए । अगर कोई पत्र "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजा जा रहा है तो वह तभी स्वीकार किया जाए जब वह हिन्दी में हो या उसका हिन्दी पाठ साथ लगा हो । यदि किसी असाधारण परिस्थिति में उसे केवल अंग्रेजी में जारी करना पड़े तो उसके लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए । हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के बारे में हिन्दी पत्रों का अलग डायरी रजिस्टर रखने के लिए जो अनुदेश जारी किए गए हैं उनका अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के पत्रों के बारे में सही आंकड़े मिल सकें । साथ ही यह निदेश भी दिए जाए कि जो कर्मचारी हिन्दी में प्राप्त पत्र के उत्तर का मसौदा अंग्रेजी में प्रस्तुत करे वह उसके ऊपर यह जरूर लिख दे या मोहर लगा दे कि इसका उत्तर हिन्दी में ही जाना है ।

बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन करने पर भी विचार किया गया ।

सचिव, राजभाषा ने सभी उपस्थित अधिकारियों से यह अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो आंकड़े प्रगति रिपोर्टों में दिए जाते हैं वे सही हों, ताकि उनकी सत्यता की भी पुष्टि की जा सके । कार्यसूची की सभी मदों पर चर्चा न हो सकी इसलिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगली बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी ।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22-4-87 को आयोजित 16वीं बैठक की कार्यसूची की सभी मदों पर चर्चा नहीं हो सकी थी इसलिए उसी सिलसिले में दिनांक 27-5-87 को भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग श्री बी.बी. महाजन की अध्यक्षता में समिति की एक और बैठक हुई। इस बैठक में भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । उपस्थित प्रतिनिधियों ने बैठक के पहले भाग के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की ।

समिति में सुझाव दिया गया कि नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों में नियम 8(4) के अधीन निर्देश जारी करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने या वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारण के बारे में विचार किया जाए । बैठक में आगामी वर्ष अर्थात 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम में उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की गई ।

# थाईलैण्ड में हिन्दी

लल्लन प्रसाद व्यास

विश्व की तीसरी बड़ी भाषा हिन्दी की भारत से बाहर दो मुख्य धाराएं प्रवाहित हुई हैं। एक तो भारतवंशियों के माध्यम से जो समय-समय पर भारत से बाहर गए और लाखों की संख्या में संसार भर में फैल गए और दूसरी धारा विभिन्न देशों के उन निवासियों के माध्यम से प्रवाहित हुई है जिन्होंने भारत प्रेम या भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग के कारण हिन्दी का पठन-पाठन किया है, यद्यपि उनकी मातृ-भाषा कोई अन्य है।

थाईलैण्ड में भी हिन्दी की यही दो धाराएं हैं। भारत के इस पड़ोसी देश की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है है कि यह भाषा, संस्कृति, सामाजिक रीति-रिवाज आदि की दृष्टि से भारत के बहुत अधिक निकट है। अधिकांश थाई विद्वान् तो अपने सम्पूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का श्रेय भारत को ही देते हैं और वह एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। किन्तु हम उस धरोहर को समान सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, भले ही सैकड़ों और हजारों वर्ष पहले प्राचीन स्याम यानी आधुनिक थाईलैण्ड ने धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारत से बहुत कुछ लिया है, किन्तु कालचक्र के परिवर्तन के साथ-साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। दुर्भाग्य से भारत परतन्त्र हुआ और स्याम ने किसी न किसी प्रकार अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, इसी-लिए इसका नाम थाईलैण्ड पड़ा यानी स्वतन्त्रता की भूमि। अब तो जब हम थाईलैण्ड में विद्यमान अनेक श्रेष्ठ धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत अपनी जिस धरोहर को परतन्त्रता काल में भली-भांति सुरक्षित नहीं रख सका उसे थाईलैण्ड ने बड़ी निष्ठापूर्वक संजो कर रखा है। आज थाइलैण्ड में विद्यमान बहुत सी सांस्कृतिक परम्पराएं और सामाजिक रीति-रिवाज भारत के लिए भी प्रेरक और अनुकरणीय हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है थाई भाषा के रूप में। इस भाषा का अधिकांश शब्द भण्डार संस्कृत का है। साथ ही पालि के भी अनेक शब्द हैं। इसके बाद भी भाषागत साम्य के दर्शन केवल इसलिए नहीं होते कि उन शब्दों के उच्चारण में अन्तर होता है। थाई भाषा बोली जाने के समय संस्कृत का ज्ञाता भी उसमें निहित संस्कृत प्रभाव को नहीं जान सकता जब तक कि उसे थाई लिपि का ज्ञान न हो।

अपने संस्कृत प्रभाव और आधार के कारण थाई भाषा हिन्दी के बहुत निकट आ गई है। उसकी वर्णमाला हिन्दी वर्णमाला से बहुत मिलती-जुलती है। इसमें भी हिन्दी के समान "स्वर" और "व्यंजन" होते हैं। जिन्हें "स्वर" और "फ्यन्छन" कहते हैं। थाई में हिन्दी की अपेक्षा "स्वर" अधिक तथा "व्यंजन" कम हैं। थाई में "क" और "ख" कई हैं। उनके उच्चारण भेद से अर्थभेद हो जाता है। इस भाषा में "ख", "ग" और "घ" के लिए "ख" ही चलता है, विभिन्न उच्चारण-भेद के साथ। इसी प्रकार छोटे-मोटे कुछ अन्य अन्तर भी है। सबसे बड़ा अन्तर यही मानना चाहिए कि थाई शब्दों के लेखन और उच्चारण में पर्याप्त भेद है। इसी कारण यह हिन्दी के समान वैज्ञानिक और निर्दोश भाषा नहीं है। हिन्दी की यह विशेषता सर्वविदित तथा सर्वमान्य है कि उसके जो शब्द लिखे जाते हैं वही बोले या पढ़े जाते हैं और जो बोले या पढ़े जाते हैं, उसी के अनुसार वे लिखे भी जाते हैं।

किन्तु इसके साथ-साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि थाई के अनेक शब्द इतने सरल, सुस्पष्ट तथा अपने अर्थ की पूर्णता व्यक्त करने वाले हैं कि उनकी टक्कर के शब्द शायद कई भारतीय भाषाओं में भी न होंगे। इस दृष्टि से ये शब्द हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए भी अनुकरणीय बन सकते हैं। ऐसे शब्दों को यदि भारतीय भाषाओं में अपना भी लिया जाए तो वे किसी प्रकार भी विदेशी नहीं लगेंगे। ऐसे कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं :—

| थाई शब्द | थाई उच्चारण |
|---|---|
| अनुगामिक (शिष्य) | अनुखामिक |
| अनुक्रम | अनुक्रोम |
| प्रासाद | फ्रासाथ |
| विहार | विहान |
| भोजनागार (होटल) | फोचनाखान् |
| वनचानुक्रम (शब्दकोष) | फचनानुक्रम |
| प्रतिदिन (कैलेण्डर) | प्रतिथिन |
| समागम (संघ) | समाखोन |
| सामाजिक | सामाछिक |

| | |
|---|---|
| वंशावली (जीवन परिचय') | फोडसाबली |
| शासना (धर्म) | सासना |
| नारीयाभरण (कपड़े की दुकान) | नारय:फन्न |
| रथ यंत्र (कार) | रोटयोन |
| सहकार | सहकोन |
| शाला (होस्टल) | साला |
| परिभोग (खाद्य पदार्थ) | बोरिफोक |
| क्रीड़ास्थान | क्रीथासथान |
| लेखगणित | लेखाखनित |
| प्रवृत्तिशास्त्र (इतिहास) | प्रवतिसात |
| भूमिशास्त्र | फूमिसात |
| प्रत्युत्पन्नकाल (वर्तमानकाल) | फच्चुबनकान |
| अनागतकाल (भविष्य) | अनारखुटकान |
| अतीतकाल (भूत) | अडीडकान |
| विद्यालय | विथ्यालय |
| बेला (समय) | बेला |
| प्रकाश (विज्ञापन) | प्रकाट |
| प्रजाजन | प्रछाछोन |
| आर्यजन (सभ्य लोग) | आर्यछुन |
| चक्रयान (साइकिल) | चकयान |

थाई भाषा के पारिभाषिक शब्द तो और भी अधिक सरल, सुस्पष्ट और सार्थक हैं। जिस समय भारत सरकार की व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी के पारिभाषिक शब्द गढ़े जा रहे थे, उस समय डा० रघुवीर ने थाई-भारत संस्कृति आश्रम, बैंकाक के द्वारा थाई पारिभाषिक शब्दों की सूची अवलोकनार्थ मंगाई थी। किन्तु ऐसा लगता है कि उक्त कार्य में उसका कोई विशेष उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त अग्र-लिखित शब्द और प्रस्तुत हैं।

| थाई शब्द | थाई उच्चारण |
|---|---|
| विधुतयान (लिफ्ट) | विथ्यूयान |
| राजदूत | राछथून |
| राष्ट्रमंत्री (मंत्री) | रथ्यमोंत्री |
| नायक राष्ट्रमंत्री (प्रधानमंत्री) | नायोक रथ्यमोंत्री |
| धनागार (बैंक) | थनाखोन |
| धनपत्र (नोट) | थनाबट |
| शतांश (रुपये का सवां भाग) | सतांस |
| प्रभागार (लाईट हाउस) | परफागोन |
| देशपाल (पालिका) | थेसबान |
| प्रेषणीय (डाक सेवा) | प्रेसनी |
| प्रेषणीय पत्र (पोस्टकार्ड) | प्रैसनीबत् |
| अधिमति (महानिदेशक) | अथिबड़ी |
| चराचर (ट्रैफिक) | चलाचोन |
| दूरशब्द (टेलीफोन) | थोरसप |

| थाई शब्द | थाई उच्चारण |
|---|---|
| दूरलेख (तार) | थोरालिख |
| नालिका (घंटा) | नालिका |
| नाड़ी (मिनट) | नाथी |
| बिनाड़ी (सेकंड) | बिनाथी |
| विविध बन्धस्थान (संग्रहालय) | फिफिथफंथस्वान |
| राजनाबी (शाही नौसेना) | राछबाबी |
| गणराष्ट्रमंत्री (मंत्रिमण्डलीय मंत्री) | खनाथ्यमंत्री |
| प्रकाशनथिपत्र (सर्टिफिकेट) | प्रकासनिवित. |
| स्थानीयनगरपाल (थाना) | नखोनबान |

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्कृत और पालि के माध्यम से थाई भाषा हिन्दी के कितनी निकट है। किन्तु इस निकटता या साम्य की ओर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। दोनों देशों के विद्वानों का ध्यान तो अवश्य इस दिशा में आकर्षित हुआ है, किन्तु कोई ठोस कार्य अभी तक इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है जिससे दोनों भाषाओं का व्यावहारिक आदान-प्रदान सम्भव हो सके। आशा है भविष्य में यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होगा। थाईलैण्ड के दूसरे महत्वपूर्ण नगर चेंगमाई के विश्वविद्यालय में हिन्दी का पठन-पाठन होता है। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय के विद्वान प्रतिनिधि ने भाग लिया था।

इस देश में संस्कृत और हिन्दी के प्रचार और पठन-पाठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य "थाई-भारत कल्चरल लांज" के प्रयास से सम्भव हुआ। इस संस्था ने भारत की स्वतंत्रता के पूर्व से ही संस्कृत और हिन्दी की निःशुल्क कक्षाएं चलाई थीं जिनमें पुरुषों के साथ-साथ कई महिलाओं ने भी हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनमें श्रीमती रुआंग राई कुशलासै और अचान बंचौप बन्धुमेधा प्रमुख थीं। इनके साथ ही एक फ्रैंच महिला बूरके भी थीं। इन तीनों ने हिन्दी का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था कि इनके लेख कभी हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका, "विशाल भारत" में प्रकाशित होते थे। उनके लेखों को पढ़कर उसके सम्पादक श्री श्रीराम शर्मा ने उन्हें प्रशंसा के पत्र लिखे। इनके साथ कुछ अन्य महिलाओं ने भी अच्छी हिन्दी सीखी। लांज की ओर से इसके संचालक पं० रघुनाथ शर्मा के अतिरिक्त शिक्षा देने वाले श्री करुणा कुसलासे थे। करुणा जी ने अब तक हिन्दी में सबसे अधिक विद्वत्ता और महत्व अर्जित किया। उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा भारत में प्राप्त की। यह पहले श्री भदन्त आनन्द कौशल्यायन के सम्पर्क में आए और उसके बाद काशी में उनका अच्छा सम्पर्क डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी से हुआ। करुणा जी को भेंट एक बार शान्ति-निकेतन में स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू से भी हुई थी और उनसे हिन्दी में बातचीत करके नेहरू जी बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने "मेरी कहानी" इन थाई विद्वान् की चर्चा की है।

उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का थाई में अनुवाद किया है। अभी भी भारत थाई कल्चरल लॉज किसी न किसी रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उसके पुस्तकालय में हिन्दी की सैकड़ों पुस्तकें हैं। साथ ही हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं और समाचार-पत्र आते हैं जिन्हें थाई और भारतीय पढ़ते हैं।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हिन्दू समाज नामक भारतीय संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसने अपने द्वारा संचालित भारत महाविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था अपने छात्रों के लिए की है। यहां भारत के अनेक हिन्दी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। यह कार्य अनेक वर्षों से चल रहा है। इसी संस्था ने एक विशाल मन्दिर का निर्माण किया है जो विदेश में अपना विशेष महत्व रखता है। इस मन्दिर में प्रतिदिन, विशेष रूप से रविवार को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जो हिन्दी में ही संचालित किए जाते हैं।

थाईलैण्ड में भारतवंशियों की सही संख्या का पता तो नहीं है, किन्तु अनुमानित संख्या 25 हजार मानी जाती है। उनमें सबसे अधिक पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जो आपसी बोलचाल में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। भारतीयों की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था हिन्दू धर्मसभा जिसका अपना मन्दिर और पुस्तकालय भी है। मन्दिर में प्रति रविवार को भजन-कीर्तन और भाषण होते हैं जिनका माध्यम हिन्दी ही है। उसमें भाग लेने वाले हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं और उसके प्रचार-प्रसार में अपना कुछ-न-कुछ योगदान करते रहते हैं। सन् 1974 में उसकी ओर से ही विशाल पैमाने पर मानस चतुश्शती का आयोजन किया गया था जिसमें कई भारतीय विद्वानों ने भी भाग लिया था। उसके द्वारा संचालित पुस्तकालय में अधिकांश हिन्दी की पुस्तकें हैं।

निकट ही आर्यसमाज का भी मन्दिर है जहां प्रति रविवार को लोग एकत्रित होकर यज्ञ स्वाध्याय और चिन्तन-मनन करते हैं। यह संस्था भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध है।

इस प्रकार हमारे पड़ौसी देश थाईलैण्ड में हिन्दी की दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं—थाई निवासियों के माध्यम से और भारतवंशियों के माध्यम से भी। भारतीय दूतावास भी यथा-शक्ति दोनों धाराओं को सहयोग प्रदान करता है, किन्तु दोनों देशों के घनिष्ठतम सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए आवश्यकता कहीं अधिक की है। भारत सरकार और भारतीय जनता दोनों ही इस ओर ध्यान दें और थाईलैण्ड जैसे पड़ोसी देशों में भी सभी प्रकार से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपनी भाषा पर गर्व होता है और वे उसे देश-विदेश में बढ़ने के लिए निस्संकोच तत्पर रहते हैं। भारत को भी अपना सभी संकोच छोड़कर हिन्दी को अपनी प्रतिनिधि भाषा के रूप में विदेशों में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यह भारत की गरिमा और स्वाभिमान दोनों का तकाजा है। जब तक हम अपनी भाषा को पूर्णतया महत्व नहीं देंगे और उसके लिए आवश्यक त्याग नहीं करेंगे, तबतक कोई दूसरा देश हमारी भाषा को महत्व नहीं देगा। थाईलैण्ड जैसे देशों में सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के लिए स्वाभाविक अनुकूलताएं हैं। आवश्यकता है— उनका सदुपयोग करने की।

सी-13, प्रैस इन्क्लेव, साकेत,
नई दिल्ली

> राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी; इसमें दो राय नहीं।
>
> —पंडित जवाहरलाल नेहरू

# समिति समाचार

## (क) केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक दिनांक 22-4-87 को भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग श्री बी. बी. महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में भारत सरकार में के मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए । सचिव महोदय ने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि बैठक में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का जायजा लेने और राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपाय सुझाने के संबंध में अधिकारीगण बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं ।

कार्यसूची की मदों पर चर्चा के दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अंग्रेजी प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता के औचित्य पर राजभाषा विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श कर रहा है । हायर सेकेन्डरी अथवा अन्य परीक्षा पास समूह "घ" कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देने के बारे में यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण के उपयोग को ध्यान में रखते हुए केवल "ग" श्रेणी के कर्मचारियों को ही हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देना उचित होगा । मंत्रालयों/विभागों द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्रों के राज्यों और केन्द्र सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में मूल पत्राचार को बढ़ाने की दृष्टि से अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी मंत्रालय/विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) का पूरा अनुपालन हो और मंत्रालय/विभाग में अथवा उनके अनुभागों में ऐसा रिकार्ड उपलब्ध होना चाहिए जो निरीक्षण के समय देखा जा सके और जिससे यह मालूम हो सके कि इस उपबन्ध का पूरा पालन हो रहा है । धारा 3 (3) के अनुपालन के लिए जांच बिन्दु साइक्लोस्टाईलिंग एकक को ही बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग को इस आशय के आदेश जारी करने चाहिए कि जब तक ये कागजात द्विभाषी रूप में न दिए जाएं तब तक उनकी कापियां न बनाई जाएं। यदि किसी विशेष स्थिति में कोई परिपत्र आदि केवल अंग्रेजी में साइक्लोस्टाइल करवाना जरूरी हो तो उसके लिए किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त की जाए । इसी तरह से मंत्रालय और विभागों को मूल पत्राचार के संबंध में अपने प्रेषण विभाग को जांच बिन्दु (चैक प्वाइंट) बना देना चाहिए । अगर कोई पत्र "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजा जा रहा है तो वह तभी स्वीकार किया जाए जब वह हिन्दी में हो या उसका हिन्दी पाठ साथ लगा हो । यदि किसी असाधारण परिस्थिति में उसे केवल अंग्रेजी में जारी करना पड़े तो उसके लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए । हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के बारे में हिन्दी पत्रों का अलग डायरी रजिस्टर रखने के लिए जो अनुदेश जारी किए गए हैं उनका अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के पत्रों के बारे में सही आंकड़े मिल सकें । साथ ही यह निदेश भी दिए जाए कि जो कर्मचारी हिन्दी में प्राप्त पत्र के उत्तर का मसौदा अंग्रेजी में प्रस्तुत करे वह उसके ऊपर यह जरूर लिख दे या मोहर लगा दे कि इसका उत्तर हिन्दी में ही जाना है ।

बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन करने पर भी विचार किया गया ।

सचिव, राजभाषा ने सभी उपस्थित अधिकारियों से यह अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो आंकड़े प्रगति रिपोर्टों में दिए जाते हैं वे सही हों, ताकि उनकी सत्यता की भी पुष्टि की जा सके । कार्यसूची की सभी मदों पर चर्चा न हो सकी इसलिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगली बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी ।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22-4-87 को आयोजित 16वीं बैठक की कार्यसूची की सभी मदों पर चर्चा नहीं हो सकी थी इसलिए उसी सिलसिले में दिनांक 27-5-87 को भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग श्री बी.बी. महाजन की अध्यक्षता में समिति की एक और बैठक हुई। इस बैठक में भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । उपस्थित प्रतिनिधियों ने बैठक के पहले भाग के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की ।

समिति में सुझाव दिया गया कि नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों में नियम 8(4) के अधीन निर्देश जारी करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने या वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारण के बारे में विचार किया जाए । बैठक में आगामी वर्ष अर्थात 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम में उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की गई ।

प्रशिक्षण की सुविधाओं के संबंध में सचिव राजभाषा विभाग ने प्रतिनिधियों को बताया कि दिल्ली में एक केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान स्थापति किया गया है जहां कि हिन्दी तथा हिन्दी टंकण और आशुलिपि में पूर्णकालीन आधार पर प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं । इसी संस्थान के कुछ और अन्य उपसंस्थान देश के कुछ महानगरों में शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगें । राजभाषा विभाग ने यह संस्थान इस उद्देश्य से स्थापित किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नियुक्ति के तुरन्त बाद प्रोबेशन अवधि में ही हिन्दी का वांछित प्रशिक्षण प्राप्त कर लें ताकि जब वे अपना कार्य आरम्भ करें तो उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो । सभी विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपनी नई भर्ती करने के साथ-साथ हिन्दी का प्रशिक्षण संस्थान में दिलवाने का प्रयास करें और उससे संबंधिन्त सभी जानकारी संस्थान के निदेशक को दे दें ताकि वे अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम बना सकें । सचिव महोदय ने कहा कि इसके साथ एक सुझाव यह भी है कि जहां विभागों/मंत्रालयों के अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं वहां पर भी हिन्दी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएं ताकि नए नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी प्रोबेशन अवधि में ही हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । समिति ने सिफारिश की एक राजभाषा विभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान (आई.एस.टी.एम.) से संपर्क करके यह प्रबन्ध करने का प्रयास करे जिससे सचिवालय में भर्ती किए गए कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दूसरे कार्यालय प्रशिक्षण के साथ ही दे दिया जाए । यदि यह प्रशिक्षण मौजूदा प्रशिक्षण के समय के अन्दर न दिया जा सके तो उसे प्रशिक्षण के तुरन्त पहले या बाद में देने की व्यवस्था की जाए । यदि यह संभव न हो तो सब मंत्रालयों/विभागों से कहा जाए कि वे कर्मचारियों की भर्ती के तुरन्त बाद उन कर्मचारियों का विवरण केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को भेज दें, जिनको हिन्दी का ...क्षण दिया जाना है । ऐसे विभाग जो अपने कर्मचारियों ...शिक्षण आई.एस.टी.एम. में नहीं दिलाते वे भी ऐसी ...केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को भर्ती के तुरन्त ... दें । इस सूचना के आधार पर संस्थान उसके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेगा ।

...दय ने यह भी स्पष्ट किया कि राजभाषा ... है कि आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी शिक्षा ... करके अधिकतर कर्मचारियों/अधिकारियों ... दिया जाए । परन्तु यह परिवर्तन ... फिलहाल हिन्दी शिक्षण योजना और संस्थान दोनों ही साथ-साथ अपना कार्य करेंगे । हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो सेवा में लगे हुए हैं और संस्थान में आम-तौर पर नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है ।

हिन्दी आशुलिपिकों के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि राजभाषा विभाग यह प्रयास कर रहा है कि उन सभी मंत्रालयों/विभागों और "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में जिनमें कि हिन्दी के आशुलिपिक 25 प्रतिशत से कम हैं उनमें भर्ती के समय तब तक नियुक्ति केवल हिन्दी के ही आशुलिपिकों की जाए जब तक कि उनके पास 25 प्रतिशत हिन्दी आशुलिपिक तैनात नहीं हो जाते । इस मामले पर राजभाषा विभाग कार्मिक विभाग से बातचीत करेगा । उन्होंने बताया कि राजभाषा विभाग आशुलिपिकों के प्रशिक्षण, पदोन्नति परीक्षा माध्यम आदि के मामलों पर भी विचार करेगा ।

हिन्दी पदों के सृजन के बारे में सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि न्यूनतम पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय या वित्त प्रभाग को आई.डब्ल्यू.एस.यू. द्वारा अध्ययन पर जोर नहीं देना चाहिए और इन पदों का सृजन बिना किसी अध्ययन के किया जाना चाहिए । पद भरने के एक वर्ष बाद आई.डब्ल्यू.एस. द्वारा अध्ययन करवाकर पदों को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में निर्णय लिया जा सकता है । उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी के काम के बारे में सांविधिक उपबन्धों का पालन करने के लिए बांछित पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं है ।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटर खरीदने के संबंध में राजभाषा विभाग को जांच बिन्दु नियुक्त किया जाए ताकि जब भी कोई मंत्रालय/विभाग कम्प्यूटर आदि खरीदना चाहे तो राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर ले और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के उपकरण द्विभाषी ही खरीदे जाएं । इस संबंध में राजभाषा विभाग जहां आवश्यक समझेगा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से विचार-विर्मश कर लेगा ।

बैठक में सर्वसम्मति से यह सिफारिश की गई कि सभी विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प दिया जाए । ये परीक्षाएं चाहे किसी क्षेत्र में या अखिल भारतीय स्तर पर ली जाती हों, इनके प्रश्न-पत्र द्विभाषी ही होने चाहिए और प्रश्नों का उत्तर भी हिन्दी में देने का विकल्प दिया जाना चाहिए ।

# (ख) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

## (1) विधि और न्याय मंत्रालय

विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 24 जुलाई 87 को आयोजित 9वीं बैठक की अध्यक्षता विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री हंसराज भारद्वाज ने की।

1. हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों को भारतीय विधिक सेवा में सम्मिलित किए जाने के विषय में यह बताया गया कि विधि कार्य विभाग ने केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग और विधि आयोग को भी भारतीय विधिक सेवा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। ये सभी प्रस्ताव शीघ्र ही कार्मिक विभाग को भेज दिए जाएंगे।

2. श्री बी. बी. महाजन, सचिव, (राजभाषा) ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के संशोधन के विषय में बताया कि इस विषय पर मंत्रिमंडल के विचार के लिए टिप्पण भेज दिया गया है।

3. संविधान के हिंदी पाठ को उसका प्राधिकृत पाठ घोषित करने के लिए संविधान (56वां संशोधन) विधेयक लोक सभा में पुरः स्थापित हो गया है।

4. प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1963 में संशोधन करके प्राधिकृत अनुवाद के स्थान पर "प्राधिकृत पाठ" रखने के विषय में टिप्पण तैयार हो गया है और शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विचार के लिए भेज दिया जाएगा।

5. हिंदी-भाषी राज्यों में और केन्द्र में मौलिक प्रारूपण हिंदी में किया जाए, यह सुझाव समिति ने दिया था। यह तय हुआ था कि एक कार्यशाला की जाए जिसमें हिंदी-भाषी राज्यों के विधि सचिवों को बुलाया जाए और आवश्यकतानुसार कुछ विशषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाए। सचिव ने बताया कि हिन्दी-भाषी राज्यों की समन्वय समिति का अधिवेशन 28 मई, 1987 को हुआ था। इस अधिवेशन में इस विषय पर विचार हुआ था। किंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधि सचिव न आ सके, इस कारण इस विषय पर कार्रवाई न हो सकी। सदस्यों ने सुझाव दिया कि आवश्यकता हो तो मंत्री जी की तरफ से मुख्य मंत्रियों को पत्र भिजवाए जाएं।

6. समिति ने अपने पिछले अधिवेशन में यह सिफारिश की थी कि राजभाषा खंड ने जो "मानक विधि प्रारूपण खंड" प्रकाशित किया है उसका परिवर्द्धित संस्करण निकाला जाए। समिति के सचिव ने सूचना दी कि इस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।

7. पिछली बैठक में विधि कार्य विभाग को यह निदेश दिया गया था कि वह अपने विभाग में "क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़ाएं 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट में भी यह देखने में आया है कि इसमें विशेष सुधार नहीं हुआ। मंत्री जी ने विधि कार्य विभाग के अपर सचिव श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति को यह निदेश दिया कि वे इस बारे में विशेष ध्यान दें।

8. श्री रामविलास पासवान ने यह कहा कि बहुत से हिंदी-भाषी राज्यों में अभी भी अधीनस्थ न्यायालयों में, हिंदी में कार्य नहीं हो रहा है। इस संबंध में राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए।

## (2) इस्पात और खान मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 15 जुलाई, 1987 को नई दिल्ली में बैठक सम्पन्न हुई। समिति के अध्यक्ष ऊर्जा, इस्पात और खान मंत्री श्री वसंत साठे ने सदस्यों को अपने भाषण द्वारा दोनों विभागों तथा उनके अधीन कार्यालयों एवम् उपक्रमों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति से अवगत कराया।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन ने कहा कि राजभाषा विभाग ने हिन्दी टाइपराइटरों को खरीदने के बारे में जो निर्देश दिये हैं, उनको पूरा करने के प्रयास किये जाने चाहिए। "क" क्षेत्र में अंग्रेजी टाइपराईटरों की तुलना में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या 50 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र में 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि "सेल" के कई कारखानों में सभी कोड/मैनुअल तथा फार्म अभी तक द्विभाषी रूप में तैयार नहीं करवाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी उपक्रमों में अगली बैठक तक सभी कोड/मैनुअल तथा फार्म आदि द्विभाषी रूप में तैयार हो जाने चाहिए।

यांत्रिक सुविधाओं की द्विभाषी रूप में व्यव
राजभाषा विभाग के सचिव श्री महाजन ने कहा
द्विभाषी यांत्रिक सुविधाओं (कम्प्यूटर, टेलेक्स
खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस
यदि कोई कठिनाई हो तो इलेक्ट्रॉनिकी विभ
किया जा सकता है।

अहिन्दी-भाषी राज्यों को भेजे जाने
पत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद भिजवाने
में श्री तिवारी जानना चाहते थे कि
अंग्रेजी के पत्र अहिन्दी-भाषी
उनके साथ हिन्दी अनुवाद
विभाग के सचिव श्री
अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों को
भाग हिन्दी में भेजने

कि अंग्रेजी में भेजे जाने वाले पत्रों के अनुवाद भी संलग्न किया जाए। अध्य हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया षी राज्यों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का दिया जाए।

( कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति डा. पी. के. बालसुब्रह्मणयन ने कहा कि मंत्रालय के दो कार्यालय (क्षेत्रीय विकास ा इस्पात और सेलम इस्पात कार-खाना) हैं, हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। ा था कि इन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की जानी चाहिए।

सचिव (र ा) ने "सेल" के उपाध्यक्ष को सलाह दी कि वे जुलाई ही कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए नामित कर दें।

### (3) सूचना और प्रसारण–मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 17-7-1987 को हुई 32वीं बैठक राज्य मंत्री श्री अजीत पांजा की अध्यक्षता में हुई।

1. सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं। मूल पत्रों को भी यथासंभव अधिक से अधिक हिन्दी में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय और उसके माध्यम एककों (मुख्यालयों) द्वारा पिछले वर्ष की जनवरी-मार्च की तिमाही की तुलना में इस वर्ष की जनवरी-मार्च के तिमाही के दौरान लगभग 10 प्रतिशत अधिक मूल पत्र हिन्दी में भेजे गए। उन्होंने आगे बताया कि यह मंत्रालय देश में हिन्दी के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, आदि के हिन्दी कार्यक्रमों से लोगों को हिन्दी को समझने में मदद मिली है। हिन्दी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय से संबंधित जनसंचार के विषयों पर हिन्दी में अच्छी पुस्तक लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। 10,00 रुपये, 7,000 रुपये और 5,000 रुपये के इस वर्ष के पुरस्कार 20-4-87 को दिए गए थे।

2. श्री एन. तोम्बी सिंह ने कहा कि कोई भी हिन्दी अधिकारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और लेह (लद्दाख), आदि जैसे स्थानों पर स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है। श्री बी० के. जुत्शी ने बताया कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट में मुद्दा "ग" क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों पर ऐसे कार्यक्रम अधिकारियों को जो संबंधित केन्द्र की मुख्य भाषा के अतिरिक्त हिन्दी जानते हों, तैनात करने के बारे में हैं। यह सुझाव आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा नोट कर लिया गया है। तथापि, जहा तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और लेह जैसे स्थानों पर स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी अधिकारी के खाली पदों को भरने का संबंध है, इन पदों के लिए व्यक्ति इन क्षेत्रों में उबलब्ध नहीं हैं और अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति इन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। इसलिए सचिव (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन द्वारा हाल ही में ली गई एक बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि राजभाषा विभाग एक संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रम बनाए जिससे कि इन क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में खाली पड़े हिन्दी पद भरे जा सके। अध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किया कि यह वांछनीय होगा कि हिन्दी अधिकारी के पद के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित हैं, उनको हिन्दी अधिकारियों के उन पदों के बारे में शिथिल किया जाए जो ऐसे स्थानों के आकाशवाणी केन्द्रों में खाली पड़े हुए हैं जहां स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले को राजभाषा विभाग/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया जाए।

3. श्री गोबिन्ददास बेलिया, उप, सचिव राजभाषा विभाग ने सूचित किया कि वित्त मंत्रालय आशुलिपिकों को अंग्रेजी आशुलिपि के कार्य के अतिरिक्त हिन्दी आशुलिपि का कार्य करने के लिए देय प्रोत्साहन राशि को 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिमास करने के लिए सहमत हो गया है।

4. "ग" क्षेत्र में बनाई जा रही हिन्दी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के बारे में श्री आशिष सन्याल के प्रश्न के उत्तर में श्री बी. के. जुत्शी ने बताया कि "ग" क्षेत्र में बनाई जा रही हिन्दी फिल्मों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से धनराशि रखना व्यवहार्य नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, भाषा/क्षेत्र का विचार किए बिना, देता है।

5. श्री मंजरूल अमीन ने कहा कि आकाशवाणी द्वारा प्रसारित हिन्दी कार्यक्रम उन दूर-दराज के देशों में नहीं पहुंचते हैं जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय निवासी हैं। महानिदेशक आकाशवाणी ने बताया कि प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आबंटित आवृत्तियों के अनुसार किए जाते हैं। मामले को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ उठाया गया है और उम्मीद है कि भारत को निकट भविष्य में अधिक आवृत्तियां आबंटित की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सातवीं योजना में कई सुपर आकाशवाणी ट्रांसमीटर बेंगलूर, दिल्ली और पणजी में लगाए जाएंगे। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर, प्रेषण अनेक विदेशों में पहुंचेगा।

6. श्री आशिष सन्याल तथा श्री एन. तोम्बी सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को राजभाषा पर कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री बी. के. जुत्शी ने बताया कि क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय इस समय विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, 20 सूत्री कार्यक्रम,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि जैसे राष्ट्रीय विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर केन्द्रित कर रहा है।

7. **श्री गिरिजा कुमार माथुर** ने कहा कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में कार्यक्रमों को तो हिन्दी में बनाया जाता है, किन्तु भाषण अंग्रेजी में दिए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जाना चाहिए और संस्थान में हिन्दी यूनिट की भी स्थापना की जानी चाहिए। इसके उत्तर में **मंत्री महोदय** ने बताया कि काफी संख्या में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न गुट निरपेक्ष देशों आदि से आते हैं और उनमें से अधिकांश को हिन्दी की जानकारी नहीं होती। इसके अलावा यह अपनी किस्म का एक अखिल भारतीय संस्थान होने के कारण यह देश के सभी क्षेत्रों के छात्रों को प्रवेश देता है। इसलिए प्रशिक्षण हिन्दी में देने की व्यवस्था करना संभाव्य नहीं होगा।

8. **श्री गिरिजा कुमार माथुर** ने कहा कि वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेते रहे हैं और उन्होंने यह पाया है कि मंत्रालय तथा इसके माध्यम एककों के पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

9. **श्री महादेव सुब्रमणियन** ने कहा कि विज्ञान शिक्षा पर कार्यक्रमों को हिन्दी में भी टेलीकास्ट किया जना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते।

## (4) गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक 26 जून 1987 को गृह मंत्री श्री बूटा सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक की कार्यवाही को आरम्भ करने से पूर्व समिति अध्यक्ष ने भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह और समिति के सदस्य श्री महेन्द्र प्रकाश कौशिक के निधन पर दो शोक प्रस्ताव रखे जो सर्वसम्मति से पारित हुए। बैठक की कार्यवाही को आरम्भ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि वर्षा ऋतु के कारण बैठक ईटानगर में नहीं बुलाई जा सकी परन्तु वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात् समिति की अगली बैठक अरुणाचल प्रदेश में रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय ने मंत्रालय में राजभाषा के संबंध में वर्ष 1986 के दौरान हुई प्रगति पर रोशनी डाली और कहा कि विशेषकर "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार करने के संबंध में, कमियां पाई गई हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2. समिति के सदस्य डा. रुद्र प्रताप सिंह ने अध्यक्ष महोदय को इस बात के लिए बधाई दी कि संसदीय राजभाषा समिति गृह मंत्री जी के कार्यकाल में अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा के क्षेत्र में जितना कार्य वर्तमान गृह मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ।

3. बैठक की कार्यसूची की मद सं. 2 पर बोलते हुए डा. मलिक मोहम्मद ने सुझाव दिया कि जिन शब्दों के हिन्दी पर्याय आम प्रचलित हो गए हों, उनके स्थान पर उनके हिन्दी पर्यायों का ही प्रयोग करना चाहिए जिस पर समिति अध्यक्ष ने अपनी सहमति प्रकट की।

4. कार्यसूची की मद सं. 3 के संबंध में गृह मंत्रालय में अपर सचिव श्री आई पी. गुप्त ने समिति को सूचित किया कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने पुनः यह अनुरोध किया है कि अंडमान निकोबार को राजभाषा के संबंध में फिलहाल "ख" क्षेत्र में ही रहने दिया जाए। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मंत्रालय में यह फैसला किया गया है कि यद्यपि अंडमान निकोबार को कुछ समय के लिए "ख" क्षेत्र में ही रहने दिया जाएगा, तथापि मंत्रालय की तरफ से इसके प्रशासन के साथ पत्राचार हिन्दी में ही किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय की यह भी प्रयास रहेगा कि इसे जल्दी से जल्दी "क" क्षेत्र में लाया जाए। इस पर श्री पांडिया तथा डा. रुद्र प्रताप सिंह ने अन्य सदस्यों के साथ जोर देकर कहा कि चूंकि वहां की जनता आम तौर पर हिन्दी बोलती व समझती है और उसकी यह आम राय है कि इसे "क" क्षेत्र में लाया जाए, इसलिए जनभावना का आदर करते हुए, इसे "क" क्षेत्र में लाया जाना आवश्यक है। समिति के सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि अच्छा होगा यदि अंडमान निकोबार को स्वतंत्रता दिवस पर "क" क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा कर दी जाए। समिति के लगभग सभी सदस्यों ने इस पर सहमति प्रकट की।

5. कार्यसूची की अगली मद पर अर्थात कम्प्यूटरों में देवनागरी के प्रयोग के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी०बी० महाजन ने समिति को सूचित किया कि इस विषय पर संसदीय राजभाषा समिति बड़े विस्तार से विचार कर रही है और इस पर अगला प्रतिवेदन आने वाला है। इसके अतिरिक्त एक अन्तः विभागीय समिति भी गठित की गई है जिसके प्रधान गृह राज्यमंत्री जी स्वयं हैं। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि द्विभाषी काम करने की क्षमता रखने वाले कम्प्यूटर प्रायः उपलब्ध तो हैं लेकिन बहुत सारे विभागों में नहीं लगाए गए। अध्यक्ष महोदय के पूछने पर सचिव (राजभाषा) ने बताया कि इस संबंध में संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन 29-30 तारीख को अनुमोदित करने के लिए बैठक बुला रही है।

6. कार्यसूची की अगली मद "शब्दावली निर्माण" के बारे में सचिव (राजभाषा) ने सूचित किया कि यह कार्य राजभाषा विभाग द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी

शब्दवली आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष डा. मलिक मोहम्मद ने शब्दावली निर्माण के संबंध में कहा कि उन्होंने सभी विषयों पर लगभग साढे पांच लाख शब्दों का निर्माण किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि शब्दावली बैंक की भी स्थापना करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उनके आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावली के प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा विभाग अपना सहयोग प्रदान करें।

7. अन्त में, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति के सदस्य डा. रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यन्वयन समितियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करवाकर उन्हें और अधिक सक्रिय बनाने की आश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिन मंत्रालयों ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अभी तक अधिसूचित नहीं करवाया, अधिसूचित करवा लें और जो कार्यालय अभी तक अधिसूचित हो चुके हैं उनके अध्यक्षों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने उन कार्यालयों में नियम 8(4) लागू करने संबंधी कार्यवाही करें।

### (5) विदेश मंत्रालय

दिनांक 22-6-1987 को विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व मंत्री महोदय ने विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाए जाने का उल्लेख किया। उदाहरण के रूप में उन्होने पोलैण्ड में क्रकाओं विश्वविद्यालयों का हवाला दिया जहां विश्वविद्यालय ने अपना पाठ्यक्रम तैयार किया है। चूंकि विदेश में कई और ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां ऊंचे स्तर पर हिन्दी सिखाई जाती है, मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग को चाहिए कि वह विदेशी विश्वविद्यालयों में इस समय निर्धारित हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा करें। इस पर सचिव (राजभाषा) श्री वी. बी. महाजन ने कहा कि यह उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि यह मामला उस विभाग के अन्तर्गत आता है विदेश मंत्री जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि राजभाषा विभाग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए और इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई जाए जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री, गृह मंत्री और सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सत्र के दौरान हिन्दी अनुवाद की सुविधाओं के बारे में विदेश मंत्री जी ने कहा कि न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सत्र के समय हिन्दी अनुवाद/व्याख्या में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वहां एक अधिकारी की उपस्थिति यथावत् बनी रहेगी यद्यपि इन सुविधाओं का अभी तक किसी ने उपयोग नहीं किया है। सदस्यों का यह सुझाव था कि अपने प्रतिनिधियों के बीच हिन्दी अनुवाद की सुविधाओं के उपलब्ध होने का प्रर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाने के लिए धन क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्व को यह बता देना चाहिए कि हमारी भी अपनी एक भाषा है। उनका विचार था कि कम से कम गैर-अंग्रेजी भाषी देशों, जैसे सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ जैसे देशों के साथ हिन्दी के प्रयोग की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। डॉ० शिव मंगल सिंह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल, फिजी और मारीशस जैसे देशों के साथ हिन्दी में पत्राचार क्यों नहीं किया जा सकता है।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का कहना था कि विदेश जाने वाले भारतीय प्रतिनिधियों को विदेश मंत्रालय द्वारा पृष्ठ भूमि सामग्री हिन्दी में दी जानी चाहिए और आवश्यक होने पर अंग्रेजी रूपान्तर दिया जाना चाहिए।

विदेशों में हिन्दी-प्रसार के कार्य में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की भूमि का उल्लेख करते हुए श्री चतुरानन मिश्र ने कहा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अनुसार परिषद् को विदेशों में हिन्दी के प्रसार का कार्य करने के लिए अब तक कोई विशिष्ट आदेश नहीं मिला है। विदेश मंत्री जी ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के महानिदेशक को निदेश दिया कि इस मामले को परिषद के अध्यक्ष के साथ उठाया जाय साथ ही, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, नेपाल, मारीशस, फीजी आदि जैसे देशों में हिन्दी के विद्वानों और लेखकों को भेजने का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाए।

श्री सुधारकर पाण्डे ने अपने सुझाव में कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् जो कुछ भी छापे वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। डॉ. कुमार विमल का कहना था कि विदेश जाने वाले कलाकारों को भारतीय संस्कृति पर पुस्तिका दी जानी चहिए ताकि वे विदेश पहुंच कर हमारी संस्कृति का प्रचार कर सकें। भारतीय संस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की कार्य प्रणाली में हिन्दी को उचित स्थान दिया जाना चाहिए और हिन्दी के प्रयोग के बारे में राजभाषा नियमों का परिषद् में पूरी तरह से अनुपालन किया जाना चाहिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने अपने सुझाव में कहा कि विदेश मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक उप समिति का

गठन किया जाना चाहिए। उन्हें अवगत कराया गया कि एक उप समिति के गठन का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री जी ने कहा कि चर्चा के विषय का क्षेत्र विशाल है परन्तु फिर भी जहां तक संभव होगा सदस्यों के सुझावों पर कार्यवाई करने के प्रयास किए जाएंगे। विदेश स्थित हमारे सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रकाशनों का चयन श्रेष्ठ होना चाहिए। विदेशों में दृश्य-श्रव्य साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि पुस्तकों का चयन सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के के अनुरूप किया जाना चाहिए और हिन्दी की छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और उन्होंने सुझाव दिया कि इन सभी सुझावों के लिए तीन सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया जाए जिसमें सर्वश्री गंगा शरण सिंह, नरेश चतुर्वेदी और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी सदस्य हों। इस इस समिति के संयोजक महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् होंगे।

## (6) शहरी विकास मंत्रालय:

शहरी विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक श्रीमती मोहसिना किदवई, शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 5 जून, 1987 को सम्पन्न हुई। अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्रालय में हो रहे हिन्दी सम्बन्धी कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया और मंत्रालय के सभी अधिकारियों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि उनके यहां राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों तथा इस बारे में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम का शक्ति से पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद 1. हिन्दी संस्था संघ को भवन आवंटन के बारे में श्री रामलाल पारीख का कहना था कि सघ को भवन आवंटन से संबंधित मामला काफी समय से चल रहा है, अतः इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि संघ को 75, जवाहरलाल नेहरू मार्ग के बराबर वाला भवन दे दिया जाए अथवा उन्हें राऊज एवेन्यू में कोई उपयुक्त मकान दिया जाए। कुछ चर्चा के बाद सम्पदा निदेशक ने कहा कि राऊज एवेन्यू में कोई भी उपयुक्त मकान खाली होते ही संघ को आवंटित कर दिया जाएगा।

2. मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन अनुभाग का शीघ्र गठन किया जाए तथा निदेशक (राजभाषा) के पद का सृजन किया जाए। सभी सदस्यों ने कहा कि यह मामला काफी लम्बा हो रहा है और मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक अलग और सुदृढ़ अनुभाग तथा निदेशक (राजभाषा) का पद अवश्य ही हो। मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए मैं इस मामले को देखूंगी।

3. मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि में भर्ती के समय हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की मांग की जाए। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री शम्भू दयाल ने स्पष्ट किया कि भविष्य में कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग से हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपिक के माध्यम से पास किए हुए कम से कम 25 प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक मांगे जाएं।

4. शहरी विकास मंत्रालय तथा सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि में हिन्दी पुस्तकों की खरीद। श्री रत्नाकर पाण्डेय ने कहा कि मंत्रालय तथा इसके अधीन कार्यालयों में पुस्तकालयों को हिन्दी पुस्तकों से उपयुक्त रूप से सज्जित किया जाए तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए धन में वृद्धि की जाए व पुस्तकालयों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो कैसेटों, टेपों आदि की व्यवस्था की जाए। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि, श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि पुस्तकालय के लिए निर्धारित कुल बजट का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय प्रतिवर्ष पुस्तकों की खरीद पर किया जाना चाहिए। मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया कि हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए धन वृद्धि की जाएगी।

5. देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद। सर्वश्री रामलाल पारीख तथा पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि सभी कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार भविष्य में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों में से 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के खरीदे जाने चाहिए।

6. सर्वश्री रामलाल पारीख और पन्नालाल शर्मा ने कहा कि हिन्दी पत्राचार में वृद्धि की जाए। उन्होंने विशेषकर राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण का उल्लेख किया, जिनके द्वारा कुछेक हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए थे। मंत्री महोदया ने सभी अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि हिन्दी पत्राचार में वृद्धि की जाए, हिन्दी में प्राप्त पत्रों अथवा हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए पत्रों के उत्तर हर हालत में हिन्दी में ही दिए जाएं तथा इस संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं।

7. श्री पन्नालाल शर्मा तथा अन्य सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम द्वारा चलाए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री

पन्नालाल शर्मा ने विशेष रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा हुडको के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इस बारे में यदि उन्हें कोई कठिनाई हो तो उनसे सम्पर्क कर सकते हैं ।

## (7) रेल मंत्रालय

रेल राज्य मंत्री, श्री माधव राव सिन्धिया की अध्यक्षता में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक 26 मई, 1987 को रेल भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

2. रेल राज्य मंत्री ने सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया कि बैठकों में और पत्रों द्वारा उनके ठोस सुझावों के फलस्वरूप रेलों में हिन्दी प्रसार की गति बढ़ रही है। रेल का जनता से सीधा सम्बन्ध है, इसलिए हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । सिकन्दराबाद में पिछली बैठक और अन्य आयोजनों का काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा है । भविष्य में इस दिशा में हम और अग्रसर होंगे ।

3. श्री सिंधिया ने सदस्यों को बताया कि रेल मंत्रालय ने पहल करके इलैक्ट्रानिक उपकरणों के द्विभाषीकरण पर गहराई से विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी । इस समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है । आरम्भिक कदम के रूप में नई दिल्ली में कम्प्यूटर द्वारा टिकटों पर स्टेशन, गाड़ी आदि का नाम हिन्दी में छापना शुरू कर दिया गया है । रेलों पर प्रयुक्त सभी प्रकार के यांत्रिक और इलैक्ट्रानिक उपकरणों में द्विभाषी प्रक्रिया लागू करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाएगी ।

4. समिति के सदस्य सचिव, निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड ने रेलों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति की रपट प्रस्तुत करते हुए सदस्यों को बताया कि:—

1. न केवल नितान्त हिन्दी भाषी पूर्वोत्तर रेलवे के कई छोटे-छोटे स्टेशन अंग्रेजी को अलविदा कहने की स्थिति में आ गए हैं, बल्कि हिन्दीतर भाषी क्षेत्र दक्षिण-मध्य रेलवे के हैदराबाद, काजीपेट, विजयवाड़ा आदि स्थित रेल कार्यालयों में भी हिन्दी प्रयोग-प्रसार के लिए अपूर्व जागृति है ।

2. हाल में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि जिन रेल कार्यालयों में 100 और इससे अधिक कर्मचारी (श्रेणी 3 और इससे ऊपर) तैनात हैं, वहां भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं ।

3. बोर्ड कार्यालय में दिसम्बर, 86 की तिमाही में धारा 3(3) का 98% और क्षेत्रीय रेलों मे 87.4% पालन हुआ है । हिन्दी पत्रों के 100% उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं ।

4. बोर्ड कार्यालय द्वारा "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिसम्बर, 86 की तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में 11.1% अधिक अर्थात् 68.1% मूल पत्र हिन्दी में लिखे गए । "क" क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को 51% पत्र मूलतः हिन्दी में भेजे गए, लेकिन 100% का लक्ष्य अभी प्राप्त करना है।

5. क्षेत्रीय रेलों द्वारा "क" और 'ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को 78.5 % पत्र मूलतः हिन्दी में लिखे गए, जबकि "क" क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को 90.1% मूल पत्र हिन्दी में भेजे गए । इन मदों में 100 % की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

5. 9-2-87 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई के विवरण पर चर्चा करते हुए सदस्यों को बताया गया कि :—

13. श्री रतनचन्द "धीर" द्वारा द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टंकण मशीनें ही खरीदे जाने का प्रश्न उठाए जाने पर स्पष्ट किया गया कि पुराने वेतनमान में 3,000/- रुपए से अधिक वेतन वाले अधिकारियों के लिए इलैक्ट्रानिक टाइप मशीन की व्यवस्था करने के आदेश हैं । इस संबंध में रेलों को पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि इलैक्ट्रानिक टाइप मशीनें भविष्य में नियमानुसार द्विभाषी खरीदी जाएं, केवल रोमन में नहीं ।

6. श्री रतनचन्द "धीर" का कहना था कि जिन स्थानों पर रेलों में हिन्दी में अधिक कार्य हो रहा है, वहां देवनागरी के टाइपराइटर अधिक होने चाहिएं और टाइपराइटरों का पूरा उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए । इस संबंध में उन्हें बताया गया कि रेलों को इस आशय की हिदायत पहले से है कि हिन्दी टाईपिंग/आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप देवनागरी टाइपराइटर नियमानुसार अवश्य खरीदे जाएं, ताकि प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का समुचित उपयोग हो सके ।

15. कार्यसूची की विषय संख्या 5.5 और 5.6 के संदर्भ में श्री रमानाथ अवस्थी ने इस ओर ध्यान दिलाया कि कई स्टेशनों पर देवनागरी टाइपराइटर न होने के कारण आरक्षण चार्ट हाथ से लिखे जाते हैं, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है । इस पर मंत्री जी ने निर्णय लिया कि मापदण्ड के अनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां रोमन के टाइपराइटर हैं, वहां देवनागरी टाइपराइटर की व्यवस्था होनी चाहिए और तदनुसार व्यवस्था कर दी जाए ।

7. डा. बलदेव वंशी का कहना था कि जो वातानुकूल नए डिब्बे बनकर आ रहे हैं, उनमें अधिकांश संकेताक्षर केवल अंग्रेजी में लिखे होते हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें

हिन्दी में भी लिखा जाना चाहिए । इस पर स्पष्ट किया गया कि इस आशय के आदेश पहले से विद्यमान हैं, फिर भी, इस संबंध में सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर का ध्यान पुनः दिला दिया जाएगा ।

23. श्री राधाकृष्ण मूर्ति ने सुझाव दिया कि रेलवे के खिलाड़ियों को जो वर्दी दी जाती है, उस पर अंग्रेजी के साथ-साथ देवनागरी लिपि में भी भारतीय रेल/ क्षेत्रीय रेल आदि का नाम अंकित रहना चाहिए । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

8. डा. लक्ष्मीनारायण दुबे ने यह भी सुझाव दिया कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में विद्वान मनीषियों के सुभाषित लिखे रहने चाहिए, जो भारत की एकता और अखण्डता के प्रतीक हों । इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है ।

## (8) श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 11वीं बैठक श्रम मंत्री, श्री पूर्णो ए. संगमा की अध्यक्षता, में 25-5-1987 को श्रम शक्ति भवन , नई दिल्ली में हुई । बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग की हिन्दी टिप्पण और आलेखन नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 के लिए मंत्रालय के कर्मचरियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए ।

2. मद-1 (ii) हिन्दी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मुख्य धारा से जोड़कर हिन्दी स्तर पदोन्नतियां देने (और मद-1 (iii) हिन्दी भाषी क्षेत्र में परीक्षार्थी को हिन्दी या अंग्रेजी की टाईपिंग की परीक्षा का विकल्प न देकर केवल हिन्दी टाईपिंग की ही परीक्षा लेने) के बारे में सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि इन मामलों को संबंधित विभाग के साथ उठाया गया है और उन्हें अनुस्मारक भी भेजे जा रहे हैं । उत्तर प्राप्त होने पर समिति को स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा ।

3. श्रम मंत्रालय के आन्ध्र प्रदेश स्थित कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने के बारे में सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि इस आशय के निर्देश पुनः जारी कर दिए जाएंगे ।

4. "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों और हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर चर्चा करते हुए डा. (श्रीमती) सरोजिनी अग्रवाल ने बताया कि कल्याण आयुक्त, बेंगलूर के कार्यालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने इसी संबंध में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की ओर ध्यान दिलाया । इस पर मुख्य श्रमायुक्त (कें) ने उन्हें बतलाया कि कुछ सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं । श्री प्रधान ने आंध्र प्रदेश स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में हिन्दी पुस्तकों पर हुए खर्च पर असंतोष व्यक्त किया । टाइपराइटरों की खरीद संबंधी स्थिति के बारे में भी समिति कुछ अधिक संतुष्ट नहीं थी । समिति को आश्वासन दिया गया कि सभी कार्यालयों को इस आशय के निर्देश पुनः दे दिए जाएंगे कि वे राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षा के अनुसार हिन्दी पुस्तकों और देवनगारी टाइपराइटरों की खरीद करें।

5. बहुभाषी कम्प्यूटर लगाने पर विचार करना सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि इस संबंध में सामान्य आदेश यह है कि द्विभाषी कम्प्यूटर लगाए जाएं। उन्होंने चाहा कि यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई हो तो वह राजभाषा विभाग के ध्यान में लाई जाए ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके ।

6. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों में परस्पर तालमेल पैदा करना ।

सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि राजभाषा विभाग "राजभाषा भारती" नामक पत्रिका निकालता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों के कार्यवृत्त भी शामिल रहते हैं और भविष्य में उक्त पत्रिका की प्रतियां सभी सदस्यों को भी उपलब्ध करा दी जाएंगी ।

7. हिन्दी टाइपराइटरों और हिन्दी टंककों की समुचित व्यवस्था ।

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि मंत्रालय के कई अनुभागों को देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराएं गए हैं । उन्होंने कहा कि मंत्रालय के पास अतिरिक्त देवनागरी टाइपराइटर भी मौजूद हैं जो मांगने पर आवश्यकतानुसार अनुभागों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं । उन्होंने मंत्रालय के सी. आर. अनुभाग में हिन्दी पत्रादि टाइप करने के लिए की गई व्यवस्था का भी उल्लेख किया । डा. (श्रीमती) अग्रवाल ने कहा कि बल आवश्यकता की बजाए व्यवस्था पर दिया जाना चाहिए । अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हर अनुभाग में एक-एक हिन्दी टाइपराइटर अनिवार्यतः होना चाहिए । श्री बैरागी ने कहा कि हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है परन्तु फिर भी मंत्रालय तदनुसार हिन्दी मशीनें नहीं खरीदते । अध्यक्ष महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि इस संबंध में राजभाषा विभाग के आदेशों के संदर्भ में स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी और कमी को पूरा करने के लिए और अधिक टाइपराइटर खरीदे जाएंगे ।

8. मंत्रालय व उसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग इत्यादि की स्थिति।

डा० (श्रीमती) अग्रवाल ने कहा कि यद्यपि मंत्रालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या काफी है, तथापि हिन्दी में वस्तुतः काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम प्रतीत होती है। सदस्य सचिव ने बताया कि प्रपत्र में केवल 25% या अधिक और 50% या अधिक काम हिन्दी में करने वालों की संख्या देने की अपेक्षा की है। 25% से कम काम करने वाले कर्मचारी होंगे मगर प्रपत्र में उनकी संख्या दर्शाने का प्रावधान नहीं है। सचिव, राजभाषा ने कहा कि यह निर्धारित करना भी बहुत कठिन है कि कोई कर्मचारी अपना कितना काम हिन्दी में करता है। अतः हमें अधिक ध्यान पत्र-व्यवहार के संबंध में दिए गए आंकड़ों की ओर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजभाषा विभाग शीघ्र ही एक प्रपत्र तैयार करके सभी मंत्रालयों को भेजेगा जिसका उद्देश्य यह होगा कि प्रपत्र में भरी हुई सूचना का अवलोकन करते ही यह मालूम हो जाए कि निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और उनकी तुलना में उपलब्धि कितनी हो पाई है।

श्री महाजन सचिव, राजभाषा विभाग ने टिप्पणी की कि मंत्रालय के कुछ अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति कुछ अधिक संतोषजनक नहीं है और वहां सुधार की गुंजाइश है। समिति को आश्वासन दिया गया कि सभी कार्यालयों को हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए पुनः निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

9. श्री सत्यनारायण गुप्त ने कहा कि हैदराबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल पर नाम हिन्दी में अंकित नहीं है। सम्भवतः "ग" क्षेत्र में स्थित अन्य औषधालयों के संबंध में भी यही स्थिति होगी। इन औषधालयों में प्रयुक्त फार्मों/लिखन सामग्री आदि में भी हिन्दी के प्रयोग का अभाव है। अपर सचिव, श्रम मंत्रालय ने बताया कि प्रश्नगत औषधालय राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन आते हैं तथापि उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिख दिया जाएगा।

## (9) वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक 20 मई, 1987 उप मंत्री श्री एस० कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं विशेषकर दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का मंत्रालय के सभी संगठनों द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया जाए और दूसरे राजभाषा संबंधी 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से हिन्दी में मूल पत्राचार को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि हिन्दी में दक्षता प्राप्त अधिकारी रोजाना एक या दो पत्र हिन्दी में अवश्य लिखें तथा वे अपनी टिप्पणियां भी यथा सम्भव हिन्दी में ही लिखें। उन्होंने कहा कि 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां सभी कार्यालयों को पहले ही भेज दी गई हैं तथा उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय खास तथा इसके विभिन्न संगठनों द्वारा सभी प्रयास किए जाएं।

2. संयुक्त सचिव (श्री चीमा) ने कहा कि मैं माननीय सदस्यों को उनके द्वारा पिछली बैठक में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराना चाहूंगा। मंत्रालय के लिए हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था करने के संबंध में उन्होंने बताया कि मंत्रालय में हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था करने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था जिसने यह सूचित किया है कि फ़िलहाल वाणिज्य मंत्रालय से अंतरित स्टाफ से कार्य चलाला जाए और इस स्थिति की 6 महीने या एक वर्ष के बाद समीक्षा की जा सकती है, जबकि वास्तविक कार्य का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का एस० आई० यू० कार्यभार और स्टाफ की आवश्यकता के बारे में और साथ ही हिन्दी प्रभाग सहित सामान्य सेवाओं के विभाजन के बारे में आन्तरिक कार्य अध्ययन करेगा।

3. कपड़े पर कीमत की द्विभाषी छपाई के निर्णय के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक आदेश वस्त्र आयुक्त की दिनांक 29-4-87 की अधिसूचना संख्या सी०ई० आर/13/87-सी०आई०बी० के अन्तर्गत पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

4. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंत्रालय के 10 संगठनों में हिन्दी दिवसों/हिन्दी सप्ताहों/हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा व्यावर में आयोजित संगोष्ठी में हिन्दी सलाहकार समिति के दो सदस्यों ने भी भाग लिया था। कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में वस्त्र मंत्रालय के एक निरीक्षण दल ने, जिसमें उप सचिव, उप निदेशक (रा०भा०) सहायक, निदेशक (रा०भा०) शामिल थे, मंत्रालय के बम्बई और दिल्ली स्थित कार्यालयों का दौरा किया।

5. मंत्रालय के प्रत्येक संगठन में हिन्दी टाइपराइटरों हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी स्टनोग्राफरों की संख्या बढ़ायी जाए। वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था की जाए। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संदर्भ में श्री जगदम्भी प्रसाद यादव संसद सदस्य ने कहा कि उक्त संगठन को "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र के साथ अपना 10% पत्राचार हिन्दी में करना अपेक्षित है किन्तु हिन्दी टाइपराइटर या हिन्दी स्टनोग्राफर के न

होने की स्थिति में उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे इन क्षेत्रों से अपना पत्राचार हिन्दी में कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय में अभी तक फार्मों को द्विभाषी रूप में तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यालय के सभी फार्म द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएं; राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएं तथा मंत्रालय के अधिकारियों को हिन्दी के प्रयोग की प्रगति से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उक्त कार्यालय का निरीक्षण करना चाहिए। सचिव (राजभाषा), श्री बी०बी० महाजन ने कहा कि फार्मों को हिन्दी रूपान्तर के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजा जा सकता है।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिन्दी में मूल पत्राचार किया जाए तथा हिन्दी में तार भेजे जाएं। भारतीय रूई निगम के कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि उनके कार्यालय ने अब हिन्दी में तार भेजने का कार्य शुरू कर दिया है तथा हिन्दी में मूल पत्राचार के संबंध में उनका कार्यालय वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 50% के लक्ष्य की तुलना में 70% के स्तर तक पहुंच गया है। समिति ने इस प्रगति पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि भारतीय रूई निगम में 160 अधिकारियों में से 39 अधिकारी अपना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं। भारतीय रूई निगम के अधिकारी ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि इस कमी को दूर करने की दृष्टि से उनके कार्यालय ने दो प्रोत्साहन योजनाएं चालू की हैं। जिनमें शामिल हैं (3) मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में टिप्पण और प्रारूपण के लिए नकद प्रोत्साहन योजना (2) चल शील्ड योजना।

7. अधिक से अधिक अधिकारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

8. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाए।

9. सभी संगठनों द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

सदस्यों ने क्षेत्र 'क' में स्थित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ में हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रगति पर असंतोष प्रकट किया और इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय यह देखे कि राजभाषा संबंधी 1987–88 के वार्षिक कार्यक्रम को इस संगठन में कार्यान्वित किया जाए।

वस्त्र सचिव ने सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे सचिव, राजभाषा विभाग के विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने इस बैठक के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया।

## (10) योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक योजना राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 19 मई, 1987 को हुई।

2. बैठक प्रारम्भ करते हुए अध्यक्ष ने योजना मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में उनके द्वारा ली जा रही रूचि के लिए उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

3. सदस्यों ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि योजना आयोग में हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए बनाई गई "कौटिल्य पुरस्कार योजना" राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है, लेकिन उनका यह विचार था कि इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बहुत कम है। अध्यक्ष ने बताया कि पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था लेकिन उस मंत्रालय ने इसे यह कह कर स्वीकार नहीं किया कि इस योजना को एक-दो वर्ष चलाने के बाद ही पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का मामला उठाया जाए।

4. योजना पत्रिका को आयोग द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बारे में कार्यवृत्त पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में श्री शिव कुमार वत्स का कहना था कि जन-साधारण को योजना के बारे में सरल भाषा में बताने के लिए योजना आयोग को एक पत्रिका निकालनी चाहिए।

5. राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी० बी० महाजन, श्री सूरज प्रसाद, श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, श्री कृष्ण दत्त आदि सदस्यों और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री पन्ना लाल शर्मा ने राजभाषा नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि योजना आयोग द्वारा "क" क्षेत्र के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों में हिन्दी पत्रों का प्रतिशत बहुत कम है। सदस्यों ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ऐसे पत्रों की संख्या 80 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि यह लक्ष्य प्रतिशत एकदम में प्राप्त न भी किया जा सके तो वर्तमान प्रतिशत बढ़ाना नितान्त आवश्यक है।

6. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है और इसके प्रतिशत को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

7. श्री मुकुल चन्द पांडेय ने उपनिदेशक (राजभाषा) के पद को निदेशक (राजभाषा) के पद के रूप में उन्नयन करने के प्रस्ताव और हिन्दी अनुभाग को सुदृढ़ बनाने के उपायों के बारे में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया। निदेशक (प्रशासन), ने समिति को बताया कि वित्त

मंत्रालय द्वारा निदेशक (राजभाषा) संबंधी प्रस्ताव यह कह कर अस्वीकृत कर दिया गया है कि हिन्दी अनुभाग का मौजूदा आकार इतना नहीं है कि निदेशक के पद के लिए स्वीकृति दी जा सके। हिन्दी अनुभाग के लिए जिन विभिन्न पदों की आवश्यकता होगी, उनके बारे में एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा। इन पदों के सृजन के बाद निदेशक (राजभाषा) के पद का मामला भी वित्त मंत्रालय के साथ फिर से उठाया जाएगा।

8. श्री सूरज प्रसाद और श्री जगदम्बी प्रसाद यादव द्वारा पूछे जाने पर अध्यक्ष ने बताया कि जहां तक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का संबंध है, उसका शत-प्रतिशत पालन योजना मंत्रालय में किया जा रहा है।

9. श्री जगदम्भी प्रसाद यादव द्वारा यह सुझाव दिया गया कि योजना आयोग को राजभाषा हिन्दी की प्रगति के बारे में योजना बनानी चाहिए। अध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार के कार्य-आवंटन नियमों के अनुसार इसकी जिम्मेदारी राजभाषा विभाग की है।

### (11) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग तथा बीमा सहित)

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति (बैंकिंग तथा बीमा सहित) की बैठक दिनांक 8-5-1987 को वित्त राज्य मंत्री (पी) की अध्यक्षता में हुई। कार्यवृत्ति की मद संख्या 3 पर चर्चा आरम्भ करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव श्री महाजन ने कहा कि नए भर्ती होने वाले आशुलिपिकों में हिन्दी के आशुलिपिक ज्यादा आते हैं और समस्या यह होती है कि अधिकतर विभाग उन्हें वापिस भेज देते हैं। मूल पत्राचार के बारे में राजभाषा सचिव ने टिप्पणी की कि जांच बिन्दुओं को ठीक किया जाए। मंत्री जी ने आदेश दिया कि राजभाषा नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रधान श्री सुब्रह्मणियन द्वारा सुझाई गई विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दी जाने वाली प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री को हिन्दी में दिए जाने पर की गई टिप्पणी को अस्पष्ट बताया। मंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि इस मुद्दे को सचिव, रा० भा० द्वारा स्पष्ट किया जाए और इसे अगली बैठक में शामिल किया जाए। "क" क्षेत्र के राज्यों की योजना एवं बजट संबंधी सुझाव पर चर्चा करते हुए श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें हिन्दी में भेजा जाए। मंत्री जी ने आदेश दिया कि "क" क्षेत्र में मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख दिया जाए कि वे जो भी पत्र इस मंत्रालय को लिखें, वह हिन्दी में लिखें।

विभाग में टैलेक्स, टेलीफोन और कम्प्यूटर पर चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन उपकरणों के द्विभाषी न होने से हिन्दी के प्रयोग में कमी आ गई है। श्री यादव और डा० रत्नाकर पाण्डेय ने हिन्दी का टेलीप्रिंटर लगवाने का सुझाव दिया। मंत्री महोदय ने वित्त मंत्रालय में टेलीप्रिंटर हिन्दी में लगवाने का आदेश दिया।

श्री प्रभात शास्त्री ने बैंकों में पास बुक जमा करने पर रसीद देने का प्रश्न उठाया। श्री मंत्रेश्वर झा ने स्पष्ट किया कि बैंकों में पास बुक जमा करवाने पर रसीद देने का नियम है और भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है कि इस संबंध में वह सभी बैंकों को निर्देश दें। पास बुक में जमा की गई और निकाली गई राशि को शब्दों और अंकों में लिखने पर श्री शास्त्री ने जोर दिया।

### (12) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की चौथी बैठक में सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष श्री हरिकिशन लाल भगत ने उन्हें बताया कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार विभागों को सरकारी कामकाज में हिन्दी का सबसे अधिक प्रयोग करने के लिए हर साल राजभाषा शील्ड और ट्राफियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1985-86 का प्रथम पुरस्कार—(राजभाषा शील्ड) हमारे खाद्य विभाग को प्राप्त हुआ। इसके अलावा, इस विभाग के कुछ अधिकारियों को सरकारी काम में हिन्दी के अधिक प्रयोग में योगदान के लिए राजभाषा पदक भी प्रदान किए गए। इस पुरस्कार के प्राप्त करने में समिति-सदस्यों के रचनात्मक सुझावों और राजभाषा के कार्य में उनकी अभिरूचि का बहुत योगदान है। अध्यक्ष महोदय ने मंत्रालय के उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे अपने उपक्रमों में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक प्रयास करें।

2. पिछली बैठक में लिए गए निणयों पर चर्चा करते हुए संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य विभाग ने समिति को बताया कि खाद्य विभाग में जिन 126 आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलाया जाना बाकी था, उनमें से 16 कर्मचारी इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि, विभाग ने इस प्रशिक्षण के लिए 20 व्यक्तियों को नामित किया था लेकिन रेल भवन प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता सीमित होने के कारण केवल 13 व्यक्तियों को दाखिला मिला। विभाग और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सभी फार्मों तथा मैनुअलों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है। उन्होंने समिति को बताया कि जिन कार्यालयों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में नहीं दिए थे, उन्हें विशेष रूप से कहा गया है कि वे हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिया करें।

3. मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन की नकद पुरस्कार योजना में संशोधन करने सम्बन्धी डा. के.एस. मणि के प्रस्ताव के बारे में राजभाषा सचिव श्री बी.बी.महाजन ने समिति को

बताया कि भारत सरकार का प्रत्येक कार्यालय इस नकद पुरस्कार योजना को स्वतन्त्र रूप से लागू कर सकता है। कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला व असमिया हो उनके काम का मूल्यांकन करते समय 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंक देने की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जहां तक पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का सम्बन्ध है, इस बारे में विचार हो रहा है।

खाद्य विभाग और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए सचिव, राजभाषा श्री महाजन ने कहा कि पत्राचार के बारे में खाद्य विभाग की स्थिति अन्य मंत्रालयों और विभागों की तुलना में काफी अच्छी है लेकिन विभाग का "क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में 68.55 प्रतिशत का पत्राचार हिन्दी में शत-प्रतिशत पत्राचार करने के लक्ष्य की तुलना में कम है। 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त छमाही के दौरान विभाग के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन क्रमशः 92.50 प्रतिशत, 62.71 प्रतिशत और 7.18 प्रतिशत हुआ। इन कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर क्रमशः 88.78 प्रतिशत, 94.23 प्रतिशत और 29.72 प्रतिशत दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, गुवाहाटी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्योंकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य है, इसलिए इस सम्बन्ध में इन अधीनस्थ कार्यालयों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, गुवाहाटी का इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया जाना चाहिए। संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य विभाग ने बताया कि राजभाषा सचिव ने जिन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उनकी ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

5. सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि देवनागरी में तार भेजने के बारे में भारतीय खाद्य निगम की स्थिति अच्छी नहीं है। दोनों छमाहियों में कोई भी तार देवनागरी में नहीं भेजा गया है। भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि ने समिति को विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में निगम देवनागरी में तार भेजने का पूरा प्रयास करेगा।

6. मानकों को हिन्दी में तैयार कराने के बारे में चर्चा करते हुए राजभाषा सचिव ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लगभग 13,000 मानक तैयार किये गए हैं लेकिन इनमें से केवल 47 मानक ही हिन्दी में छपे हुए हैं। इनकी भी सौ-सौ प्रतियां छापी गई हैं। यह जरूरी है कि भारतीय मानकों की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी मानकों का हिन्दी में अनवाद किया जाए।

इस सम्बन्ध में भारतीय मानक ब्यूरो के डा. सिंह ने समिति को बताया कि ब्यूरो केवल उन मानकों का हिन्दी में अनुवाद कराने का प्रयास कर रहा है जिनका सम्बन्ध उपभोक्ता से है। ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए अधिकांश मानक उद्योग, विज्ञान, टैक्नोलाजी आदि से सम्बन्धित हैं और इनका उपभोक्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है। राजभाषा सचिव का यह सुझाव था कि बाकी मानकों का भी हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हिन्दी जानने वाले व्यक्ति इन से लाभ उठा सकें।

7. श्री मन्नुलाल यदु का सुझाव था कि अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भी कार्यशालाएं आयोजित की जांए। संयुक्त सचिव (प्रशासन) खाद्य विभाग ने बताया कि खाद्य विभाग में वर्ष 1986-87 के दौरान तीन कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं और विभाग के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कुल मिला कर 26 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिन में से 7 कार्यशालाएं अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आयोजित की गईं। विभाग ने निगमों और कम्पनी के कार्यालयों में 5 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

संयुक्त सचिव (प्र.), नागरिक पूर्ति विभाग ने समिति को बताया कि नागरिक पूर्ति विभाग में वर्ष 1986 में दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों में दो-दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

8. श्री लक्ष्मी नारायण, संसद सदस्य का सुझाव था कि अहिन्दी राज्यों के बारे में पत्राचार सम्बन्धी जानकारी राज्यवार प्रस्तुत करने से अधिक लाभ होगा। इस संबंध में राजभाषा सचिव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि भाषा की दृष्टि से देश के विभिन्न राज्यों को "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में बांटा गया है और पत्राचार के बारे में इनके लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और भारत सरकार के कार्यालयों को इस विभाजन के अनुसार सूचना एकत्रित करने के लिए निदेश दिए गए हैं। पत्राचार के बारे में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं इसलिए राज्यवार सूचना एकत्रित करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता तथापि, इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

### (13) उद्योग मंत्रालय

उद्योग मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक दिनांक 27 मार्च, 1987 को उद्योग मंत्री श्री जे. वेंगलराव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में श्री कमलाकान्त तिवारी, राज्य मंत्री (सरकारी उद्यम) तथा श्री एम. अरुणाचलम, राज्य मंत्री (औद्योगिक-विकास) ने भाग लिया। बैठक में अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त राजभाषा सचिव श्री बी.बी. महाजन भी उपस्थित थे।

1. सदस्यों ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों में हिन्दी में हो रहे पत्राचार की प्रतिशतता की सराहना की तथा यह आशा व्यक्त की कि उस कार्यालय द्वारा इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। सरकारी उद्यम विभाग द्वारा किए गए पत्राचार के प्रतिशत की ओर श्री सुधाकर पाण्डेय ने उपाध्यक्ष का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया और अनुरोध किया कि उनके अपने विभाग के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत और बढ़ाया जाना चाहिए।

2. उद्योग मंत्रालय में हिन्दी भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी के माध्यम से करने के लिए अनिवार्य कर दिए जाने की सदस्यों की मांग का उत्तर देते हुए भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा सचिव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा करना संभव नहीं है, फिर भी सभी अधिकारियों को अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. उद्योग मंत्रालय में हिन्दी व्यवहार की प्रगति सूचक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाए, जिसमें केन्द्र तथा राज्यों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों को दिखाया जाए। विभिन्न विभागों से परामर्श करके इस सम्बन्ध में आगामी कार्रवाई की जाए।

4. राज्यों में उद्योग मंत्रालय के कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारियों की तैनाती व हिन्दी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी से कोई दूसरा काम और अन्य अधिकारी या कर्मचारी से हिन्दी का काम न लेने पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक में हिन्दी के कौन-कौन से पद खाली हैं और उनके भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी सदस्यों को दी जाएगी। साथ ही इस आशय के स्पष्ट आदेश दे दिए जाएंगे कि हिन्दी अधिकारी या कर्मचारी अथवा हिन्दी अनुवादक से कोई दूसरा काम और अन्य अधिकारी या कर्मचारी से हिन्दी का काम न लिया जाये।

5. हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित उद्योग मंत्रालय के शाखा कार्यालयों में जो भी निदेशक अथवा उच्च अधिकारी रखे जाएं उन सबको हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य किये जाने की मांग पर समिति को यह सूचित किया गया कि हिन्दी का कार्य देखने के लिए ऐसे अधिकारी को तैनात किया जाता है जिसको हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त है।

6. 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाने और अन्य अवसरों पर भी हिन्दी व्यवहार सम्बन्धी आयोजन रखे जाने की व्यवस्था करने के बारे में समिति को सूचित किया गया कि औद्योगिक विकास विभाग तथा इसके अधीनस्थ कई कार्यालयों द्वारा हिन्दी सप्ताह/दिवस का आयोजन किया गया।

7. "क" क्षेत्र के राज्यों में केवल हिन्दी भाषा में ही पत्र-व्यवहार करने के लिए राज्य मंत्री ने समिति को सूचित किया कि "क" क्षेत्र के राज्यों से ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जाता है और इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। यदि उन प्रदेशों से अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होते हैं तो भी उनका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

8. गैर-सरकारी (निजी) क्षेत्र के उपक्रम तथा उद्योगों में भी हिन्दी भाषा के सक्रिय-उपयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में बताया गया कि धीरे-धीरे गैर-सरकारी क्षेत्र को भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। इस पर श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि निजी कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस देते समय इस आशय का एक क्लाज जोड़ने के बारे में विचार किया जाए कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के गैर-सरकारी उपक्रमों तथा उद्योगों को भी हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार के अन्य कानूनों की भांति राजभाषा सम्बन्धी कानून भी उन पर लागू होता है।

श्री रत्नाकर पाण्डेय ने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 24-10-86 को औद्योगिक विकास विभाग के निरीक्षण के समय दिए गए आश्वासनों का उल्लेख करते हुए पुनः जोर दिया कि उस समय किए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने निदेशक का पद स्वीकृत किए जाने, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कर्मचारियों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने, यांत्रिक सुविधाएं द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने तथा पुस्तकालय में हिन्दी की पुस्तकों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

# (ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक

## (1) तिरुअनन्तपुरम

तिरुअनंतपुरम् नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दसवीं बैठक तारीख 29-6-87 को समिति के अध्यक्ष और महाडाकपाल श्री.सी.जे. मात्यू, की अध्यक्षता में संपन्न हुई । समिति के सदस्य-सचिव, श्री.डी. कृष्ण पणिक्कर ने निष्पादन-रिपोर्ट पेश करते हुए सदस्यों को इस बात पर बधाई दी कि 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य यथासंभव प्राप्त कर लिया गया है । साथ ही, कार्यालयाध्यक्षों से उन्होंने यह अनुरोध किया कि वर्ष 1987-88 के कार्यक्रम को भी पूरा-पूरा अमल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई से अभी शुरु करें । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार नीति को ईमानदारी से अमल करने में पसन्द-नापसन्द का सवाल ही नहीं । सरकार की भाषा नीति को सुचारु रूप से अमल करना, हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य है ।

हर एक राजपत्रित एकक में, एक-एक हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध करा देने और वहां हिन्दी के कार्य देखने के लिए एक-एक कर्मचारी को विशेष वेतन मंजूर करने की, डाक-तार विभाग की नीति का उदाहरण देते हुए अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि दूसरे विभाग भी ऐसा करके, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को आगे ले जाएं ।

सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह मांग की कि "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में भी दूसरे क्षेत्रों के बराबर हिन्दी पदों का सृजन किया जाए, क्योंकि अनुवाद आदि की आवश्यकता "ग" क्षेत्र में, "क" और "ख" क्षेत्रों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है ।

फिलहाल पत्रादि पहले अंग्रेजी में जारी करके लिखा जाता है कि हिन्दी पाठ बाद में जारी किया जाएगा । समिति की तरफ से सदस्य-सचिव श्री पणिक्कर ने सुझाव दिया कि सभी संबंधितों को आदेश दिया जाए कि पत्रादि पहले हिन्दी में जारी किया जाए और बाद में अंग्रेजी पाठ जारी किया जाए क्योंकि हिन्दी ही राजभाषा है, उसे ही प्राथमिकता दी जानी है । भारत सरकार के उपसचिव श्री वीर अभिमन्यु कोहली ने समिति के क्रियाकलापों पर संतोष प्रकट करते हुए सदस्यों को सलाह दी कि रकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का कार्यक्षेत्र और बढ़ाय जाए। हिन्दी कार्यशालाओं के संचालन में जो ढिलाई देखी गई है, उसे अगली बैठक के पहले ठीक कर ले । लक्ष्य-प्राप्ति में पीछे रह गये दफ्तरों को सघन प्रयास करके आगे खड़े दफ्तरों के बराबर आने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया । उन्होंने यह सूचित किया कि कार्यान्वयन के और कार्यालय कायम करने का मामला सरकार के विचाराधीन है और यथा-समय उचित निर्णय लिया जाएगा । हिन्दी को अमल करने के वास्ते, प्रोत्साहन योजनाओं के असरदार कार्यान्वयन का आह्वान करते हुए उन्हों ने सबका उत्साह बढ़ाया ।

## (2) बेंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर की इस वर्ष की पहली बैठक एच.एम.टी. बेंगलूर के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एम.आर. नायडू की अध्यक्षता में दिनांक 10 अगस्त, 87 को सम्पन्न हुई । बैठक में राजभाषा विभाग के उप निदेशक (का.) श्री रामचन्द्र मिश्र प्रतिनिधि अधिकारी के रूप में उपस्थित हुए । बैठक में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने नगर समिति को हैदराबाद में हुए राजभाषा सम्मेलन में शील्ड दिए जाने का श्रेय बेंगलूर स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारियों को देते हुए यह आशा और विश्वास व्यक्त किया कि राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में और अधिक निष्ठा से प्रयत्न किए जाएंगे । राजभाषा विभाग के उप निदेशक (का.) श्री मिश्र ने विस्तार से वार्षिक कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला और तिमाही रिपोर्टों को सही प्रकार से भरे जाने, हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइप तथा शार्टहैंड का प्रशिक्षण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने तथा हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने, पत्राचार तथा आंतरिक टिप्पण और प्रारूप लेखन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय करने की अपील की । भारत गोल्ड माईस के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने के.जी.एफ. में हिन्दी शिक्षण योजना का केन्द्र खोलने तथा हिन्दी प्राध्यापक सुलभ कराने के लिए अनुरोध किया । उनसे कहा गया कि वे प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के आंकड़े भेजें तो उस पर राजभाषा विभाग द्वारा विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष ने समिति की ओर से प्रशंसनीय कार्य करने वाले कार्यालयों में सी.आई.एल., कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, पहिया तथा धुरा कारखाना, नेशनल इंश्योरेंस कारपोरशन, एच.ए.एल. महाप्रबंधक, दूरसंचार, भारत गोल्ड माइंस और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए । बैठक का संचालन करते हुए एच.एम.टी. के उप प्रबंधक (रा.भा.) श्री राजेश्वर सिंह ने समिति की गतिविधियों पर प्रकाश डाला ।

## (3) सिकन्दराबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिकन्दराबाद की 10वीं बैठक 11 अगस्त, 1987 को रेल निलयम में श्री पी. के. श्रीनिवासन, महाप्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे की

अध्यक्षता में हुई । राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) के उप निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र और हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री पी. सुब्बाराव ने भाग लिया । अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रयास किया जाए । उन्होंने इस अवसर पर नगर समिति को नगर में सर्व श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यालय को राजभाषा रोलिंग शील्ड भेंट स्वरूप प्रदान की ।

बैठक में उप निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने वार्षिक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक समय पर हों उनकी सूचना नगर समिति के सचिव, कार्यान्वयन के उप निर्देशक और हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाइप तथा शार्टहैण्ड का प्रशिक्षण कार्य शीघ्र पूरा हों । उन्होंने सदस्यों द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों का समाधान भी किया । श्री सुब्बराय ने हिन्दी शिक्षण के बारे में सदस्यों से अपील की कि जिन कर्मचारियों को नामित किया जाए वे कक्षाओं में भी भेजे जाए और परीक्षाओं में भी बिठाया जाए । समिति ने निम्नलिखित विषय विचारार्थ भेजने के लिए प्रस्ताव पारित किया ।

विचारार्थ विषय :–

1. हिन्दी की निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर एक वर्ष के लिए दी जाने वाली वेतन वृद्धि को स्थायी किया जाए ।

2. जिन वर्गों के कर्मचारियों के लिए अंतिम परीक्षा प्रबोध और प्रवीण है, उन्हें एक वर्ष के लिए वेतन-वृद्धि तभी दी जाती है, जब वे 55% अंक प्राप्त करते है । यह शर्त हटा देनी चाहिए ।

3. परीक्षाओं में 55%, 60% तथा 70% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 150,200 और 300 रु. का पुरस्कार दिया जाता है । ये राशियां 1964 में निर्धारित की गई थी । उन्हें बढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार हिन्दी टंकण और आशुलिपि के मामले में भी पुरस्कार की राशि बढ़ाने की आवश्यकता है ।

4. प्राइवेट रूप से परीक्षाएं पास करने पर दिये जाने वाले एक मुश्त पुरस्कारों की राशि भी बढ़ायी जाए ।

5. प्रकाशन विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकों के विक्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

6. सिकंदराबाद में भी हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण का केन्द्र खोला जाए ।

7. हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं, जून और दिसंबर में ली जाएं क्योंकि पाठ्यक्रम की वर्तमान अवधि कम है ।

8. किसी प्राध्यापक के बीमार पड़ जाने पर अथवा अतिरिक्त आवश्यकता होने पर तदर्थ रूप में हिन्दी प्राध्यापक की नियुक्ति करने की शक्ति हिन्दी शिक्षण योजना के सर्व कार्यभारी अधिकारी को दी जाए ।

9. हिन्दी में मूल रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप समुचित मानदेय/विशेष वेतन दिया जाए ।

10. तिमाही प्रगति रिपोर्टों की मद संख्या में एक कालम "हिन्दी में 25% से कम किन्तु थोड़ा-बहुत काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या" जोड़ा जाए ।

11. इस समय रबड़ की मोहरें महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान द्वारा नामित फर्मों से रेट-कांट्रक्ट पर बनाने का प्रावधान है । रबड़ की मोहरों की क्वालिटी तो खराब होती ही है, किन्तु सप्लाई में भी अत्याधिक समय लगता है । रबड़ की मोहरों के मामले में रेट कान्ट्रक्ट प्रणाली समाप्त की जाए ।

## (4) गोवा

गोवा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक, दिनांक 8 मई, 1987 को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, पणजी में, अपर समाहर्ता श्रीमती जे. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री वीर अभिमन्यु कोहली शामिल हुए । इनके अलावा, बम्बई से उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव भी उपस्थित थे ।

बैठक के आरम्भ में समिति के सचिव श्री तुरान त्रवाडी ने, उप सचिव श्री कोहली, उप निदेशक श्री श्रीवास्तव तथा उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया ।

सातवीं बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा गया और सर्व सम्मति से उसकी पुष्टि की गई । तदुपरान्त निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया :–

1. गोवा में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया । प्रशिक्षणार्थियों की सीमित संख्या को देखते हुए, अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा सकता है ।

विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि राजभाषा निरीक्षण कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र) बम्बई के उप निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा, वास्को स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को, प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को, अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक परिपत्र भेजा जाए और उचित जानकारी प्राप्त होने के बाद, आगे कार्रवाई की जाए ।

2. समिति के सचिव श्री त्रवाडी ने सूचित किया कि कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देने के लिए नया सत्र, 1 जुलाई, 1987 से शुरू होगा। अतः इन कक्षाओं में अधिकतम कर्मचारियों को नामित किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर के वे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में अधिक सहायता दे सकें।

उप सचिव महोदय ने बताया कि कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। उन्होंने हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अधिकतम कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया।

3. बैठक में, उप सचिव श्री कोहली ने वार्षिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का, सभी अधिकारियों से अनुरोध किया। उन्होंने, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का समुचित रूप से पालन करने का भी आग्रह किया।

समिति के सचिव श्री त्रवाडी ने बताया कि गोवा में, बहुत से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के नामपट्ट, द्विभाषी रूप में नहीं है। कहीं द्विभाषी में है भी तो वह, आदेशों के अनुसार नहीं है। उन्होंने नामपट्टों एवं सूचना पट्टों को, द्विभाषा में ठीक ढंग से तैयार करने का अनुरोध किया।

4. उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने बताया कि जहां 25 कर्मचारी है ऐसे सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना चाहिए और उसकी तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करना चाहिए, जिससे राजभाषा के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

## (5) दुर्गापुर

दिनांक 3 जुलाई, 1987 को श्री सरवन कुमार, महाप्रबंधक हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, दुर्गापुर ने सभा की अध्यक्षता की।

1. समिति ने पिछले कार्यवृत्त पर एक बिहंगम दृष्टि डाली और उसकी सिफारिशों को अनुमोदित किया।

2. "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए वर्ष 1987-88 का कार्यक्रम समिति के समक्ष पेश किया गया। इसमें सरकार द्वारा वर्णित 4.4 में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रणाधीन कम्पनियों, उपक्रमों और निगमों आदि के लिए वर्ष 1987 के वास्ते विशेष कार्यक्रम भी समिति के समक्ष रखा गया।

बहुत से उपक्रमों ने यह शिकायत की कि उन्हें वर्ष 1987-88 का वार्षिक कर्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर श्री सरवन कुमार अध्यक्ष ने वार्षिक कार्यक्रम पढ़कर सुनाया।

3. समिति ने निरीक्षण दल द्वारा पेश की गई विभिन्न उपक्रमों, कार्यालयों एवं निगमों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा की और दुर्गापुर अंचल में हिन्दी की प्रगति पर संतोष प्रकट किया।

निरीक्षण दल ने बताया कि अभी भी कुछ उपक्रम, सरकारी कार्यालय आदि का निरीक्षण शेष है और वह पूरा न हो सका। इस पर समिति ने सलाह दी कि उन सभी शेष उपक्रमों/कार्यालयों आदि का निरीक्षण अगली बैठक से पहले सम्पन्न कर लिया जाए।

## (6) गांधी धाम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गांधीधाम की प्रथम बैठक, अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट की अध्यक्षता में दिनांक 13 जुलाई, 1987 को हुई जिसमें गांधीधाम/कंडला प्रक्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार तथा उसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि के 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम, सचिव एवं राजभाषा अधिकारी, कंडला पोर्ट ट्रस्ट ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के पीछे निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात् समिति के अध्यक्ष श्री एस.के. सोमयाजुलु ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे अपने कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का महत्व स्पष्ट करते हुए इसे सदस्य कार्यालयों के बीच विचार विमर्श के लिए एक अति महत्वसूर्ण मंच बताया। तत्पश्चात् श्री जयप्रकाश, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय), बम्बई ने राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 तथा तद्धीन निर्मित्त विभिन्न नियमों की विस्तृत जानकारी दी और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय का अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें।

इसके बाद कंडला पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री बी. के. श्रीवास्तव ने राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालयों में हुई राजभाषा हिन्दी की प्रगति की जानकारी दें और कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं/सुझाव प्रस्तुत करें। सभी सदस्यों ने अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा प्रगति संबंधी जानकारी दी और सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर विस्तृत चर्चा हुई।

अंत में कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हिन्दी अधिकारी तथा समिति के सदस्य-सचिव श्री आर.एन. मिश्र ने सदस्यों को समिति की बैठक में उपस्थित होने और चर्चा में सक्रिय रूप भाग लेने हेतु धन्यवाद दिया और आशा प्रकट की कि उनकी ओर से भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

## (7) नागपुर

नागपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक 26-3-1987 को नागपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विदर्भ प्रभार के आयकर आयुक्त, श्री टी.एस. श्रीनिवासन ने की।

सर्वप्रथम श्री रा.ना. निखर, सदस्य-सचिव ने कहा यह चौदहवीं बैठक आज संपन्न होने जा रही है। आपने प्रास्ताविक भाषण में यह बताया कि हाल ही में 21 मार्च, 1987 को राजभाषा विभाग, पश्चिम क्षेत्र का "राजभाषा सम्मेलन" अहमदाबाद में हुआ। सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री रामकृष्ण त्रिवेदी द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए "विशेष राजभाषा ट्राफी" एवं प्रशस्ति पत्र विदर्भ के आयकर आयुक्त श्री टी.एस. श्रीनिवासन को प्रदान किया गया।

सदस्य-सचिव ने यह बात भी समिति को बताई कि आयकर आयुक्त की प्रेरणा से विदर्भ में अमरावती, अकोला और चन्द्रनगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। श्री ए.के. जैन, राजभाषा अधिकारी के सक्रिय मार्गदर्शन में इन समितियों का गठन एवं संचालन किया गया।

1. राजभाषा अधिकारी को मानदेय—सदस्य-सचिव ने समिति सदस्यों को बताया कि राजभाषा अधिकारी को मानदेय देने बाबत सदस्य-कार्यालय अपने अपने मंत्रालय को लिखेंगे तथा समिति को सूचित करेंगे। श्री जय प्रकाश, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने बताया कि जिस प्रकार रेल विभाग वहां कार्यरत राजभाषा अधिकारी को मानदेय देता है उसी के आधार पर अन्य कार्यालय भी अपने अपने मंत्रालय को लिखें।

2. **उप-समितियों की बैठक की रिपोर्ट :**—सदस्य-सचिव ने समिति सदस्यों को बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए, विभिन्न कार्यालयों की कठिनाइयों/समस्याओं को दूर करने के लिए उप-समितियां बनाई गई थीं। इन उप-समितियों की बैठकों का आयोजन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तारीख से पहले ही किया जाना चाहिए।

विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसमिति से अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि अब आठ समितियों के स्थान पर केवल चार समितियां बनाना ठीक होगा। अतः नीचे दर्शाए अनुसार चार समितियों का पुनर्गठन किया गया :—

| उप समिति | संयोजक |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. केन्द्रीय सरकारी कार्यालय | श्री पी.एम. नायडू, हिन्दी अधिकारी, आकाशवाणी, नागपुर |
| 2. भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रम/निगम | श्री आर.एन. तिवारी, राजभाषा अधिकारी खनिज अन्वेषण निगम लि., नागपुर। |
| 3. राष्ट्रीयकृत बैंक | श्री सूर्यप्रकाश शर्मा, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी, बैंक आफ इंडिया, नागपुर। |
| 4. जीवन बीमा निगम एवं अन्य बीमा कंपनियां | श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, हिन्दी अनुभाग प्रमुख, भारतीय जीवन बीमा निगम, नागपुर। |

अध्यक्ष श्री श्रीनिवासन ने समिति के सदस्यों को बताया कि बैठक से विभिन्न कार्यालयों से संपर्क बढ़ता है तथा हमें नई जानकारी मिली है। हमने अपने विभाग में छः (6) कार्यशालाएं की। हमारे यहां काफी कुछ काम हुआ है। हिन्दी काफी सरल है और अंग्रेजी के बजाय हिन्दी भाषा में ठीक लिख लेते हैं। काम आसान हो जाता है। रिपोर्ट के आंकड़े सही बताना चाहिए।

अन्त में श्री ए.के. जैन, राजभाषा अधिकारी ने राजभाषा सम्मेलन के बारे में बताया कि श्री हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) तथा श्री जयप्रकाश, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) समय-समय पर निरीक्षण करें क्योंकि, कार्यालयों द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से विभाग में जाकर देखने से ही पता लग सकता है कि किस हद तक काम हो रहा है।

## (8) रतलाम

**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रतलाम की बैठक दिनांक 20-7-87** को श्री रविन्द्र नाथ गोयल की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबन्धक श्री रविन्द्रनाथ गोयल ने कहा: हम लोग वर्ष में दो बार बैठक करते हैं। हमें मिल बैठकर विचार करना चाहिए कि राजभाषा में किये जाने वाले कार्य की प्रगति के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं ? उत्पादन/प्रगति एवं राजभाषा—ये तीनों साथ-साथ चलने चाहिए। इस बैठक में स्वयं कार्यालय प्रमुखों को भाग लेना चाहिए क्योंकि इसमें नीति सम्बन्धी चर्चा होती है और निर्णय लिये जाते हैं।

श्री महेश चन्द्र पुरोहित, अनुसंधान अधिकारी—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ने कहा कि वर्ष में कम से कम छः कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिएं। हिन्दी दिवस सामान्यतया सितम्बर माह में मनाया जाता है किन्तु उसे आगे पीछे भी मनाने की छूट है। इसी प्रकार प्रत्याचार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। धारा

3(3) के कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी करना कानूनी अनिवार्यता है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह उन्हें द्विभाषी रूप में जारी कराएं। हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर 100% हिन्दी में ही देना चाहिए। कुछ सदस्य कार्यालयों ने ऐसे पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाना बताया है। मेरे ख्याल से यह गलत जानकारी दी गई है। आप निर्धारित प्रोफार्मे में एक कालम बना लें। शेष पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। कुछ कार्यालयों में अभी भी रबड़ की मोहरें या तो हिन्दी में हैं अथवा अंग्रेजी में हैं। ये मोहरें अलग-अलग भाषा में न होकर एक में ही द्विभाषी रूप में होनी चाहिएं। रजिस्टर/फार्म द्विभाषी रूप में होने चाहिएं। सभी सदस्य कार्यालय छः माही की जानकारी निर्धारित तिथि अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से सचिव-कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। पिछली छः माही की जानकारी आज दिनांक तक 33 में से केवल 16 कार्यालयों से आई है, यह स्थिति ठीक नहीं है।

इसके पश्चात अध्यक्ष एवं मंरेप्र की अनुमति से सचिव एवं सहायक हिन्दी अधिकारी श्री ह. सी. लश्करी ने कार्यसूची की मदों पर प्रकाश डाला तथा परस्पर चर्चा के बाद बैठक समाप्त हुई।

## (9) कोटा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोटा की 11वीं बैठक 6 जुलाई, 1987 को हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अवतारसिंह मण्डल रेल प्रबंधक ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए नगर के कार्यालयों में बढ़ रहे हिन्दी प्रयोग के प्रति संतोष जाहिर किया, फिर भी और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की गुंजाइश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिन्दी को सर्वाधिक महत्व इसलिए देता हूं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा की इज्जत करना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है।

राजभाषा के प्रतिनिधि श्री मनोहर लाल मैत्रेय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस नगर राजभाषा समिति के अध्यक्ष निष्ठा एवं लगन से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य कर रहे हैं और जो सुन्दर स्वरूप देखने को मिल रहा है उसका श्रेय अध्यक्षजी को जाता है। राजभाषा के प्रति उदगार प्रकट करते हुए आपने कहा कि बैठक में उच्चस्तरीय निर्णय लिए जाते हैं, जिनका कार्यान्वयन उच्च अधिकारी ही कर सकते हैं। आपने हीन-भावना की मानसिकता को त्यागने की अपील की। हिन्दी में काम करना सरल है अतः बैंकों को अपना कार्य हिन्दी में ही करना चाहिए। गृह मंत्रालय की मौजूदा पुरस्कार योजना से सभी कर्मचारियों को लाभ उठाना चाहिए और अहिन्दी भाषियों को हिन्दी की ओर लाने पर बल दिया।

समिति के सचिव श्री ताराचंद ने समीक्षार्थ मदवार टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड एवं इलाहाबाद बैंक में कुछ कर्मचारियों/अधिकारी प्रशिक्षण के लिये शेष हैं। इस प्रकार मूलपत्र, पत्राचार, धारा 3(3), हिन्दी सेवा तार आदि के विषय में भी मदवार विस्तार से टिप्पणी की। रबड़ की मोहरें एवं नामपट्ट, सूचनापट्ट आदि के विषय इन्हें द्विभाषा में बनाकर कानूनी अनिवार्यता का पालन करें।

## (10) जयपुर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक दिनांक 12 मई, 1987 को बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजकत्व में आयोजित हुई। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री आर. एन. वर्मा, संयुक्त मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक उपस्थित थे व विशिष्ट अतिथि थे—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग से उपनिदेशक (कार्यान्वयन) डा. राजेन्द्र सिंह कुशवाह बैठक में जयपुर स्थित विभिन्न बैंकों के उच्चाधिकारियों/राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री जे. वी. शाह, अध्यक्ष, बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजभाषा विभाग के गृह मंत्रालय ने देश के प्रमुख शहरों में बैंकों के लिये अलग से समितियां गठित कर अपरोक्ष रूप से हमें यह सूचित किया है कि बैंकिंग क्षेत्र के विकास में तथा बैंकिंग को जन-जन तक पहुंचाने में राजभाषा हिन्दी को एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। जिस गंभीरता से हम बैंक के अन्य कार्यों, यथा—जमाराशि संग्रहण, अग्रिम आदि को लेते हैं, उसी गंभीरता से हमें हिन्दी के प्रयोग को भी लेना चाहिए।

उन्होंने उक्त बैठक में वर्ष 1985-86 के लिये आयोजित चल-बैजयन्ती प्रतियोगिता के परिणाम की भी घोषणा की। इसमें स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को प्रथम, बैंक आफ बड़ौदा को द्वितीय तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मुख्य अतिथि श्री आर. एन. वर्मा ने समिति के गठन का महत्व बतलाते हुए कहा कि समिति का गठन नगर में इसलिए किया गया है कि हिन्दी तो हमारी राजभाषा है और राजस्थान में, जो कि "क" क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, राजभाषा ही नहीं बल्कि बोलचाल की भाषा है, उसके प्रयोग को कार्यालयों में उत्तरोत्तर बढ़ाएं।

डा. कुशवाह ने कहा कि प्रायः यह होता है कि इस बैठक में उच्चाधिकारी या प्रमुख स्वयं नहीं आते, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जबकि स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो उस स्थिति में बैठक की इतनी उपयोगिता नहीं होती जितनी होनी चाहिए, बैठक में उन अधिकारियों

को भाग लेना चाहिए जो संस्था के स्थानीय प्रमुख हैं। उन्होंने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में अनुरोध किया कि सभी बैंकों को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजनी चाहिए ताकि समेकित रूप से समीक्षा की जा सके। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बैंकों में हिन्दी का प्रयोग संतोषप्रद है वह अन्य सस्थाओं/उपक्रमों की अपेक्षा बैंकों में हिन्दी के प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा 1986-87 के लिए तैयार किए गये वार्षिक कार्यक्रम की प्रमुख बातों को सामने रखते हुए उप-निदेशक (कार्यान्वयन) डां. कुशवाह ने कहा कि राजभाषा विभाग ने 1987-88 का कार्यक्रम भी प्रकाशित कर, सभी विभागों को भेज दिया है।

धारा 3(3) के अनुपालन के बारे में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, केनरा बैंक, भा. अ. वै. वि. बैंक तथा कुछ अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों का कहना था कि चूंकि हम हिन्दी भाषी प्रदेश में काम कर रहे हैं तथा स्टाफ-सदस्यों को अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा हम यह अपेक्षा रखते हैं कि 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित तथा 8(4) के अन्तर्गत चयनित शाखाओं में सर्वाधिक काम हिन्दी में हो, ऐसी स्थिति में "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेज केवल हिन्दी में जारी करने की छूट होनी चाहिए। दस्तावेज अंग्रेजी में भेजने के कारण हिन्दी के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस पर राजभाषा विभाग के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) डां. कुशवाह ने कहा कि वे सदस्यों के इन विचारों को राजभाषा विभाग के उच्च प्राधिकारियों के सामने रखेंगे।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि जयपुर में हिन्दी टाइपिंग और स्टैनोग्राफी के प्रशिक्षण की व्यवस्था हिन्दी शिक्षण योजना स्वा. केन्द्र द्वारा की जाती है। जहां बैंकों सहित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। परन्तु यह देखा गया है कि बैंकों से पर्याप्त नामांकन प्राप्त नहीं होते हैं। वर्तमान में केवल चार बैंकों के कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय पर विचार विमर्श करते हुए सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि :

1. अधिकतर स्टाफ-सदस्य निजी तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर हिन्दी टाईपिंग/स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं देते हैं।

2. हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समय में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि बैंक के कार्य समय से मेल खा सके।

3. हिन्दी शिक्षण योजना केन्द्र को जो 1-4-1986 से अंशकालिक आधार पर चलाया जा रहा है, उसे पूर्णकालिक बनाया जाना चाहिए।

डॉ. कुशवाह ने कहा कि उक्त केन्द्र को पूर्णकालिक बनाने के प्रश्न को वे उच्चाधिकारियों के सामने रखेंगे।

इसक बाद सदस्य-सचिव श्री आर. वी. देसाई, कार्यालय प्रबन्धक—बैंक आफ बड़ौदा ने बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट आमंत्रित एवं अन्य बैंकों से आए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया एवं भविष्य में बैठक में और अधिक संख्या में उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया।

### (घ) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

#### (1) नई दिल्ली : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

29-6-87 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री रा. वे. रन्तिदेवन, महानिदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

1. बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:—

(1) लेखा अनुभाग में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये चैक और ड्राफ्टों आदि के अग्रेषण पत्र हिंदी भाषी क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे जाएंगे तथापि विवरण अंग्रेजी में ही भेजे जाना जारी रखा जाएगा।

(2) 1-8-87 से प्रतिनियुक्ति के लिए और सीधी भर्ती के लिए ये नियुक्ति के सभी प्रस्ताव तथा नियुक्ति आदेश द्विभाषी होंगे।

(3) ऐसी फाईल कवरों पर जहाँ अभी तक द्विभाषी रूप में शीर्षक न लिखे गए हों वहां इन्हें अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में लिखा जाए।

2. **हिन्दी सप्ताह का आयोजन**:— यह निर्णय लिया गया कि हिंदी सप्ताह का आयोजन 14 से 18 सितम्बर 1987 को किया जाए। इस सप्ताह के दौरान निबंध लेखन, नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग और हिंदी में लघु कहानी प्रस्तुतिकरण की प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। प्रतियोगिता में प्रथम तथा द्वितीय आने वालों को पुरस्कार दिये जाएंगे। पुरस्कारों पर कुल व्यय 500/ रुपये के भीतर किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में निदेशक (तकनीकी) प्रशासनिक अधिकारी तथा हिंदी अधिकारी होंगे। हिंदी सप्ताह के दौरान "वर्तनी" पर एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर में हिन्दी में हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. यह निर्णय लिया गया कि 1-7-87 से उपस्थिति रजिस्टरों और लाग पुस्तिकाओं में हिन्दी में प्रविष्टियां की जाएं।

4. समिति के सदस्यों ने हिन्दी अनुभाग द्वारा अनूदित विभिन्न द्विभाषी फार्मों को देखा महानिदेशक ने सुझाव दिया कि या० भ० बिलों तथा चिकित्सा दावों के फार्मों को क्रमशः निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त) किन्हीं सुधारों के लिये देखें यह भी निर्णय लिया कि निर्णय द्वभाषी को परिचालन के लिये मुद्रण से पूर्व महानिदेशक स्वयं देखेंगे और अनुमोदन करेंगे।

(2) **नई दिल्ली स्टील अथारिटी आफ इंडिया कं० लि०**

"सेल" निगमित कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 34वीं बैठक दिनांक 3 जुलाई 1987 को श्री शिवराज जन उपाध्यक्ष (परियोजना) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन रिपोर्ट पर समिति ने मदवार चर्चा की जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसार है :—

1. समिति के सदस्यों ने पिछली बैठक में "सेल-न्यूज" में हिंदी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों के बराबर करने, आवरण पृष्ठ पर वर्ष अंक तथा प्रकाशन अवधि अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी देने तथा आवरण III और IV पर हिंदी सामग्री देने के विषय में लिए गए निर्णयों का अनुपालन न हो सकने के विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त की। प्रमुख (जन-सम्पर्क) के प्रतिनिधि शंभुनाथ सिंह ने समिति को बताया कि हिंदी पृष्ठों की संख्या मार्च-अप्रैल 87 के अंक में अधिक है। इस प्रकार हिंदी पृष्ठों की संख्या में क्रमिक वृद्धि तो हुई है किन्तु हिंदी—अंग्रेजी दोनों में पृष्ठों की संख्या समान नहीं हो सकी है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि समिति में लिये गये सभी निर्णयों का अनुपालन होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि "सेल—न्यूज" में "अध्यक्ष की कलम से" स्तम्भ अंग्रेजी से पहले दिया जाय, आवरण-III और IV पर हिंदी सामग्री दी जाय तथा मुख पृष्ठ पर खण्ड, अंक तथा तिथि सम्बन्धी विवरण भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में अवश्य दिया जाए। साथ ही पत्रिका में हिंदी व अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या समान करने का भरसक प्रयत्न किया जाए।

2. सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि हिंदी में चैक बनाए जा रहे हैं और चैक बनाने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 25 पैसे प्रति चैक की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

3. समिति के सदस्य सचिव ने बताया कि निगमित कार्यालय में विगत सत्र में II कार्मिकों को हिंदी टाईप लेखन/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया गया है। इन कार्मिकों को ऐसे अधिकारियों के साथ नियुक्त करने का प्रस्ताव है जो हिन्दी में काम कर सकते हों। प्रस्ताव कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। ऐसा होने पर फाईलों पर हिन्दी टिप्पण में तो वृद्धि होगी ही साथ हिन्दी में मूल पत्राचार करने की दिशा में भी प्रगति होगी।

4. सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि "सेल" मुख्यालय में अभी हाल में 155 हिंदी पुस्तकें खरीदी गई हैं इन पुस्तकों को हिंदी कक्ष द्वारा तैयार सूची में से खरीदा गया है।

5. प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि श्री पी. एस. वर्मा ने समिति को बताया कि अभी हाल ही में दो द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर खरीदे गए हैं। इससे पूर्व जो 5 अंग्रेजी के इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर खरीदे गये थे उन्हें अगले दो माह के भीतर द्विभाषी बना दिया जाएगा। निदेशक (कार्मिक) ने इस संबंध में निर्देश दिए कि भविष्य में भी इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर खरीदे जाए वे द्विभाषी ही हों।

6. हिंदी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने पर समिति के सदस्यों ने बताया कि अंग्रेजी पत्राचार की तुलना में हिन्दी पत्राचार नगण्य है। समिति को बताया गया कि इस पत्राचार में अधिकांश पत्र सार्वजनिक जमा योजना से सम्बन्धित हैं। अपर निदेशक (कार्मिक) ने समिति को सूचित किया कि सार्वजनिक जमा योजना विभाग द्वारा जमाकर्त्ताओं को भेजे जाने वाले पत्रों के प्राय. मानक प्रारूप हैं। ऐसे सभी प्रारूप हिंदी कक्ष ने द्विभाषी कर दिए हैं और उनका द्विभाषी रूप भी सार्वजनिक जमा योजना विभाग में उपलब्ध हैं। निदेशक (वित्त) के प्रतिनिधि श्री एन. आर. पॉल ने समिति को सूचित किया कि सार्वजनिक जमा योजना (पी. डी. एस.) का अधिकांश कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से होता है जिसके कारण पी. डी. एस. विभाग में हिंदी में काम करने में कठिनाई आती है।

अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि अभी 14-16 मई, 1987 को "सेल" के हिंदी कक्ष द्वारा आयोजित तकनीकी लेखन कार्यशाला के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) कानपुर द्वारा विकसित किए गए एक बहुभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल का प्रदर्शन किया गया था इसमें लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेशन) की भी सुविधा उपलब्ध है। श्री पॉल ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि ऐसा टर्मिनल हमारे मुख्य कम्प्यूटर के साथ जोड़ दिया जाए तो पी. डी. एस. विभाग के पत्र द्विभाषी रूप में अथवा हिन्दी में भेजे जा सकते हैं। अध्यक्ष ने इस विषय में निर्णय लिया कि वरिष्ठ प्रबन्धक (हिंदी), वरिष्ठ प्रबंधक (कम्प्यूटर) और वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री निखिल पॉल "सेल" के वर्तमान कम्प्यूटर में द्विभाषी टर्मिनल लगाने की संभावनाओं का अध्ययन करें और यदि आवश्यकता हो तो इस टर्मिनल से सम्बद्ध व्यक्ति को आई०आई०टी०, कानपुर से विमर्श के लिए दिल्ली बुलाया जाये।

कार्यशाला के उदघाटन सत्र में स्वागत भाषण करते हुए वरिष्ठ प्रबंधक श्री मनमोहन मिश्र।

भारतीय वायु सेना स्टेशन अम्बाला के समापन समारोह में एयर कमोडोर डी. आर. पाडकर्णी एक प्रतियोगी को पुरस्कार वितरित करते हुए।

राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी (बांए से) श्री बी. मेहता, श्री जे. वि. जोशी, श्री ई. व भट्ट एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी।

हिन्दुस्तान कापर लि., दिल्ली में हिन्दी दिवस के के उपलक्ष में आयोजित समारोह में भाग लेते हुए हुए बांए से—डा. अशोक कुमार भट्टाचार्य, श्री श्री जयवीर सिह चौहान, डा. राजेन्द्र सिंह कुशकुशवाहा, उप निदेशक (का) राजभाषा विभाग. श्री टी. एन. सी. मेनन तथा कु.कु. शशि शर्मा, राजभाषा अधिकारी ।

कानपुर नगर में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री जी. सी. अग्रवाल, आयकर आयुक्त (दाई ओर) । पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता श्री एन. राजगोपालन (बांई ओर)

हिन्दी कार्यशाला उद्घाटन के अवसर पर—बांए से श्री कृ. राजू (प्रबंधक) श्री वी. वी. शास्त्री, श्री त्रिलोकीनाथ कौशिक, उप निदेशक (मुख्य अतिथि)

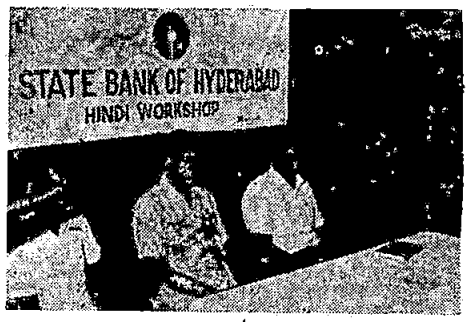

अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोटा व मंडल रेल प्रबंधक श्री अवसार सिंह बैठक को संबोधित करते हुए (मध्य में) उनके बाई ओर बैठे हैं श्री एम. एल. मैत्रेय अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग

समारोह का समापन करते हुए श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।

बम्बई अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में नवभारत टाइम्स बम्बई के उप सम्पादक श्री सरयू प्रसाद पाण्डेय, सामग्री का विमोचन करते हुए तथा (बायें से) श्री जयप्रकाश, सहायक निदेशक (का) श्री आर. एन. झा., सहायक निदशक, डा. नगेन्द्रनाथ पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई तथा हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक (का)

केनरा बैंक के दिल्ली अंचल कार्यालय की 100वीं हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री के. वी. भण्डारकर, मंडल प्रबन्धक तथा बांई ओर हैं कार्यालय प्रबंधक श्रीमती जीवनलता जैन ।

यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया कलकत्ता (प्रधान कार्यालय) में आयोजित हिन्दी कार्यशाला की एक झलक।

बैठक को संशोधित करते हुए श्री जयप्रकाश, सहायक निदेशक (का.) तथा साथ में बैठे हैं—श्री एस. के. सोमयाजुल अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट न. रा. का. सं. तथा उपाध्यक्ष श्री वी. के. श्रीवास्तव।

सीमा सड़क महानिदेशालय, नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी सप्ताह की एक झलक।

जिप्मेर पाण्डिचेरी में आयोजित समारोह की एक झलक।

## (3) नई दिल्ली : इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड

श्री ललित के० चण्डोक, प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में 30 जून, 1987 को ई आई एल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 38वीं बैठक इंजीनियर्स इंडिया हाउस में की गई जिसमें वार्षिक कार्यक्रम पर विशद् चर्चा हुई।

इस बैठक में राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डा० महेशचन्द्र गुप्त विशेष रूप से आमंत्रित थे।

बैठक में विचार-विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

1. हिन्दी स्टेनोग्राफी/टाईपिंग प्रशिक्षण कंपनी में शुरू किए जाने के बारे में बताया गया कि टाइपराइटर आ गए हैं तथा अनुदेशक की नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। स्थान मिलने पर प्रशिक्षण कार्य दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक शुरू किया जाएगा।

2. यह बात फिर दोहराई गई कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वक्ताओं को अपने भाषणों में हिन्दी का भी प्रयोग करना चाहिए। इस बारे में प्रशिक्षण विभाग, हर कार्यक्रम में हिन्दी का कितना प्रयोग किया गया इस संबंध में आंकड़े रखे और कार्यक्रम का नाम तथा हिन्दी में दिए गए भाषण का ब्यौरा हर महीने हिन्दी कक्ष को भिजवाया करें। जो भाषण अंग्रेजी तथा हिन्दी मिली जुली भाषा में दिया गया हो वह भी हिन्दी में दिया गया माना जाएगा।

3. राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा० महेश गुप्त ने जोर देकर कहा कि जब तक हिन्दी में मूल रूप से पत्र नहीं लिखे जायेंगे हिन्दी की प्रगति दिखावा मात्र रह जाएगी। अतः हर विभाग में हिन्दी में कार्य किया जाए तथा इस का ब्यौरा हर महीने हिन्दी कक्ष को भेजा जाना चाहिए।

कंपनी पुस्तकालय में अधिक से अधिक तकनीकी पुस्तकें मंगाई जाएं इसलिए डा० गुप्त ने बताया कि उनके पास मैकेनिकल स्ट्रेक्चरल, सिविल, इलैक्ट्रोनिक्स आदि विषयों पर हिन्दी किताबों की मोटी सूची उपलब्ध है जिससे ई आई एल अपनी जरूरत की किताबों का नाम लिख करके ले सकता है और वे तकनीकी पुस्तकें ई आई एल पुस्तकालय में मंगवाई जाएं।

डा० महेश गुप्त ने सुझाव दिया कि कंपनी के पहचान पत्रों पर कर्मचारियों के नाम हिन्दी में लिखे जायें। इसी प्रकार निजी स्टाफ कार खड़े करने की जगह पर भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी लिखवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने अति उपयोगी सुझाव दिया कि अधिकारी वर्ग जब तक एक दूसरे कार्यालय से टेलीफोन पर बात करें तो अधिक से अधिक हिन्दी में वार्तालाप किया जाए।

## (4) नई दिल्ली : केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में दिनांक 4 मई, 1987 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30वीं बैठक सम्पन्न हुई।

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। रोजमर्रा के सरकार कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए आदेशों का जारी करना जरूरी होता है उसके साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि कर्मचारी हिन्दी को अपनी इच्छा से अपनाते हैं। प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह इस बात पर ध्यान दे कि उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए सभी प्रकार की सहुलियतें सुहईयां की जाती हैं। आयुक्त महोदय ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकारी कामकाज में बोलचाल की सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि अधिकारीगण हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारियों के मन को तैयार करें।

1. उपायुक्त (प्रशिक्षण) ने सभी सदस्यों को यह जानकारी दी कि प्रशासनिक सुविधाओं के तत्काल उपलब्ध न होने के कारण गत वर्ष प्राचार्य पद के लिए विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित करवाए गए।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रश्नपत्र केवल उन्हीं अधिकारियों से बनवाए जाएं जो इन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कर सकते हों।

2. हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइप-लेखन के प्रशिक्षण के लिए संगठन के मुख्यालय में अंशकालिक हिन्दी केन्द्र की स्थापना से संबंधित अपनी रिपोर्ट आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दें।

3 प्रशिक्षण केन्द्र के लिए हिन्दी के 4 और टाइप राइटर खरीदे जाएं।

4. हिन्दी एकक में जिन हिन्दी के टाइपराईटरों का प्रयोग किया जा रहा है उसके अतिरिक्त बाकी हिन्दी के टाइपराईटरों की फौरन मुरम्मत करवाई जाए और उनका इस्तेमाल कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए किया जाए।

5. उपायुक्त (शै०) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में सभी अनुभागों का निरीक्षण इस आशय से करें कि वहां राजभाषा नियमों का किस सीमा तक अनुपालन हो पा रहा है।

6. प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह के आयोजन के अतिरिक्त वाद-विवाद प्रतियोगिता भी संगठन के मुख्यालय में आयोजित की जाएं।

**(5) मद्रास : भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक**

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय) मद्रास में बैंक अध्यक्ष श्री वा० दीक्षित की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री एन. सी. जैन, निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना मद्रास डा० किशोर वासवानी, क्षेत्रीय अधिकारी, मद्रास, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, डा० जय प्रताप मल्ल दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा आदि सभा में आमंत्रित थे।

उप महाप्रबन्धक श्री के० मोहन रामाराव ने महानुभावों का स्वागत किया तथा सुझाव दिया कि राजभाषा के कार्य को नियमित व सुचारु रूप से चलाने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन अत्यन्त जरूरी आवश्यकता है। श्री एन०सी० जैन ने अपने भाषण में भारतीय पुनर्निर्माण बैंक द्वारा आयोजित प्रथम बैठक के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना व उसकी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्टाफ के सभी सदस्यों को उनका पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया तथा अपने कार्यालय की ओर से हर प्रकार की सहायता का आश्वासन भी दिया।

डा० किशोर वासवानी ने विस्तारपूर्वक बताया कि हिन्दी राजभाषा कब व कैसे बनी और उसका वर्तमान परिस्थितियों में क्या महत्व है। डा० जयप्रताप मल्ल ने बताया कि दक्षिण भारत प्रचार सभा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों परीक्षार्थी स्नातक व स्नातकोत्तर व डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित होते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि दक्षिण भारत में हिन्दी का पर्याप्त प्रचार हो रहा है। उन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी का इतिहास दोहराते हुए यह भी बताया कि इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से हुई और तब से अब तक यह स्वायत्त संस्था दक्षिण भारत में अपने उद्देश्य हिन्दी के प्रचार व प्रसार में लगी हुई है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के अध्यक्ष श्री दीक्षित ने सभा को सम्बोधित करते हुए बैंक के इतिहास में इस बैठक को दुर्लभ क्षण बताया और उप महाप्रबन्धक श्री के० मोहन रामराव को इसका श्रेय प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हम बैंक के प्रत्येक कार्य की भांति ही राजभाषा के कार्य को भी बड़ी गंभीरता से देखते हैं। मार्च 1987 में प्रधान कार्यालय में हिन्दी सप्ताह का आयोजन 23–27 मार्च तक हुआ। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि हिन्दी बोलने व लिखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम हिन्दी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों के लिए हमें अटकना नहीं चाहिए। अगर किसी अंग्रेजी शब्द का हिन्दी अनुवाद न हो सके तो उसे केवल देवनागरी में ही लिख देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिन्दी में काम काज करना बहुत ही सरल है केवल आत्म विश्वास की जरूरत है, हृदय परिवर्तन की जरूरत है। हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं प्रत्येक कार्यालय को एक एक हिन्दी टाइपराइटर भी प्रदान कर दिए हैं और जल्द ही हिन्दी टंकक भी भेजे जायेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति से हिन्दी का कार्य प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगा।

सभा के अन्त में श्री प्रेम प्रकाश, राजभाषा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास ने आभार प्रकट किया।

# राजभाषा/सम्मेलन संगोष्ठिया

## 1. हैदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय राज भाषा सम्मेलन

7 जुलाई, 1987 को हैदराबाद में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश की राज्यपाल कु. कुमुद बेन जोशी मुख्य अतिथि थीं । सम्मेलन में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री चिंतामणि पाणिग्रही, सचिव राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।

महामहिम राज्यपाल तथा उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री चिंतामणि पाणिग्रही ने कहा कि हैदराबाद में इस सम्मेलन का आयोजन इस बात का परिचायक है कि आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण भारत के अन्य राज्य भी केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध हैं । हिन्दी के प्रचार और प्रसार में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । राज्यपाल महोदया की उपस्थिति से सम्मेलन का गौरव बढ़ा है और उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन मिला है । संविधान की 8वीं अनुसूची मे दर्ज की गई अन्य सभी भाषाओं की तरह दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं का भी अपना समृद्ध और गौरवमय इतिहास है । ये सभी भाषाएं भी वस्तुतः हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, परन्तु हिन्दी को केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में इन सबके बीच में एक कड़ी का काम करना है और इसलिए इसकी भूमिका हमारे समग्र राष्ट्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है । मंत्री महोदय ने केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का सविस्तार विवेचन किया और बताया कि अब नई यांत्रिकी तथा इलेक्ट्रोनिकी सुविधाएं हिन्दी में भी उपलब्ध होने के कारण राजभाषा नीति का अनुपालन और भी आसान हो गया है । उन्होंने सरल और बौधगम्य भाषा के प्रयोग पर ज़ोर दिया तथा सभी उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने में अपना पूरा योगदान दें तथा अपने सहयोगियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस दिशा में प्रेरित करें ।

महामहिम राज्यपाल महोदया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर खुशी ज़ाहिर की कि हैदराबाद नगरी को यह सम्मेलन आयोजित करने का मौका दिया गया है । उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हिन्दी तथा उर्दू दोनों ही भाषाएं जनता के मन में बसी हुई हैं । भारत की सभी प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपनी जगह सगी बहिनें हैं और हिन्दी भाषा भी इन्हीं सगी बहिनों में से एक है । इसे संपर्क भाषा या केन्द्रीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है ताकि यह समग्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करने की भूमिका बखूबी निभा सके । यह कार्य कोई सौतेली बहिन नहीं अपितु सगी बहिन ही कर सकती है । अतः हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य राष्ट्रीय एकता का कार्य हैं, राष्ट्रीय अस्मिता का कार्य है । परन्तु यह कार्य दबाब से नहीं, अपितु प्यार और सद्भाव से किया जाना चाहिए । भारत गांवों में बसा है और हम अपने देश की भाषाओं के माध्यम से ही जन-जन तक पहुंच सकते हैं । किसी विदेशी भाषा के माध्यम से इस तरह का संपर्क सूत्र कायम नहीं किया जा सकता । वस्तुतः देश के प्रत्येक भाग में लोग हिन्दी भाषा और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं । हिन्दी के प्रति किसी के मन में कड़वाहट नहीं है । तमिलनाडु के लोग हिन्दी फिल्में देखते हैं, हिन्दी फिल्में बनाते हैं और हिन्दी फिल्मों में अभिनय भी करते हैं । केरल में सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारे देश में संपर्क के लिए, कारोबार के लिए और जन-जन के बीच मेल-मिलाप के लिए एक संपर्क भाषा का होना आवश्यक है और वह भाषा निश्चयतः हिन्दी ही है।

हम सबके कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि हम संपूर्ण राष्ट्र में प्यार और मोहब्बत से दिमाग से नहीं अपितु हृदय से हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करें । वस्तुतः हिन्दी के साथ हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है । इसके साथ हमारी स्वावलंबन की भावना और राष्ट्रीय चेतना की अनुभूतियां भी जुड़ी हुई हैं। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करें । राज्यपाल महोदया ने पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों को बधाई दी तथा जिन्हें पुरस्कार नहीं मिल पाएं हैं उनसे अपेक्षा की है कि वे आने वाले वर्षों में हिन्दी के प्रयोग में रूचि लेकर और बड़े पुरस्कार प्राप्त करेंगे ।

सचिव, राजभाषा विभाग श्री बी. वी. महाजन ने राज्यपाल महोदया तथा केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी की उपस्थिति के प्रति आभार प्रकट करते हुए सरकार द्वारा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का सविस्तार उल्लेख किया । उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों का ध्यान सरकार के 30 मई, 1985 के निर्देशों

की ओर दिलाया और अनुरोध किया कि सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में सरकार की नीति के अनुरूप सभी संभव यांत्रिक सुविधाएं तथा इलैक्ट्रानिकी उपकरण आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराएं । उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि सभी कार्यालय अध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि वे हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों से प्रशिक्षण कक्षाओं में भेजें और प्रशिक्षण संबंधी नीति का समुचित अनुपालन करें । राजभाषा अधिनियम तथा नियमों का पूरी तरह अनुपालन किया ही जाना चाहिए । सरकारी कार्यालयों में रोजमर्रा के काम में हिन्दी का प्रयोग भी बढ़ना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रेरित करें । यह भी जरूरी है कि सरकारी कामकाज में सरल तथा बोल-चाल की भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए ।

सचिव, राजभाषा ने राज्यपाल महोदया के प्रेरक उद्-बोधन तथा गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट किया और आशा व्यक्त की कि सम्मेलन राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सद्भाव पैदा करेगा और हिन्दी के प्रयोग के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार होगा । आंध्र बैंक द्वारा सम्मेलन के लिए स्थान आदि की व्यवस्था करने के बारे में दिए गए सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट किया गया ।

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के बाद कार्यकारी सत्र हुआ जिसमें उठाए गए कुछ मुद्दों पर सचिव, राजभाषा ने मार्ग-दर्शन प्रदान किया जिसका विवरण इस प्रकार है :—

1. राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों, विभागों को कुछ ही दिनों पहले एक कार्यालय ज्ञापन भेजा गया है जिसके साथ सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के बारे में भी सूचना दी गई और मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इन नगरों में स्थित अपने अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा उपक्रमों के अध्यक्षों को निर्देश दें कि वे नगर राज भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें ।

2. कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम 1976 में दी गई है । यह सही है कि हिन्दी विषय के साथ मैट्रिक पास कर्मचारी को भी में हिन्दी लिखने में कठिनाई होती और वस्तुतः शुरू में तो अंग्रेजी लिखने में भी कठिनाई होती है। इसका सही हल तो यह होगा कि हम सभी कार्य-साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को कार्यशालाओं द्वारा प्रशिक्षित कराएं ताकि अपने दैनिक काम में भाषा का सही प्रयोग कर सकें ।

3. राजभाषा विभाग का भी महानगरों में ही अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है । जब ये प्रशिक्षण केन्द्र खुल जाएंगे तो हैदराबाद जैसे अन्य बड़े नगरों में भी केन्द्र खोलने का प्रयास किया जाएगा ।

4. कार्यान्वयन के कार्य के लिए कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था करने के विषय पर राजभाषा विभाग में विचार हो रहा है ।

5. राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा के कार्य से संबंधित स्टाफ के लिए मानक निर्धारित करने के बारे में, राजभाषा विभाग की जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं।

6. प्रोत्साहन के लिए ट्राफी शील्ड के अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रदान करने का सुझाव अच्छा है और इस पर विचार किया जाएगा।

7. विशाखापत्तनम् में आशुलिपि और टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का जहां तक संबंध है आशुलिपि और टंकण केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षार्थी उपलेब्ध होने चाहिएं। अगर ऐसा है तो यह सूचना क्षेत्रीय उप-निदेशक को भेज दी जाए ताकि वे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेज सकें ।

8. हिन्दी अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण के रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करने के सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

9. टंककों और आशुलिपिकों को परीक्षा पास करने पर मिलने वाली वेतन वृद्धि के काल में भी मासिक प्रोत्साहन भत्ता देने के सुझाव पर राजभाषा विभाग में विचार किया जाएगा ।

10. बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम उनकी जरूरतों के अनुसार रखने के सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

11. हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करना केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती । जो प्रशिक्षण प्राप्त करने से इन्कार करते हैं उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

12. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में जब कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिस पर राजभाषा विभाग को कार्रवाई करनी हो तो ऐसी स्थिति में राजभाषा विभाग का ध्यान उस मुद्दे की ओर

दिलाते हुए एक पत्र अलग से भेजा जाना चाहिए ताकि उस पर अपेक्षित कार्रवाई की जा सके ।

13. तमिलनाडु में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए विशेष रूप से और अलग से शील्ड आदि की व्यवस्था करने के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

14. नेटवर्क द्वारा बनाए गए द्विभाषी इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर में देवनागरी अक्षर एक ही फेस के हैं और छोटे हैं इसमें सुधार की संभावना पर विचार किया जाएगा ।

### (2) हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र का समापन समारोह

हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के अन्तर्गत चल रहे अगस्त, 1986 से जुलाई, 1987 तक के हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र का समापन समारोह दिनांक 24-7-87 को नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड केन्द्र पर सम्पन्न हुआ । राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन समारोह के मुख्य अतिथि थे । समारोह में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डा. धर्मवीर तथा राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना से संबंधित कुछ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे । आयोजन का संचालन सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण/आशुलिपि) श्री मातबर सिंह कठैत ने किया । नई दिल्ली स्थित विभिन्न केन्द्रों के एक सौ से अधिक हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षणार्थियों ने समारोह में भाग लिया।

सहायक निदेशक श्री कठैत ने मुख्य अतिथि सचिव महोदय का अभिनंदन किया । उन्होंने अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा आयोजन में भाग लेने के लिए प्रशिक्षणार्थियों का आभार प्रकट किया । उक्त अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(1) हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों पर सभी आधुनिक महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुलभ करवाया जाए, (2) नवीनतम टाइप-मशीनों को केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाया जाए, (3) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धि को नियमित करवाया जाए, (4) नकद पुरस्कार की राशि को बढ़ाया जाए और हिन्दी प्राज्ञ/प्रवीण परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर जिस प्रकार 60 प्रतिशत से अधिक अंकों पर नकद पुरस्कार दिए जाते हैं उसी प्रकार हिन्दी टंकण/आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार दिए जाएं ।

सचिव महोदय ने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और प्रशिक्षण केन्द्रों पर टाइपमशीनों की कमी दूर करने तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ।

उप-निदेशक (टंकण तथा आशुलिपि) श्री त्रिलोकीनाथ कौशिक ने सचिव महोदय का आभार प्रकट करते हुए प्रशिक्षण के विस्तार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विभागों में हिन्दी आशुलिपिकों की निरंतर बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के विस्तार तथा विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

उप संपादक डा. गुरूदयाल बजाज ने सुझाव दिया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन होने वाली टंकण/आशुलिपिक परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की जाए ताकि अनुकंपा अथवा अन्य किसी आधार पर देशभर में विभिन्न कार्यालयों में भर्ती किए गए कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नियमित हो सके ।

अंत में सचिव महोदय ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बिना किसी प्रलोभन के सभी प्रशिक्षणार्थी अपने कार्यक्षेत्र में हिन्दी के प्रति अपनी रुचि बनाए रखें और तब वे अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त करें तो इसका महत्व बढ़ जाता है ।

अंत में सहायक निदेशक श्री शीशराम ने सचिव महोदय और आमंत्रित अतिथियों, प्रशिक्षणार्थियों और कर्मचारियों को आयोजन की सफलता के लिए बधाई और धन्यवाद दिया ।

### (3) कलकत्ता : राजभाषा परिषद् का वार्षिक समारोह

गत 26 अप्रैल, 1987 को भारतीय भाषा परिषद् कलकत्ता के सीताराम सेक्सरिया सभागार में राजभाषा परिषद, कलकत्ता का वार्षिक समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता परिषद के निदेशक डा. आई. पांडुरंग राव ने की तथा इसका संचालन श्री बुद्धिनाथ मिश्र ने किया। राजभाषा परिषद, कलकत्ता पश्चिम बंगाल के हिंदी प्रेमियों की एक संस्था है। इस समय पश्चिम बंगाल के अधिकाश सरकारी कार्यालय, उपक्रम, निगम, निकाय आदि के अधिकारी इससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्षत : जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय कल्याण राज्य मंत्री डा. (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्जवलित करके किया गया। तत्पश्चात् श्री शिक्षायतन की छात्राओं ने वृंदगान प्रस्तुत किया। मंत्री महोदया ने विभिन्न संस्था प्रतियोगियों को राजभाषा हिन्दी से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जिसमें यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया की ओर से डा. एस. एन. घोषाल, महाप्रबंधक (ऋण) ने अपने यहां किए गए राजभाषा विषयक कार्यों के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

अंत में, मंत्री महोदया ने विजेता प्रतियोगियों को बधाई देते हुए श्रोताओं, दर्शकों तथा विभिन्न सहभागियों को धन्यवाद दिया । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश की 15 राष्ट्रभाषाएं हैं तथा ये सभी हमारी राजभाषाएं हैं तथा ये सभी हमारी राजभाषा अर्थात् कार्यालय के कामकाज की तथा केन्द्र और राज्य के सम्पर्क की हैं। किसी भी

प्रान्तीय भाषा से हमारा विरोध नहीं है। ऐसा न हो कि हम अपने ही देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर भाषा सम्पर्क न रहने के कारण अपने को अजनबी अनुभव करें। ऐसी अवस्था में हमें एक ऐसी भाषा का ज्ञान परमावश्यक है जिसके द्वारा हम-देश के किसी भी कोने में जाकर परस्पर बात कर सकें। मैं समझती हूं कि ऐसी संपर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है। अतः समस्त सरकारी कर्मचारियों को इस दृष्टिकोण से भी हिन्दी सीखनी नितांत आवश्यक है। आजादी के 40 वर्षों के बाद तो हमें विदेशी भाषा का मोह छोड़कर अपने देश की भाषा हिन्दी को अपना माध्यम बनाएं।

### 4. बड़ोदरा : पैट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि.

शनिवार, दिनांक 9 मई, 1987 को पेट्रोफिल्स को—आपरेटिव लिमिटेड, बडोदरा द्वारा "द्वितीय राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री शंभु दयाल संयुक्त सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के कर कमलों द्वारा हुआ। श्री शंभु दयाल ने पेट्रोफिल्स से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को भी "हिन्दी प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण किया और हिंदी की प्रगति के लिए बनाए गए एक विशिष्ट प्रकार के स्टिकर का विमोचन भी किया गया।

श्री शंभु दयाल ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि—"आजादी मिलने के साथ ही हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने उसी समय हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया था और स्वयं ने इस पर पूर्ण रूप से अमल भी करके बताया।" उन्होंने यह भी बताया कि केवल हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है क्योंकि बहुमत हमारे देश में हिन्दी बोलने और समझने वालों का है। गुजरात राज्य ही हमारे देश में एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने दो राजभाषाएं घोषित की हैं। पहली हिन्दी और दूसरी गुजराती। श्री दयाल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता प्रकट की क्योंकि भारत सरकार के उपक्रमों के प्रतिनिधि बैंकों के प्रतिनिधि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। और कहा कि इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से राजभाषा के प्रति अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है। और जानकारी मिली कि पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड इतनी सारी गतिविधियां चला रहा है।

### 5. चण्डीगढ़ : भारतीय सर्वेक्षण विभाग (पश्चिमोत्तर सर्कल)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पश्चिमोत्तर सर्कल, चण्डीगढ़ का प्रथम वार्षिक-हिन्दी समारोह 8 जून, 1987 को टैगोर थियेटर, सेक्टर 18, चण्डीगढ़ में सम्पन्न हुआ। समारोह में श्री बी. बी. महाजन, सचिव, (राजभाषा) भारत सरकार मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता श्री गुरबक्श सिंह उबेराय, निदेशक ने की।

श्री गुरबक्श सिंह उबेराय ने श्री महाजन को माल्यार्पण किया और तत्पश्चात श्री महाजन ने दीप प्रज्जवलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इसके उपरान्त "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा" वृन्दगान से हाल गूंज उठा।

श्री हकूमत राय लूथरा, उपनिदेशक ने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित मेहमानों का स्वागत किया। फिर, मेजर प्रेमपाल सिंह, प्रभारी अधिकारी सं. 9 आ.का. ने वर्ष 1986-87 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में की गई प्रगति की जानकारी दी और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) भारत सरकार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन हेतु किए गए प्रयासों के विस्तृत विवरण दिए। उन्होंने कहा कि श्री उबेराय ने हिन्दी के प्रति प्रेम की चर्चा की।

मेजर प्रेम पाल सिंह ने राजभाषा अधिनियम 1963 तथा नियम 1976 की मुख्य मदों के अनुपालन एवं प्रावधानों एवं उनके कार्यान्वयन की स्थिति पर भी प्रकाश डाला।

कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में रुचि व अभिरुचि को जागृत करने के लिए कार्यालय में हिन्दी समाचार पत्र और हिन्दी पत्रिकाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। वार्षिक हिन्दी समारोह के उपलक्ष्य में दिनांक 4-5-87 से लेकर 7-5-87 तक और दिनांक 20-5-87 को विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

समारोह के उपलक्ष्य में सर्कल कार्यालय व इसके अधीनस्थ कार्यालयों कर्मचारियों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे:

| | |
|---|---|
| 1. हिन्दी निबन्ध | प्रथम स्थान : श्री अनिल कुमार धीर, नि. श्रे. लि.; |
| | द्वितीय स्थान—गुरदीप सिंह, ड्राफ्ट्स सं. 9 आ. का. |
| 2. टिप्पण आलेखन | प्रथम स्थान—श्री कन्हैया सिंह, उ० श्रे० लि., |
| | द्वितीय स्थान, श्री रोशन लाल, उ.श्रे.लि. |
| 3. तकनीकी शब्दावली | प्रथम स्थान : श्रीमती निर्मला पवार, आशुलिपिक |
| | द्वितीय स्थान—श्री दिनेशचन्द्र शर्मा ड्राफ्ट्समैन |
| 4. हिन्दी टंकण | प्रथम स्थान —श्री तारा चन्द, नि. श्रे. लि.; |
| | द्वितीय स्थान : श्रीमती मीना मनोचा, |

5. कविता पाठ — प्रथम स्थान : श्रीमती जसवन्त कौर, उ. श्रे. लि. उ.प.स.का.

द्वितीय स्थान : श्री अनिल कुमार धीर नि. श्रें. लि. उ. प. सं. का.

6. एकांकी — प्रथम स्थान : श्री श्याम लाल गौड़, ड्राफ्ट्समैन

द्वितीय स्थान : श्री बिरदी खान, ड्राफ्ट्समैन

7. सुलेख (अतिथियों के लिए)। — श्री दीपक खोसला, नगर योजना कार पंजाब।

इन प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों और समारोह आयोजन समिति के सदस्यों को पुरस्कार दिए गए। मेहमानों के लिए विशेष तौर से चण्डीगढ़ का गाईड मानचित्र हिन्दी में तैयार करवाया गया था। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि श्री. बी. बी. महाजन के कर कमलों द्वारा किया गया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री गुरबक्श सिंह उबेराय निदेशक, पश्चिमोत्तर सर्कल ने रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता की बात की क्योंकि देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक व ध्वन्यात्मक है, यह जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है। उन्होंने भौगोलिक नामों के मानकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और एक मानक लिप्यंतरण तालिका की सख्त जरूरत के संबंध में चर्चा की ताकि Bangalore, Coimbatore और Lucknow इत्यादि शहरों के नाम संशोधित किए जा सके। उन्होंने मील पत्थरों, दूरी पत्थरों को भी देवनागरी लिपि में लिखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि जन समुदाय/वाहन चालक देवनागरी लिपि में स्थानों के नाम पढ़ सकें।

उन्होंने मुख्य अतिथि श्री बी. बी. महाजन, सचिव राजभाषा विभाग के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट किया जिन्होंने समारोह में पधारने की कृपा की।

मुख्य अतिथि श्री महाजन ने प्रसन्नता के साथ सभी कार्यक्रमों को देखा व सुना। उन्होंने अपने भाषाण में अत्यन्त सरल, सुबोध भाषा का कार्यालयों में प्रयोग करने पर विशेष बल दिया ताकि आसान व सरल भाषा का अधिक से अधिक लोग प्रयोग करें और उनकी झिझक दूर हो। उन्होंने देवनागरी लिपि को "सम्पर्क भाषा" बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि "अनेकता में एकता" सूत्र को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि एक बात और ध्यान में रखने योग्य है हिन्दी में काम करने के लिए हम कब तक प्रोत्साहनों का सहारा ले सकते हैं, अब हमें स्वयं ही इच्छानुसार हिन्दी में काम करने की आदत बना लेनी चाहिए।

### (6) राची : मैकन

सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एव पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के कार्यालय (मेकन भवन) रांची में दिनांक 26-6-87 को राजभाषा समारोह 1987 का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री पी. के. दासगुप्ता, बाणिज्यिक लेखापरीक्षा ने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने हेतु हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। कार्यालयीन हिन्दी की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट पेश करते हुए श्री कृष्ण प्रसाद, लेखापरीक्षा अधिकारी ने याद दिलाया कि हिन्दी का प्रयोग संवैधानिक जरूरत है अत: ——"हिन्दी को स्वेच्छा से अपनाएं और इसका अधिकाधिक प्रयोग कर देश एवं संविधान के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करें।" गत वित्त वर्ष में अधिक मात्रा में हिन्दी में कार्य करने वाले 47 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निदेशक ने पारितोषक प्रदान किए।

### (7) देहरादून : भारतीय सर्वेक्षण विभाग में वार्षिक हिन्दी समारोह

दिनांक 26 मार्च, 1987 को देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय महासर्वेक्षक कार्यालय में वार्षिक हिन्दी समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल थे।

महासर्वेक्षक कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह गुसाई ने महासर्वेक्षक कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग संबंधी वर्ष 1986 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि महासर्वेक्षक कार्यालय से वर्ष 1986 में "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों को 75% "क" क्षेत्र के गैर-सरकारी व्यक्तियों को 71% तथा "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को 67% पत्र हिन्दी में भेजे गए। इसी प्रकार वर्ष 1986 में कार्यालय में राजभाषा, अधिनियम की धारा 3 (3) का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए सभी अधिसूचनाएं सामान्य आदेश आदि द्विभाषी जारी हुए।

कार्यालय के अधिकांश अवर श्रेणी लिपिकों ने हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा अप्रशिक्षित लिपिक नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग ने मानचित्रकला में तकनीकी शब्दों का द्विभाषी शब्दकोश प्रकाशित किया है जिसकी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने सराहना की है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दिनांक 19 सितम्बर, 1985 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलन में भारत के महासर्वेक्षक मजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल को पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।

समारोह में कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले व्यक्तियों तथा समिति द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार

प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने वाले अनुभाग को चल-वैजयन्ती प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण समारोह भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ।

इस अवसर पर श्री वी. के. पै, उपमहासर्वेक्षक ने प्रेरणादायक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति और भाषा पर स्वाभिमान होना चाहिए तथा अंग्रेजी के प्रति मानसिकता को बदलकर अधिक से अधिक बातचीत हिन्दी में ही करनी चाहिए। जितना समय हम दूसरी भाषा सीखने में लगाते हैं उससे कम समय में हिन्दी सीखी जा सकती है। हमारे देश में हिन्दी तथा अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य उच्च स्तर का है। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी लिखते समय आसानी से सबकी समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग करें तथा आस पास के वातावरण को लेकर चलें तभी हिन्दी का प्रयोग बढ़ सकता है। उन्होंने हिन्दी में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध किया कि यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण विषयक तकनीकी शब्दावली बनाने में सहयोग देना चाहे तो उसका स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की क्षमता रखती है।

समारोह के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यालय में हिन्दी पत्राचार निरन्तर बढ़ता रहेगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजताओं को बधाई देते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में उनका सहयोग मिलता रहेगा।

कर्नल पृथ्वीराज, निदेशक, उत्तरी सर्किल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है तथा हर एक को इसकी प्रगति के लिए अपना योगदान देना है। माननीय मुख्य अतिथि मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक ने समारोह के आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विषय का अच्छा ज्ञान होने पर यदि हम प्रयास करें तो वैज्ञानिक लेख भी आसानी से हिन्दी में लिखे जा सकते हैं। उन्होंने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित आठवी वैज्ञानिक लेख प्रतियोगिता में उत्तरी सर्किल के श्री विक्रम सिंह नेगी, प्लेनटेबुलक को तृतीय पुरस्कार पाने के लिए हार्दिक बधाई देते हुए। कहा कि इस विभाग में कार्यरत अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित मानचित्र प्रकाशन निदेशालय में भी 10 अप्रैल, 1987 को हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के महासर्वेक्षक मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल थे। कर्नल सुरेन्द्र मोहन चड्ढा, निदेशक, मानचित्र प्रकाशन ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित अन्य निदेशालयों के अधिकारी भी सम्मिलित थे। इस अवसर पर आयोजित समिति के अध्यक्ष, श्री वेदप्रकाश गोयल, उपनिदशक (प्रशा.) मानचित्र प्रकाशन ने निदशालय में हिंदी के प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त विवरण भी दिया। समारोह की आयोजन समिति के सचिव श्री जगदीश प्रसाद नैथानी, हिन्दी अधिकारी ने निदशालय की वर्ष 1986-87 की हिन्दी संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निदेशालय की तीन यूनिटों को "हिन्दी यूनिट" घोषित किया गया है तथा कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करने के लिए 5 हिन्दी कार्यशालएं चलाई गईं।

समारोह की आयोजन समिति के सचिव श्री लक्ष्मण सिंह गुसांई हिन्दी अधिकारी ने धन्यावाद दिया

### (8) राउरकेला इस्पात संयंत्र में पुरस्कार वितरण समारोह

राउरकेला इस्पात संयंत्र के भाषा प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 15 जून, 1987 को आयोजित हिन्दी/उड़िया निबन्ध एवं वाक् प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित विजयी प्रतियोगियों को सम्बोधित करते हुए वित्त विभाग के प्रबन्धक श्री पी.सी. त्रिपाठी ने कहा कि एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हमें सामाजिक-संस्कृति की भावभूमि की ओर अग्रसर करती है, ऐसी चेतना को पुरस्कृत करते हुए आत्म-गौरव का बोध होता है।

वर्ष 1985-86 और 1986-87 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का ब्यौरा देते हुए राजभाषा अधिकारी श्री मधसूदन साहा ने कहा कि कर्मचारियों के बीच भाषाई सद्-भावना की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे आयोजनों का बड़ा महत्व है और इनसे संघ की भाषा नीति के प्रचार-प्रसार के लिए एक रूचिकर वातावरण का निर्माण होता है।

उड़िया की दो और हिन्दी की चार प्रतियोगिताओं में 58 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया जिनमें पुरस्कार राशि की दृष्टि से श्री विजय कुमार परिडा, जन-संपर्क सहायक (प्रथम), श्री उमा कान्त परिडा, सहायक प्रबन्धक (द्वितीय) और श्री नृसिंह चरण पटनायक, सहायक, कार्मिक विभाग (तृतीय) रहे।

अन्त में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री विपिन पंडा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि हम आशा करते हैं भविष्य में ऐसे आयोजनों में हमारे कर्मचारी और अधिक उत्साह से भाग लेंगे और दोनों भाषाओं के बीच सुन्दर सेतु का निर्माण कर इस्पात-संस्कृति को नई दिशा देंगे।

### (9) जयपुर : केनरा बैंक हिन्दी प्रतिनिधि सम्मेलन

18 जलाई, 1987 को स्थानीय रोटरी क्लब में केनरा बैंक जयपुर मण्डल द्वारा मानसेवी हिन्दी प्रतिनिधियों का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन वयोवृद्ध लेखक गोपाल दास द्वारा किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विभिन्न शाखाओं से आए हिन्दी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गोपाल दास ने कहा कि जो लोग हिन्दी का नारा देते हैं या समर्थन करते हैं लगता है उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया है। हिन्दी के प्रति अनुराग रखना ही चाहिए। आज हमें एक भाषा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से जन-जन की भावनाओं का आदान प्रदान हो।

इससे पूर्व जयपुर मण्डल प्रबन्धक—एस.वी. कामत ने हिन्दी प्रतिनिधियों से हिन्दी काम बढ़ाने की अपील की। उत्तर अंचल दिल्ली के सुभाष शर्मा ने सरकार की राजभाषा नीति की अनिवार्यताओं के शत प्रतिशत अनुपालन की सलाह दी। मण्डल के राजभाषा अधिकारी रमेश चन्द के सुझाव पर सर्वसम्मति से पन्द्रह क्षेत्रों का चयन किया गया जिनमें हिन्दी तत्काल से लागू की जा सकती हैं। हिंदी प्रतिनिधियों ने अपनी शाखाओं की प्रगति का उल्लेख किया तथा कठिनाइयों पर चर्चा की गई। □

# हिन्दी के बढ़ते चरण

## I. कनरा बैंक (अंचल कार्यालय), मंगलूर में राजभाषा की विकास यात्रा

मई 1983 से लेकर राजभाषा कक्ष कार्य कर रहा है। कक्ष की अत्युत्तम कार्यनिष्पादन को मान्यता देने की दृष्टि से जुलाई 1986 से लेकर, राजभाषा अनुभाग के रूप में इसकी स्तरोन्नति हुई। फिलहाल, अनुभाग में एक प्रबंधक, एक लिपिक तथा एक टंकक कार्यरत हैं, जो अंचल के अन्तर्गत आनेवाली/ले 262 शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का काम निभा रहे हैं। समस्त अंचल में कुल 3643 कर्मचारियों में से (अधीनस्थ कर्मचारियों को छोड़कर) केवल 1987 कर्मचारी ही ऐसे हैं जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है।

**कार्य निष्पादन :**

अंचल कार्यालय में, 9 मंडल कार्यालयों में तथा 3 अत्यंत बड़ी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हुई हैं, जिनकी बैठकें नियमित रूप से, हर तिमाही में बुलाई जा रही हैं।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारियों को प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रशिक्षित करने की दृष्टि से अब तक तीन-तीन दिनों की 72 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई है। जिनमें 1394 कर्मचारी प्रशिक्षित हो चके हैं।

भारतीय बैंकर्स संस्थान, बंबई द्वारा चलाई जानेवाली कथित परीक्षा देने के लिए कर्मचारियों के उपयोगार्थ सहायक सामग्री तैयार की गई है।

शाखाओं/कार्यालयों में 90 प्रतिशत से अधिक द्विभाषिक रबड़ मुहरों का प्रयोग और द्विभाषिक/त्रिभाषिक नाम पट्ट/समय/पट्ट/काउंटर पट्ट आदि को प्रदर्शित किया गया है।

सभी प्रलेख, जो राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आते हैं, निरपवाद रूप से द्विभाषा में जारी किए जाते हैं।

हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब शत प्रतिशत हिंदी में ही दिया जाता है। केनरा बैंक के दस अंचलों में से मंगलूर अंचल सर्वप्रथम अंचल है, जिसने टंकक व फाइलिंग लिपिकों को हिन्दी प्रशिक्षण योजना, गृह मंत्रालय की देवनागरी टाइपराइटिंग प्रशिक्षक शीर्षक किताब का लाभ उठाते हुए और किसी प्रशिक्षक की सहायता ने लेते हुए हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना आरंभ की। अब तक 2 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए हैं और 2 कर्मचारी परीक्षा देने वाले हैं।

अंचल कार्यालय में और हमारे सभी मंडल कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय गठित किए गए हैं।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के बैंगलूर केन्द्र द्वारा चलाए गए त्रैमासिक हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अब तक 8 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

यथा 31-3-1987 को हमारी/रि शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है।

अंचल की/के कुल 60 शाखाओं/कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए प्रधान कार्यालय को लिखा जा चुका है।

हर साल अंचल कार्यालयों में तथा मंडल कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया जाता है।

पिछले साल, सितंबर महीने के दौरान मंडल कार्यालयों में और दिनांक 13-10-1986 को अंचल कार्यालय के परिसर में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। अंचल कार्यालय में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के सिलसिले में पांच तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अंचल में दिनांक 14-9-1986 से 13-10-1986 तक "हिंदी माह" मनाया गया तथा इस अवसर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए "बारह सूत्री" कार्यक्रम रूपायित किया गया।

कर्मचारियों की साहित्यिक तथा कलात्मक प्रतिभा के लिए एक सुवर्ण अवसर प्रदान करते हुए एक द्विभाषिक तिमाही पत्रिका "मंगल दर्पण" का प्रकाशन कर रहे हैं, जिसके 3 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

दिनांक 1-8-1986 से लेकर 31-12-1986 तक 'राजभाषा सिंधु बिंदु' शृंखला के अंतर्गत, हर रोज अंचल के तथा स्थानीय शाखाओं/कार्यालयों के कर्मचारियों को 10–20 बैंकिंग शब्दों से परिचित कराया गया। पखवाड़े में एक बार इस सामग्री को जुटाकर अंचल की/के अन्य शाखाओं/कार्यालयों को भेजा गया।

'राजभाषा तरंग शीर्षक' शृंखला का श्रीगणेश दिनांक 1-1-1987 को किया गया। जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को दैनंदिन बैंकिंग पत्राचार में प्रयोग किए जाने वाले द्विभाषिक महावरों, वाक्यांशों से परिचित कराने का प्रयास किया गया।

बहुत-सी शाखाओं/कार्यालयों ने मासिक स्टाफ बैठकें हिंदी माध्यम से आयोजित की तथा बहुतों ने बैठकों की कार्यसूची में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित एक मद भी मिला दिया।

'हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कुछ संकेत' शीर्षक द्विभाषिक पैंफलेट मुद्रित करवाया गया।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संदर्भ में "ग" क्षेत्र में (तमिल नाडु को छोड़कर) अत्युत्तम कार्यनिष्पादन के लिए प्रधान द्वारा प्रवर्तित केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार प्रतियोगिता में अंचल वर्ष 1985 व 1986 के लिए यह पुरस्कार लगातार दो बार जीता।

**(2) आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा में हिन्दी की प्रगति**

हिन्दी की प्रगति एवं विकास के लिए भारत सरकार की नीतियों के अनुसार आर्डनैन्स फैक्टरी; भण्डारा में दिनांक 5-1-87 से 10-1-87 को हिन्दी सप्ताह के रूप में मनाया गया।

**1. हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन :**

हिन्दी सप्ताह के दौरान एक हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री सुधीर कुमार पाण्डे, कार्यशाला प्रबंधक एवं अधिकारी राजभाषा ने संगोष्ठी में हिन्दी सप्ताह मनाए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री आर०बी० पाण्डे ने कहा कि "हिन्दी की जड़ें हरी-भरी हैं। अब वे विदेशों में भी फैल रही हैं। आज हिन्दी सीमित क्षेत्रों की लक्ष्मण रेखा को पार करके ज्ञान-विज्ञान की भाषा बन चुकी है। सिर्फ हमें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।"

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा इस सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

हिन्दी निबंध-लेखन, हिन्दी वाद-विवाद और हिन्दी कविता-पाठ प्रतियोगिताएं केवल अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों के लिए ही आयोजित की गईं। अहिन्दी भाषी प्रतियोगियों को "क" और "ख" 2 समूहों में बांटा गया था। "क" समूह में उन कर्मचारियों/अधिकारियों को रखा गया जिनकी मातृभाषा—पंजाबी, उर्दू, काश्मीरी, सिन्धी और सम्बद्ध भाषाएं मराठी, गुजराती, नेपाली थी। "ख" समूह में उन कर्मचारियों/अधिकारियों को रखा गया जिनकी मातृभाषा—बंगला, उड़िया, असमिया, दक्षिण भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी थी।

हिन्दी टंकण, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन और वैयक्तिक पुरस्कार प्रतियोगिताएं सभी वर्गों के लिए खुली थीं। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद पुरस्कारों की घोषणा की गई। हर प्रतियोगिता के हर वर्गों के लिए तीन-तीन पुरस्कार रखे गए। इस प्रकार 50 रु., 30 रु० और 20 रु. के 27 पुरस्कार घोषित किए गए।

**2. हिन्दी सप्ताह के दौरान किए गए अन्य कार्य**

**पत्राचार**

सभी अनुभाग प्रमुखों/अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी पत्रों/पत्राचारों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करें और हिन्दी में ही अपनी टिप्पणियाँ लिखें। सभी परिपत्र, आदेश, नोटिस/सूचना, हाजिरी और छुट्टियों से संबंधित पत्राचार (करेसपांडेंस) हिन्दी में ही करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे जहां तक सम्भव हो सभी काय हिन्दी में ही करें और अपने अधीन कार्य करने वाले अन्य लोगों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए उत्साहित करें।

**3. हिन्दी चार्टों/पोस्टरों/आदर्श वाक्यों का प्रदर्शन**

सुन्दर विचार कणों एवं आदर्श वाक्यों का चार्ट/पोस्टर बनाकर हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी प्रमुख स्थानों, फैक्टरी के मुख्यद्वार और सभी अनुभागों में लगाया गए। इस प्रदर्शन के कारण चारों ओर एक आशामय वातावरण और उल्लास छाया हुआ था और लोग राजभाषा हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाने के लिए कटिबद्ध दिख रहे थे।

**4. हिन्दी वार्षिक समारोह, 1986-87 का आयोजन**

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1987 को वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक ने अपने भाषण हिन्दी में दिए। समारोह में निर्माणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के अलावा सम्बद्ध संस्थापनों के कर्मचारी/अधिकारी भी उपस्थित थे। पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र को वितरित करने से सम्बंधित एवं अन्य सभी घोषनाएं हिन्दी में की गईं।

**5. राजभाषा पत्रिका, 1987 का विमोचन**

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक राजभाषा पत्रिका प्रकाशित की गई। हिन्दी भाषियों के साथ-साथ बहुत से अहिन्दी भाषियों ने भी अपनी रचनाएं, लेख एवं कविताएं भेजकर पत्रिका को सुन्दर एवं उपयोगी बनाने में सराहनीय कार्य किया। हिन्दी प्रचार के इस स्वस्थ वातावरण ने लोगों को देवनागरी लिपि और राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान किया और उन्हें उत्साहित किया।

**6. चल वैजयंती विजयश्री रोलिंग ट्राफी प्रदान करना**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा ने यह निर्णय लिया था कि जो अनुभाग वर्ष, 1986 के दौरान अपना सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करेंगे, उन्हें हिन्दी समारोह 1986-87 के अवसर पर "चल वैजयंती विजयश्री" प्रदान की जाएगी। वर्ष 1986 का यह विजय चिह्न इस निर्माणी के "अग्निशमन सेवा अनुभाग" (फायर ब्रिगेड सेक्शन) को प्रदान किया गया।

### (3) पुणे हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.

24 जनवरी, 1978 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी विभाग का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंध निदेशक और अन्य सदस्य कंपनी के विभागाध्यक्ष है। कंपनी के अधिकारी संघ और कर्मचारी संघ के एक-एक सदस्य का भी इसमें समावेश है। इस बैठक में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में प्रगति की चर्चा की जाती है और सभी सदस्य अपने-अपने सुझाव देते हैं।

हिन्दी अनुभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय रखते हुए हिन्दी की प्रगति की विभिन्न योजनाएं तैयार करता है। हिन्दी विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है हिन्दी टंकण प्रशिक्षण का कार्यक्रम। पिछले वर्ष कंपनी के 5 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया।

**हिन्दी अनुवाद कार्य**

कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक उपयोग में लाने वाले सभी फार्मों का हिन्दी अनुवाद और उन्हें द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अस्पताल विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से संबंधित फार्मों का अनुवाद हो गया है। उपक्रम के पत्रशीर्ष, लिफाफे, फाईल कवरों, लोगो, हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापा जाता है। इसके अलावा उपक्रम के सरकारी बुलेटिन, मकान आबंटन नियम, हिन्दी में अनुवाद कर साइक्लोस्टाइल कर जारी किए गए। कंपनी के मेमोरंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन का अनुवाद हो गया है। उसका पुनरीक्षण जारी है। स्टोर्स विभाग से संबंधित टेंडर फार्म, टेंडर नोटिस इत्यादि सभी फार्मों का अनुवाद हो गया है और अन्य प्रकाशन के लिये दिये जायेंगे। कंपनी की गृहपत्रिका "एच. ए. न्यूज" हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, तीनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। कंपनी के स्थाई आदेश हिन्दी में अनुवाद कर छपवाये गये हैं। कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति अंग्रेजी मराठी के साथ-साथ हिन्दी में जारी की जाती है।

**हिन्दी माध्यम से कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

कंपनी के प्रशिक्षण केन्द्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी, मराठी और हिन्दी होता है। परीक्षा के लिये प्रश्न-पत्र अंग्रेजी-हिन्दी में तैयार किए जाते हैं।

**दवाइयों के पैकेटों पर हिन्दी में विवरण**

कंपनी द्वारा तैयार की जाने वाली दवाइयों के पैकेटों पर दवाई का नाम, कंपनी का नाम और पता हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापा जाता है। खेतिहर कुछ दवाइयों से संबंधित विवरण साहित्य को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छापा जाता है।

**कंपनी के डिपो कार्यालय में भी हिन्दी का प्रगामी प्रयोग**

कंपनी के सभी डिपो कार्यालय में भी हिन्दी के प्रति अभिरुचि जगाने के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कर्मचारियों से पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। डिपो कार्यालयों को प्रोत्साहित कया जाता है। उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में जनसामान्य व्यक्तियों से हिन्दी का ही प्रयोग करें।

**राजभाषा धारा 3(3) के अनुसार कंपनी में हिन्दी का प्रयोग**

कंपनी के सभी सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। यदि कोई आदेश प्रथम अंग्रेजी में जारी हो जाता है तो अनिवार्य रूप से उसको हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाता है। कर्मचारियों से संबंधित सभी भाग I, II, III तथा सामान्य समय में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी में प्रेषित की जाती हैं। समाचारपत्रों में टेंडर नोटिस, अंग्रेजी, हिन्दी व मराठी तीनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

**चैक प्वाइंटस की स्थापना**

कंपनी के पत्राचार को बढ़ाने के लिये चैक प्वाइंट्स बनाए गए हैं। परिपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उन पर हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करें कि इसका हिन्दी अनुवाद भी संलग्न किया जाय।

### 4. सीमा सड़क संगठन की बीकन परियोजना श्रीनगर जम्मू कश्मीर)

"बीकन" परियोजना सीमा सड़क संगठन (बार्डर रोड्स) की अनेक परियोजनाओं में से एक है। उसका मुख्यालय श्रीनगर में है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए परियोजना में पिछले कुछ समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

2. परियोजना में हिन्दी में प्राप्त होने वाले हर पत्र का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। उपलब्ध सभी मोहरें द्विभाषी हैं तथा मुख्यालय के सभी नामपट्ट एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पहिने जाने वाली नाम पट्टिकाएं द्विभाषी हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले राजमार्ग पर अनेक स्थानों पर लगे सड़क संकेत भी हिन्दी में हैं।

3. बीकन परियोजना में राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जिसकी नियमित बैठकें की जाती हैं। कई कर्मचारियों को हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए परियोजना में 20 से 27 अप्रैल, 1987 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसके अन्तर्गत अनेक महापुरुषों द्वारा हिन्दी

के पक्ष में कही गई कहावतों को स्थान-स्थान पर लगाया गया एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करके कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यालय में मई, 1987 में हिन्दी कार्यशाला भी चलाई गई, जिसमें अधिकतर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों को शामिल करके उन्हें हिन्दी के प्रयोग के सरल उपाय सुझाए गए।

4. वर्ष 1985 में पहली बार और फिर जून, 1987 में दूसरी बार संसदीय राजभाषा समिति ने बीकन परियोजना का निरीक्षण किया।

### (5) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स, लि०, नैनी (इलाहबाद)

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि. राजभाषा हिन्दी की प्रगति हेतु आरम्भ से ही निरन्तर प्रयत्नशील है। सरकारी राजभाषा नीति एवम् भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक राजभाषा कार्यक्रमों तथा समय-समय पर प्राप्त विविध सरकारी निर्देशों के अनुकूल अपेक्षित कार्यवाहियां पूरी की जा रही हैं।

**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन :**

वर्ष 1980 में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् उसी वर्ष प्रबंधन के अनुमोदन से हिन्दी अधिकारी द्वारा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई और उसकी बैठकें महाप्रबंधक की अध्यक्षता में निरन्तर होती रही हैं।

**हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण**

निर्दिष्ट सरकारी बिन्दुओं के अनुकूल समस्त अहिन्दी भाषी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से पत्राचार पाठ्यक्रमान्तर्गत समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी शीघ्र ही इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

**हिन्दी टंकण प्रशिक्षण**

कम्पनी में सात हिन्दी टाइपराईटर्ज उपलब्ध हैं। कम्पनी के समस्त टंककों को जिन्हें हिन्दी टंकण की जानकारी पहले से नहीं है, उन्हें हिन्दी शिक्षण योजनान्तर्गत हिन्दी टंकण का समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। अब तक कुल 30 टंकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण शुल्क कम्पनी वहन करती है।

**प्रतियोगिताएं**

संस्थान के मुख्यालय में समय-समय पर हिन्दी निबंध, हिन्दी कविता, हिन्दी कहानी, हिन्दी टिप्पण एवम् लेखन तथा हिन्दी टंकण प्रतियोगितायें इत्यादि आयोजित करके कर्मचारियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

**संदर्भ साहित्य की व्यवस्था**

संस्थान के पुस्तकालय में प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार हिन्दी-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोषों को क्रय किया जा रहा है। कुछ अन्य हिन्दी पुस्तकें भी उपयोगितानुसार खरीदी जा रही हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी समेकित हिन्दी प्रशासन शब्दावली की एक-एक प्रति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हिन्दी अधिकारी ने स्वतः एक हिन्दी सहायिका इस कार्यालय के उपयोग हेतु संकलित की है जिसे प्रकाशित कर सभी कर्मचारियों में हिन्दी के अधिकतम उपयोग हेतु वितरित किया जाएगा।

**हिन्दी अनुवाद कार्य :**

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुकल कार्मिक विभाग में प्रयुक्त होने वाले हमारे सभी फार्म द्विभाषी हैं। स्टेशनरी की विभिन्न मदों, फाइल कवरों, अन्तर्विभागीय पत्र प्रारूपों तथा टिप्पणी पत्र एवम् पत्रशीर्ष को द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है।

**विविधि कार्यों में हिन्दी का विकास**

संस्थान में कार्मिक विभाग में हिन्दी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों द्वारा अपना दैनिक काम-काज अधिकांश मात्रा में हिन्दी भाषा में सम्पन्न किया जा रहा है। कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन द्विभाषी रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है।

### (6) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में राजभाषा की प्रगति

वर्ष 1986 के दौरान राजभाषा अधिनियम की अनुपालना के सम्बन्ध में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के हस्ताक्षर से परिपत्र जारी करते हुए राजभाषा अधिनियम व नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार हिन्दी में काम करने की सलाह दी गई है। कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने व हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख हैं:—महानिदेशालय, पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, 1 और 3, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ग्रुप केन्द्र इम्फाल, नई दिल्ली, नीमच, रामपुर, हैदराबाद, पल्लिपुरम, गुलाहाटी, 14 वीं व 38वीं बटालियन आदि-आदि। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप प्रतियोगिताओं के माध्यम से कार्मिकों को हिन्दी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बल के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई—जैसे (1) महानिदेशालय, ग्रुप केन्द्र नई दिल्ली, रामपुर, मोकामाघाट, हैदराबाद, इम्फाल, गुवाहाटी, 36 वीं बटालियन, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक से.-2, कलकत्ता।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन में यूनिटों को बल आदेशों के विभिन्न नमूने उपलब्ध कराए गए जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय हथियार भण्डार रामपुर, केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज नं.-1, आवडी, ग्रुप केन्द्र-1 वर्ष 2, अजमेर,

ग्रुप केन्द्र मोकामाघाट, सिगनल ग्रुप केन्द्र रांची, ग्रुप केन्द्र दुर्गापुर, नीमच इम्फाल, आदि यूनिटों द्वारा बल आदेश हिन्दी में जारी किए गए। सभी यूनिटों में रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, स्टेशनरी की मदें व मोटर गाड़ियों पर नाम आदि द्विभाषी लिखवाए गए हैं तथा सभी यूनिटों ने इस सम्बन्ध में अनुपालन की पुष्टि की है। प्रशिक्षण साहित्य एवं मैनुअलों को द्विभाषी (अंग्रेजी-हिन्दी) में छपवाने के सम्बन्ध में संभरण अनुभाग में चेक प्वाइंट बनाया गया है।

बल में प्रतिदिन देवनागरी टाइपराइटरों की बढ़ोतरी की जा रही है। इस समय बल में देवनागरी की कुल 214 और रोमन की 1213 टाइपराइटर उपलब्ध हैं तथा कई देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद की मांग पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को की गई है। महानिदेशालय व माउंट आबू में स्थित आंतरिक सुरक्षा अकादमी के लिए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक देवनागरी टाइपराइटर खरीदने पर विचार किया जा रहा है। के. रि. पु. बल के सभी कार्यालयों (महानिदेशालय, 5 पुलिस महानिरीक्षक, आं. सु. अकादमी, 15 पुलिस उप-महानिरीक्षक के कार्यालय, 18 ग्रुप केन्द्र तथा लगभग 80 बटालियनों) में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है जिनकी नियमित रूप में हर तिमाही बैठकें की जा रही हैं। बल के 98% कार्यालय हिन्दी में कामकाज करने के लिए गजट में अधिसूचित किए गए हैं। संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 21-10-86 को ग्रुप केन्द्र पल्लिपुरम, 7-1-86 को ग्रुप केन्द्र आवड़ी में हिन्दी प्रगति का जायजा लिया और सरकारी कामकाज में बढ़ते हुए हिन्दी प्रयोग के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने पु. उप-महानिरीक्षक का कार्यालय पटना एवं ग्रुप केन्द्र 1 व 2, अजमेर का भी दौरा किया।

दिनांक 26-12-86 को महानिदेशक श्री सतीश दत्त पाण्डेय की अध्यक्षता में राजभाषा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पूरे बल के सभी पुलिस महानिरीक्षक, निदेशक, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, पुलिस उप-महानिरीक्षक/अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं बटा. के कमांडेंट महानिदेशालय के उप-निदेशक/सहायक निदेशक/सं. स. निदेशक उपस्थित हुए। महानिदेशक ने अधिकारी वर्ग के लिए आयोजित टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार, पुस्तकें एवं प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किए।

महानिदेशालय की ओर से सभी ग्रुप केन्द्रों को लगभग 14000/- रुपये मूल्य की हिन्दी पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट की गई तथा महानिदेशालय की लाइब्रेरी के लिए भी काफी संख्या में हिन्दी पुस्तकें एवं सहायक साहित्य की खरीद की गई। महानिदेशक महोदय के अर्ध सरकारी पत्र, दौरे कार्यक्रम, गजट एवं स्थायी आदेश/परिपत्र द्विभाषी जारी किए गए। गणतंत्र एवं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दिए गए प्रशस्ति पत्र द्विभाषी तैयार किए गए। अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद समारोह में भी परिपत्र, प्रदर्शन सामग्री, अभिभाषण, निमंत्रण पत्र इत्यादि द्विभाषी सुलभ कराई गई। बल की पत्रिका सी आर पी समाचार के वर्ष में 12 अंकों में से 8 अंक केवल हिन्दी में प्रकाशित होते हैं।

इस प्रकार राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में सभी अधिकारी-गण एवं कार्मिक निष्ठापूर्वक एवं उत्साह से कार्य कर रहे हैं।

### (7) दिल्ली प्रशासन में हिन्दी के पच्चीस वर्ष

**भाषा नीति**

दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, यहां की भाषा नीति केन्द्रीय सरकार की भाषा नीति के अनुसार ही है। केन्द्र द्वारा दिल्ली को 'क' क्षेत्र में रखा गया है। दिल्ली प्रशासन की राजभाषा हिन्दी है। दिल्ली प्रशासन के अधिकांश कार्य हिन्दी में किए जाते हैं। तकनीकी विभागों में हिन्दी प्रयोग को क्रमिक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

1955 में प्रशासन में गठित हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिल्ली प्रशासन में 1962 में हिन्दी विभाग की स्थापना की गई। बाद में उर्दू और पंजाबी संबंधी कार्य सौंपे जाने के कारण इसे भाषा विभाग का नाम दिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है भाषा विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में हिन्दी के कार्य तथा प्रयोग की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण भी किया जाता है।

कर्मचारियों को हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण देने के लिए 1967-68 में 6 केन्द्र आरम्भ किए गए जिससे हिन्दी टाइपिस्टों की आवश्यकता तत्काल पूरी की जा सके। बाद में काफी संख्या में टाइपिस्ट प्रशिक्षित हो जाने के कारण केन्द्रों की संख्या घटा कर दो कर दी गई। अब तक इन केन्द्रों में लगभग 1500 से भी अधिक कर्मचारियों को हिन्दी टाइप का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत अभी तक लगभग 1500 कर्मचारी हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भाषा कार्यशाला योजना है जिसमें कर्मचारियों को तकनीकी शब्दावली, सरकारी पत्र-व्यवहार, फाइलों में टीपें लिखने और पत्र-व्यवहार आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक कुल 1750 कर्मचारी टिप्पण व आलेखन और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण पा चुके हैं।

भाषा विभाग द्वारा अब तक कुल मिलाकर 45056 पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया जा चुका है जिसमें फार्म, प्रोफार्मा, छोटी-छोटी पुस्तिकाएं, विभिन्न प्रकार की अधिसूचनाएं, वार्षिक

विवरण, योजना दस्तावेज, महानगर परिषद् से संबंधित सामग्री आदि सम्मिलित हैं । प्रशासन के प्रत्येक बड़े विभाग में एक हिन्दी सेवा कक्ष बनाया गया है जहां हिन्दी का ज्ञान रखने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी सम्पर्क अधिकारी मनोनीत किया जाता है। ऐसे 36 सेवा कक्ष अभी तक कार्यरत हैं और शीघ्र ही उन्हें नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशासन की राजभाषा हिन्दी घोषित करते समय विभिन्न विभागों में अंग्रेजी के लगभग 500 टाइपराइटर विद्यमान थे। इस समय पूरे प्रशासन में हिन्दी के 1500 से भी अधिक टाइपराइटर पूरी तरह से कारगर स्थिति में हैं। भाषा विभाग द्वारा एक टेलीफोन सेवा भी आरम्भ की गई है जिसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी अपना काम हिन्दी में करते समय टेलीफोन पर अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का हिन्दी रूप पूछ सकते हैं।

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन प्रतियोगिताएं केवल टाइप और आशुलिपि तथा टिप्पण और आलेखन तक ही सीमित थीं। अब हिन्दी निबन्ध और हिन्दी सुलेख तथा हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिताएं भी सम्मिलित कर दी गई हैं। प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार 1000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 700 रु., तृतीय 500 रूपए का होता है। सौ-सौ के अनेक प्रोत्साहन पुरस्कार भी हैं।

### हिन्दी सेवी संस्थाओं से सहयोग

विश्व हिन्दी सम्मेलन : भाषा विभाग द्वारा अब तक आयोजित तीनों विश्व हिन्दी सम्मेलनों के अवसर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेने के अतिरिक्त प्रदर्शनी के लिए सामग्री भी प्रस्तुत की गई ।

दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा राज्यों में भाषा विभागों से मिलकर सहयोग दिया गया ।

कई ऐसे विभाग हैं जहां विभागीय कार्य 50 से 80 प्रतिशत तक हिन्दी में होता है । परन्तु कुछ ऐसे विभाग हैं जहां प्रगति उतनी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी । प्रयास है कि ऐसे विभागों में भी क्रमिक रूप में हिन्दी को बढ़ावा दिया जाए । तकनीकी विभागों में हिन्दी का काम 20 प्रतिशत से लेकर 30-40 प्रतिशत तक होता है, परन्तु तकनीकी कार्यालयों में भी सामान्य कार्यालयीन कार्य में हिन्दी को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है । □

# हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह

## (1) प्रगा में हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड के हैदराबाद स्थित गढ़ाई व ढलाई प्रभाग के ऐसे अधिकारियों के लिए "हिन्दी पुनश्चर्या पाठयक्रम" का आयोजन किया गया।

हिन्दी पुनश्चर्या पाठयक्रम दो बैचों में चलाया गया। प्रथम वर्ग 5 जून, 1987 से 27 जून, 1987 तक चलाया गया। इसमें उपक्रम के 10 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भाग लेने वालों में प्रभाग के प्रधान एवं उप महाप्रबन्धक श्री ए.वी. वालचन्द्रन भी एक थे। इसका उद्घाटन उप् महाप्रबन्धक श्री ए.वी. बालचन्द्रन ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में हिन्दी की गौरव गरिमा पर प्रकाश डालते हुए सभी अधिकारियों से कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए कहा।

हिन्दी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की दूसरी वर्ग 28 जून, 1987 से 12 जुलाई, 1987 तक चला। दूसरे वर्ग में, कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर उप प्रबन्धक स्तर के 14 अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन प्रभाग के उप कार्मिक प्रबन्धक श्री वी. शिव कुमार ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने बताया कि अन्य देशों के समान हमें भी अपनी भाषा में कार्यालयीन कार्य करके देश के गौरव को बढ़ाने और भाषायी गुलामी को समाप्त करने में अपना हर संभव योगदान दें। इन दोनों बैचों के अध्यापन कार्य के लिए नगर के जाने-माने हिन्दी विद्वानों की सेवाएं प्राप्त की गईं।

प्रतिभागियों में अंकों की वर्तनी का देवनागरी में मानक रूप एवं हिन्दी में सामान्य टिप्पणियों के चार्टों का वितरण किया गया। इन दोनों बैचों का सुचारू एवं सफल संचालन व धन्यवाद ज्ञापन श्री गजानन्द गुप्त ने किया।

## (2) पांडिचेरी : जिपमेर

जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी में इस वर्ष हिन्दी सप्ताह समारोह 23 फरवरी —27 फरवरी, 1987 तक मनाया गया। हिन्दी कविता, सुन्दर लिखावट व सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें लगभग 90 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को हिन्दी फिल्म, "संजोग" भी दिखाई गई। पांचवें दिन समारोह का समापन हुआ, जिसमें पुरस्कार वितरित किए गए एवं मुख्य अतिथि श्री सी.एन. शर्मा ने अपने भाषण में हिन्दी के प्रचार के लिये सरकार को इस दिशा में सहयोग देना, हर एक नागरिक का कर्त्तव्य बतलाया।

## (3) बिलासपुर दक्षिण पूर्व रेलवे

दिनांक 05-6-87 को देश के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार श्री रामेश्वर शुक्ल "अंचल" (जबलपुर) ने हिन्दी-सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने 8 रेल कर्मी साहित्यकारों को उनकी उल्लेखनीय हिन्दी साहित्य सेवा के लिये शाल, श्रीफल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये कर्मी हैं सर्वश्री (1) खुशाल चंद्र मेश्राम, मंडल संरक्षा अधिकारी, (2) मान्धाता ओझा, सहायक अभियंता, (3) आर.जी. काशी, गार्ड "ए" स्पेशल, (4) सियाराम शर्मा, कर्षण अग्रजन, रायगढ़, (5) एम.ए.के. स्वाई, मंडल, लेखा अधिकारी, (6) दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, टी.टी.आई., (7) लखबीर सिंह "कलसी", सब इंस्पेक्टर, रेल सुरक्षा बल रायपुर, (8) एस.क्यू. आलम, लिपिक। मुख्य अतिथि श्री अंचल ने मंडल की हिन्दी पत्रिका "दीक्षा" का भी विमोचन किया जो दक्षिण पूर्व रेलवे के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी विशेषांक के रूप में प्रकाशित की गई है। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिये छोटे-मोटे बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्रभाषा को अपनाने पर बल दिया तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित तथा सरल शब्दों को अपनाने को कहा। विशिष्ट अतिथि श्री पी.वी. रत्नम, मुख्य राजभाषा अधिकारी, गार्डेनरीच कलकत्ता ने कहा कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बिलासपुर मंडल अग्रणी रहा है। परिणामस्वरूप इस वर्ष रेल मंत्री राजभाषा शील्ड इसी मंडल को प्रदान की गई है।

अपने अध्यक्षी भाषण में मंडल रेल प्रबंधक श्री राधेश्याम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार हम माल लदान, यात्री परिवहन, यात्री सुख सुविधा, राजस्व अर्जन आदि क्षेत्र में अग्रणी हैं उसी प्रकार बिलासपुर मंडल राजभाषा के प्रचार-प्रसार के कार्य में भी अग्रणी हैं। आगे भी यही स्थिति बनाये रखने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। मंडल के हिन्दी अधिकारी श्री रामचरण कटारे ने हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे में बिलासपुर मंडल ही पहला मंडल है जहां 17 रेल कार्यालय अधिसूचित हैं, स्टेशनों के आरक्षण चार्ट हिन्दी बुलेटिन टाइपराइटर पर हिन्दी में बनाये जाते हैं। राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिये रेल कर्मी साहित्यकारों का सम्मान किया गया है। समारोह में हिन्दी एकांकी नाटक प्रतियोगिता, रेल अंतशाला हिन्दी लेखन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

### (4) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ में प्रो. पी.डी. कुलकर्णी, प्राचार्य की अध्यक्षता में 14 जुलाई, 1987 को प्रथम हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह का प्रारम्भ हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी के आयोजन के साथ किया गया, जिस का उद्घाटन प्रो. पी.डी. कुलकर्णी, प्राचार्य ने किया। प्रदर्शनी में चण्डीगढ़ के स्थानीय पुस्तक-विक्रेताओं ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती जनक दुलारी ने स्वागत किया और समारोह का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना बताया।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यक्रम के आयोजक, श्री सी.एल. चड्ढा ने संस्थान में हिन्दी की प्रगति के विषय में रिपोर्ट पढ़ी तथा अधिक लगन एवं रूचि के साथ हिन्दी में कार्य करने का परामर्श दिया।

तदुपरांत हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। निबन्ध प्रतियोगिता में आठ कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए। भाग लेने वाले शेष कर्मचारियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

### (5) अम्बाला : भारतीय वायुसेना

वायुसेना स्टेशन अम्बाला में 06 अप्रैल, 87 से 15 अप्रैल, 87 तक हिन्दी सप्ताह समारोह आयोजित किया गया जिसमें हिन्दी कहानी लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में 22 वायुसैनिकों ने भाग लिया। इनमें अहिन्दी भाषी वायुसैनिक भी थे जिन्होंने अपनी हिन्दी भाषा पर असाधारण अधिकार से श्रोतागणों को बहुत अधिक प्रभावित किया। समापन समारोह पर एयर कमोडोर डी. आर. नाडकर्णी, अ.वि.से.मे., वा.से.मे. ने अपने भाषण में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा वायुसेना स्टेशन अम्बाला में हिन्दी की प्रगति को संतोषजनक बताते हुए इसकी सराहना की।

### (6) नई दिल्ली : वायुसेना मुख्यालय

वायुसेना मुख्यालय, वायुभवन में 30 मार्च, 87 से 03 अप्रैल, 87 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता, हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, हिन्दी वाक् प्रतियोगिता एवं स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सैनिक और असैनिक कार्मिकों ने भाग लिया। वायुसेना मुख्यालय में उपवायुसेनाध्यक्ष, एयर मार्शल पी० सिंह, अ.वि.से.मे., वा.से.मे. द्वारा प्रतियोगिता में उच्च स्थान पाने वाले कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

# हिन्दी कार्यशालाएं

### (1) तिरुअनन्तपुरम —केनरा बैंक

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक केनरा बैंक द्वारा तिरुअनन्तपुरम् स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी एवं लिपिकीय कर्मचारियों के लिए दिनांक 28-7-87 से 31-7-87 तक दो हिन्दी कार्यशालाएं चलाई गईं।

### (1) अधिकारियों के लिए

अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन 28-7-87 को केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक श्री आर.पी. अय्यर ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री अय्यर ने, हिन्दी ज्ञान को ताजा करने के लिए प्राप्त इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए अधिकारियों से आह्वान किया। 11 सदस्य बैंकों से 15 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

दिनांक 29-7-87 को शाम 4.30 बजे हुए समापन समारोह में प्रख्यात लेखक एवं केरल विश्वविद्यालय के हिन्दी विशेष अधिकारी डा. एन.ई. विश्वनाथ अय्यर मुख्य अतिथि थे। डा. अय्यर ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समिति द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की और प्रशिक्षार्थियों से निवेदन किया कि इस ज्ञान को और भी बढ़ाएं। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के श्री अजय नायर ने सहभागियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।

### (2) लिपिकीय कर्मचारियों के लिए

सदस्य बैंकों के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन 30-7-87 को केरल हिन्दी प्रचार सभा के सचिव श्री एम. के. वेलायुधन नायर ने किया। श्री नायर ने आधुनिक हिन्दी के विकास एवं स्वतंत्रता-आन्दोलन और हिन्दी के अभिन्न संबंध पर प्रकाश डाला। 17 सदस्य बैंकों से 23 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया।

इण्डियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुअनंत पुरम् के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एम.के. गोपीनाथ ने 31-7-87 को शाम 4.30 बजे समापन भाषण दिया। श्री गोपीनाथ ने उत्तर भारत में अपने कार्यकाल के दौरान हिन्दी भाषा के साथ अपने संपर्क से संबंधित अनेक संस्मरण सुनाए, उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों का फायदा विशेषकर अपने कार्यकाल के अगले चरण में मिल सकता है, जब उन्हें उत्तर भारत में काम करने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षार्थियों की ओर से श्री एम.वी.जे. पिल्लै, भारतीय स्टेट बैंक बोले। कार्यशालाओं का संयोजन केनरा बैंक के राजभाषा अधिकारी एवं समिति के सदस्य सचिव श्री एम. पी. गोपालकृष्णन ने किया।

### (2) मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से आयोजित संयुक्त हिन्दी कार्यशाला

मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से अधिकारी वर्ग के लिए पहली बार दो दिवसीय संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वाई.एस. हेगडे ने 15 जून, 1987 को कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला से अधिकारियों को अपने कार्यालयों में दैनंदिन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसमें मंगलूर नगर के विभिन्न कार्यालयों/बैंकों के 127 अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला की समाप्ति पर प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला के आयोजन/उपयोगिता पर उन्मुक्त रूप से अपने-अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला सामग्री तथा इसकी अवधि के बारे में व्यक्त उनके विचार आगामी कार्यशालाओं में सहायक सिद्ध होंगे।

कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एम.पी.वी. नायर ने समापन समारोह की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के विचार-विमर्श के दौरान अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

अन्त में, मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने आभार व्यक्त किया। संकाय सहायता के लिए केनरा बैंक के प्रबंधक श्रीमती शांता किणि, सिंडीकेट बैंक के डा. अन्सारी, कुद्रेमुख आयरन ओर कं., बंगलूर के श्री मंगल प्रसाद, कार्पोरेशन बैंक के श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, श्री शरतचन्द्र मालाकार, सुश्री बी.एन. शकुन्तला के प्रति उन्होंने विशेष आभार व्यक्त किया।

### (3) बेंगलूर : आंध्र बैंक

दिनांक 30-7-87 से 31-7-87 तक क्षेत्रीय कार्यालय में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री आर. दामोदरन, कार्यालय प्रबन्धक ने कार्यशाला का

उद्‌घाटन किया। श्री रामचन्द्र मिश्र, उपनिदेशक (का.), श्री आर. कृष्णमूर्ति, अनुसंधान अधिकारी (राजभाषा) और श्री के.एस. ईश्वर, सहायक निदेशक, (हिन्दी), बेंगलूर तथा श्रीमती नीरा प्रसाद राजभाषा अधिकारी, यूनियन बैंक आफ इंडिया आदि इस कार्यशाला के संकाय सदस्य थे। केन्द्रीय कार्यालय, हैदराबाद से श्रीमती विजयलक्ष्मी, नवले, राजभाषा अधिकारी कार्यशाला के आयोजन में हमारी मदद करने के लिए संकाय सदस्य के रूप में आयी थीं। कार्यशाला में कुल 20 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। श्री वी.वी. हनुमन्तराव, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने सभी सहभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई।

### (4) हैदराबाद : मिश्रधातु निगम लिमिटेड

मिधानि के इतिहास में पहली बार कुछ समय पर "दो दिवसीय हिंन्दी कार्यशाला" का आयोजन मिधानि के ऐसे 27 कर्मचारियों के लिए किया गया जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना की "प्राज्ञ" परीक्षा पास की और जिन्हें, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। यह आयोजन, हिन्दी के माध्यम से काम करने की झिझक व उद्‌भूत होते हुए संकोच को दूर करने तथा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली व्यावहारिक हिन्दी का अभ्यास करवाने एवं हिन्दी में काम करने के लिए कर्मचारियों की सहायता करने हेतु किया गया।

शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1987 को कार्यक्रम के आरम्भ में श्री जुगल किशोर, प्रबंधक (प्र.व.वि.) ने, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री भालचन्द्र विनायक पेटकर, उप महा प्रबंधक (का.व.प्र.), मुख्य अतिथि डा. वी.रा. जगन्नाथन, निदेशक, प्रभारी, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद तथा श्री अमर देव तिवारी, उप महा प्रबंधक (प्रबंध व्यवस्था) एवं उपस्थित हुए अधिकारियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा. वी.रा. जगन्नाथन ने "भारत सरकार की राजभाषा नीति" पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये और देश की एकता और अखण्डता के लिए 'हिन्दी' भाषा को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बताया।

अध्यक्ष श्री पेटकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस कार्यशाला के प्रतिभागियों से कक्षाओं में भाग लेकर सरकारी कामकाज अर्थात् कंपनी के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली व्यावहारिक हिन्दी को सीखने तथा हिन्दी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने का अनुरोध किया।

श्री बी. सुब्बा राव, सहायक निदेशक, हि.शि.यो. श्री पी.आर. धनाते, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, एच एम टी, हैदराबाद डा. वाई.एन. राव, हिन्दी अधिकारी, महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय, हैदराबाद श्री एस. देवीदास, हिन्दी प्राध्यापक, हि.शि.यो. हैदराबाद, श्री सी०आर० रामचन्द्रन, हिन्दी प्राध्यापक, हि.शि.यो., हैदराबाद, श्री कान्ति लाल भट्ट, हिन्दी अधिकारी, मिधानी, हैदराबाद, श्रीमती पुष्पलता, *हिन्दी प्राध्यापिका* हि.शि.यो., हैदराबाद और श्री आद्यानाथ पाण्डय, हिन्दी अनुदेशक, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद ने टिप्पण व आलेखन तथा सरकारी राजपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना व्याकरण : लिंग व वचन, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, कार्यालय आदेश तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों की समस्यायें व उनका समाधान जैसे विषयों पर क्रमशः सत्र संचालित किये।

इसके अतिरिक्त प्रतिभोगियों ने इस कार्यशाला की उपयोगिता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये और अपनी ओर से तथा कक्षा की ओर से हिन्दी प्राध्यापकों व हिन्दी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

समापन समारोह में आमंत्रित अतिथि श्री मुनीन्द्र जी, संपादक, 'हैदराबाद समाचार' ने "हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की व्यावहारिक कठिनाइयां" विषय पर अपने विचार व्यक्त किये और मुख्य अतिथि डा. बिजेन्द्र नारायण सिन्हा जी, आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद ने इसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री कृष्ण कुमार सिन्हा जी, प्रबंध निदेशक ने "हिन्दी कार्यशाला" की सफलता पर श्री भालचन्द्र विनायक पेटकर, उप महाप्रबंधक (का.व.प्र.), श्री जुगल किशोर, प्रबंधक (प्र.व.वि.) तथा कार्यक्रम समन्वयनकर्ता श्री एस०देवीदास, हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना, हैदराबाद और श्री कान्ति लाल भट्ट, हिन्दी अधिकारी के प्रयत्न की सराहना की और यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में इस तरह का आयोजन किया जायेगा।

हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों को कंपनी की ओर से छपवाये गए प्रमाणपत्र, मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा प्रदान किये गए।

### (5) कलकत्ता : युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय)

युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, (प्रधान कार्यालय), कलकत्ता द्वारा दूसरी त्रिदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25 मई, 1987 से 27 मई, 1987 तक किया गया।

पहली हिन्दी कार्यशाला 12 मई, 1986 से तीन दिन के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें प्राज्ञ पास किए हुए 30 अधिकारियों ने भाग लिया था।

उपर्युक्त दूसरी हिन्दी कार्यशाला में प्राज्ञ पास किए हुए 25 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्‌घाटन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के. डी. नय्यर ने किया। अपने भाषण में श्री नय्यर ने बैंक कर्मचारियों के लिए राजभाषा हिन्दी के व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, "आज कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग हमारे लिए वैधानिक

तथा व्यावसायिक, दोनों दृष्टियों से आवश्यक हो गया है क्योंकि हिन्दी का प्रयोग हम एक तरफ तो भारतीय संविधान की उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए करते हैं जो इसे राजभाषा घोषित करती है। हमारे लिए इसका प्रयोग अनिवार्य बताती है तथा दूसरी तरफ हमारा कार्य ही भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में फैली साधारण जनता से व्यावसायिक लेन-देन करना है । इस तरह अपने व्यवसाय में हम तभी पूरी तरह सफल हो सकेंगे जब कि हम जनता की भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हर तरह से करें। वह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी है। इसी उद्देश्य को सामने रख कर हम हिन्दी विषयक प्रशिक्षण देते हैं तथा समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं।

कार्यशाला के अन्तिम दिन 27 मई, 1987 को भाग लेने वाले कर्मचारियों की परीक्षा हेतु कुछ प्रश्न पत्र दिए गए। इस परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले तीन प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए।

कार्यशाला के समापन समारोह में बैंक के महाप्रबन्धक श्री वी. चौधरी ने पुरस्कार वितरण किया।

### (6) पुणे : यूको बैंक

आबादी के आधार पर हिन्दी देश की सबसे बड़ी भाषा है। क्योंकि भारत में 35 करोड़ लोग हिन्दी बोलने और समझने वाले हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी के बिना आदमी खड़ा नहीं रह सकता उसी तरह राष्ट्रभाषा के बिना भी कोई राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता। अतः राष्ट्रभाषा स्वतंत्र देश के लिये रीढ़ की हड्डी होती है। यह विचार आज यहां श्री श्याम आग्रवाल ने व्यक्त किये।

यूको बैंक मंडल कार्यालय के कान्फ्रेंस हाल में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के समापन समारोह में दे०। 'आज का आनंद' के संपादक श्री श्याम अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। बैंक के मंडल प्रबंधक श्री रमेशचन्द्र महाजन समारोह के अध्यक्ष थे।

यूको बैंक मंडल कार्यालय की यह उन्नीसवीं हिन्दी कार्यशाला थी। दो दिवसीय कार्यशाला में पहले दिन बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी श्री विक्रम मिश्र और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हिन्दी अधिकारी श्री मुरलीधर जगताप ने भाग लिया । दूसरे दिन प्रो. रविराज ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी के प्रति अधिकारियों के अंदर का विश्वास देखना तथा उनकी झिझक दूर करना हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य है । हिंदी का भगीरथ प्रयत्न हम सबको साथ में मिलकर करना है।

यूको बैंक अंचल कार्यालय के हिंदी अधिकारी श्री ब्रह्मपाल ने इस दो दिवसीय कार्यशाला का संचालन किया।

कार्यक्रम के अन्त में अंचल कार्यालय के हिन्दी प्रमुख श्री ब्रह्मपाल ने बताया कि यूको बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत हिन्दी के प्रयोग के लिये सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में आयोजित एक स्वरूप प्रतियोगिता के जरिए वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983 तथा 1984 के लिए श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्रदान किये गए। बंबई अंचल की यह 19 वीं हिन्दी कार्यशाला हमारे रीजनल स्टॉफ ट्रेनिंग सेंटर, बम्बई में हमारे स्टॉफ को हिन्दी प्रशिक्षण दिये जाने की नियमित व्यवस्था के अतिरिक्त है। बैंक का प्रबंधतंत्र इस प्रकार के गहन प्रशिक्षणों के दिन प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के प्रति अपनी भरसक कोशिश कर रहा है।

### (7) जबलपुर-ग्वालियर

### स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालयों में मानसेवी हिन्दी प्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाएं

भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय की ओर से जबलपुर एवं ग्वालियर में क्रमशः 25 एवं 28 मई को क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुभागों और नगर की शाखाओं के मानसेवी प्रतिनिधियों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन राजभाषा विभाग के प्रबंधक ड. लक्ष्मीनारायण गुप्त द्वारा किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक में हिन्दी के कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्रत्येक शाखा/कार्यालय के विभागों में मानसेवी प्रतिनिधियों को नामित किया गया है, यह प्रतिनिधि परस्पर सहयोग से हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रयासशील रहते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में कार्यवाहक मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मोदीरत्ता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री श्रीनिवासन ने कार्य की समीक्षा की तथा क्षेत्र (4) के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी. सी. शर्मा ने कार्यशाला का समापन किया।

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुब्रमण्यन ने करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हिन्दी क्षेत्र है और यहां आपसी सहयोग से हिन्दी का काम बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम का समापन प्रशासनिक अधिकारी श्री एस. सी. त्रिपाठी ने किया।

जबलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी श्री चन्दूलाल जैन तथा कार्यकारी मुख्य प्रशिक्षक श्री कमलनारायण राठी ने तथा ग्वालियर में प्रभारी अधिकारी राजभाषा अनुभाग श्री रामसिंह परिहार ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बैंक का आंतरिक कार्य भी अब हिन्दी में किया जा रहा है, तथा ग्राहकों का भी इसमें सहयोग प्राप्त होता है।

### (8) आगरा : आयकर आयुक्त

हिन्दी कार्यशाला योजना के अंतर्गत आय कर आयुक्त कार्यालय आगरा में प्रभार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 30-7-1987 से 31-7-1987 तक एक द्वि दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री वी. के. मिश्र, आयकर आयुक्त (अपील) ने किया। उन्होंने कहा कि वस्तुतः हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तो प्रत्येक कर्मचारी को है पर उसे व्यवहार में लाने में एक प्रकार का संकोच है। इस संकोच के निराकरण में कार्यशालाओं के आयोजन का महत्व असंदिग्ध है।

कार्यशाला के अन्त में एक प्रतियोगी परीक्षा भी रखी गई जिसमें सर्वश्री रामलिखलाड़ी, नफीस अहमद एवं शम्भूनाथ गुप्ता ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया जिन्हें माननीय आयकर आयुक्त श्री रविकान्त द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यशाला के समापन सत्र में आयकर आयुक्त श्री रविकान्त ने प्रतिभागियों को लगन व उत्साह के साथ भाग लेने के लिये बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है वे पहले से अधिक तत्परता के साथ हिन्दी का प्रयोग अपने दैनिक कामकाज में करेंगे।

### (9) भरतपुर : पंजाब नैशनल बैंक

भरतपुर क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक के लिपिकों के लिए प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 27 लिपिकों ने हिस्सा लिया। हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री रजनीकान्त चितालिया ने कहा कि राजभाषा हिन्दी में काम करना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को आह्वान किया कि हिन्दी में ही कार्य करने का संकल्प लें। कार्यशाला में लिपिकों को सरकार की राजभाषा नीति, बैंकिंग शब्दावली, कामकाजी हिन्दी, देवनागरी में तार जैसे विषयों पर जानकारी देने के साथ-साथ अभ्यास कार्य भी कराया गया। एक निबन्ध प्रयोगिता का आयोजन भी किया गया। जिसका विषय था "बैंकों से जनसामान्य की अपेक्षाएं"। विजेताओं को क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री चितालिया द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यशाला के संयोजक श्री सतीश शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

### (10) जयपुर : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा लिपिक संवर्ग के लिए दिनांक 23 से 25 अप्रैल, 87 तक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन श्री कला नाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ए. वि. यु. मेनन, क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा की गई। कार्यशाला में जयपुर क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के 23 कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री पी. बी. माथुर, मुख्य अधिकारी (रा. वि.) द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

कार्यशाला का संचालन श्री ओमप्रकाश, राजभाषा अधिकारी द्वारा किया गया।

### (11) नेशनल इंश्योरन्स कं. लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग ने कम्पनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और इससे सम्बंधित सांविधानिक नियमों, अधिनियमों से परिचित कराने व अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति एक प्रकार की, जो झिझक और संकोच रहता हैं उसे दूर करने के लिए 1987 की प्रथम तिमाही में 3 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और नासिक (महाराष्ट्र) में किया।

#### 1. जयपुर

जयपुर में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19-20 फरवरी 1987 को आमेर में किया गया। कार्यशाला में कम्पनी के राजस्थान स्थित 8 मण्डलीय कार्यालयों व 22 शाखा कार्यालयों के मण्डल व शाखा प्रबन्धकों ने भाग लिया। जयपुर मण्डल कार्यालय के वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक, श्री एस. एन. गुप्ता ने मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार भाषा विभाग के निदेशक श्री कलानाथ शास्त्री, प्रधान कार्यालय से पधारे। महाप्रबन्धक, श्री ए. एस. दुगल व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक, श्री अ. कु. भट्टाचार्य की इस अवसर पर उपस्थिति के लिए आभार प्रकट किया।

श्री कलानाथ शास्त्री ने कहा कि किसी भी देश की एक भाषा होती है जो उस देश के स्वतन्त्र अस्तित्व का अहसास कराती हैं। उन्होंने कम्पनी द्वारा इस कार्यशाला का इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करने पर बधाई दी और कम्पनी द्वारा अपने कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रधान कार्यालय के महाप्रबन्धक, श्री ए. एस. दुगल ने बताया कि कम्पनी भारत सरकार की राजभाषा नीति को मूर्त रूप देने तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये कृत संकल्प है। कार्यशाला का समापन समारोह राजस्थान के महालेखाकार, श्री बी. जे. देसाई द्वारा प्रतिभागी अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरण के साथ सम्पन्न हुआ।

#### (2) नाशिक

नाशिक मण्डल कार्यालय के सौजन्य से आयोजित दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला 26 एवं 27 मार्च, 1987 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला में पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय एवं पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों

के 50 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में 6 प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था की गई थी। अपने स्वागत भाषण में श्री ए. जे. देसाई, क्षेत्रीय प्रबन्धक, पुणे ने यह स्पष्ट किया कि राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक व्यवहार में लाया जाना चाहिए तभी सरकार की नीति सफल हो सकेगी। पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबन्धक श्री के. सी. मित्तल ने कहा कि "हिन्दी हमारी राजभाषा है और केन्द्रीय सरकार का एक संस्थान होने के नाते हमारे लिए यह जरूरी है कि हम हिन्दी के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करें।" तदुपरान्त भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक के महाप्रबन्धक एवं नासिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री प. सु. शिवराम ने दीप जलाकर कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया तथा अपने उद्घाटन भाषण में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। कार्यशाला के दौरान हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें शिक्षार्थियों को दैनिक टिप्पण से सम्बधित 25 अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी अनुवाद करना था। प्रथम आनेवाले तीन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इनके अतिरिक्त 7 अन्य कर्मचारियों का भी पुरस्कार के लिए चयन किया गया।

**(3) लखनऊ**

दिनांक 30-31 मार्च 1987 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम में श्री एस. पी. मल्होत्रा, सहायक महाप्रबन्धक भी थे। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के चौदह मण्डलीय प्रबन्धकों व उनके अधीनस्थ चालीस शाखा कार्यालयों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक डा. अशोक कुमार भट्टाचार्या ने संघ की राजभाषा नीति और हमारा दायित्व" विषय को राजभाषा अधिनियम से उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न हिन्दी शिक्षण योजनाओं के बारे में बताया।

मण्डल कार्यालयों के दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की सम्भावनाओं पर विचार हुआ। "ग्रामीण बीमा व्यवसाय में हिन्दी का प्रयोग" एवं "मोटर, विविध एवं अन्य विभागों में हिन्दी का प्रयोग कैसे तथा कितना किया जा सकता है" इसे स्पष्ट किया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पिल्लई ने कार्यशाला में सम्मिलित लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

**(12) नौएडा : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

सेन्ट्रल बैंक आफ़ इंडिया, आंचलिक प्रशिक्षण कालेज नौएडा में दिनांक 5-3-87 से 7-3-87 तक दिल्ली अंचल के शाखा प्रबधकों के लिए 3 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में दिल्ली तथा राजस्थान के 28 शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया। दिनांक 5-3-87 को कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. एन. गोईपोरिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब बैंक का कार्यक्षेत्र बदल चुका है और अगर हमें बदले हुए परिवेश में जन-सामान्य तक पहुंचाना है तो हमें उनकी भाषा में ही काम करना होगा।

इस अवसर पर खान मार्केट शाखा के हिन्दी कार्यों के संबंध में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित टी. वी. कार्यक्रम का वीडियो टेप भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिखाया गया।

उक्त कार्यशाला में सरकार की राजभाषा नीति पर श्री महेश चन्द्रगुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग, बैंकिंग शब्दावली विषय पर, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, (पंजाब नेशनल बैंक) कार्यालयीन हिन्दी पर, श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक शील्ड एवं संसदीय राजभाषा समिति प्रश्नावली विषय पर श्री जगदीश सेठ उप-निदेशक, (बैंकिंक प्रभाग) को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। दिनांक 7-3-87 को समापन समारोह में श्री शम्भु दयाल, संयुक्त सचिव, भारत सरकार राजभाषा विभाग का श्री एस. ए. बाषा, प्रिंसिपल ने स्वागत किया। कु. चन्द्रा रामराव, मुख्य प्रबंधक ने दिल्ली अंचल में किए जा रहे कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्य अतिथि श्री शम्भु दयाल ने बहुत ही सरल एवं भावपूर्ण व्याख्यान में अधिकारियों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उनकी भूमि का के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया और कहा कि अगर बैंक जनता के लिए हैं तो अधिकारियों को राजभाषा में काम करना पड़ेगा। इस सन्दर्भ में उन्होंने अपने गुजरात के अनुभवों का भी जिक्र किया और बताया कि अधिकारियों में यदि लगन हो तो वे किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक द्वारा किए जा रहें कार्यों की प्रशंसा की।

**(13) नई दिल्ली : हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि.**

कुछ समय पूर्व निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय में हिन्दी में कार्य करने का अभ्यास कराने की दृष्टि से राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन भाषा वैज्ञानिक डा. भोलानाथ तिवारी के आशीर्वचन से हुआ जबकि गृह मन्त्रालय में राजभाषा विभाग के निदेशक डा. महेशचन्द्र गुप्त ने समारोह की अध्यक्षता की। डा. तिवारी ने कहा कि हमारी अंग्रेजी का स्तर अंग्रेजी वालों की अपेक्षा कितना गिरा हुआ है और किस प्रकार, हम उनकी नक्ल करने से निरादृत किये जाते हैं। उन्होंने परामर्श दिया कि हमें राष्ट्रीय सम्मान के लिए हिन्दी को अपनाना चाहिए और जिनकी यह मातृभाषा नहीं है उन्हें भी हिन्दी में काम करने में गौरव अनुभव करना चाहिए।

डॉ. गुप्त ने अपने अध्यक्षीय भाषण में तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी में हुए कार्य का ब्यौरा दिया और बताया कि हिन्दी में काम करना अंग्रेजी की अपेक्षा कहीं सरल है।

आगुन्तकों का स्वागत करते हुए निगम के हिन्दी अधिकारी डा. ओमप्रकाश शर्मा ने निगम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। निगम की सहायक कम्पनी नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी के महाप्रबन्धक (कार्मिक) श्री एन. एस. कपूर ने कहा कि हिन्दी मिलों और कारखानों की भाषा है कितना अच्छा हो कि यह दफतरों की भी भाषा बन जाए।

कार्यशाला में 10 कार्मिकों ने भाग लिया और व्याख्यान निगम के हिन्दी अधिकारी के साथ-साथ सरकारी उद्यम कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री रामरज मिश्र और सरकारी उद्यम विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री निशेन्दु आहुजा ने दिए।

### (14) नई दिल्ली : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत जारी अनुदेशों के अनुसार विकास बैंक के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय ने अगस्त 10-11, 1987 की "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त इसमें अधीनस्थ सभी शाखाओं जयपुर, कानपुर, शिमला, चण्डीगढ़ व जम्मू के स्टाफ सदस्यों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उद्घाटन भाषण में उप-महाप्रबन्धक, श्री ए. लाहिडी ने सभी प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा नीति का अनुपालन हमारे लिए अनिवार्य है तथा हमारा बैंक इस दिशा में उत्तरोतर प्रगति के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है। हम सबको हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग केवल कानूनी अनिवार्यता के रूप में नहीं बल्कि गर्व के साथ करना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के आयोजन से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को और अधिक गति मिलेगी। कार्यशाला का शुभारम्भ राजभाषा विभाग में उप सचिव, श्री वीर अभिमन्यु कोहली द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम की चर्चा के साथ हुआ। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के विषय में सम्पूर्ण जानकारी दी। अनुवर्ती सत्र में प्रो. अशोक कालरा ने लिपि एवं वर्तनी विषय पर व्याख्यान दिया। बैंकिंग प्रभाग में उप निदेश (हिन्दी) श्री जगदीश सेठ ने "बैंकिंग में हिन्दी का स्वरूप विषय पर एक सत्र लिया। इस सत्र के दोरान कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों पर चर्चा की गई तथा उनका समाधान बताया गया।

कार्यशाला का मूल्यांकन तथा समापन सत्र उप-महाप्रबन्धक श्री. एस. के. कपूर प्रबन्धक श्री त्रि. कृ. दत्ता तथा सभी प्रतिभागियों के बीच सामूहिक चर्चा के साथ सम्पन्न हुआ। श्री कपूर ने हिन्दी कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा उपस्थित प्रतिभागियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोशिश की जाए को हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग संभव है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हिन्दी टाईपिंग की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाईपराईटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

### (15) नई दिल्ली : स्टील अथारिटी आफ इंडिया

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने हिंदी में तकनीकी लेखन विषय पर अपने कार्यपालकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला 14--16 मई, 1987 तक आई. आई. टी कानपुर के रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन केंद्र के सहयोग के से दिल्ली में आयोजित की।

कार्यशाला में "सेल" के विभिन्न कारखानों व यूनिटों से आए 25 कार्यपालकों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उपाध्यक्ष श्री शिवराज जैन ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अपने अनुभवों को हिंदी भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुचाएं। इससे हमारी विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति और तेज होगी। श्री जैन ने आगे कहा कि शब्दावली आयोग ने हमारे इस्पात विशेषज्ञों के सहयोग से बारह हजार तकनीकी शब्दों को अंतिम रूप दे दिया है और यह इस्पात शब्दावली आयोग द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित की जा रही है। इस्पात के क्षेत्र में हिन्दी में तकनीकी लेखन में यह शब्दावली अत्याधिक सहायक सिद्ध होगी।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ही आई. आई. टी. कानपुर के रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन केन्द्र के अध्यक्ष श्री गिरिराज किशोर ने कार्यशाला के उद्देश्यों व लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनुसंधान और अविष्कार का प्रश्न स्वतंत्र चिन्तन से जुडा हुआ है और स्वतन्त्र चिन्तन का प्रश्न भाषा से। इन दोनों का एक दूसरे से बहुत नजदीकी रिश्ता है। उन्होंने कहा कि अगर वैज्ञानिक क्रांति का माध्यम अपनी भाषा या भाषाएं बनी होती तो हम इस दिशा में एक स्वतंत्र आत्मालोचन या मूल्यांकन प्रवृत्ति का विकास कर लेते।

काशी विद्यापीठ के कुलपति डा. विद्यानिवास मिश्र ने "ज्ञान विज्ञान की भाषा" और समान्य भाषा विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के सृजन में कृत्रिम शब्दों से काम नहीं चल सकता। पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करने के बजाय हम अपने समाज, संस्कृति के परिवेश के अनुरूप शब्दों की रचना करें।

देशज शब्द इस सिलसिले में बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है स्वयं सोचने की और अपने परिवेश से शब्द उठाने की, न कि कृत्रिम शब्द गढ़ने की।

इस कार्यशाला में निम्नलिखित अधिकारी विद्वानों ने उनके नाम के आगे दर्शाए गए विषयों पर अपने विचार प्रकट किए :—

| | |
|---|---|
| स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती | मातृभाषा और तकनीकी लेखन |
| श्री वी. पी. सिन्हा | तकनीकी लेखन की समस्याएं |
| डा. आर. के. दुबे | धातु विज्ञान-शब्द परम्परा |
| डा. विद्यानिवास मिश्र | हिन्दी व संस्कृत में वैज्ञानिक शब्दावली की परम्परा |
| श्री श्याम सुंदर शर्मा | पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए विज्ञान लेखन |
| डा. वागीश शुक्ल | वैज्ञानिक शब्दावली का शब्द शास्त्र |
| डा. ओम विकास | कम्प्यूटर की सहायता से रचनात्मक लेखन |
| श्री नरेश सक्सेना | विज्ञान और तकनीकी के स्त्रोत |
| श्री सतीशचंद्र सक्सेना | तकनीकी शब्दावली निर्माण प्रक्रिया |
| श्री गिरिराज किशोर | विज्ञान-प्रोद्योगिकी और हिन्दी भाषा |

तीन दिन की कार्यशाला के समापन समारोह में अतिथि भाषण देते हुए क्रिश्चियन कालेज मद्रास के प्रो. पी. के. बालसुब्रमण्यम ने कहा कि तकनीकी शब्दावली और साहित्य का निर्माण वैज्ञानिक और साहित्य दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। तमिल भाषा के वैज्ञानिक साहित्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तमिल में वास्तुकला, शिल्पकला, संगीत, वैद्यशास्त्र आदि अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं।

कार्यशाला के समापन समारोह में समापन भाषण देते हुए "सेल" के उपाध्यक्ष श्री शिवराज जैन ने कहा कि कार्यशाला निश्चय ही हिंदी में तकनीकी साहित्य सृजन के लिए इस्पात उद्योग के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं एवं इंजीनियरों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद रही है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि वे सभी हिन्दी में तकनीकी साहित्य तैयार करने में अपना इस्पाती हाथ जरूर बढ़ायेंगे।

### (16) नई दिल्ली : दूरदर्शन केन्द्र

दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली में दिनांक 18 मई, 1987 से 20 मई, 1987 तक सम्पूर्ण तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला 87-88 (प्रथम) का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का स्वरूप विशिष्ट था। यह मेज प्रशिक्षण (डेस्क ट्रेनिंग) की तरह थी जिसमें केन्द्र के सामान्य प्रशासन अनुभाग एवं स्थापना अनुभाग के सभी कर्मचारियों ने सम्पूर्ण तीन दिनों के लिए इसमें भाग लिया एवं इन तीन दिनों में अपना सारा काम हिन्दी में किया। इन अनुभागों के दोनों अनुभाग प्रमुख (प्रधान लिपिक) इसमें मार्गदर्शक विशेषज्ञ की हैसियत से सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द को जो कि कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थी थे सफल मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

दिनांक 25-5-87 को केन्द्र की निदेशक महोदया की अध्यक्षता में कार्यशाला का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में दूरदर्शन महानिदेशालय से सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सतीश चन्द्र शुक्ल एवं केन्द्र के भूतपूर्व हिन्दी अधिकारी श्री अजीत लाल गुलाटी विशेष रूप से आमंत्रित थे।

निदेशक महोदय ने अपने छोटे से उद्‌बोधन में कार्यशाला के आयोजन और सफलता पर संतोष प्रकट करते हुए इसमें सहभागी अधिकारी, कर्मचारियों को बधाई दी और आशा प्रकट की कि वे आगे भी अपना काम हिन्दी में करते रहेंगे। हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी समूह में प्रथम पुरस्कार प्राप्त श्रीमती मधु कुकरेजा, वरिष्ठ आशुलिपिक, द्वितीय पुरस्कार श्रीमती पुष्पा शर्मा, लिपिक श्रेणी-I, तृतीय पुरस्कार रु. 100/- श्री शिव शंकर वर्मा, हिन्दी टाइपिस्ट एवं अहिन्दी भाषी समूह में प्रथम पुरस्कार रु. श्री एस. विजयगोपाल, लिपिक श्रेणी-II, (जिनकी मातृभाषा तमिल है)। प्रतियोगियों को केन्द्र निदेशक कु. जयचन्द राय ने पुरस्कार राशि एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।

### (17) नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक शाखा

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के लिए 1 अगस्त, 1987 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। हिन्दी निबंध, हिन्दी वाक तथा हिन्दी आशु चित्र लेख प्रतियोगिता व हिन्दी प्रश्नमंच तथा अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन व हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री सत्यानन्द बगाई मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा वितरित किये गये। सभा की अध्यक्षता श्री एम. एल. टी. फर्नांडिस, प्रबंधक तथा शाखा संरक्षक ने की। इस अवसर पर बैंक के अन्य कई उच्च अधिकारी तथा परिषद् के प्रबन्ध मंत्री बृजनंदन सिंहल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई। सभा का संचालन अखिल भारतीय कार्यसमिति सदस्य श्री भीमबली वर्मा इस अवसर पर बोलते हुए श्री बगाई ने

बैंक में हिन्दी को कामकाज की भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया । श्री फर्नांडीस ने श्री बगाई के हिन्दी प्रेम की चर्चा की तथा आश्वासन दिया कि बैंक में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जाएगा व दिल्ली कार्यालय इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेगा ।

### (18) नई दिल्ली : स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रधान कार्यालय द्वारा हैदराबाद मंडल कार्यालय के सहयोग से दिल्ली शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के लाभ हेतु दो दिवसीय तीन हिन्दी-कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । कार्यशालाएं दिनांक 20 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1987 तक, नई दिल्ली में आयोजित की गईं । उन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और इससे संबंधित संवैधानिक नियमों, विनियमों से परिचित कराने के साथ-साथ अपने दैनिक काम-काज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करना था ।

प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन श्री त्रिलोकी नाथ कौशिक, उप-निदेशक (टंकण/आशुलिपि) राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय ने 20 जुलाई, 1987 को किया । इस अवसर पर श्री वी. वी. शास्त्री, महा-प्रबंधक (योजना एवं विकास), श्री कृष्णम् राजू, क्षेत्रीय-प्रबंधक-3 एवं श्री कृ. राजू प्रबंधक, राजभाषा विभाग उपस्थित थे । स्वागत भाषण श्री रमेश काबरा राज-भाषा अधिकारी हैदराबाद, मंडल कार्यालय ने दिया ।

प्रत्येक कार्यशाला को आठ सत्रों में बांटा गया था । इन सत्रों में राजभाषा नीति-अधिनियम, नियमावली, पारि-भाषिक शब्दावली, बैंकिंग शब्दावली, बैंकिंग पत्राचार, व्याकरण जैसे उपयोगी विषय रखे गए । कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए प्रधान कार्यालय से राजभाषा विभाग के प्रबंधक श्री कृ. राजू, राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुलोचना तथा श्री ज्ञानेश्वर कुमार अहिन्दी भाषी व्याख्याता थे । 62 कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया ।

25 जुलाई, 1987 को तीसरी कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री प्र. दिनकर राव शाखा प्रबन्धक ने कार्यशालाओं के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा इस बात पर बल दिया कि सभी कर्मचारी एवं अधिकारी-गण हिन्दी कार्यशाला के उद्देश्यों को समझते हुए उसके लक्ष्यों को पूरा करें । प्रत्येक कार्यशाला के अन्त में आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा हिन्दी-पुस्तकें दे कर पुरस्कृत किया गया ।

अन्त में श्री कुमार गोस्वामी ने अपने समापन भाषण में दिल्ली के समस्त स्टाफ की तरफ से इन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए प्रधान कार्यालय तथा हैदराबाद मंडल कार्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया ।

### (19) नई दिल्ली : इंडियन ऑयल (पाइपलाइन)

कार्पोरेशन में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में दिनांक 14-15 मई, 1987 को पाइप-लाइन मुख्यालय, नई दिल्ली में कर्मचारी वर्ग के लिए दो-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जो इस वित्तीय वर्ष की पहली और पाइपलाइन प्रभाग की ओर से आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं की श्रृंखला में 10वीं कड़ी थी ।

कार्यशाला के प्रथम दिन कार्यालयीन हिन्दी तथा राज-भाषा विभाग के आदेशों व भाषा समस्या पर राजभाषा विभाग के उप-निदेशक डा. राजेन्द्र सिंह कुशवाह ने भाषण दिया । उनके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर सर्वश्री डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, हरिबाबू कंसल, जे. के. गौड़, डा. (श्रीमती) प्रेम मनोचा, एम.वी. मलिक आदि ने प्रकाश डाला ।

कार्यशाला का उद्घ न श्री ओ. पी. सहगल, उप-महाप्रबंधक (कार्मिक) ने किया । उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में सरल व सुबोध हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया और कर्मचारियों द्वारा हिन्दी की शुरुआत को एक प्रेरणास्रोत बताया उन्होंने कहा कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है । अतः सबको मिलजुलकर ही इसे आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए ।

समापन समारोह के अवसर पर श्री आर. ए. शानभाग, उप-महाप्रबंधक (परियोजना) ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यशाला से प्रतिभागियों को अपना दैनिक कामकाज हिन्दी में करने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी । कार्यशाला के प्रत्येक सहभागी को प्रमाण-पत्र, पत्राचार गाइड तथा संदर्भ साहित्य प्रदान किया गया ताकि रोजमर्रा के काम में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में उन्हें सहायता मिल सके ।

### (20) नई दिल्ली : भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली में दिनांक 20 जुलाई, 1987 से 28 जुलाई, 1987 तक तृतीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में 12 कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर सहायक प्रबंधक तकनीकी श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री ने कहा कि इस तरह की दो कार्यशालाएं पहले भी चलाई जा चुकी हैं जिनके अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे है । जिन 36 कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा चुका है उनकी न केवल हिन्दी में काम

करने की झिझक ही दूर हुई है बल्कि उनको कार्यालय पद्धति के बारे में अनेक बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारी भी इस से पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे ।

कार्यशाला के पहले दिन हिन्दी अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह ने राजभाषा अधिनियम, सरकार की राजभाषा नीति, पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवधि के दौरान विशेष रूप से हिन्दी में टिप्पण आलेखन करते समय वाक्यों की अशुद्धियों तथा परिभाषिक शब्दावली की जानकारी पर अधिक बल दिया गया । कार्यशाला में व्याख्यान के साथ-साथ अभ्यास कार्य भी कराया जाता रहा ।

कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रबंधक श्री सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि कार्यशाला में जो कर्मचारी प्रशिक्षित किए जाते हैं उन्हें अपना सारा काम-काज हिन्दी में करना चाहिए जो पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है । उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें। इसके फलस्वरूप हम अपनी अगली तिमाही में मुद्रण निदेशालय को बेहतर तस्वीर पेश कर सकते हैं । हिन्दी में टिप्पण/आलेखन के अभ्यास को बरकरार रखने के लिए यह जरुरी है कि हम अपना सरकारी काम-काज अधिक से अधिक हिन्दी में ही करें प्रबन्धक महोदय ने कर्मचारियों को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर बधाई दी और आग्रह किया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के भरसक प्रयत्न किए जाएं।

### (21) नई दिल्ली : के. रि. पु. बल

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा अधिकारियों में हिन्दी में काम करने के संकोच को दूर करने के उद्देश्य से महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में दिनांक 29-6-87 से 6-7-87 तक हिन्दी कार्यशाला का अयोजन किया गया । महानिदेशालय में केवल अधिकारियों की यह पहली कार्यशाला थी जिसमें पहली चरण के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, उप० सहा० निदेशक तथा संयुक्त सहा. निदे. स्तर के अधिकारी सम्मिलित हुए । द्वितीय चरण में सहायक निदेशक, कमांडेन्ट, उप-निदेशक स्तर के अधिकारी भाग लेंगे जो कि अगस्त माह में सम्पन्न होगी । कार्यशाला का उद्घाटन उप निदे. (प्रशासन) ने किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर उप-निदेशक (प्रशासन) ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इस कार्यशाला से ज्ञान अर्जित कर अपने-अपने अनुभागों में कार्मिकों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें और हिंदी के पक्ष में समुचित वातावरण बनाने में अपना सहयोग दें । कार्यशाला में श्री मदन मोहन प्रसाद, सहायक निदे. (प्र.), श्री देवेन्द्र कुमार, सहायक कमां. एन. एस. जी. श्री विकास सरन, उ. स. नि. (ई. डी. पी.) श्री प्रेम चन्द्र धस्माना, हिंदी अधिकारी व श्री एस. एन. सिंह, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने पाठ पढ़ाए । कार्यशाला में अधिकारियों को राजभाषा नीति संबंधी जानकारी, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, मंत्रालय, कार्यालय के नाम, पदनाम, सरल हिंदी का प्रयोग विभिन्न शब्दावली, वाक्यांश, टिप्पणी पत्र इत्यादि मार्जिनल नोटिंग का अभ्यास कराया गया तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने के बारे में भी बताया गया । सत्र के अंत में एक घंटे की परीक्षा का भी आयोजन किया गया । जिसमें संभरण अनुभाग के अनुभाग अधि. श्री प्रेम चन्द्र जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा द्वितीय स्थान श्री भ. तु. शेवकरमानी, अनु. अधि. (बजट), तृतीय स्थान श्री सागरमल, प्रशासन अधिकारी व चौथे स्थान पर श्री अजीत सिंह अनु. अनु. (परिचालन) रहे । महानिदेशालय महोदय ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 300 रु. व शेष को 200-200 रु. के मानदेय स्वीकृत किया ।

# विविधा

## केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वायत्त संस्था, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा का एक क्षेत्रीय केन्द्र हैदराबाद में सन् 1976 से कार्य कर रहा है । इस केन्द्र के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं—(1) आंध्र प्रदेश, (2) तमिलनाडु (3) पांडिच्चेरी (4) केरल, (5) लक्ष्यदीप, (6) कर्नाटक, (7) गोवा, (8) महाराष्ट्र और (9) दिव दमन ।

उपर्युक्त राज्यों के स्कूल एवं कालेजों के हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के स्तर में गति व प्रगति लाने के लिए यह केन्द्र लघु अवधि के नवीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करता है । अब तक ऐसे 87 पाठ्यक्रम संचालित हुए हैं जिनसे उपयुक्त राज्यों के लगभग 3000 सेवारत अध्यापकों ने लाभ उठाया ।

इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यह केन्द्र हैदराबाद स्थित केन्द्र सरकार के अभिकरण एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुरोध पर विविध विषयों पर समय-समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करता आ रहा है. जैसे :—

| | | प्रतिभागी |
|---|---|---|
| 1. डाकियों के लिए पाठ्यक्रम | 18-4-78 से 20-5-78 | 8 |
| 2. बैंक अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम | 29-1-79 से 7-2-79 | 17 |
| 3. द.म. रेलवे के पैंटरों के लिए पाठ्यक्रम | 1-4-82 से 8-4-82 | 19 |
| 4. द.म. रेलवे के उद्घोषकों के लिए पाठ्यक्रम | 11-10-82 से 23-10-82 | 22 |
| 5. द.म. रेलवे के पैंटरों के लिए पाठ्यक्रम | 18-4-83 से 3-5-83 | 28 |
| 6. अनुवादःसिद्धांत और प्रयोग-कार्यगोष्ठी (हैदराबाद के राजभाषा कार्यान्वयन से संबद्ध अधिकारियों के लिए) | 7-11-83 से 16-11-83 | 36 |
| 7. द.म. रेलवे के चल टिकट परीक्षकों के लिए पाठ्यक्रम | 18-3-85 से 29-3-85 | 21 |
| 8. कार्यालय टिप्पण और प्रारूप लेखन (कार्यशाला) (हैदराबाद के राजभाषा कार्यान्वयन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए) | 17-2-86 से 26-2-86 | 48 |

## केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली की गतिविधियां

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सरकार के निरन्तर किये जाने वाले प्रयासों में वर्ष 1985 में नई दिल्ली में राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, खोला गया है ।

संस्थान वर्ष 1986 से जून 1987 तक चलाई गयी अपनी सात तिमाहियों में 38 पाठ्यक्रम चला चुका है जिन में राजभाषा सेवा के अधिकारियों एवं अनुवादकों तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों के लिये संगोष्ठी तथा अन्य कर्मचारियों, के लिये हिन्दी कार्यशालाएं और हिन्दी भाषा के प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा तथा हिन्दी टंकण के पूर्णकालिक गहन पाठ्यक्रम चलाये गये । इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अब तक लगभग 1000 अधिकारी/कर्मचारी भाग ले चुके हैं ।

वर्ष 1987 की अप्रैल से जून तक की अपनी पहली तिमाही में संस्थान 6 पाठ्यक्रम चला चुका है । सातवां पाठ्यक्रम भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के उच्च अधिकारियों/अवर सचिव/उप सचिवों के लिये तीन दिवसीय चलाया गया है ।

संस्थान में अप्रैल-जून तिमाही का प्रथम पाठ्यक्रम हिन्दी टंकण का गहन प्रशिक्षण चलाया गया । इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया । इन पाठ्यक्रमों में कोई ड्राप-आउट नहीं हुआ ।

दूसरा पाठ्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कनिष्ठ अनुवादकों के लिये चलाया गया ।

तीसरा पाठ्यक्रम कर्मचारियों के लिये हिन्दी कार्यशाला के रूप में चलाया गया। इसमें प्रशिक्षार्थियों की संख्या लगभग 70 रही। उद्घाटन राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भु दयाल द्वारा किया गया तथा समापन राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन ने किया। सचिव महोदय ने कर्मचारियों से दफ्तरों में जा कर राजभाषा के नियमों के अनुपालन पर बल दिया और यह भी कहा कि राजकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाये तथा जो शब्द कठिन हों उनका देवनागरी लिपि में अंग्रेजी रूप लिख लिया जाए।

कनिष्ठ अनुवादकों के लिये चलाये गये चौथे पाठ्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डा. धर्मवीर ने किया और समापन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक श्री भैरव नाथ सिंह के द्वारा किया गया।

पांचवां पाठ्यक्रम हिन्दी अधिकारियों के लिये चलाया गया जिसका उद्घाटन राजभाषा के संयुक्त सचिव श्री शम्भु दयाल ने किया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन के साथ एक चर्चा-परिचर्चा भी आयोजित की गई। सचिव महोदय ने व्यक्तिगत रूप से सभी अधिकारियों से जिनके दफ्तरों में समय-समय पर हिन्दी के कार्य को आगे बढ़ाने के संबंध में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की और तत्काल उनके समाधान के उपाय सुझाए।

छठा पाठ्यक्रम हिन्दी शिक्षण योजना के पश्चिम क्षेत्र के तथा पहले हुए तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बचे हुए हिन्दी प्राध्यापकों का चलाया गया। इसका उद्घाटन श्री वीरेंद्र पाल सिंह उप सचिव (सेवा) ने किया। इसी दौरान विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भुदयाल के साथ एक चर्चा-परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसमें उन्होंने प्राध्यापकों को उनके कार्य-क्षेत्र में कक्षाएं लेते समय आने वाली कठिनाइयों तथा अन्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त की।

### वाराणसी में हिन्दी मेला

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् ने वाराणसी में एक त्रिदिवसीय हिन्दी मेले का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय बैंकों व अन्य संस्थाओं ने अपने-अपने मंडप लगाये। इस प्रदर्शनी को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री वी.बी. महाजन, सांसद श्री रत्नाकर पाण्डेय के अतिरिक्त अनेक पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षाविद् एवं आम जनता ने सोल्लास देखा। समस्त दर्शकों ने यूनियन बैंक के मंडप की विशेष सराहना की। मंडप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न पोस्टर, संदर्भ सामग्री, शील्ड, दैनिक काम-काज में आने वाले विभिन्न फार्म आदि के हिन्दी में तैयार किये गये नमूने तथा बैंकों के सामान्य विज्ञापनों के लिये हिन्दी में बनायी गयी प्रचार सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया।

मेले में स्थापित तमाम मंडपों में सर्वश्रेष्ठ मंडप होने का श्रेय भी यूनियन बैंक के मंडप को ही प्राप्त हुआ। संसद-सदस्या श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर ने इसे प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

### तिरूवल्लुवर की वाणी

साहित्य प्रेमियों के लाभार्थ तमिलग्रंथ 'तिरूक्कुरल' का हिन्दी अनुवाद 'तिरूवल्लुवर की वाणी' के नाम से विद्वान टी. ई. एस. राघवन ने प्रकाशित किया है। ग्रंथ के प्रकाशक हैं--बसन्त बुक ट्रस्ट, 1, हनुमंतरायण कोइल स्ट्रीट, ट्रिपलीकेन, मद्रास --600005

### हिन्दी के खिलाफ याचिका खारिज

मद्रास, 8 अप्रैल (जनसत्ता)। सरकारी भाषा कानून 1983 को असंवैधानिक करार देने के लिए दायर एक रिट याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पेशे से वकील एम.एन रामचन्द्रन ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकारी भाषा कानून के तहत लाई गई हिन्दी 'प्रादेशिक' भाषा है, 'राष्ट्रीय' नहीं, जैसा कि संविधान में कहा गया है। 'खड़ी बोली' हिन्दी दिल्ली और आसपास के इलाकों और पश्चिमी उ. प्र. में बोली जाती है। सरकार ने देवनागरी में लिखी जाने वाली दूसरी बोलियों में से इसे चुना था। लेकिन सरकार इसे 'पूरे देश में विकसित कर पाने में नाकाम रही है। इसलिए सरकारी भाषा कानून से संविधान के तहत दिए गए मूल अधिकारों का हनन होता है। संविधान के 15वें और 16वें अनुच्छेद में हिन्दी भाषी लोगों को काफी सुविधाएं दी गई हैं।

इन सभी तर्कों को नामंजूर करते हुए न्यायमूर्ति एस. मोहन ने कहा कि कानून की धारा (3) में सरकारी कामों में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने की इजाजत दी गई है। इसी के तहत अब तक हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता आ रहा है।

न्यायमूर्ति ने हिन्दी को 'प्रादेशिक' भाषा भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कारणों और संवैधानिक प्रावधानों के चलते अंग्रेजी अब भी बनी हुई है। इसी तरह हिन्दी की अपनी अलग जगह है। यह भारत की सरकारी भाषा है और संविधान में व्यवस्था है कि हिन्दी धीरे-धीरे अंग्रेजी की जगह लेगी।

इसलिए, न्यायमूर्ति ने कहा, हिन्दी का अपना अलग स्तर है जबकि सातवीं अनुसूची की दूसरी भाषाएं अलग महत्व रखती हैं। इस अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हिन्दी को बढ़ावा देने से न तो संबंधित अनुच्छेद और न ही धारा 16 और 21 का उल्लंघन होता है। इन सभी कारणों से न्यायमूर्ति ने रिट याचिका खारिज कर दी।

(जनसत्ता : 9-4-87 से साभार)

### यूनियन बैंक आफ इंडिया पुरस्कृत

बैंक के अंचलीय कार्यालय, भोपाल को वर्ष 1986 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विशेष राजभाषा ट्राफी से सम्मानित किया गया, दिनांक 21-3-87 को अहमदाबाद में आयोजित एक विशेष समारोह में गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री रामकृष्ण त्रिवेदी ने पुरस्कारों का वितरण किया।

### कार्पोरेशन बैंक में हिन्दी के बढ़ते चरण

दक्षिण क्षेत्र में वर्ष 1986-87 में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय मंगलूर को एक विशेष राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई। हैदराबाद में दिनांक 07-07-1987 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर आंध्र प्रदेश की महामहिम राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी के कर कमलों से विशेष राजभाषा ट्राफी व प्रमाणपत्र को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री वाय.एस. हेग्डे ने प्राप्त किया।

### अन्तरिक्ष वैज्ञानिक पुरस्कृत

अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद के दो अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों (श्री ओ. पी. एन. कल्ला और श्री कालीशंकर) ने "समुद्री उपग्रह संचार का आधुनिक संस्थान—इन्मैरसैट" नामक विषय पर एक निबन्ध मौखिक रूप में हिन्दी में प्रस्तुत किया था, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने कलकत्ता में आयोजित प्रथम भारतीय इंजीनियरी कांग्रेस के उद्घाटन सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया।

### हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए आयकर विभाग कानपुर पुरस्कृत

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कानपुर द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए वर्ष 1986 में एक पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 100 से अधिक कार्यालयों से निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्टें मांगी गई। इन रिपोर्टों का मूल्यांकन 6 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया।

19 मई 1987 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उक्त कार्यालयों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम पुरस्कार श्री जी.सी. अग्रवाल, आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति कानपुर को केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के समाहर्ता श्री न. राजगोपालन द्वारा ब्रास प्लेट के रूप में प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक श्री दिलीप कुमार सेठ को श्री जी. सी. अग्रवाल, आयकर आयुक्त द्वारा प्रदान किया गया। तृतीय एवं चतुर्थ सान्तवना पुरस्कार क्रमशः उड्डयन योग्यता के अधिकारी श्री प्रीति मोहन गोयल तथा क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र के निदेशक श्री पी.एन. शर्मा को आयकर आयुक्त द्वारा प्रदान किया गया।

### मुख्य मंत्री द्वारा यूको बैंक को राजभाषा हिन्दी शील्ड

हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है। वहां की जनता हिन्दी जानती है। अतः आवश्यक है कि बैंक भी जनता साथ अपना कारोबार हिन्दी में करें। यूको बैंक, हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक है यानि यूको बैंक को हिमाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। 25 जुलाई, 1986 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के. मनमोहन शेणाई ने यह घोषणा की कि जिस बैंक का कार्य हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ होगा उसे राजभाषा वैजयन्ती प्रदान की जाएगी तथा द्वितीय स्थान पर रहने वाले बैंक को राजभाषा कप प्रदान किया जाएगा।

हिन्दी के कार्य की समीक्षा के लिए एक मूल्यांकन समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष, श्री श्रीनिवास जोशी, निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार थे। समिति के निर्णयानुसार वर्ष 1986-87 में हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने दिनांक 27 जुलाई, 1987 को शिमला में आयोजित एक भव्य समारोह में यूको बैंक को प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा वैजयन्ती देकर सम्मानित किया। सेन्ट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को संयुक्त विजेता के रूप में द्वितीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा कप देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों की लगभग 450 शाखाएं जनता की सेवा में लगी हुई हैं।

पुरस्कार देते हुए श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है। देश की एकता एवं अखंडता तथा जनता के निकट आने के लिए हिन्दी के प्रयोग को सभी स्तरों पर बढ़ाना चाहिए।

### यूनियन बैंक आफ इंडिया की आन्तरिक राजभाषा शील्ड योजना

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में गति लाने एवं दैनिक काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन के तौर पर बैंक ने "आन्तरिक राजभाषा शील्ड योजना" प्रचलित की है जिसके अंतर्गत तीनों क्षेत्रों में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर प्रत्येक वर्ष

पुरस्कृत किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसे तीन-तीन पुरस्कार रखे गए हैं। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में "पुरस्कार वितरण समारोह" का आयोजन किया गया जिसमें वर्ष 1985 में कार्य निष्पादन के आधार पर "आन्तरिक राजभाषा शील्ड" के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। तीनों क्षेत्रों में पुरस्कार पाने वाले कार्यालय निम्नलिखित हैं।

| | क्षेत्र "क" | क्षेत्र "ख" | क्षेत्र "ग" |
|---|---|---|---|
| प्रथम : | क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ | क्षेत्रीय कार्यालय नासिक | क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद |
| द्वितीय : | क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर | क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर | क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर |
| तृतीय : | क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ | क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर | क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव |

ज्ञातव्य है कि बैंक की शाखाओं के लिए भी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर अन्तरशाखा शील्ड योजना भी पिछले वर्ष से लागू की गई है।

### नवोदय विद्यालयों में भारतीय भाषाओं की शिक्षा

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत "नवोदय विद्यालय" का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन स्कूलों में कक्षा-6 के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए प्रत्येक जिले में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में वे सभी विद्यार्थी बैठ सकेंगे, जिन्होंने अपने जिले के किसी भी स्कूल से पांचवीं कक्षा पास की हो। इस परीक्षा का प्रारूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. ई. आर. टी.) द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इसका आयोजन व मूल्यांकन भी वहीं से होगा। परीक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की मातृभाषा होगी। प्रश्न-पत्र ऐसे होंगे, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बालक हल कर सकें।

इस प्रकार चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि ये छात्र पांचवीं कक्षा तक अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़े हैं, इस लिए इनका शिक्षण सातवीं या आठवीं कक्षा तक उसी माध्यम से किया जाएगा परन्तु साथ-साथ उन्हें हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। भाषा शिक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके इन दोनों भाषाओं का सह-माध्यम के रूप में विकसित किया जाएगा। सातवीं या आठवीं कक्षा के बाद बालक इस योग्य हो जाएंगे कि उनके शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषा की बजाय हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा को कर दिया जाए। इस स्तर के बाद सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा।

तत्पश्चात् प्रत्येक नवोदय विद्यालय से 20 प्रतिशत विद्यार्थी दूसरे ऐसे विद्यालय में भेजे जाएंगे, जहां की क्षेत्रीय भाषा पहले स्थान से भिन्न होगी। यह स्थान परिवर्तन हिन्दी भाषी क्षेत्रों व अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के बीच होगा। हिन्दी भाषी जिलों में तृतीय भाषा के रूप में उस भाषा को पढ़ाया जाएगा, जो उन 20 प्रतिशत (दूसरे स्थान से आए हुए) विद्यार्थियों की भाषा होगी। यह भाषा पढ़ना सबके लिए अनिवार्य होगा। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों में साधारण त्रिभाषा फार्मूला ही लागू होगा अर्थात् वहां क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी।

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी दोनों ही क्षेत्रों में तृतीय भाषा को पढ़ाने के लिए कुशल शिक्षकों को नियुक्ति की जाएगी, जो उस भाषा पर पूरा अधिकार रखते हों तथा अधिक प्रभावशाली शिक्षण कर सकें। इन भाषाओं के लिए प्रभावपूर्ण व समयानकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। इस तरीके से बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी। वे मिलजुल कर रहना सीखेंगे तथा भाषाई भेदभाव स्वतः ही दूर हो जाएंगे।

'शिविरा' पत्रिका (अप्रैल 87) से साभार

### कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंस की परीक्षा में हिन्दी का विकल्प

**डायरेक्टर आफ स्टडीज, इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंटस आफ इंडिया, कलकत्ता में अपने पत्र दिनांक 27-5-87 के अधीन के. स. हिन्दी परिषद, नई दिल्ली को सूचित किया है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प पहले ही दिया हुआ है। जून 1987 की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएट परीक्षा ग्रुप–I के 4 प्रश्नपत्रों के उत्तर भी हिन्दी में देने का विकल्प दिया है।**

## आयकर विभाग जयपुर में संगोष्ठी

आयकर विभाग, जयपुर के राजभाषा विकास अनुभाग द्वारा 3 अगस्त, 1987 को "तुलसी की प्रासंगिकता : भाषा के संदर्भ में" विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। श्री कंवलजीत सिंह, आयकर आयुक्त ने बताया कि संसार तथा सामान्य जनता से संपर्क के बीच समन्वय आवश्यक है और इसी कारण तुलसीदास जी लोकप्रिय हो सके। हमें ऐसा ही दृष्टिकोण राजभाषा के संबंध में भी अपनाना चाहिए।

डा. ओंकारनाथ त्रिपाठी, आयकर आयुक्त (अपील) राजस्थान प्रथम, जयपुर ने तुलसी के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जन-भाषा अपनाने के कारण ही तुलसी की कृतियां जन-जन तक पहुंच सकीं। श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग के अनुसार तुलसी ने अपने विभिन्न काव्यों तथा महा-काव्यों में अवधी, ब्रज तथा संस्कृत भाषाएं अपनाई एवं अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द का इसमें समावेश किया। हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास में ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा हमें इनसे लेनी चाहिए। श्री आर. सी. हांडा, आयकर आयुक्त (अपील) राजस्थान-द्वितीय जयपुर ने समारोह की अध्यक्षता की।

## देना बैंक स्वर्ण जन्यन्ती के उपलक्ष्य में "कवि गोष्ठी"

बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदाबाद के संयोजक राष्ट्रीयकृत बैंक देना बैंक की स्वर्ण जयन्ती के शुभारम्भ के अवसर पर गुजरात के सर्वप्रथम कार्यक्रम के रूप में अहमदाबाद में 27 मई, 1987 को एक "कवि गोष्ठी" का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में हिन्दी के ख्यातिप्राप्त कवि श्री नरेश मेहता, डा. पवन कुमार मिश्र, तथा डा. प्रमोद त्रिवेदी ने अपनी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं का पाठ किया। हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान तथा हिन्दुस्तानी संशोधन विस्तरण केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ के अध्यक्ष डा. अम्बाशंकर नागर गोष्ठी के मुख्य अतिथि थे।

समारोह में देना बैंक के महा प्रबंधक, गुजरात, श्री हरीश आर. जानी, प्रमुख रूप में उपस्थित थे।

कवि गोष्ठी के अन्त में देना बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री चन्द्रकान्त तिलवे ने आमंत्रित कवियों, अन्य विशिष्टजनों तथा उपस्थित श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

देना बैंक के नेतृत्व में अहमदाबाद की बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियां उल्लेखनीय रूप से चल रही हैं। वर्ष 1986 में समिति के श्रेष्ठ कार्य को देखते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वैजयन्ती प्रदान की गई जो कि अहमदाबाद में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में राज्यपाल श्री रामकृष्ण त्रिवेदी से देना बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री बी. के. घोष ने प्राप्त की।

## हिन्दी पुस्तकों की खरीद

गृह मन्त्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर व्यय की गई कुल राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों पर व्यय किया जाना है।

महात्मा गांधी के सहयोगी तथा अनुयायी और सर्वोदयी कार्यकर्त्ता श्री विधु भूषण दासगुप्त ने देश की विविध भाषाओं को हिन्दी के माध्यम से और हिन्दी को विविध भाषाओं के माध्यम से सीखने की दृष्टि से अनेक पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकें स्थायी महत्व की होने के साथ-साथ कर्मचारियों के दैनिक उपयोग में आने वाली तथा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने वाली हैं। पुस्तकों की सूची तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :

| क्रमांक | पुस्तक का नाम | मूल्य |
|---|---|---|
| 1. | राइटिंग बुक : हिन्दी | 3.00 |
| 2. | राइटिंग बुक : बंगाली—बुक वन | 3.00 |
| 3. | राइटिंग बुक : बंगाली—बुक टू | 3.00 |
| 4. | राइटिंग बुक : बंगाली—बुक थ्री | 3.00 |
| 5. | उड़िया : सेल्फ-टॉट | 14.00 |
| 6. | गुजराती : सेल्फ-टॉट | 15.00 |
| 7. | नैपाली : सेल्फ-टॉट | 15.00 |
| 8. | पंजाबी : सेल्फ-टॉट | 12.00 |
| 9. | मराठी : सेल्फ-टॉट | 12.00 |
| 10. | असमिया : सेल्फ-टॉट | 12.00 |
| 11. | उर्दू : सेल्फ-टॉट | 12.00 |
| 12. | कन्नड़ : सेल्फ-टॉट | 14.00 |
| 13. | बंग भाषा प्रवेश | 8.00 |
| 14. | लर्न हिन्दी : योर सेल्फ | 15.00 |
| 15. | लर्न बंगाली : योर सेल्फ | 15.00 |
| 16. | बंगला शिक्षा | 8.00 |
| 17. | असमिया परिचय (हिन्दी से असमिया) | 10.00 |
| 18. | सरल बंगला व्याकरण | 7.50 |
| 19. | नेपाली-बंगला स्वयं शिक्षा | 8.00 |
| 20. | बंगाली भाषेची ओलख | 8.00 |
| 21. | हिन्दी-बंगाली-असमिया एण्ड अंग्रेजी वर्ड-बुक | 4.00 |
| 22. | प्रारम्भिक बंगला शिक्षा | 2.50 |
| 23. | बंगाली-अंग्रेजी एण्ड हिन्दी वर्ड बुक | 4.00 |
| 24. | हिन्दी भारती | 5.00 |
| 25. | संस्कृत मुकुलम् | 3.50 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | संस्कृत पाठम् | 4.50 |
| 27. | प्राथमिक बंगला व्याकरण रचना और अनुवाद शिक्षा | 6.00 |
| 28. | हिन्दी-बंगला बातचीत | 4.00 |
| 29. | राष्ट्रभाषा पाठमाला: पहला भाग | 4.50 |
| 30. | राष्ट्रभाषा पाठमाला: दूसरा भाग | 4.50 |
| 31. | राष्ट्रभाषा पाठमाला: तीसरा भाग | 4.50 |
| 32. | राष्ट्रभाषा पाठमाला: चौथा भाग | 6.00 |
| 33. | राष्ट्रभाषा पाठमाला: भाग पांच | 1.50 |
| 34. | बंगला-साहित्य पाठ: भाग-1 | 5.00 |
| 35. | बंगला-साहित्य पाठ: भाग-2 | 5.00 |
| 36. | बंगला-साहित्य पाठ: भाग-3 | 6.00 |
| 37. | बंगला-साहित्य पाठ: भाग-4 | 5.00 |
| 38. | उच्च हिन्दी व्याकरण | 15.00 |
| 39. | राष्ट्रभाषा प्रवेश | 12.00 |
| 40. | प्राथमिक हिन्दी व्याकरण रचना व अनुवाद शिक्ष | 6.00 |
| 41. | सरल हिन्दी व्याकरण | 8.00 |
| 42. | सरल बंगला व्याकरण | 6.00 |
| 43. | राष्ट्रभाषा प्रवेश | 5.00 |
| 44. | बंगला प्रतिभा | 5.00 |
| 45. | संस्कृत सोपानम | 3.00 |
| 46. | प्रारम्भिक हिन्दी शिक्षा: लिखा व पठन | 3.00 |
| 47. | प्रारम्भिक हिन्दी शिक्षा: लिखा व पढ़ा | 2.00 |
| 48. | पाठ संचयन | |
| 49. | हिन्दी शब्दकोष (त्रिभाषी: हिन्दी-बंगला-अंग्रेजी) | 65.00 |

**पुस्तक-प्राप्ति स्रोत** : श्री विधुभूषण दास गुप्त द्वारा डा. ओम प्रकाश शर्मा, हिन्दी अधिकारी, हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि., पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता

भारतीय मानक ब्यूरो, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा

हिन्दी में प्रकाशित भारतीय मानक

| क्रम सं. | संख्या और पदनाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | वेल्डरों के लिए हाथ की मैंटल आर्क वेल्डिंग की निदेशिका (पृ. 176, रु. 54.00) |
| 2. | IS: 10 (भाग 1)—1976 प्लाईवुड चाय-पेटियों की विशिष्टि, भाग 1 सामान्य (पृष्ठ 21, मूल्य वर्ग-4) |
| 3. | IS: 10 (भाग 2)—1976 प्लाइवुड चाय पेटियों की विशिष्टि, भाग 2 प्लाईवुड (चौथा पुनरीक्षण) संशोधन संख्या 1 एवं 2 सहित (पृ. 15, मू.व.–2) |
| 4. | IS: 10 (भाग 3)–1974 प्लाईवुड चाय-पेटियों की विशिष्टि, भाग 3 बत्ते (चौथा पुनरीक्षण) (पृ. 10 मू. व.–3) |
| 5. | IS: 10 (भाग 4)–1976 प्लाईवड चाय की पेटियों की विशिष्टि, भाग 4 धातु की फिटिंग (चौथा पुनरीक्षण) संशोधन संख्या 1 समाविष्ट (पृ. 10, मू.व.–2) |
| 6. | IS: 21—1975 बर्तनों के निर्माण के लिए पिटवां एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र धातुओं की विशिष्टि (तृतीय पुनरीक्षण) (पृ. 12 मू.व.–2) |
| 7. | IS: 226–1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म) की विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण) (संशोधन संख्या 1 से 3 तक) (पृ. 13 मू.व.–4) |
| 8. | IS: 279—1981 तार और टेलीफोन कार्यों के जस्तीकृत इस्पात के तार की विशिष्टि (तृतीय पुनरीक्षण) संशोधन संख्या 1 समाविष्ट (पृ. 13 मू.व.–3) |
| 9. | IS: 432 (भाग 2)—1982 सख्त खिचे इस्पात के तार (तीसरा पुनरीक्षण) (पृ. 8 मू.व.–2) |
| 10. | IS: 513—1973 अतप्त वेल्लित कार्बन इस्पात चद्दर और पत्तियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) संशोधन संख्या 1 समाविष्ट (पृ. 22 मू.व.–4) |
| 11. | IS: 600–1955 अनाज भरने के देहाती बुखारीनुमा भंडार बनाने की रीति संहिता (पृ. 7 मू.व.–3) (संशोधन संख्या 1 सहित) |
| 12. | IS: 601—1955 अनाज भरने के देहाती कोठारनुमा भंडार बनाने की रीति संहिता (संशोधन सं० 1 सहित) (पृ. 7 म.व.–3) |
| 13. | IS: 602—1955 अनाज भरने के देहाती मोराईनुमा भंडार बनाने की रीति संहिता (संशोधन सं. 1 सहित) (साइज ए 4) (पृ. 9 मू.व.–4) |
| 14. | IS : 609–1955 अनाज भेराई में जो वर्तमान भंडार प्रयुक्त हों या जिन्हें प्रयोग में लाना हो उनमें सुधार की रीति संहिता (संशोधन सं० 1 सहित) (साइज ए 4) (पृ० 9 मू०व० 4) |
| 15. | IS : 732–1963 इमारतों में बिजली लगाने की रीति संहिता (650 वोल्ट तक की प्रणालियों के लिए) (पुनरीक्षित संशोधन सं० 1 से 5 सहित) (पृ० 74 मू०व०–10) |
| 16. | IS : 786–1967 परिवर्तन गुणक और परिवर्तन सारणियां (प्रथम पुनरीक्षण) (अंग्रेजी–हिन्दी) (साइज ए संशोधन सं० 1 समाविष्ट) (पृ० 180 रु० 85.00) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 17. | IS : 786–1967 परिवर्तन गुणक और परिवर्तन सारणियां (पूरक खंड) (प्रथम पुनरीक्षण) का एच आई पूरक खंड (अंग्रेजी–हिन्दी) (साइज ए 4) (पृ० 65 मू०व०–15) |
| 18. | IS : 920–1972 पशुओं के लिए नमक और उससे निर्मित चाटने के पिंडों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण) (पृ० 10 मू०व०–3) |
| 19. | IS : 990–1982 स्टेनलेस इस्पात के चम्मच की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) (पृ० 15 मू०व० 3) |
| 20. | IS : 1020–1963 साधारण प्रयोग के लिए परिवर्तन सारणियां (पुनरीक्षित) (पृ० 30–मू०व० 7) |
| 21. | IS : 1029–1970 गर्म वेल्लित इस्पात की पत्तियां (गांठ बांधने वाली) की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण) (पृ० 9मू०व० 2) |
| 22. | IS : 1079–1973 गर्म वेल्लित कार्बन इस्पात की चद्दर और पत्ती की विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण) (पृ० 16 मू० व० 4) |
| 23. | IS : 1148–1982 संरचना कार्यों के लिए तप्त वेल्लित इस्पात के रिवेट सरियों (40 मिमी व्यास तक) की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) (पृ० 9 मू० व० –3) |
| 24. | IS : 1149–1982 संरचना कार्यों के लिए उच्च इस्पात रिवेट सरियों की विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण) (पृ० 10 मू०व०–2) |
| 25. | IS : 1239–1979 मृदु इस्पात नलिकाएं, नलिकाकार और पिटवां इस्पात के अन्य फिटिंगों की विशिष्टि, भाग 1 मृदु इस्पात नलिकाएं (चतुर्थ पुनरीक्षण) (संशोधन संख्या 1,2,3, एवं 4 सहित) (पृ० 24 मू०व०–5) |
| 26. | IS : 1947–1959 कृषि पदार्थों के नियंत्रण मंडी प्रांगड़ों का विन्यास, (साइज ए 4 पृ० 16 मू०व० –7) |
| 27. | IS : 1660 (भाग 1)–1982 पिटवां एलुमिनियम के बर्तनों की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) (पृ० 26 मू०व –6) |
| 28. | IS : 1660 (भाग 6)–1980 पिटवां एलुमिनियम के बर्तन, भाग 6 खानेदार ट्रे की विशिष्टि (साइज ए 4 पृ० 4 मू०व–2) |
| 29. | IS : 1694–1974 टारट्राजीन, खाद्य ग्रेड की विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण) संशोधन संख्या 1 समाविष्ट (पृ० 10 मू.व० 3) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 30. | IS : 1695–1974 सनलेट येलो, एफ सी एफ खाद्य ग्रेड की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण) (पृ० 3 मू०व० –3) |
| 31. | IS : 1696–1974 एमरेंथ, खाद्य ग्रेड की विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण) संशोधन सं० 1, 2 समाविष्ट (पृ० 15 मू० व० 3) |
| 32. | IS : 1697–1974 एरिथोसीन खाद्य ग्रेड की विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण) (पृ० 12 मू० व० 3) |
| 33. | IS : 1698–1974 इंडिगो कार्मिन खाद्य ग्रेड की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण) (पृ० 13 मू०व० –3) |
| 34. | IS : 1786–1979 कंक्रीट प्रबलन के लिए अतप्त अभिकृत इस्पात के उच्च सामर्थ्य वाले विकृत सरियों की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) (संशोधन सं० 1 समाविष्ट) (पृ० 23 मू० व० 5) |
| 35. | IS : 1848–1981 लेखन और मुद्रण कागज की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) (पृ० 14 मू०व० 2) |
| 36. | IS : 1855–1977 खानों में वेष्टन द्वारा और व्यक्ति–रोहण द्वारा ढुलाई के लिए लड़दार इस्पात के तार-रस्सों की विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण) (साइज ए 4 पृ० 14 मू०व० –6) |
| 37. | IS : 1909–1061 करी पाउडर की विशिष्ट (पृ० 10 मू० व०2) |
| 38. | IS : 1977–1975 संरचना इस्पात (साधारण किस्म) की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) (पृ० 20 मू०व. 4) |
| 39. | IS : 1989–1976 चमड़े के सुरक्षा बूटों और जूतों की विशिष्ट, भाग 1 खनिकों के लिए (संशोधन संख्या 1 समाविष्ट) (तीसरा पुनरीक्षण) (पृ० 30 मू०व०–6) |
| 40. | IS : 1990–1973 वॉयलरों के लिए इस्पात की रिवेट और टैंक छड़ों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण) संशोधन सं० 1 समाविष्ठ) (पृ० 11 मू.व.-2) |
| 41. | IS : 2444 : 1980 पिसे धनिए की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) (पृ० 8 मू०व० –2) |
| 42. | IS : 2051–1979 पशुओं के लिए मिश्रित आहार की विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण) (पृ० 24–मू०व० –5) |
| 43. | IS : 2445–1984 पिसी मिर्च की विशिष्ट (पृ० 8 मू०व०–2) |
| 44. | IS : 2512–1978 खनिक टोप लैम्प बैटरियों (सीसा अम्ल प्रकार) की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण) (पृ० 16 मू०व० –3) |
| 45. | IS : 2558–1974 पांसों 4 आर, खाद्य ग्रेड की विशिष्ट (प्रथम पुनरीक्षण) (पृ० 12 मू०व० –3) |

| 1 | 2 |
|---|---|

46. IS : 9694 (भाग 2)—1980 कृषि कार्यों के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्पों के चुनाव, संस्थापन, प्रचालन और रखरखाव की रीति संहिता (भाग 2 संस्थापन) (पृ० 7 मू०व०–3)।
77. IS : 9694(भाग 3)—1980 कृषि कार्यों के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्पों के चुनाव, संस्थापन, प्रचालन और रखरखाव की रीति संहिता (भाग 3 प्रचालन) (पृ० 4 मू०व०–2)।
48. IS : 9694 (भाग 4)—1980 कृषि कार्यों के लिए क्षैतिज उपकेन्द्री पम्पों के चुनाव, संस्थापन, प्रचालन और रखरखाव की रीति संहिता (भाग 4 रखरखाव) (पृ० 4 मू०व०–2)।
49. IS : 9712—1981 केक की विशिष्टि (पृ० 12 मू० व०–3)।
50. IS : 9877—1981 अनाज कंबाइन लगाने, चलाने और एहतियाती रखरखाव की रीति संहिता (पृ० 19 मू० व०– 4)।
51. IS : 10228—1982 स्कूली वस्तों की विशिष्टि (पृ० 11 मू०व०–3)।
52. IS : 10264—1982 अस्पतालों और औद्योगिक कैंटीनों के लिए गर्म भोजन की ट्राली की विशिष्टि (पृ० 2 मू० व०–1)।
52. IS : 10350—1982 खिज़ाब पाउडर की विशिष्टि (पृ० 11 मू०व०–2)।

## 2. पुस्तक समीक्षा

**अपभ्रंश हिन्दी शब्दकोश**

संपादक : डा० नरेश कुमार

प्रकाशक : इन्डोविजन प्रा० लि०

II-ए 20, नेहरू नगर, गाजियाबाद

मूल्य : 250 रुपए

शब्द कोश बनाने का कार्य अपने आप में काफी जटिल कार्य होता है। अपभ्रंश भाषा का शब्दकोष बनाना तो और भी अधिक जटिल कार्य है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अनेक निघंटु और शब्दकोश मिलते हैं किन्तु अपभ्रंश भाषा के मामले में कोई विशेष कार्य इस दिशा में नहीं हुआ। यह भी सर्वविदित है कि अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ है, इसलिए अपभ्रंश भाषाओं का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं के गहन अध्ययन के लिए विशेष महत्त्व रखता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों को अपभ्रंश पढाने में और समझाने में काफी कठिनाई का अनुभव होता है। उल्लिखित अधिकांश समस्याओं का समाधान श्री नरेश कुमार ने अपने अपभ्रंश शब्दकोश द्वारा कर दिया है। यह शब्दकोश तो है ही, साथ-साथ इसमें अपभ्रंश के व्याकरण की गुत्थियों को सहजता से सुलझाने का यत्न किया गया है। अध्ययन की गहराई इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि उन्होंने अपभ्रंश के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करके शब्द छांटे हैं और उनके सही अर्थ देने का गंभीर प्रयत्न किया है। एक शब्द के कई अर्थ भी दिए हैं और साथ में उनके संस्कृत भाषा के मूल शब्द भी दिए गए हैं। निःसन्देह श्री कुमार द्वारा तैयार किया गया शब्दकोश देश की उन्नतिशील भाषा और राष्ट्र भाषा हिन्दी के मार्ग को प्रशस्त करने में एक कोश स्तंभ का कार्य करेगा। विश्वास है कि श्री कुमार को इस कार्य के लिए राजभाषा हिन्दी का एक विशिष्ट सेवी माना जाएगा :

कोश का अधिक मूल्य कुछ अखरता है।

—डा० महेश चन्द्र गुप्त

* * *

**हिन्दी व्युत्पत्ति कोश**

संपादक : डा. नरेश कुमार,

प्रकाशक : इण्डो-विजन प्राइवेट लिमिटेड

2-ए 220, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001

पृष्ठ संख्या : 382

मूल्य : 125 रुपए

किसी भी भाषा के शब्द के अर्थ-विकास और रूप-विकास-क्रम को समझने में, सहायता लेने की दृष्टि से हमें "व्युत्पत्ति-कोश" की आवश्यकता महसूस होती है। अतः किसी शब्द की व्यत्पत्ति को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन नितान्त आवश्यक हो जाता है। यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उक्त अध्ययन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त न हो और उसे भाषा विज्ञान के आधार पर तर्क संगत बनाया जाए। आज के संदर्भ में हिन्दी भाषा पर विभिन्न विदेशी/देशी भाषाओं का बड़ी गतिशीलता से प्रभाव पड़ रहा है तथा इस दृष्टि से हिन्दी भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी रखना अनिवार्य हो जाता है।

डा. नरेश कुमार ने चर्चित "हिन्दी व्युत्पत्ति-कोश" का निर्माण भाषा इतिहास, ध्वनि-नियमों और उनमें परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया है। "हिन्दी व्युत्पत्ति-कोश" में प्रत्येक शब्द के अर्थ का निरूपण प्रामाणिक साहित्य की सामग्री के आधार पर किया गया है। कोश का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि संपादक ने अन्य व्युत्पत्ति कोशों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को ठीक करने का भी प्रयास किया है। जहां तक मानक हिन्दी के अधिकांश शब्दों को समाहित करने का प्रश्न है, इसका निर्वाह इसमें कुछ सीमा तक ही हो सका है।

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के शब्दों से क्रमिक विकास की दृष्टि से इसका गवेषणापूर्ण अध्ययन करना और भी आवश्यक बन गया है। शब्दों की व्युत्पत्ति के ज्ञान के अभाव

में व्यक्ति केवल शब्द के अर्थ की ऊपरी सतहों पर तैरता रहता है, उसमें छिपे रहस्य, उसके लिए रहस्य बने रह जाते हैं और इस प्रकार यह लोक एवं साहित्य में प्रचलित शब्दों के ऐतिहासिक विकास की मात्र छाया तले ही विचरण करता है।

भारतीय संविधान में राजभाषा हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देश की विशालता और उसमें बोली जाने वाली अनेक भारतीय भाषाओं तथा हिन्दी की सहयोगी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को सशक्त सम्पर्क भाषा सूत्र में प्रतिष्ठापित करने की दृष्टि से भी हिन्दी भाषा में व्युत्पत्ति मूलक कोश के अभाव को डाक्टर नरेश किसी सीमा तक दूर कर पाए हैं। उल्लेखनीय है कि "हिन्दी शब्द सागर" "प्रामाणिक हिन्दी कोश" आदि जैसे कोशों में दी गई व्युत्पत्तियों का वैज्ञानिक दृष्टि से संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस कार्य को पूरा करने का डा. नरेश ने प्रयास किया है। उदाहरणार्थ—उक्त कोश के "अपाहिज" शब्द को ही लीजिए (पृष्ठ 9)। इसमें "अपाहिज" शब्द के लिए डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की व्युत्पत्ति "अपाथेय" (पथ में यात्रा के अयोग्य) अपाहेज्ज—अपाहिज्ज—अपाहिज के रूप में दी गई है। इस पर असहमति प्रकट करते हुए नरेश जी ने "पाथेय" का अर्थ—रास्ते में व्यय करने की सामग्री, मुसाफिरी में खाने का भोजन "राहखर्च" बताया है, जो बिल्कुल सटीक है और डा. अग्रवाल के अर्थ से एकदम भिन्न हैं। उन्होंने सं. अपादहस्त—प्रा. अपादहस्त—अप. अपाहत्थ—अपाहज—अपाहिज के रूप में विकास दिखाकर शब्द की व्युत्पत्ति को नए आयामों में ढाला है।

विश्वास है कि "हिन्दी व्युत्पत्ति कोश" से भाषा और साहित्य के पाठकों और शोधकर्त्ताओं को काफी मदद मिलेगी।

—नरेन्द्र सिंह, हि.अ.

* * * *

**दक्खिनी हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली**

लेखक : डा. परमानन्द पांचाल

प्रकाशक : जयश्री प्रकाशन, दिल्ली-110032

मूल्य : 100 रुपए

हिन्दी भाषा की अठारह बोलियां मानी गई हैं किन्तु उनमें दक्खिनी हिन्दी को नहीं जोड़ा गया। उसका कारण यह है कि यह बोली हिन्दी भाषी प्रदेशों के अन्तर्गत नहीं आती किन्तु इसमें कोई दो मत नहीं कि हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में दक्खिनी हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका विकास 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के बहमनी, कुतबशाही और आदिलशाही सुल्तानों के संरक्षण में हुआ था। 1327 ई. में मुहम्मद तुगलक ने राजनैतिक और सामरिक महत्व की दृष्टि से दक्षिण में दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया तो वह दिल्ली के लोगों, सैनिकों, पदाधिकारियों आदि को अपने साथ ले गया। इनमें से अधिकांश लोग वहीं बस गये, इन लोगों की भाषा हिन्दी या उर्दू थी। वहां के लोगों से विचार-विनिमय करने से दक्षिणी भाषाओं के संयोग से दक्खिनी हिन्दी का प्रादुभाव हुआ।

दक्खिनी हिन्दी का विशाल साहित्य आज भी अछूता पड़ा है, क्योंकि इसके अध्ययन और अनुसंधान में सबसे बड़ी कठिनाई इस की लिपि और पारिभाषिक शब्दावली रही है। इस संबंध में डा. परमानन्द पांचाल की पुस्तक "दक्खिनी हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली" प्रकाशित हुई है।

पुस्तक में छः अध्याय हैं। "दक्खिनी हिन्दी का उद्भव और विकास अध्याय में दक्खिनी हिन्दी के विकास पर चर्चा की गई है और यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि यह हिन्दी की एक बोली ही है। इसमें एक कमी खटकती है कि नामकरण पर जो विवाद है उस पर यदि लेखक कुछ संकेत दे देता तो दक्खिनी हिन्दी का स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो जाता। दूसरे अध्याय "दक्खिनी हिन्दी की शब्दावली : स्रोत और वर्गीकरण" में लेखक ने कई सौ वर्षों तक प्रयुक्त शब्दावली का वर्गीकरण करते हुए उनके स्रोत और प्रयोग पर विस्तार से चर्चा की है। दक्खिनी हिन्दी के कवियों ने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि हिन्दी की विभिन्न बोलियों से तथा पंजाबी, मराठी, गुजराती, और द्रविड़ परिवार की तेलुगु और कन्नड़ आदि भारतीय भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किये थे। न केवल भारतीय भाषाएं वरन् अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी विपुल मात्रा में इस बोली में समाहित हो गये। इस प्रकार दक्खिनी हिन्दी भारत की सर्वाधिक मिश्रित भाषा बन गई।

लेखक ने शब्दावली का विषयानुसार वर्गीकरण करते हुए उन्हें चार अध्यायों में विभाजित किया, धार्मिक तथा दार्शनिक शब्दावली, राजनैतिक तथा प्रशासनिक शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली और विविध शब्दावली। इन चारों अध्यायों में लेखक ने लगभग चार सौ शब्दों का प्रामाणिक विवेचन किया है और उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिये उदाहरणों का भी सहारा लिया है। धार्मिक और दार्शनिक शब्दावली के अन्तर्गत इस्लाम और सूफी मत की पारिभाषिक शब्दावली का विश्लेषण बहुत ही सूक्ष्म और शोधपूर्ण ढंग से किया गया है। कहीं-कहीं यह शब्दावली रूप की दृष्टि से समान है किन्तु अर्थ की दृष्टि से इसमें भिन्नता मिलती है और लेखक ने इस भिन्नता को स्पष्ट करने का भी सफल प्रयास किया है। साहित्यिक शब्दावली के अन्तर्गत लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दक्खिनी हिन्दी के कवियों ने अरबी, फारसी के छंदों और काव्य-रूपों को अपनाते हुए भारतीय छंदों और काव्यरूपों को भी ग्रहण किया है। विविध शब्दावली के अन्तर्गत लेखक ने ज्योतिष, गणित, वास्तुकला संगीत

और वाद्यकला, व्यापार, सांस्कृतिक उत्सव, खेल आदि की शब्दावली का भी सुन्दर विवेचन किया है ।

दक्खिनी हिन्दी के असंख्य कवियों की सभी रचनाओं का उपलब्ध होना दुष्कर कार्य था और यदि उपलब्ध भी हो जाती है तो इन असंख्य शब्दों का विवेचन एक पुस्तक में कर पाना कठिन है । अतः लेखक ने परिशिष्ट के अन्तर्गत कुछ सामान्य शब्दों को अर्थ सहित दिया है । इसके साथ ही परिशिष्ट में कुछ काव्य रूढ़ियों, अंतःकथाओं और संख्यात्मक प्रतीकों को व्याख्या सहित दिया गया है । परिशिष्ट में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू के संदर्भ ग्रंथों की सूची भी दी गई है लेकिन यह सूची लेखक क्रम के अनुसार नहीं है। इस सूची में दो तीन विदेशी विद्वानों की अच्छी पुस्तकें नहीं दी गई । जैसे—रूथ लैला श्मिट की "दक्खिनी उर्दू : हिस्ट्री एण्ड स्ट्रक्चर" और ताकाशहाशि अकिरा की पुस्तक "दक्खिनी हिन्दी का भाषा विश्लेषण ।

वास्तव में पुस्तक दक्खिनी हिन्दी के अध्येताओं और शोधार्थियों के लिये बहुत उपयोगी हैं क्योंकि डा. पांचाल ने बड़े परिश्रम के साथ विभिन्न कवियों और लेखकों का गहन अध्ययन कर इस शब्दावली को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का सराहनीय कार्य किया है ।

—डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी

* * * *

**राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र**

लेखक : गोपालराव एकबोटे

प्रकाशक : मैसर्ज एकबोटे ब्रदर्स

24, वीर सावरकर मार्ग,

हैदराबाद-500027

मूल्य : सौ रुपया पृष्ट : 245

आन्ध्र प्रदेश के सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश तथा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, हैदराबाद राज्य श्री गोपाल राव एकबोटे ने "ए नेशन विदआउट ए नेशनल लैंग्वेज" नाम से एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है । उस पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर "राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र" नाम से हिन्दी में प्रकाशित हुआ है ।

पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों में प्रशासन में हिन्दी के उपयोग का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है । राजभाषा के संबंध में संविधान सभा द्वारा किए गए प्रावधान का सविस्तार विवेचन किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 351 का विश्लेषण करते हुए राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी के रूप, शैली और अभिव्यक्ति के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप उसे भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के उपायों और साधनों पर विचार किया गया है ।

प्रस्तुत पुस्तक में त्रिभाषा सूत्र के गुणदोषों का भी विवेचन किया गया है । संसद और राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित सभी कानूनों को एक राष्ट्रीय भाषा में रूपान्तरित करने की संभावनाओं पर विचार करते हुए लेखक ने एक समान न्यायिक व्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से उच्चत्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की चर्चा की । विद्वान लेखक ने भाषायी अल्प संख्यकों को दी गई गारंटियों की चर्चा करते हुए उनके अनुपालन से हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं पर पड़े दुष्प्रभावों का स्पष्ट उल्लेख किया है ।

पुस्तक में चर्चित विषयों से मुख्यतः 8वीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करने और उन भाषाओं की सहायता से राष्ट्रभाषा को समृद्ध बनाने की आवश्यकता को बल मिलता है, जिससे भाषायी और सांस्कृतिक एकता तथा समन्वय की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायता मिलती है ।

संक्षेप में, पुस्तक में केन्द्रीय सरकार की राज भाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका, भारत सरकार की भाषा नीति, संसद विधान सभाओं एवं न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति, भाषायी अल्प संख्यकों की समस्या, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका आदि प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है । विद्वान लेखक ने राष्ट्र भाषा तथा संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका का जो गहन विश्लेषण किया है उसके कारण यह पुस्तक वस्तुतः राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी सुधी पाठकों के लिए बड़ी उपादेय सिद्ध होगी ।

पुस्तक के हिन्दी रूपान्तर में अप्रचलित और दुरुह शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है और इसलिए भाषा कई स्थलों पर बोझिल और अबोधगम्य हो गई है । विषय की स्पष्ट जानकारी के लिए पुस्तक का गहन अध्ययन आवश्यक होगा । अच्छा होता यदि पुस्तक का मूल्य भी कुछ कम रखा गया होता ।

**—पूर्णानन्द जोशी**

# आदेश-अनुदेश

सं.-12015/20/87-रा. भा. (त.क.)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग (तकनीकी कक्ष)
दिनांक: 15 जून, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों/बैंकों में केवल द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक टाईपराइटरों की व्यवस्था करना तथा उनका प्रयोग करना।**

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों का पालन सुसाध्य करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में खरीदे जाने वाले इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों में रोमन के साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रयोग की सुविधा भी प्राप्त हो।

अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में खरीदें जाएं।

शंभु दयाल
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

* * *

संख्या 13034/31/85-रा.भा.(ग),
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाईपिस्टों को "हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता" देना।**

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 24 फरवरी, 1987 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते की योजना का पुनरीक्षण किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि यह योजना 15 मई, 1986 से आगे भी जारी रहेगी। प्रोत्साहन भत्ते की दरों में वृद्धि करके आशुलिपिकों के लिए 60 रुपये और टाइपिस्टों के लिए 40 रुपये प्रतिमाह की दरें निर्धारित की गई हैं। ये संशोधित दरें 16 मई, 1987 से लागू होंगी। 12 अगस्त, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/55/76-रा. भा. (ग) में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे लागू रहेंगी।

2. यह परिपत्र वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

गोविन्द दास बेलिया
उप सचिव, भारत सरकार

* * *

संख्या 14012/7/87-रा.भा.(ग)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों बैंकों आदि में आशुलिपिकों के पद पर हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों का अनुपात।**

राजभाषा विभाग के 23 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-11013/15/73-रा.भा.(ग) द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के कुल पदों का 25% पद हिन्दी आशुलिपिकों के होने चाहिए यह भी आदेश दिए गए थे कि जिन कार्यालयों में उस समय हिन्दी आशुलिपिक पद पर्याप्त संख्या में न हों, वहां आगे से आशुलिपिकों की भर्ती इस प्रकार की जाए कि कुल आशुलिपिकों का कम से कम 25% पद हिन्दी आशुलिपि जानने वाले उपलब्ध हो सकें।

2. 1976 के बाद अब हिन्दी में कार्य करने के लक्ष्य काफी बढ़ गए हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिकों के चयन में हिन्दी आशुलिपि

जानने वाले उम्मीदवार भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। बहुत से कार्यालयों में हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों के अभाव के कारण राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम अनुसार हिन्दी में काम करने में कठिनाई पैदा हो रही है। इन सब तथ्यों पर विचार करके और विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार हिन्दी में काम करने के लिए आशुलिपिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, इस विभाग के ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में दिए निदेशों के आंशिक संशोधन में, मुझे राष्ट्रपति के ये निदेश देने का आदेश हुआ है कि आगे से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2(च) में दी परिभाषा के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 25 प्रतिशत पदों पर हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए। "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 50% हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए। "ख" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों के सचिवालय व संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद पर कम से कम 25% हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए।

3. हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों के उपरोक्त अनुपात को आशुलिपिकों की नई भर्ती में हिन्दी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करके और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाकर पूरा करना होगा। उपरोक्त निर्धारित अनुपात सभी कार्यालयों में 31 मार्च, 1990 तक पूरा कर लिया जाए। मुझे ये भी निदेश देने का आदेश हुआ है कि जब तक हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक किसी कार्यालय में उपरोक्त निर्धारित अनुपात के अनुसार नहीं हो जाते तब तक नई भर्ती में यदि हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक उपलब्ध हों तो, केवल हिन्दी आशुलिपि के माध्यम में चुने गए उम्मीदवारों को ही आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित अनुपात हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों के विभिन्न कार्यालयों के लिए न्यूनतम अनुपात है, जिन्हें 31 मार्च, 1990 तक पूरा करना है। यदि किसी कार्यालय में इनसे ज्यादा हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की आवश्यकता हो, तो उस अनुपात से ज्यादा भी हिन्दी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा लिया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित अनुपातों के पूरा हो जाने के बाद भी अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता रहना चाहिए, जब तक सभी आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते।

5. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह भविष्य में इन निदेशों का पालन अपने कार्यालयों में सुनिश्चित करें और "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के निगम, कम्पनी, बैंकों, आदि को भी इनकी पालना के लिए आवश्यक निदेश तुरंत जारी करें।

गोविन्द दास बेलिया
उप सचिव, भारत सरकार

* * *

सं० 12018/3/87-रा०भा०(अ-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, अगस्त 24, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय :—दिल्ली के बाहर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधिकारियों को आमंत्रित करना।**

राजभाषा विभाग के दिनांक 24-4-76 के का. ज्ञा. संख्या 1/14011/4/76—रा. भा. (क—1) तथा दिनांक 22-4-85 के का. ज्ञा. संख्या 1/14011/2/85—रा. भा. (क-1) के अनुसरण में।

उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में ये निर्देश दिए गए थे कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और दिल्ली से बाहर के स्थानों पर इन बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए।

अब यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली स्थित मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों व राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यालयों में आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों की सूचना राजभाषा विभाग को उपर्युक्त पते पर भेजी जाए बम्बई, कलकत्ता और बेंगलूर स्थित कार्यालयों सरकारी उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैठकों की सूचना वहां स्थित उप निदेशक, राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजें। पते नीचे दिए गए हैं तथा शेष स्थानों पर हिन्दी शिक्षण योजना के उस नगर में स्थित अधिकारियों/प्राध्यापकों को आमंत्रित किया जाए।

1. उप निदेशक (कार्यान्वयन),
क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम),
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग,
कामर्स हाउस, तीसरी मंजिल,
करीमभाय रोड, बेलार्ड एस्टेट,
बम्बई-38

2. उप निदेशक (कार्यान्वियन), क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण)
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग,
5/1, जे. सी. रोड, बेंगलूर–2.

3. उप निदेशक (कार्यान्वियन), क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग,
कमरा नं.––18-1, 18 वीं मंजिल,
एम. एस. ओ. बिल्डिंग, निज़ाम पैलेस परिसर,
आचार्य जे. सी. बोस, रोड, कलकत्ता–700001

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा कार्यान्वियन समितियों की बैठकों के संबंध में उपर्युक्त निदेश अपने संबंधित अधिकारियों, सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के मुख्य अधिकारियों के ध्यान में लादें।

वी. ए. कोहली,
उप सचिव, भारत सरकार

* * * *

सं–15/65/87-उ०नि० (परीक्षा) 4106

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1987

## कार्यालय ज्ञापन

परीक्षा संचालन की व्यवस्था को सुधारने का प्रस्ताव काफी दिनों से विचाराधीन रहा है। इस संबंध में दिनांक 27-3-87 को संयुक्त निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना की अध्यक्षता में गठित परीक्षा उप समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए अब विभाग द्वारा नीचे लिखे अनुसार निर्णय लिए गए हैं :—

(1) प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-पुरस्कार, वेतन वृद्धि आदि परीक्षा फल पर ही दिए जाएं। इसके लिए प्रमाण पत्रों का इंतजार न किया जाए।

(2) बिना परीक्षा फल का इंतजार किए प्रवीण और प्राज्ञ कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए।

(3) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन योजना के उप निदेशकों के कार्यालयों में प्राध्यापकों/स्थानीय योग्य अधिकारियों/योजना के सेवा निवृत स्थानीय प्राध्यापकों/अधिकारियों आदि को बुला कर कराया जाए। इसके लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता और मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक दिया जाए।

(4) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्रारंभ होने के साथ और मौखिक परीक्षा फल परीक्षा समाप्त होते ही सीधे परीक्षा स्कंध को अवश्य भेज दिया जाए। आंतरिक मूल्यांकन समय पर न भेजने वाले प्राध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

(5) अगस्त, 1987 के सत्र से टंकण की कक्षाएं एकान्तर दिवसों के बजाय सभी कार्य दिवसों में प्रतिदिन एक घण्टे की चलाई जाएं और परीक्षा में टंकण की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में 5 प्रतिशत की छूट न दी जाए।

(6) परीक्षा फल परीक्षा तिथि से डेढ़ महीने के भीतर अवश्य भेज दिया जाए ताकि अगली कक्षा में प्रवेश लेने और फार्म भरने में दिक्कत न होने पाए।

(7) परीक्षा स्कंध से परीक्षा फल और प्रमाण पत्र मिलते ही वितरित किया जाए और वितरित किए जाने वाले पत्र की प्रतिलिपि परीक्षा स्कंध को भी भेजी जाए।

(8) परीक्षा केन्द्रों पर हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों/प्राध्यापकों को पर्यवेक्षक न बनाया जाए।

(9) जो कक्षाएं लेते हैं उन्हें मौखिक परीक्षक न बनाया जाए।

(10) परीक्षा केन्द्र केन्द्रीय विद्यालयों/सरकारी भवनों/अन्य विद्यालयों में सुविधानुसार रखे जाएं और फर्नीचर, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।

(11) सर्वकार्यभारी अधिकारी/उपनिदेशक यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र अधीक्षक हिन्दी शिक्षण योजना से बाहर के राजपत्रित स्तर के अधिकारी ही रखे जाएं।

(12) परीक्षा स्कंध द्वारा सभी केन्द्र अधीक्षकों को प्रश्न पत्र परीक्षा से 25 दिन पहले भेजे जाएं।

(13) परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए नीचे लिखी तिथियों का कड़ाई से पालन किया जाए :—

| परीक्षा का नाम | परीक्षा शाखा से फार्म मंगाने की अंतिम तिथि | फार्म भर कर परीक्षा शाखा में जमा कराने की अंतिम तिथि जिसके बाद फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। | परीक्षा की संभावित अवधि, वास्तविक तिथि परीक्षा शाखा सूचित करेगा। |
|---|---|---|---|
| प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ | 30 सितम्बर<br>(मई परीक्षा के लिए)<br>30 जून<br>(नवम्बर परीक्षा के लिए) | 15 फरवरी<br>(मई परीक्षा के लिए)<br>15 अगस्त<br>(नवम्बर परीक्षा के लिए) | मई का दूसरा/तीसरा सप्ताह<br>नवम्बर का दूसरा/तीसरा सप्ताह |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| टंकण/आशुलिपि | 30 जनवरी<br>(जुलाई परीक्षा के लिए)<br>31 जुलाई<br>(जनवरी परीक्षा के लिए) | 15 मार्च<br>(जुलाई परीक्षा के लिए)<br>15 सितम्बर<br>(जनवरी परीक्षा के लिए) | जुलाई का दूसरा/तीसरा सप्ताह<br><br>जनवरी का दूसरा/तीसरा सप्ताह |

(14) परीक्षा स्कंध द्वारा प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के प्रश्न पत्र तथा टंकण/आशुलिपि के प्रश्न पत्र सचिव महोदय ने जो आदेश दिए हैं उन्हीं के अनुसार बनवाए जाएं।

(15) योजना के सभी उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, प्राध्यापकों का दायित्व होगा कि वे उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें क्योंकि परीक्षा संचालन को सफल बनाना उनके दैनिक कार्य का ही एक अंग है।

उपर्युक्त सभी आदेश अपने-अपने क्षेत्र/नगर के मंत्रालयों/विभागों और सभी कार्यालयों आदि में परिचालित कराएं।

यह भी अनुरोध है कि विभाग के सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन) अपने-अपने नगर में होने वाली परीक्षाओं के दिनों में मौके पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण करें।

धर्मवीर
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

* * * *

सं० 13035/11/87-रा०भा० (ग)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय :— हिन्दी अधिकारियों, वरिष्ठ अनुवादकों तथा अनुवादकों के कर्त्तव्य।**

27 मई, 1987 को आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य के लिए भी यथासंभव तथा यथावश्यक पदों का सृजन हर विभाग को करना चाहिए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के 31 दिसम्बर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/13019/5/75—रा. भा. (ग) द्वारा हिन्दी अधिकारियों के जो कर्त्तव्य निर्धारित किए गए थे उनमें अनुवाद कार्य के अतिरिक्त कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी सम्मिलित है। इसी प्रकार 6 दिसम्बर, 1980 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13016/1/80—रा. भा. (ग) में अनुवादकों तथा वरिष्ठ अनुवादकों के कर्त्तव्य निर्धारित करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वरिष्ठ अनुवादकों और कनिष्ठ अनुवादक पद मुख्यतः अनुवाद कार्य के लिए सृजित किए गए हैं और उनसे सामान्यतः वही कार्य कराया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जहां एक ओर राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और अन्य नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुवादकों की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है वहां दूसरी ओर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निदेशों/अनुदेशों के अनुपालन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन आदि से संबंधित कार्य वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी तथा अन्य उच्च अधिकारियों के स्तर पर किया जाना चाहिए। साथ ही जिन कार्यालयों में इन कार्यों के लिए समुचित पद नहीं हैं वहां उनका सृजन किया जाना चाहिए। इसी कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विशिष्ट अवसरों पर (हिन्दी सलाहकार समिति, हिन्दी कार्यान्वयन समिति आदि की बैठकों के समय) कनिष्ठ अनुवादकों/वरिष्ठ अनुवादकों की सहायता ली जा सकती है। साथ ही इन अनुवादकों से कार्यान्वयन संबंधी कार्य में भी सहायता ली जा सकती है बशर्ते कि इससे अनुवाद कार्य की अवहेलना न हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि कार्यान्वयन संबंधी कार्य का विशेष महत्व है और समुचित स्तर के अधिकारियों द्वारा इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां आवश्यकता समझी जाए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।

2. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि यह निदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में ला दें और इसी प्रकार के निदेश अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी दें जिससे कि अनुवाद कार्य के साथ-साथ कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी सुचारू रूप से किया जा सके।

गोविन्द दास बेलिया,
उप सचिव, भारत सरकार